बुधवार, 24 फ़रवरी 1982

5 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

बुधवार, 24 फरवरी, 1982/5 फाल्गुन, 1903 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ (1), पंक्ति संख्या 4 में "118" के स्थान पर "218" पढ़िये ।

पृष्ठ 69, पंक्ति 8 (नीचे से ।) में "501" के स्थान पर "510" पढ़िये ।

पृष्ठ 229, पंक्ति 5 (ऊपर से) में "गर" के स्थान पर "गैर" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 4, बुधवार, 24 फरवरी, 1982/5 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 47	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—118
तारांकित प्रश्न संख्या : 48 और 51 से 62	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 461 से 528, 530 से 566, 568 से 575, 577 से 594 और 596 से 692	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	218—228
राज्य सभा से संदेश	228
अफ्रीकी विकास निधि विधेयक (राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में)	229
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति पैंतीसवां प्रतिवेदन	229
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	229—250
कैनरा बैंक, महारानी बाग शाखा, नई दिल्ली में सशस्त्र डकैती का समाचार	
प्रो० रूपचन्द पाल	229
श्री पी० वेंकट सुब्बय्या	223
प्रो० अजीत कुमार मेहता	237

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री सत्य गोपाल मिश्र 240

श्री राम स्वरूप राम 242

श्री जी० एम० बनातवाला 245

कार्य मंत्रणा समिति 250

पच्चीसवां प्रतिवेदन

नियम 377 के अधीन मामले 250—256

(एक) उड़ीसा में सीमेंट की कमी

श्री रास बिहारी बहेरा 251

(दो) जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के तीर्थ यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी

श्री भीखा भाई 251

(तीन) पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और अन्य जिलों में मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता

श्री हरिकेश बहादुर 252

(चार) कवि सुब्रह्मण्यम भारती की महान रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद

श्री बी० डी० सिंह 253

(पांच) कालीकट में प्रस्तावित हवाई अड्डे का निर्माण

श्री ई० के० इम्बीचीबावा 254

(छः) आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में रामकृष्णपुर में सिंगरेनी कम-तापीय कोयला संयंत्र का विस्तार करने की आवश्यकता

श्री जी० नरसिंह रेड्डी 255

(सात) महाराष्ट्र में कपास की गारन्टी शुदा मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौर 256

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	256—305
श्री रामसिंह यादव	257
श्री ई० बालानन्दन	263
श्री जैनुल बशर	275
श्री भेरावदन के० गधावी	280
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	286
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	293
श्री रामस्वरूप राम	296
श्रीमती जयन्ती पटनायक	301
श्री महावीर प्रसाद	303

लोक सभा

बुधवार, 24 फरवरी, 1982/5 फाल्गुन. 1903 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, नियम 388 के अन्तर्गत मैंने आपको लिख कर दिया था। हरियाणा में एक मंत्री ने एक हरिजन लड़की को रेप किया। **(व्यवधान)** आप बात की महत्ता को सोचिए। एक तरफ हरिजनों पर इतना जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ एक हरिजन लड़की पर एक मंत्री बलात्कार करे।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम मेरी बात सुनें। आप उसूल से चलिए। इस तरीके से मैं नहीं चलने दूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया, इस वजह से मैंने होम मिनिस्टर को इस बारे में लिखा। मुझे पताकरने दें। कोई दूसरी बात होती, तो मैं कभी न करता। लेकिन आप हिसाब से चलिए। ऐसे नहीं चलेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। आर्डर, आर्डर। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : ** हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या करते हैं आप ?

श्री मनीराम बागड़ी : तमीज़ से बात करो।

अध्यक्ष महोदय : यह गलत बात है। कोई लड़की हो, चाहे हरिजन की हो या दूसरे की हो, मेरे ख्याल में लड़की लड़की में कोई अन्तर नहीं है। हाउस के हर एक मेम्बर को इस बारे में चिन्ता होनी चाहिए। हमें इन चीजों का बचाव करना चाहिए। मैंने इस बारे में होम मिनिस्टर को लिख दिया है। मैं वास्तविकता का पता लगाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं देखूंगा। **(व्यवधान)**

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने होम मिनिस्टर को लिखा है। मुझे पता करने दें यह काम एक मिनट में थोड़े हो सकता है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं रोष के नाते वाक आउट करता हूं अकेला।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर खुद ही चिन्तित हूं। मैंने इस पर कार्यवाही शुरू कर दी है।

(तत्पश्चात श्री मनीराम बागड़ी सभा से बाहर चले गये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इलैक्ट्रोनिक्स में उन्नत प्रौद्योगिकी

* 41 श्री जेवियर अराकल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में इलेक्ट्रोनिक्स में उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय में किसी अन्य देश से कोई समझौता किया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों को काफी प्रोत्साहित नहीं किया गया है; और

(घ) कितनी भारतीय कम्पनियों ने विदेशी सहयोग के लिए आवेदन पत्र दिये हैं और कितने आवेदन-पत्र स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं ?

इलैक्ट्रोनिकी बिभाग में उप-मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3380/82]

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) 1 जनवरी, 1981 से 10 फरवरी, 1982 की अवधि के बीच संगठित क्षेत्र की कम्पनियों से विदेशी सहयोग के लिए 38 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 23 को अनुमोदन प्रदान किया गया, 6 को अस्वीकार कर दिया गया तथा 9 पर अभी भी विचार किया जा रहा है। लघु-उद्योग क्षेत्र से विदेशी सहयोग के लिए 7 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से अब तक 5 को अनुमो-

दन प्रदान किया गया है, 1 को अस्वीकार कर दिया गया तथा शेष 1 पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री जेवियर अराकल : महोदय भारत में इलैक्ट्रोनिक्स माल का कुल उत्पादन 800 करोड़ रु० के लगभग है जबकि हम कानूनी रूप से 400 करोड़ रु० के माल का आयात कर रहे हैं। मैं इन वस्तुओं की अवैधानिक रूप से तस्करी या आयात की बात नहीं कर रहा हूं। हम 40 करोड़ रु० की इलैक्ट्रानिक्स वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। अतः महोदय जहां तक नीति तथा उसके कार्यान्वयन का सम्बन्ध है उनको थोड़ा सा और स्पष्ट करने तथा निश्चित रूप से बताये जाने की आवश्यकता है। हाल ही में कई एक समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि सरकार इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग के सम्बन्ध में विद्यमान नीति को बनाये रखने पर विचार कर रही है। महोदय, इन आंकड़ों के अतिरिक्त, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारा कुल उत्पादन विश्व उत्पादन का 0.1 प्रतिशत है तथा हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 1.5% है। अतः चुनौतियां तथा सभाव्यतायें विलक्षण हैं।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या नीति है। क्या यह सत्य है कि सरकार का विचार इस नीति को स्थिर करने या इसको ऐसे ही बनाये रखने का है अथवा वह इस उत्पादकता वर्ष में काफी आगे बढ़ने पर विचार कर रही है ?

श्री एम० एस० संजीवी राव : इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी का समावेश करने के उद्देश्य से सुनियोजित तथा समन्वित आधार पर कई उपाय कर रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, स्वदेशी तकनीक का विकास करने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को सभी प्रकार की सहायता देने के अतिरिक्त, जहां कहीं हम ऐसा महसूस करते हैं कि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए तकनीकी विशिष्टियां वांछित स्तर की नहीं हैं या हम समय-सीमा के अन्दर उसका उत्पादन नहीं कर सकते वहां हम हमेशा उपयोगकर्ता मंत्रालय तथा सर्वाधिक उपयुक्त विनिर्माण संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करके विदेशी प्रौद्योगिकी की खरीद करते हैं ताकि हम अपने इलैक्ट्रोनिकी उद्योग को उन्नत बना सकें।

अनुबंध ! जो हमने आपको दिया है उससे आपको ज्ञात हो गया होगा कि सभी मुख्य क्षेत्रों जैसे रक्षा, तेल, ऊर्जा, संचार व अन्य उद्योगों के लिए विभिन्न प्रणालियों तथा उपस्करों के निर्माण के लिये लगभग 79 प्रमुख उद्योगों के लिये व्यवस्था कर दी गयी है। मुझे विश्वास है कि इन 79 उद्योगों द्वारा उत्पादन कार्य शुरू कर दिये जाने पर शीघ्र ही हम 300 करोड़ रु० के लगभग इलैक्ट्रोनिकी वस्तुओं का उत्पादन कर सकेंगे। अतः मैं अपने माननीय मित्र से अपील करता हूं कि जब हमने 'फ्रीजिंग' शब्द का प्रयोग किया तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए 34 वर्ष बीत चुके हैं और हमारी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी; उन्होंने बार-एट-ला के लिये इंग्लैंड में अध्ययन किया—अर्थात् यदि हमने 'फ्रीज' शब्द का प्रयोग कर दिया तो उन्हें इसको इतनी गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए।

श्री जेवियर अराकल : यदि आप छठी योजना को देखें—मैं राष्ट्रीय विकास की दर की बात कर रहा हूं—तो आपको ज्ञात होगा कि उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिकी की विकास दर 22% है, संचार उपस्कर की 20% कमप्यूटर्स की 40.4% अन्तरिक्ष तथा रक्षा उपस्कर की 15%। हाल ही में गठित की गयी एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अगले पांच वर्षों में हमें 7000 उच्च तकनीकी योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी जबकि हमारे पास केवल 1,500 तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे। मेरी आशंका अनुसंधान तथा विकास क्षेत्रों से सम्बन्धित है। यदि यह बात है, विशेष रूप से प्रतिरक्षा तथा संचार के क्षेत्रों में; तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि सरकार अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में, विशेष रूप से प्रतिरक्षा क्षेत्र के सम्बन्ध में, क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री एम० एस० संजीवी राव : जहां तक प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हम सगर्व यह कह सकते हैं कि उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक्स में हम थोड़े बहुत पीछे हो सकते हैं, परन्तु व्यावसायिक स्तर पर, उन्नत प्रौद्योगी तथा इलैक्ट्रोनिक प्रणाली के मामले में हम बहुत से देशों से आगे हैं तथा इसका और विकास करने के लिए हम पर्याप्त उपाय कर रहे हैं।

एक दो उदाहरण देने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि प्रतिरक्षा के लिए जितने माइक्रोवेव तथा रडार उपस्कर उपेक्षित होते हैं उनमें से अधिकांश का उत्पादन हमारी प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठनों की प्रयोगशालाओं मे विकसित जानकारी से देश में ही किया जाता है। यहां पर मैं बहुत सी संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूं जैसे माइक्रोवेव ट्यूब्स के उत्पादन के लिए एन० पी० एल० को तथा उन्नत किस्म के कम्प्यूटर्स के लिए इ० सी० आई० एल को। हम देश में ही भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में विकसित जानकारी की सहायता से एक्स०, एस०, तथा एल० बैण्ड मैग्नैट्रोन्स का भी उत्पादन करने जा रहे हैं। पिलानी स्थित केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिस इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने भी जानकारी दी और उससे दिल्ली स्थिति केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड इन मैग्नैट्रोन्स का उत्पादन कर रहा है। हम माइक्रोवेव तथा रडार यन्त्र जैसे मुख्य क्षेत्रों में शीघ्र ही विदेशी औद्योगिकी की सहायता से क्लीस्ट्रोन्स तथा ट्रैवलिंग वेव ट्यूब बनाने के भी उपाय कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : डा० संजीवी राव को मंत्री बनाने के लिए बधाई देता हूं। जो थोड़े से अच्छे लोग नियुक्त किये गये हैं वह उनमें से एक हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके कार्य सम्पादन पर बधाई नहीं देंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : वह मैं आपको सत्र के अन्त में बतलाऊंगा।······के विकास की समस्या······

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रधान मंत्री ने एक अच्छी नियुक्ति की है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : प्रधान मंत्री के बावजूद, भी यह एक अच्छी नियुक्ति है।

देशी इलैक्ट्रोनिक्स के विकास की एक समस्या तो स्वयं इलैक्ट्रोनिकी विभाग का व्यवहार ही है। इलैक्ट्रोनिकी विभाग इलैक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में एक जमींदार की भांति कार्य कर रहा है तथा यह विभाग दूसरे मंत्रालयों द्वारा प्रशंसा किये जाने की आशा करता है।

मैंने इलैक्ट्रोनिकी विभाग का ध्यान एक मामले की ओर दिलाया है जिसमें भारतीय वायु-सेना ने शत प्रतिशत भारत में बना एक कमप्यूटर खरीदने का निर्णय किया, परन्तु इलैक्ट्रोनिकी विभाग ने कहा "नहीं, आपको यह बाहर से खरीदना पड़ेगा।"

इलैक्ट्रोनिकी विभाग का यह एक विशेष पहलू है कि वह प्रत्येक मंत्रालय के निर्णय में, जहां भी कहीं इलैक्ट्रोनिकी वस्तु की खरीद करनी हो, तथा विदेशी कम्पनियों का पक्ष लेने के लिये हस्तक्षेप करता है। यह समस्या है जिसके बारे में आजकल स्वयं इलैक्ट्रोनिकी उद्योग भी शिकायत कर रहा है।

इन परिस्थितियों में मैं जानना चाहूंगा कि क्या इलैक्ट्रोनिकी विभाग के नव नियुक्त मंत्री अपने विभाग के उन ऐसे अधिकारियों का पता लगायेंगे जिन्होंने बना ली है अपनी······

अध्यक्ष महोदय : आदत।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, आदत। मुझे श्री अराकल से पूछना चाहिए क्योंकि उन्हें मुझसे कहीं अच्छी अंग्रेजी आती है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे नये मंत्री होने के नाते इस प्रश्न पर विचार करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इलैक्ट्रोनिकी से सम्बन्धित निर्णयों पर हावी होने वाले मंत्रालय के रूप में कार्य न करे।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी बधाई पर मैं क्या कहूं, परन्तु इलैक्ट्रोनिकी विभाग के प्रश्न पर आते हुए मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमारी नीति यह है कि जहां भी कहीं देशी प्रौद्योगिकी जानकारी उपलब्ध होती है वहां हम उसका लाभ उठाते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं ?

श्री एम० एस० संजीवी राव : अधिकतर मंत्रालय हमेशा यह शिकायत करते रहे हैं कि विदेशी प्रौद्योगिकी खरीदने के उनके प्रयासों में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जो भी देशी तकनीक उपलब्ध होती है हम उसका लाभ उठाते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैंने कहा है कि भारतीय वायुसेना देशी कम्प्यूटर खरीदना चाहती थी। **(व्यवधान)**

श्री एम० एस० संजीवी राव : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसकी जांच की जाएगी तथा हम बहुत ही शीघ्र इस पर ध्यान देंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : इन्होंने पहले आश्वासन दिया, अब कहते हैं कि इसकी जांच की जायेगी।

मैं इस विषय पर पहले ही पत्र लिख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि वह इसकी जांच करेंगे।

माननीय प्रधान मंत्री : जब हमें सूचना मिल जायेगी हम उसे प्रदान कर देंगे।

श्री ए० टी० पाटिल : यह संतोषजनक बात है कि कुछ विभागों में जैसे प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा अन्य मन्त्रालयों से हम अधिकतम उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं, परन्तु वस्तुत: दूसरे क्षेत्रों में हम उन्नत इलैक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी के उपयोग में पिछड़ गये हैं।

अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेश स्थित भारतीय इलैक्ट्रोनिकी वैज्ञानिकों के उन्नत इलैक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी के ज्ञान को भारत में लाने के लिए कोई कार्यक्रम, उपाय या प्रस्ताव है।

श्री एम० एस० संजीवी राव : जैसाकि मैंने पहले कहा है हम अपने उद्योगों में उन्नत प्रौद्योगिकी का समावेश करने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहे हैं। जहां कहीं आवश्यक होगा हम निश्चित रूप से हम उन विदेश स्थित भारतीयों का लाभ उठायेंगे जो कि हम सहायता देने योग्य हैं।

एच० एम० टी० घड़ियों का उत्पादन और मांग

*42. **श्री सज्जन कुमार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० घड़ियों का उत्पादन मांग की अपेक्षा बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उनकी मांग और उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए सरकार की उत्पादन नीति क्या है और वर्ष 1982-83 में एच० एम० टी० घड़ियों की मांग कहां तक पूरी हो जायेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में देश में घड़ियों की कुल अनुमानित मांग, घड़ियों का स्वदेशी उत्पादन और एच० एम० टी० का योगदान निम्नलिखित है:—

वर्ष	अनुमानित मांग (लाख में)	लगभग स्वदेशी उत्पादन (लाख में)	एच० एम० टी० घड़ियों का उत्पादन (लाख में)
1979	70	55	32.8
1980	75	53	35.9
1981	80	55	35.1

छठी पंचवर्षीय योजना में 1984-85 तक यांत्रिक कलाई घड़ियों की क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य क्रमश: 15 मिलियन और 12.5 मिलियन हैं। सरकार ने संगठित क्षेत्र में 11.4 मिलियन यांत्रिक कलाई घड़ियों की कुल क्षमता को पहले ही मंजूर कर दिया है। इसके अलावा, प्रतिवर्ष 5 मिलियन से कुछ अधिक कलाई घड़ियों की कुल क्षमता के लिए अनेक लघु एककों को मंजूर किया गया है। ये एकक मुख्यत: आयातित हिस्से पुर्जों पर आधारित हैं।

सरकार ने मुख्यत: कलाई घड़ियों के हिस्से-पुर्जों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने का हाल ही में निर्णय किया है। इसका उद्देश्य छोटे असेम्बली यूनिटों की मांग पूरी करने के लिए हिस्से-पुर्जों का निर्माण करने की स्वदेशी क्षमता का विकास करना है जिससे आयात पर लगातार निर्भर न रहना पड़े। इस प्रकार उत्पन्न की गयी क्षमता से घड़ियों के हिस्से पुर्जों का कम से कम 2/3 उत्पादन छोटे असेम्बली एककों को सप्लाई किया जायेगा और पूरी घड़ियों के निर्माण के लिए 1/3 से अधिक क्षमता का उपयोग नहीं किया जायेगा। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े/पर्वतीय क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्तावों और जिनका लक्ष्य पहले वर्ष से ही अत्यधिक स्वदेशीकरण करना है, को वरीयता दी जायेगी। किन्तु अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए एम० आर० टी० पी० और फेरा कम्पनियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

एच० एम० टी०, जिसने 1961-62 में 0.5 लाख से भी कम घड़ियों का उत्पादन करके शुरुआत की थी, ने 1982-83 में 42.1 लाख घड़ियों का निर्माण करने की योजना बनाई है और आगे विस्तार के लिए प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

श्री सज्जन कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा सदन के पटल पर रखा गया है, उसमें यह बताया गया है कि 1981 में 80 लाख घड़ियों की अनुमानित मांग है, जिसमें एच० एम० टी० द्वारा करीब 35 लाख एक हजार घड़ियां बनाई गई हैं। इससे पहले 1980 में 7. लाख घड़ियों की

मांग थी, लेकिन एच० एम० टी० द्वारा 35 लाख 9 हजार घड़ियां बनाई गई जिससे जाहिर होता है कि पिछले वर्ष में इसका उत्पादन बढ़ने के बजाये कुछ उत्पादन गिरा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वे कुछ यूनिट बना रहे हैं, जिस से उत्पादन बढ़ेगा, क्या 1982-83 में कोई नया यूनिट लगाने जा रहे हैं, जिससे कि देश की घड़ियों की मांग को पूरा किया जा सके ?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हम घड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं ? यदि करते हैं, तो क्या जब हम भारत के लोगों की माग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट पर पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, सम्माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि क्या 1982-83 में कोई नया यूनिट लगाने जा रहे हैं अथवा नहीं ? श्रीमन्, जैसा कि वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया है और अभी जनवरी, 1982 में हमने यह आह्वान किया है, संभावित उत्पादनकर्त्ताओं से, कि वे आवेदन दें कि वे नये इस प्रकार के संस्थानों को स्थापित करने के लिये क्या वे प्रस्तुत हैं। यदि ऐसे कोई आवेदन हमारे पास आएंगे तो उसके आधार पर निर्णय किया जा सकेगा कि कितनी तत्परता के साथ 1982-83 में उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1982-83 में एच० एम० टी० के तुमकुर यूनिट के माध्यम से उसका उत्पादन पूर्ण स्तर पर पहुंच जायेगा और उसके परिणामस्वरूप अधिक घड़ियां बन सकेंगी।

जहां तक एक्सपोर्ट का प्रश्न है, वर्ष 1980-81 में 63 हजार 349 घड़ियां एक्सपोर्ट हुई हैं। सम्माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अगर हमारे देश की कुछ घड़ियां बाहर जाती हैं, तो उससे देश का सम्मान बढ़ता है और यह भी मालूम होता है कि भारत की टैक्नोलॉजी इस दिशा में कितनी अधिक उन्नत हो चुकी है। इसलिये यह तो सम्मान का विषय है कि भारत मे उत्पादक घड़ियों की मांग बाहर भी होने लगी हैं। एच० एम० टी० की कुल उत्पादन क्षमता का हम दो प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं। इससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात से सम्माननीय सदस्य सहमत होंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : *क्या मैं जान सकता हूं : (क) क्या सरकार घड़ियों के पुर्जों के उत्पादन की क्षमता में और वृद्धि के लिये प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और (ख) क्या यह सत्य है की एच० एम० टी० को घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गयी, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?*

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने अपने विवरण में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि एच० एम० टी० अपने कारखानों का और विस्तार करने तथा पुर्जों के निर्माण के लिये नयी क्षमताएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मेरे विवरण के अंतिम पैरा में इसी बात को विस्तार से बतलाया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : एच० एम० टी० की घड़ियां बनाने की तकनीक अच्छी है तथा

हमारे देश में और देश से बाहर भी इस बात को स्वीकार किया जाता है। अतः तकनीकी उन्नत किस्म की है इसके अलावा क्या यह सत्य नहीं है कि एच० एम० टी०, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उद्योग है, जापान की "सीको" कम्पनी का सहयोग लेने जा रही है। यदि हां, तो ऐसे सहयोग की क्या आवश्यकता है?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय एच० एम० टी० सीको के साथ कोई सहयोग नहीं करने जा रही है। इसने पहले से ही सिटिजन के लिये आरम्भ से जापान के साथ सहयोग किया हुआ है।

मुझे माननीय सदस्य को यह सूचना देने में खुशी हो रही है कि एच० एम० टी० ने अपनी देशी तकनीकी क्षमताएं विकसित कर ली हैं। जैसा कि हमें पता है कि विश्व में घड़ियों की तकनीकी बहुत तेजी से बदल रही है। नये-नये डिजाइन आ रहे हैं। नये प्रकार की घड़ी तकनीकी विकसित की जा रही है। अतः यदि हम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं तथा रुचियों की पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें नयी तकनीक को अपनाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य उनकी नये डिजाइनों को पसन्द करेंगे।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि हमारी घड़ियां काफ़ी एक्सपोर्ट हो रही हैं—यह हमारे लिये गौरव और स्वाभिमान की बात है। कैसियो और सिटिजन घड़ियां यहा पर काफी स्मगल हो कर आती हैं और काफी मंहगी होती हैं, 1200-1500 रुपयों की पड़ती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं—क्या एच० एम० टी० क्वार्टज घड़ियां बनाने की कोशिश कर रही है तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है वह भी सूचित करें?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, विज्ञापनों से ऐसा लगता है कि कैसियो तथा सिटिज़न घड़ियां, जिन का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, इस देश में यदाकदा पहनी जाती हैं। इस बात से इन्कार करना तो कठिन होगा, सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी इस प्रकार की स्मगिलग के प्रयास होते हैं। इसीलिये हमारी यह चेष्टा रही है कि हम अधिक से अधिक घड़ियों का उत्पादन करें तथा हम ने घड़ियों के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है।...

अध्यक्ष महोदय : क्वार्टज के बारे में बतलाइये।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं उसी पर आ रहा हूं। इन के प्रश्न के दो भाग हैं, आप की अनुज्ञा से में पहले भाग का उत्तर दे रहा था। जहां तक क्वार्टज का ताल्लुक है एच० एम० टी० को लाख क्वार्टज-एनालाग के उत्पादन का लाइसेंस दिया जा चुका हैं, उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है और वह बाजार में उपलब्ध है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की नई परियोजनायें

*43. **श्री गदाधर साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की कितनी नई परियोजनाएं अगले पांच वर्षों में स्थापित की जानी हैं; और

(ख) ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में स्थापित की जायेंगी तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में 59.73 करोड़ रुपये की लागत से जिसमें 26.90 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी निहित है प्रतिवर्ष 30 लाख कण्डक्टर किलोमीटर दूर संचार केबलों का उत्पादन करने के लिये एक नई परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। छठी योजनावधि के दौरान नई परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु हिन्दुस्तान केवल्स लि० द्वारा अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री गदाधर साहा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूर संचार की सर्वदा बढ़ती हुई आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को पूरा करने के लिये देश में आगामी वर्षों में दूर संचार प्रणाली के विस्तार के लिये आगामी वर्षों में सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता है। यदि हां, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने भविष्य में तत्सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाई हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस परियोजना के अन्तर्गत डाकतार विभाग की जैली-फील्ड केबिलों तथा कण्डक्टर किलोमीटर केबिलों सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। अतः जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी तो आयात की बहुत कम आवश्यकता रह जाएगी।

श्री गदाधर साहा : केबिल परियोजना की कुल रोजगार क्षमता कितनी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : रोजगार क्षमता लगभग एक हजार व्यक्ति होगी।

अंटार्कटिक को भारतीय वैज्ञानिक अभियान

*44. **श्री आर० आर० भोले**
श्री चिरन्जी लाल शर्मा } : क्या प्रधान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० एस० जेड० कासिम की अध्यक्षता वाले 21 सदस्यीय भारतीय वैज्ञानिक अभियान ने जनवरी, 1982 में सफलता पूर्वक अंटार्कटिक यात्रा पूरी की है;

(ख) यदि हां, तो अभियान का ब्यौरा क्या है, उसके सामने क्या दिक्कतें आई, यात्रा पर

कितना व्यय हुआ तथा हिमविज्ञान, मौसम विज्ञान, भू-चुम्बकत्व, आदि के क्षेत्रों में उनके द्वारा क्या आंकड़े एकत्र किए गए;

(ग) तेल, गैस, कोयला, सोना आदि जैसे संसाधनों की खोज के लिए इसी प्रकार के दल भेजने के बारे में भावी योजनाएं क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार 1959 में हस्ताक्षर की गई अंटार्कटिक संधि की सदस्यता के लिए आवेदन देने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में एक वक्तव्य 19 फरवरी को दिया गया था। अनुमान है कि इस अभियान पर लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च हुए।

(ग) दल की रिपोर्ट, जो कि अभी प्राप्त होनी है, के मूल्यांकन के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।

(घ) ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री आर० आर० भोले : महोदय हमें खुशी है कि हमारे प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अभियान ने सफलता पूर्वक अंटार्कटिक यात्रा पूरी की तथा प्रधान मंत्री ने सभा के सामने हमारे भारतीय वैज्ञानिक अभियान दल तथा डा० कासिम को बधाई देने का प्रस्ताव रखकर बहुत ही अच्छा किया। सम्भवत: सभा के सामने प्रस्तुत उत्तर के अनुसार कुछ समय लगेगा। महोदय मैं यह जानना चाहूंगा कि दूसरे देशों के चांद पर पहुंचने की तुलना में हमारे अंटार्कटिका पर पहुंचने के क्या परिणाम हुए हैं; दूसरे शब्दों में क्या हमारे वहां पहुंचने से हमारा कुछ अधिकार बन जाता है या इसकी तुलना उन देशों के अधिकारों से की जा सकती है जो चांद पर पहुंचे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : वहां पर संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं भेज दिया जाता ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : चांद पर ? यदि आप चांद पर जाने के लिए अपना नाम प्रस्तुत करें तो हम निश्चित इस पर विचार करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : एक तरफ से या दोनों तरफ से ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : दोनों तरफ से।

एक माननीय सदस्य : हम इतने महत्वपूर्ण सदस्य को खोने की जोखिम नहीं ले सकते।

अध्यक्ष महोदय : चांद पर जाकर चांद को मत रोको ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : महोदय अभी तक वहां पर कोई अधिकार नहीं हैं । जब हम वहां पर पर्याप्त मात्रा में प्रयोग तथा अनुसंधान कार्य कर लेंगे केवल तभी अधिक अधिकार पाने की बात सोची जा सकती है । परन्तु यह अवश्यक है कि जब हम एक बार वहां पर पहुंच गये तो इसका अर्थ है कि हम दोबारा भी वहां जा सकते हैं तथा आगे कार्य भी कर सकते हैं । इस समय तो हमें एकत्रित जानकारी का अध्ययन करना है । यह दल अभी तक दिल्ली वापस नहीं पहुंचा है । वे एक दो दिन में पहुंच रहे हैं । तभी हमें इसकी उपलब्धियों के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी । परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, हम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि दूसरे क्षेत्रों पर केवल कुछ राष्ट्रों का ही अधिकार है, चाहे यह चांद हो या एंटार्कटिका या भूमंडल का कोई दूसरा हिस्सा या कोई ग्रह । डा० सुब्रह्मणयम् स्वामी तथा अन्य चाहे चांद पर न जा सकें परन्तु हमें आशा है कि शीघ्र ही कोई भारतीय वहां जाने में सफल होगा ।

श्री आर० आर० भोले : महोदय ऐसा कहा गया है कि कुछ ऐसी चट्टानों के नमूने भी इकट्ठे किये गये हैं जो दक्षिण मैं पायी गयी चट्टानों जैसे लगते हैं । मगर इस बात को स्थापित करने के लिए कि क्या कभी दक्षिण तथा एन्टार्कटिक, जुड़े हुए थे, विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी । मदहोय, मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि हम दक्षिण के लोग एंटार्कटिका से सम्बन्ध रखते है (व्यवधान) परन्तु मैं देखता हूं कि मानवरहित मौसम स्टेशन के स्थल को 'दक्षिण गंगोत्री' नाम दिया गया है । महोदय, यदि हम दक्षिण तथा एंटार्कटिका के बीच कुछ सम्बन्ध स्थापित कर सकें तो नहीं है । राजनैतिक उद्देश्य इसका नाम 'दक्षिण गंगोत्री—कावेरी या दक्षिण गंगोत्री—गोदावरी' होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य को नाम से ही संतोष हो जाये तो मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री आर० आर० भोले . महोदय एंटार्कटिका की सदस्यता कितनी है ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : क्या दल की सदस्यता ? (व्यवधान)

श्री आर० आर० भोले : दल की नहीं । मैं एंटार्कटिका संघि की सदस्यता की बात कर रहा हूं ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि चट्टान के नमूने दक्षिण की चट्टानों जैसे हैं । मैं समझता हूं कि उनको इस बात का ध्यान है कि कभी हमने महाद्वीपीय अपसरण का अध्ययन किया था तथा इन नमूनों से इस बात का निश्चय हो जायेगा कि क्या यह अपसरण कल्पना मात्र थी या वास्तव में सच था । उनके प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि माननीय सदस्य

यह जानना चाहते हैं कि मूल संधि के सदस्य कौन-कौन थे। प्रारम्भ में जब 1961 इस संधि पर हस्ताक्षर किये गये तो 12 देश इसके सदस्य बने थे। वे हैं :

अर्जेन्टाईना
चिली
न्यूजीलैंड
आस्ट्रेलिया
नार्वे
फ्रांस
यू० के०
यू० एस० ए०
यू० एस० एस० आर०
जापान
साउथ अफ्रीका; और
बेल्जियम्

बाद में, दो अन्य देश मंत्रणा समिति में सम्मिलित हो गये और वे हैं :
पश्चिम जर्मनी; तथा
पौलेंड

यह मूल समिति है और यह मंत्रणा समिति के नाम से जानी जाती है और इसको वीटो करने तथा निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। एंटार्कटिका संधि के अधीन सभी शक्तियां इसी समिति को प्राप्त हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या माननीय मंत्री हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि एंटार्कटिका दल ने अपना कार्य कब पूरा किया ? **(व्यवधान)** मैं यह जानना चाहता हूं कि दल कि यात्रा कब समाप्त हुई। मैं इसके द्वारा तय की गयी दूरी भी जानना चाहता हूं। और मैं इस दल के द्वारा यात्रा में लगाये गये कुल समय को भी जानना चाहता हूं।

श्री सी० पी० एन० सिंह : इस दल ने 6 दिसम्बर को गोवा से प्रस्थान किया तथा वह 9 जनवरी को एंटार्कटिक पर पहुंचा था तथा 21 फरवरी को वापिस गोवा पहुंचा।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम अपने वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकीविदो तथा अन्य व्यक्ति जो इसमें लगे हुए थे, की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बहुत खुश है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार का ध्यान अमेरिका में छपी एक खबर की ओर गया है जहां पर उन्होंने न केवल हमारे अधिकार पर प्रश्न चिह्न लगाया है बल्कि यह भी दोष लगाया है कि हमारे कुछ बुरे तथा राजनैतिक उद्देश्य थे ? मैं अमेरिका में प्रकाशित हुई इन रिपोर्ट पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सम्भवतः उन्होंने जो संकेत किया है वैसा कोई राजनैतिक उद्देश्य

भारत का हित है । यह भारत के हित में है कि हम यह देखें कि मानसून तथा मौसम की दशाओं के बारे में हम क्या ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

जैसा कि मैंने एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हमारा यह दृष्टिकोण नहीं है कि केवल कुछ धनी देशों का ऐसे मानवरहित तथा दूसरे स्थानों पर अधिकार है । मैं समझती हूं कि हमें तथा दूसरे देशों को समान अधिकार हैं. ।

श्री माधवराव सिंधिया : दल उस प्रशंसा का पात्र है जो उसे देश में देश से बाहर प्राप्त हुई है ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूंगा कि आगे की कार्यवाही के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धान्त कब तक बनाये जायेंगे ? विशेष रूप से उन अनेक देशों ने जिन्होंने यह साहसपूर्ण कार्य किया है एंटार्कटिका में स्थायी रूप से मानवयुक्त स्टेशन स्थापित किये हैं । क्या भारत सरकार भी किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्या इस पर विचार किया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूं कि इतनी जल्दी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता । इन सभी मामलों पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न; श्री आर० एल० भाटिया ।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक पूरक प्रश्न पूछना है—बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

मेरे माननीय मित्र ने अभी अभी कहा है कि जो देश इस संधि के सदस्य हैं उनको वीटो का अधिकार है । महोदय उनको यह वीटो का अधिकार किसने दिया? क्या सरकार उन सभी राष्ट्रों से तथा अन्य देशों से भी यह अपील करने की वांछनीयता पर विचार करेगी कि ये सभी अपने हितों को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दें बजाय इसके कि ये सब बातें इस आश्चर्यजनक संधि के कुछ भागी दारों के हाथों में ही रहें ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं सोचती हूं कि वीटो का यह अधिकार उन्होंने खुद ही लिया है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है यदि हम कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान करेंगे तो हम भी इसके सदस्य बन सकते हैं तथा उस समय शायद हम कुछ दबाव भी डाल सकें ।

ब्रिटिश समाचार माध्यमों की ब्रिटिश आसूचना सेवा से साठ-गांठ के संबंध में "यूनेस्को" का अध्ययन

45. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 दिसम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि "यूनेस्को" द्वारा किए गए एक

अध्ययन से पता चला है कि ब्रिटिश समाचार-पत्र और समाचार एजेंसियां ब्रिटिश आसूचना की सांठ-गांठ से भारत में प्रमुख समाचार एजेंसियां चला रही हैं, जो वास्तव में अधिसूचना सेवा के मोहरे थीं और ऐसे संगठन भारत में आठवें दशक तक कार्य करते रहे ;

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जो भारत में उक्त अविध के दौरान जासूसी संगठनों के रूप में कार्य करती रही ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी समाचार एजेंसियां ऐसी गतिविधयों में शामिल नहीं हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशों के साथ मैत्री संबंधों को प्रभावित करने वाले इस प्रकार के संवेदन शील मामलों पर विचार-विमर्श करना जनहित में नहीं है ।

(ग) सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को रक्षा के लिए निरन्तर सतर्कता बरत रही है और जासूसी, तोड़-फोड़ आदि के किन्हीं प्रयासों का पता लगाने और उनके विरुद्ध अन्य आवश्यक कारवाई करने के निरन्तर प्रयत्न किए जाते हैं ।

विदेशी समाचार एजेंसियों, समाचार पत्रों आदि की प्रत्यापन सुविधा उनकी वैधता की जांच करने के बाद ही दी जाती है और उन मामलों में जहां सम्बद्ध संवाददाता पत्रकारिता के स्वरूप से भिन्न गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इससे पहले कि मैं अपना प्रश्न रखूं । मैं दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा यह दिया गया है—"जी, हां, श्रीमान ।" मेरे प्रश्न के दो भाग हैं—पहला भाग समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली खबर से संबंधित है और दूसरा भाग ब्रिटिश न्यूज एजेंसी से संबंधित है जो भारत में गुप्तचर सेवाओं के साथ सांठ-गांठ से काम कर रही है । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रश्न के किस भाग का उत्तर "जी, हां" दिया है ।

श्री निहार रंजन लास्कर : प्रश्न के (क) भाग का ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया जो इस बारे में है कि ब्रिटिश न्यूज एजेंसी गुप्तचर एजेंसियों के साथ मिलकर भारत में काम कर रही है ।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय उन्होंने मेरा प्रश्न पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, मैं प्रश्न पढ़ता हूं :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 दिसम्बर 1981 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है' जिसमें यह कहा गया है कि 'यूनेस्को' द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि ब्रिटिश समाचार एजेंसियां ब्रिटिश आसूचना की सांठ-गांठ से भारत में प्रमुख समाचार एजेंसियां चला रही है, जो वास्तव में आसूचना सेवा के मोहरे थीं अब, आपने उत्तर में कहा था। "जी, हां, श्रीमान।"

श्री निहार रंजन लास्कर : हां, हमने यह समाचार देखा है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि यह समाचार 21-12-81 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ था और वह उन्होंने 18-12-81 को 'दी गार्जियन' में से लिया था। ऐसा समाचार मिला है कि रिचर्ड फलेचर को इस माध्यम पर अनुसंधान करने के लिए 'यूनेस्को' द्वारा नियुक्त किया गया। 'यूनेस्को' की यह रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि जैसे ही हमें यह रिपोर्ट मिलेगी सरकार इस पर पूरा ध्यान दगी और उचित कार्यवाही करेगी।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यूनेस्को द्वारा किये गये एक अध्ययन से यह चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त हुई है कि पिछले युद्ध के दौरान ब्रिटिश न्यूज एजेंसियां गुप्तचर प्रणाली के एक अंग के रूप में कार्य कर रही थीं। इन में से एक एजेंसी भारत में भी काम कर रही थी। उन्होंने यह बात अपनी रिपोर्ट में कही है और उसके बाद इस विषय पर ब्रिटिश समाचार पत्रों में भी चर्चा की गई। जिनका नाम कुछ बड़े अधिकारियों ने जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, खुलेआम यह कहा है कि उन्हें इस बात पर गर्व है। यह एक देश भक्ति पूर्ण कार्य है जो कि वे करते रहे हैं और यहां आपने जो उसके उत्तर में कहा वह यह है कि "इस प्रकार के संवेदनशील मामलों पर विचार-विमर्श करना अनहित में नहीं है।" जिस बात पर ब्रिटिश प्रेस में क्या चर्चा की गई। वह गुप्त कैसे हो गई ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह उन एजेंसियों का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। समाचार पत्रों में इन एजेंसियों के नाम का भी उल्लेख किया गया है। संबंधित न्यूज एजेंसियां थीं—अरब न्यूज एजेंसी, एन० ए० एफ० ई० न० और ग्लोब न्यूज एजेंसीज ऐसी एक एजेंसी 'अरब न्यूज एजेंसी भारत की 'रियूटर्स' द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई थी। 'एन० ए० एफ० ई० एन०' (एशिया) को भारत में कब स्थापित किया गया था और उसका 'रियूटर्स' के साथ क्या संबंध था।

अध्यक्ष महोदय : आप तथ्य जानना चाहते हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :भारत में उसके कितने कार्यालय हैं और क्या उसे ब्रिटिश गुप्तचर सेवा का आश्रय प्राप्त हुआ ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं माननीय सदस्य को पुनः बताना चाहता हूं कि हमें इस समाचार की जानकारी है। हमें अभी 'यूनेस्को' की रिपोर्ट नहीं मिली है। जैसे ही रिपोर्ट प्रकाशित

होगी, हम रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। जब तक वह रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती, हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशों के साथ मैत्री सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले इस प्रकार के संवेदनशील मामलों पर विचार-विमर्श करना जनहित में नहीं है।" और अब वह कहते हैं कि उन्हें अभी वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इनका कौन-सा उत्तर ठीक है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : महोदय, दोनों ही भाग ठीक हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे माननीय सदस्य का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहिए कि यदि युद्ध काल के दौरान ऐसा हुआ था तो यह ठीक है कि केवल ब्रिटेन ही नहीं अन्य बड़े देश भी जासूसी उद्देश्यों के लिए ऐसे लोगों को भेज रहे थे। यह कोई गुप्त या छिपे हुए भेद की बात नहीं है। यह सर्वविदित है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऐसी घटनाएं हुई थीं। इस विषय पर किताबें भी प्रकाशित हुई हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : युद्ध के बाद भी अभी तक ऐसा हो रहा है। वह मेरा प्रश्न है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह इस प्रश्न का उत्तर है जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है कि उन्होंने अभी तक असली रिपोर्ट नहीं देखी है और उन्होंने रिपोर्ट का केवल समाचार ही देखा है। तो यह उचित होगा कि हम वास्तविक वस्तु का इंतजार करें और फिर उस पर कुछ करने का निर्णय लें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समाचार एजेंसी के साथ कोई अन्य समाचार एजेंसियां भी जुड़ी हुई या संबंधित थीं। **(व्यवधान)**

गांवों में हरिजनों का मारा जाना

*46. **श्री वीरभद्र सिंह †**
श्री सैफुद्दीन चौधरी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में गांवों में हरिजनों की बड़ी संख्या में हत्या की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशेष सैल स्थापित करने के लिए कदम उठाएं हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में हरिजनों की भयंकर हत्या की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईहैं।

(ख) अधिकतर राज्यों में यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष हरिजन एककों की स्थापना की गई है कि अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों को उचित रूप से दर्ज किया जाए, तत्परता और ठीक ढंग से उनकी जांच की जाए और शीघ्रता से मुकदमा चलाया जाए। अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था कराने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री के 10 मार्च, 1980 के अर्ध-शासकीय पत्र के द्वारा एहतियाती, निवारात्मक दंडात्मक, पुनर्वासात्मक और कार्मिक नीति संबंधी मामलों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्य सरकारों को भेजे गये हैं और राज्य सरकारों द्वारा कारगर रूप से उनका अनुपालन किया जा रहा है।

श्री वीरभद्र सिंह : यह बहुत ही शर्म और दुःख का विषय है कि स्वतंत्रता के 34 वर्षों बाद भी हरिजनों और अन्य कमजोर वर्गों पर तरह-तरह से अत्याचार किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने बताया है कि इस संबंध में सरकार ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष हरिजन एककों की स्थापना की गई है कि अनुसूचित जातियों के प्रति किये गये अपराधों को ठीक तरह से दर्ज किया जाए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा हरिजनों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर : हरिजनों पर किये जाने वाले अत्याचार और अपराध निश्चय ही हम सब के लिए शर्म की बात है। गरीब से गरीब और कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार सचमुच ही ऐसा विषय है जिसका संबंध हम सबसे है। इसमें कोई शक नहीं कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की हालत सुधारने के लिए बहुत से कदम उठा रही है। इसका परिणाम निश्चित रूप से हुआ है। यह हो सकता है कि वह पर्याप्त नहीं हो, फिर भी इस संबंध में कुछ उपलब्धियां हुई हैं।

महोदय, मेरे मित्र ने यह पूछा है कि राज्य सरकार को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अलावा हमने और कौन-2 से कदम उठाए हैं। मैं अपने मित्र को केवल यह विश्वास दिला सकता हूं कि राज्य सरकारों को एक बार निर्देश जारी कर दिए जाने के बाद विभिन्न राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं और अनेक प्रमुख मामलों को शीघ्र निपटाया जा चुका है तथा उनके बारे में निष्कर्ष निकाला जा चुका है। वे काण्ड हैं—बिहार में बेलची, पिपरा, कालिया और विश्रामपुर, गुजरात में जतलामपुर तथा उत्तर प्रदेश में काफालता। एक के अलावा, इन सब सभी मामलों में बड़ी संख्या में अपराधियों की मौत की सजा सुनाई गई है। सिर्फ एक केस में सभी को रिहा कर दिया गया है इनके अलावा हाल में उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं प्रायः होती रही हैं। उत्तर प्रदेश ने मैनपुरी जिले में, जो कि बहुत गड़बड़ वाला जिला है, 25 पुलिस चौकियां स्थापित की हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने मैनपुरी जिले में ही विभिन्न जगहों पर पी० ए० सी० की 27 प्लाटूनें तैनात की हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पुलिस वाले मार रहे हैं हरिजनों को। एनकाउन्टर के नाम पर मार रहे हैं।

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : वे क्या कर रहे हैं ? इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं ।

श्री निहार रंजन लास्कर : आंध्र प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों ने विशेष न्यायालय गठित किए हैं जबकि बिहार और तमिलनाडु ने पुनः विशेष अदालतें बनाने का निर्णय किया है । उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी में डाकू प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1980-81 के अन्तर्गत अनुसूचित अपराधों के बारे में मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया है ।

भारत सरकार केवल निर्देश ही नहीं दे रही है वरन् अपने क्षेत्रों में निर्देशों को लागू करवाने के लिए राज्य सरकारों के साथ निरन्तर संपर्क बनाए रखती है ।

श्री वीरभद्र सिंह : महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों एवं सरकार द्वारा किए जा रहे विशिष्ट उपायों संबंधी सभी कागजात सभा पटल पर रखें । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह से प्रभावित क्षेत्रों में सभी जातियों की संयुक्त समितियां बनाने का विचार करेगी ताकि साम्प्रदायिक सामंजस्य स्थापित किया जा सके तथा मतभेद दूर किये जा सके । मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि कुछ राज्यों में हरिजनों पर हो रहे अपराधों पर विचार करने के लिए विशेष अदालतें बनाने का निश्चय किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारत में सभी राज्यों से हरिजनों एवं कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचारों पर विचार करने के लिए एक नियम के तौर पर विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए कहेगी ताकि तात्कालिक न्याय मिल सके तथा अपराधियों को पकड़ा जा सके ।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने राज्य सरकारों के साथ निरन्तर संपर्क रखा हुआ है ताकि वे हमारे द्वारा जारी किए गए निर्देशों को लागू करें । इसके अतिरिक्त, ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों तथा उन क्षेत्रों में गाव सुरक्षा बल बनाने के सम्बन्ध हमारे गृह मंत्री राज्यों के, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं । अत: इस दिशा में सुधार के लिए हमारी राज्य सरकारों के साथ लगातार बातचीत हो रही है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि उन राज्यों में जहां भूमि सुधार कार्यक्रम को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया है हरिजनों पर अत्याचार निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर भूमि सुधार कार्यक्रमों को यथाशीघ्र पूरा करने के विशेष आयोग बनाने का विचार कर रही है ।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : हरिजनों पर जहां-जहां भी ज्यादतियां हुई हैं उन पर खासतौर पर ध्यान दिया गया है । जहां तक लैंड रिफार्म का सवाल है आनरेबिल मेम्बर ने जो हमारे सामने रखा है यह स्टेट सब्जेक्ट है और इसको बदलने के लिए हमें संविधान अमेंड करना पड़ेगा ।

इसलिए ऐसी बात करने की जरूरत नजर नही आती क्योंकि हमारे देश में जो प्रान्तीय सरकारें हैं वह भी इस बात पर चिन्तित हैं और पूरा-पूरा यत्न कर रही हैं इस बात का कि यह ऐट्रासिटीज बन्द की जाय। मैं हाउस से यही बात कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मामला है कि जो इन्सानियत के माथे पर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि जोरावार कमजोर को मारता है। सिर्फ हरिजन ही नहीं, जहां भी कोई कमजोर है, उसको मारा जाता है। जो अपने आपको बहुत ऊंचे दर्जे का इंसान समझते हैं जांत-पांत के लिहाज से या दौलत के लिहाज से, या हकूमत के लिहाज से, वह दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। इस मामले में कांस्टीट्यूशन अमेंड करने की जरूरत नहीं, सबजैक्ट लेने की जरूरत नहीं, इस मामले में तो में भावना पैदा करने की जरूरत है कि वह लोग बर्दास्त करें कि ये भी इन्सान हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये।

पिछले 34 साल में हिन्दुस्तान का जो कमजोर वर्ग था, हरिजन था, वह चाहे आर्थिक तौर पर कमजोर था या सामाजिक तौर पर कमजोर था, वह पांव के नीचे दबा हुआ था। अब उसमें हिम्मत आई है, वह अपनी आवाज उठाने लगा है, वह बताने लगा है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इसलिए वह वर्दाश्त नहीं करता अपर क्लास की बात को। जो लोग इसमें उकसा देते हैं, जो ताकत देते हैं, इसमें उनका कसूर है। इसमें कोई ला अमेंड करने की जरूरत नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : आज हिन्दुस्तान का हरिजन और आदिवासी जितना असुरक्षित है, उसके पहले कभी नहीं था। हमारे समय में एक बेलछी की घटना··· (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : नहीं नहीं एक नहीं, सब जगह के मेरे पास आते थे।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए। यह सब क्या हो रहा है ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे समय में एक बेलछी की घटना घटी थी, प्रधान मंत्री उस समय गई थीं हाथी पर चढ़कर, लेकिन उसके बाद घटना का जो तांता लगा है, चाहे पिपरा की घटना हो चाहे परसबीघा, देहुली, कफल्टा, इन्द्रावली और साढोपुर की घटना हो, अब यह मध्य प्रदेश की घटना है। एक खून सूखने नहीं पाता है कि दूसरा खून हो जाता है। जब-जब भी हम किसी बात को कहते हैं, बजाय इसको गंभीरता से लेने के, मैं प्रधान मंत्री जी से सीधा जानना चाहता हूं, होम मिनिस्टर की बात नही, इनकी बात इनके स्टेट के मिनिस्टर नहीं मानते, चीफ मिनिस्टर नहीं मानते, ये रोज सर्कुलर जारी करते हैं, लेकिन कोई इनकी बात नहीं मानता है। मैं प्रधान मंत्री से सीधा सवाल पूछता हूं कफाल्टा में कहा कि इस तरह का जघन्य अपराध हुआ दिनदहाड़ और एक जज ने अपना जजमेंट दिया लेकिन एक व्यक्ति को एक दिन के लिए भी सजा नहीं हुई है, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि आपकी व्यवस्था में लोगों को आस्था रहेगी ?

अभी हमारे साथी ने स्पेशल कोर्ट के सम्बन्ध में पूछा, क्या सरकार जहां घटना घटती है,

वहां स्पेशल कोर्ट तुरन्त बैठाएगी और वहां निर्णय लेगी ? क्या उन्हें एक जगह बसाने का काम होगा जिससे उनमें से असुरक्षा की भावना दूर हो सके ?

हथियारों की बात पिछले सत्र में उठायी थी, अब हथियार क्राइम के लिये नहीं, लेकिन आत्मरक्षा के लिये क्या उनको देंगे और जहां जिस जिले में घटना होती है, उसके डी० एम० और एस० डी० एम० को जिम्मेदार ठहरायेंगे ?

श्री जैल सिंह : यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि हरिजनों पर अत्याचार बढ़े हैं। अत्याचार का जमाना चला गया, जब उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, जब उनकी बहू-बेटियों की बेइज्जती होती थी, कोई सुनाई नहीं करता था। उनकी आवाज को सुना नहीं जाता था। हरिजन अपनी आवाज उठा नहीं सकता था, पांव के तले पड़ा हुआ था। उसमें अब हिम्मत आई है, दिलेरी आई है, एजूकेशन और ताकत आई है। उसने अपनी आवाज बुलन्द की है। यह जो जांत-पांत में विश्वास रखने वाले हैं, वह उनकी ताकत को मारना चाहते हैं और कोई ताकत नहीं रही है जो उनको जान से मारना चाहती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं कि मैं सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं, आप बैठिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह सवाल तो सुनते नहीं हैं और भाषण करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ज्ञानी जी,

श्री जैल सिंह : मैंने स्पेशल कोर्ट के सम्बन्ध में पहले ही कह दिया था कि हमने सरकारों को यह हिदायत दे रखी है कि ऐसे कहीं वाक्य हों तो उसमें स्पेशल कोर्ट बनाने चाहिएं। इसका फायदा यह होता है कि सबूत खराब नहीं होते, स्वीडेंस उसी वक्त ली जाती है, मुकदमा चल जाता है।

आपको मालूम है कि बिहार में जब पहली बार पिपरा गांव के वाके के बाद स्पेशल कोर्ट मुकर्रर किया गया तो बेलछी के फैसले के भी पहले उसका फैसला हो गया और उन लोगों को सजा दी गयी।

श्री रामविलास पासवान : हथियार ?

श्री जैल सिंह : हथियार देने का मतलब यह नहीं है कि सबको हथियारबंद कर दें, फिर

लड़ाई खत्म हो जायेगी। हमने यह जरूर हिदायत की है कि जहां ऐसे वाकेयात हो जाएं, या पुलिस ने हरिजनों से शहादतें लेकर डाकुओं और बदमाशों को पकड़ा हो, ऐसी जगहों पर सरकार उनका ध्यान रखे और हरिजननों को भी शस्त्र दिये जायें, ताकि वे मारे न जाएं।

श्री राम विलास पासवान : अभी तक कितने हथियार दिये गए हैं ?

श्री जैल सिंह : यह भी पूछ लीजिए। हम बता देंगे। अभी कैसे बताऊं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में डाकू समस्या के उन्मूलन के नाम पर नकली मुठभेड़ें दिखायी जा रही हैं। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : इससे क्या सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब तक लगभग पांच हजार लोगों के मारे जाने की खबर है। क्या यह सच है कि मुठभेड़ों में जो लोग मारे गए हैं, उनमें से अधिकांश हरिजन हैं। खासकर बांदा जिले की घटना और इलाहाबाद में जो कुछ हुआ है—हरिजनों को घर से ले जाकर खेत में खड़ा कर मार दिया गया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन मामलों की जांच कराएगी और उत्तर प्रदेश की सरकार से केन्द्र की सरकार सहमत है कि अधिकांश डाकू हरिजन हैं ?

श्री जैल सिंह : सत्कार-योग्य वाजपेयी जी की इत्तिला गलत है, जिसके आधार पर वह कह रहे हैं। न तो यह बात है कि हरिजन ज्यादा मारे गए हैं और न ही यह बात है कि हमने इस बारे में कुछ पूछा नहीं है। जिन वाकेयात की खबर अखबारों ने या मेम्बर साहबान ने हमको दी, उनके बारे में हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा। कुछ विवरण आया है, कुछ विवरण नहीं आया है। लेकिन यह बात निराधार है कि कभी किसी ने यह कहा हो कि हरिजन डाकुओं की गिनती ज्यादा है। न ही वहां जात-पांत देखी गई है। न ही वहां कोई लोक दल बना, जिसने जात-पांत का जिक्र किया।

"भारत बन्द" जनवरी, 1982

*47. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** †
श्री अमर राय प्रधान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रेड यूनियन नेताओं द्वारा 19 जनवरी, 1982 को भारत बन्द का आह्वान किये जाने के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ख) ट्रेड यूनियनों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर) श्रम मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क)

बन्द के लिए आह्वान स्पष्ट रूप से ट्रेड यूनियनों के कुछ केन्द्रीय संगठनों द्वारा 23 नवम्बर, 1981 को लिए गए निर्णय का परिणाम था, जिसका उद्देश्य सामान्यतः 19 जनवरी, 1982 अनिवार्य सेवाओं को ठप करना, औद्योगिक उत्पादन में बाधा उत्पन्न करना, सरकारी कार्यालयों में कार्य में गड़बड़ी करना और औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न करना था। बन्द की बहुत कम प्रतिक्रिया हुई। सब मिलाकर, पूरे देश में अनिवार्य सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहीं। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति आमतौर पर सामान्य थी।

(ख) औद्योगिक संबंधों से संबंधित मामलों और श्रमिकों के कल्याण से संबंधित अन्य मामलों की सरकार, द्वारा लगातार पुनरीक्षा की जाती है। इसके परिणामस्वरूप, औद्योगिक संबंध-तंत्र को बढ़ाने तथा विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत सुविधाओं का विस्तार करने के लिए समय-समय पर कार्यवाही की जाती रही है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री महोदय ने हमारे प्रश्न के उत्तर में एक लम्बा-चौड़ा **ढोल दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह अनपार्लियामेंटरी है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उनका कहना है कि 19 जनवरी के भारत बंद का लक्ष्य था औद्योगिक उत्पादन में बाधा उत्पन्न करना, सरकारी कार्यालयों के कार्य में गडबड़ी करना और औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न करना। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यू. पी. और मध्य प्रदेश में जो बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और वाराणसी और जौनपुर में सैकड़ों लोगों पर लाठी-चार्ज हुआ और लोग जेल गए, तो उसका क्या कारण था और इस में ज्यादातर मजदूर थे तो क्या वह गड़बड़ी कर रहे थे, यह मंत्री जी बताएं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अध्यक्ष महोदय, यह मैं जानता था कि इस बयान को सुनने के बाद विरोध के माननीय सदस्यों को बड़ा दुख होगा क्योंकि सच सुनना बड़ा कठिन होता है··· **(व्यवधान)** ·······और चूंकि अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि 19 तारीख की हड़ताल में देश की जनता ने चाहे वह किसान हो, दुकानदार हों, भाग नहीं लिया इसलिए आप को दुख है··· **(व्यवधान)** ··· अगर आप की पार्टी के··· **(व्यवधान)** ···

जरा बैठिये रनिंग कमेंट्री मत करिये।··· **(व्यवधान)** ···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मैथिली भाषा को संविधान की आंठवी अनुसूची में शामिल करना

*48. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह मंत्री मैथिली भाषा को संविधान में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1724 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने इस बीच मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है;

(ख) क्या पिछली विधान सभा में राज्य के मुख्य मंत्री श्री कर्पुरी ठाकुर ने भी इस भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए केन्द्र को पत्र लिखा था; और

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या बाधा है ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) यह समझा जाता है कि आठवीं अनुसूची में किसी एक भाषा को शामिल करने से अधिक समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। फिर भी सरकार का प्रयास सभी भाषाओं को सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्पराओं का विकास करना है चाहे वे आठवी अनुसूची में सम्मिलित हो अथवा नहीं।

योजना आयोग द्वारा प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण

*51. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपकरणों की लागत में वृद्धि को देखते हुए योजना आयोग ने छठी योजना में प्राथमिकताओं का तेल और बिजली परियोजनाओं को प्रमुख स्थान देने हेतु पुनर्निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय लागत में वृद्धियों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

उत्पादनोन्मुख मजदूर संघों के लिये मार्गदर्शी निदेश

*52. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 को उत्पादन वर्ष के रूप में सफलतापूर्वक मनाने की बात को ध्यान में रखते हुए मजदूर संघों को उत्पादनोन्मुख मजदूर संघ बनाने हेतु कड़े मार्गदर्शी निदेश जारी करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या हाल में किसी मजदूर संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित श्रमिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्रमिकों की भूमिका पर जोर दिया जाता है। बोर्ड को यह सुझाव दिया गया है कि वह अपने कार्यक्रमों में उत्पादकता शिक्षा को तीव्र करे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नया 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

*53. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित नये 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ख) इस आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा की गई और की जाने वाली ठोस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) एक पुस्तिका [अंग्रेजी रूपांतर] सभा पटल पर प्रस्तुत है जिसमें नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के बारे में विस्तृत सूचना दी गई है। इसका हिन्दी रूपांतर छपते ही सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 3406/82]

(ख) इस नए कार्यक्रम में छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस प्रकार इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपाय और किए

जाने वाले उपाय छठी योजना और वार्षिक योजनाओं में दी गई मार्गदर्शी दिशा के अनुरूप हैं। सभा पटल पर प्रस्तुत पुस्तिका में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं जो किए जा चुके हैं और जिन्हें करने का प्रस्ताव हैं। इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न करें। इस कार्यक्रम की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए योजना आयोग में एक अलग एकक की स्थापना की जा रही है।

सीमेंट के दोहरे मूल्य की योजना

*54. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : **श्री बी० डी० सिंह** } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सीमेंट के दोहरे मूल्य की एक योजना बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) यह योजना बनाने का क्या कारण है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सीमेंट के मूल्य निर्धारण और वितरण सम्बन्धी एक योजना अंतिम रूप में सरकार के विचाराधीन है। अतएव पूर्ण विवरण अभी तैयार नहीं किया गया है।

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की प्रगति

*55. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के बारे में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है और इसमें उत्पादन कब शुरू हो जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) स्थल तैयार करने का कार्य पूर्ण होने वाला है और प्रथम धमन भट्टी का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है।

(ख) सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रथम धमन भट्टी 1986 के आरम्भ में तैयार हो जाएगी और आशा है सम्पूर्ण परियोजना वर्ष 1987 तक पूरी हो जाएगी।

तैयार चमड़ा उद्योग को आधार पर सुविधाएं

*56. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 में तैयार चमड़ा वस्तु उद्योग में आधारभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने वाले देशों में बाजार आसूचना तथा बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से नीवनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1. चमड़ा वस्तु उद्योग को बड़ी मात्रा में तैयार चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के एककों के बारे में 90 प्रतिशत तथा राज्य क्षेत्र के एककों के मामले में 60 प्रतिशत निर्यात दायित्व में से जुलाई 1981 से चमड़ा तैयार करने वाले एककों पर निर्यात दायित्व को उनके उत्पादन का 40 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।

2. निर्यात योग्य पर्याप्त क्षमता का निर्माण करने की दृष्टि से संयुक्त क्षेत्र में चमड़े के जूतों तथा चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की नीति उदार कर दी गई है।

3. मशीनों, रसायनों तथा सहायक सामान का आयात करने हेतु उदारता से अनुमति दी गई है।

4. नमूनों के नए आकारों का विकास करने के लिए डिजाइन और अनुसंधान प्रकोष्ठों स्थापना की गई है।

5. चमड़े की बढ़िया वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लघु एककों को तकनीकी की सहायता और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती है।

6. लघु एककों को उनके उत्पादों की बिक्री करने में विपणन सहायता दी जाती है।

(ख) 1. प्रायोजित बिक्री एवं अध्ययन दौरों द्वारा तथा चमड़ा मेलों/नुमाइशों में भाग लेकर विदेशों में विक्रेताओं के साथ बराबर सम्पर्क रखना।

2. बाजार की शर्तों पर प्रतिसंभरण करने के लिए विदेशों में प्रमुख स्थानों पर चमड़ा विशेषज्ञ तैनात कर दिये गये हैं।

3. ब्रुसेल्स में स्थापित भारतीय व्यापार केन्द्र सम्बद्ध निर्यात संवर्धन संगठनों के माध्यम से डिजाइनों और फैशन के बारे में नियमित रूप से जानकारी प्रदान करता है।

इस्पात क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता के बारे में विश्व बैंक की सलाह

*57. श्री सन्तोष मोहन देव
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को सलाह दी है कि वह चालू योजना अवधि में इस्पात क्षेत्र की क्षमता और न बढ़ाये;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि देश में इस्पात संयंत्रों के विस्तार की गति धीमी करने मे देश इस्पात के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मार्ग से परे हट जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस्पात क्षेत्र में कटौती के लिए विश्व बैंक की सलाह पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाना

***58. श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1982 के "इकनामिक टाइम्स" में न्यूजप्रिन्ट डीमांड राईजिंग इन पूअर नेशन्स" [निर्धन राष्ट्रों में अखबारी कागज की बढ़ती हुई मांग] शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; जिसमें यह बताया गया है कि अखबारी कागज और अन्य कागज उत्पादों की मांग कम विकसित देशों में निरन्तर बढ़ रही है यद्यपि उत्पादों में मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निरंतर बढ़ रहे हैं;

(ख) क्या भारत इस समय लगभग 85,000 टन अखबारी कागज आयात करता है और अथवा अपनी अखबारी कागज की एक तिहाई आवश्यकता का अखबारी कागज स्कैन्डेनियाई देशों से आयात करता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कागज उद्योग, विशेषकर खोई और उष्ण प्रदेशीय देशों के हार्डवुड पर आधारित उद्योग की स्थापना करने के लिये विदेशी सहयोग आमंत्रित करने का है, यदि हां, तो कब और कैसे यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) आयातित अखबारी कागज की लगभग तीन लाख मीं० टन की कुल मांग को देखते हुए भारत ने स्कैन्डेनेवियन देशों के साथ 1981-82 लगभग 85,000 मी० टन अखबारी कागज की आपूर्ति के लिये करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

(ग) सरकार अपने समूचे नीति ढांचे के अन्तर्गत खोई/उष्ण कटिबन्धीय सख्त लकड़ी से अखबारी कागज बनाने में मशीनी लुगदी की उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी वाले विदेशी सहयोग का

स्वागत करेगी। मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर्स लि० के खोई पर आधारित अखबारी कागज/कागज संयंत्र स्थापित करने हेतु विदेशी तकनीकी सहयोग करार के एक प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

रुग्ण यूनिटों को पुनर्जीवित करने के उपाय

*59. **प्रो० रूपचन्द पाल**
श्री आनन्द पाठक } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के रुग्ण यूनिटों को पुनर्जीवित करने की किसी नई व्यापक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान उपायों को छोड़कर सरकार का विचार रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए क्या अन्य उपाय करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सरकार ने रुग्ण उद्योगों के बारे में संशोधित नीति की घोषणा 6 अक्तूबर, 1981 को कर दी थी। इस नीति में रुग्णता की मानीटरिंग करने के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निदान संबंधी अध्ययनों पर आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के रुग्णता को रोकने, मानिटर करने तथा उपचार करने हेतु उन्हें विशिष्ट भूमिका भी सौंपी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनः स्थापन में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सामने आने वाली कानूनी और अन्य समस्याओं की जांच करने तथा यदि आवश्यक हो, विद्यमान कानूनों में संशोधन सहित उपचारात्मक अभ्युपाय सुझाने के लिए एक समिति भी नियुक्त की है। इस समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट में 6 अक्टूबर, 1981 की नीति के पूरक के रूप में कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें वित्त मंत्रालय में प्रक्रियाधीन हैं।

कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना

*60. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात के लिए कम्प्यूटर सोफ्टवेयर के विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु देश में अनेक कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जाएगी और इन केन्द्रों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस प्रकार के केन्द्रों को स्थापित करना सरकार के विचाराधीन है। विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

मुस्लिम वैयक्तिक कानून बोर्ड का ज्ञापन

*61. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री मुस्लिम वैयक्तिक बोर्ड द्वारा दिए गए ज्ञापन के संबंध में 9 जुलाई, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 453 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 28 मार्च, 1980 को अथवा इसी के आस-पास की किसी तारीख को मुस्लिम वैयक्तिक कानून बोर्ड द्वारा प्रधान मंत्री को दिये गए ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न सुझावों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए लाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ज्ञापन में दिये गए मुद्दे

1. संविधान के अनुच्छेद 44 में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि भविष्य में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का संरक्षण हो सकें;

2. बच्चा दत्तक-ग्रहण विधेयक, 1972 जिसे वापस ले लिया गया था पुनः स्थापित किया जाए;

3. जिन मामलों में व्यक्तिगत कानून के अधीन देय रकम अदा कर दी गई है, उनमें छूट देने की व्यवस्था करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन किया जाए;

4. धार्मिक महत्व की सम्पत्तियों के अधिग्रहण को रोकने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन किया जाए; और

5. विधि मंत्रालय में एक मुस्लिम कानून कक्ष का सृजन किया जाए, जिसमें मुस्लिम कानून के एक या अधिक विशेषज्ञ हों जो अपनी ओर से या प्रमुख उलेमा तथा जूरिस्टों के वकील की राय प्राप्त करने के बाद सामाजिक विधान के ऐसे मामलों पर सरकार को उचित सलाह दे सकें, जिनसे मुस्लिम सम्प्रदाय के व्यक्तिगत कानून के प्रभावित होने की सम्भावना हो।

उपर्युक्त मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया

1. सरकारों की नीति अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानूनों में तब तक हस्तक्षेप करने की नहीं है जब तक संबंधित सम्प्रदाय में से सुधार के लिए कोई पहल नहीं की जाती।

2. सरकार ने 9-7-1980 को तारांकित प्रश्न संख्या 453 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंध सामाजिक विधान के स्वरूप के हैं और यह महसूस किया जाता है कि उक्त उपबंधों में संशोधन करना आवश्यक नहीं है।

4. भूमि का अधिग्रहण कानूनी उपबंधों और सुपरिभाषित प्रक्रिया के अनुसार और विशेष प्रयोजनों के लिए किया जाता है। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को अनुदेश जारी करने पर विचार करें कि जहां तक संभव हो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए पूजा स्थानों का अधिग्रहण न किया जाए।

5. उपर्युक्त पैरा 1 को ध्यान में रखते हुए कक्ष स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

माइक्रो प्रोजेक्ट्स

***62. श्री हरिहर सोरन** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां माइक्रो प्रोजेक्ट्स आरम्भ किये गये हैं;

(ख) क्या माइक्रो प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत जुआंग डवलपमेंट एजेन्सी उड़ीसा के क्योंझर जिले में शुरू कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उन जुआंग ग्रामों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें इस तरह के कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया गया है और जुआंग समुदाय के उन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो अब तक इनसे लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह ने आदिम जनजातियों का पता लगाया है और उनके विकास के कार्यक्रम शुरू किए हैं। किन्तु केवल उड़ीसा में आदिम जनजातियों के लिए इन परियोजनाओं को निर्दिष्ट करने के लिए "माइक्रो प्रोजेक्ट" शब्द का प्रयोग किया जाता है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) जुआंग विकास एजेन्सी के अन्तर्गत 20 ग्रामों को लाया गया है। वर्ष 1978-79 में एजेन्सी के गठन के बाद जुआंग समुदाय के 4973 व्यक्ति निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हुए हैं।

योजना का नाम	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1. कृषि (100% आर्थिक सहायता से प्रदर्शन और निवेश सहायता)	717
2. किसानों का प्रशिक्षण	31
3. सम्पर्क कार्यों का प्रशिक्षण	10
4. 100% आर्थिक सहायता पर दिए गए बैल	126
5. 100% आर्थिक सहायता पर दिए गए कृषि उपकरण	375
6. सिलाई प्रशिक्षण	9
7. टसर चरखों और कताई प्रशिक्षण	54
8. साक्षरता केन्द्र	412
9. बागवानी रोपण	127
10. रेशम उद्योग	55
11. भूमिहीन परिवारों को आबंटित की गई भूमि	68
12. 75% आर्थिक सहायता पर बकरी यूनिटें	59
13. ज्ञानमंदिर के माध्यम से बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा	123
14. स्वास्थ्य चिकित्सा उन रोगियों की कुल संख्या जिनका इलाज किया गया।	2797 (योजना के प्रारंभ से अर्थात जनवरी, 1981 से जनवरी, 1982 तक)
जोड़	4973

तलचर में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना

461. **श्री हरिहर सोरन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तलचर, उड़ीसा में एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार कितने गांवों और कितने एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या उड़ीसा के उपर्युक्त स्थान में एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव के कार्यान्वयन के बाद विस्थापित होने वाले ग्रामीणों की ओर से उनके मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विस्थापित लोगों को कितना मुआवजा देने पर विचार किया है; और

(घ) ये विस्थापित लोग कहां बसाए जाएंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नालको) कामणजोडी (कोरापुट जिला) में एक एल्यूमिना संयंत्र तथा तालचोर (धेनकनाल जिला) में ग्रहीत बिजलीघर सहित एक एल्यूमिनियम प्रदावक स्थापित कर रहा है। दोनों स्थानों पर क्रमशः 8700 व 4700 एकड़ (क्रमशः लगभग 5000 और 4000 एकड़ गैर-सरकारी भूमि) भूमि लेने का प्रस्ताव है। इनसे दामणजोडी में 24 गांव और तालचर में 35 गांव प्रभावित होंगे। दामणजोडी में तीन गांव और तालचर में एक गांव की पूरी भूमि का, जबकि शेष गांवों में आंशिक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रभावित भूस्वामियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार राज्य द्वारा यथा-निर्धारित दर से नालको द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।

(घ) सरकारी नीति के अनुसार, अधिग्रहीत क्षेत्रों के लोगों को "अकुशल मजदूरों" के पदों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। कुशल मजदूर, क्लर्क और अन्य तकनीक स्टाफ के पदों की भर्ती में अधिग्रहीत क्षेत्रों के विस्थापित लोगों को बुनियादी योग्यताएं और अनुभव रखने पर ही प्राथमिकता दी जाएगी।

हरिजनों को आत्म-रक्षा के लिए हथियार देने की मांग

462. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवली और साढूपुर में हरिजनों की हत्या के बाद सरकार से

हरिजनों के लिए हथियार देने अथवा जो लोग हरिजनों के लिए खतरा है उनसे हथियार वापस लेने की जोरदार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कौन सा विकल्प अपनाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों को इस प्रकार हथियार देने का सरकार का कोई विचार नहीं है । फिर भी, मैनपुरी जिले के देवली तथा साढूपुर, जहां हरिजनों की जान व माल को गंभीर खतरा है, में विद्यमान स्थिति जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में प्रशासन के लिए एक प्रशासनिक उपाय के रूप में यह उचित होगा कि वह प्रशासन पुलिस के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त प्रत्येक मामले की परिस्तियों को ध्यान में रखकर आत्म-रक्षा के लिए हथियारों के लाइसेन्सों हेतु आवेदन पत्रों पर शस्त्र अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विचार करें । सभी नागरिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों जो सबसे अधिक वंचित हैं और जनसंख्या का कमजोर वर्ग है, जिनका सरकार पूरा समर्थन करती हैं, का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार का उत्तरदायित्व कम होने की कोई गुंजाइश नहीं हैं।

हथियारों के सभी विद्यमान लाइसेन्सों को रद्द करने और ऐसे लाइसेन्स जारी करने से संबंधित शस्त्र अधिनियम में उपबंध समाप्त करने का प्रश्न कोई व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं हो सकता । तथापि, सरकार ने इस प्रयोजन के लिए विद्यमान शस्त्र अधिनियम के उपबंधों को अधिक कठोर बनाने का निर्णय किया है । संसद में एक व्यापक शस्त्र (संशोधन) विधेयक पुन: स्थापित किया गया है ।

औद्योगिक घरानों में सम्पर्क अधिकारी के बतौर कार्यरत श्रेणी I और II के अधिकारीगण

463. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री श्रेणी II के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक गृहों में नौकरी करने की अनुमति मांगी जाने के बारे में 23 दिसम्बर, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5277 के खंड (ग) और (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे सभी श्रेणी I और II के अधिकारियों के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र करेगी जो वर्तमान समय में औद्योगिक घरानों में उनके लाभ के लिए आकर्षित वेतन और परिलब्धियों पर सम्पर्क अधिकारी या अन्य पदों पर नियुक्त हैं और इस प्रकार के काम को उनकी सत्यनिष्ठा और सदाचरण कहां तक उचित है विश्लेषण कर उसे सभा पटल पर रखेगी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के सभी कार्यों की कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में केन्द्रीकरण करने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क), (ख) और (ग) श्रेणी—1 (समूह 'क') के अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के 2 वर्षों के भीतर वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करना चाहते हों तो उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 10 के अनुसार अनुमति लेनी अपेक्षित होती है। चूंकि सेवानिवृत्त श्रेणी-—II (समूह 'ख') अधिकारियों को ऐसी अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है और इस सम्बन्ध में उक्त नियम में कोई व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा जाता है, इसलिए उन श्रेणी—II अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं है जिन्होंने सम्पर्क अधिकारी आदि के पद पर वाणिज्यिक रोजगार लिया हुआ है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने समूह 'क' अधिकारियों के वाणिज्यिक रोजगार हेतु अनुमति मांगने के अनुरोधों की समीक्षा करने के लिए व्यापक मार्गनिर्देशन निर्धारित किए हैं और मंत्रालयों/विभागों को 2,500 रुपए से कम वेतन लेने वाले समूह 'क' अधिकारियों द्वारा किए गए अनुरोधों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संदर्भ के बिना ही निपटाए जाने की अनुमति दे दी गई है। 2,500 रुपए तथा इससे ऊपर वेतन लेने वाले अधिकारियों के मामलों का जांच कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में भी की जाती है। यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

464. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980 और 1981 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हत्या, हमला, बलात्कार, बेदखली इत्यादि जैसे अत्याचारों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) वर्ष 1980 और 1981 में पुलिस द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर किए गए इस प्रकार के अत्याचारों का ब्योरा क्या हैं ;

(ग) क्या अत्याचार बढ़ रहे है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1981 और जनवरी 1982 के दौरान नष्ट जन-दिवसों की संख्या

465. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी**
श्री मगन भाई बरोट
श्री वीर भद्र सिंह } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 के दौरान और 31 जनवरी, 1982 तक देश में हड़ताल और, तालाबंदी के कारण कितने जन-दिवसों की हानि हुई है; और

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1981 के दौरान हड़तालों और ताला बंदियों के कारण 255 लाख श्रम दिनों की हानि हुई । जनवरी, 1982 के लिए सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सरकार देश में औद्योगिक संबंध स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है । केन्द्र तथा राज्य दोनों में औद्योगिक संबंध तंत्र वर्तमान सांविधिक उपलब्धों और स्वैच्छिक प्रबन्धों के अधीन, आवश्यकतानुसार मध्यस्थता, निवारक सुलह कार्यवाही, न्याय-निर्णयन और पर्व फैसले द्वारा काम-बंदियों और श्रम दिनों की हानि को कम करने के प्रयत्न करता रहा है ।

लघु इस्पात संयंत्रों को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई

466. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु इस्पात संयंत्रों को जिनका काम वर्ष 1980-81 में उचित रहा पुनः बिजली की अपर्याप्त सप्लाई और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में सूचना मिली है कि बढ़ी हुई बिजली के दावों के बावजूद इन एककों को अपनी पारी के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप अनेक एकक अपनी क्षमता का कम उपयोग कर पा रहे हैं ; और

(घ) सरकार इन लघु इस्पात संयंत्रों को बन्द होने के खतरे से बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्यों में लघु इस्पात कारखानों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है, परन्तु कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । इसके बावजूद अप्रैल-नवम्बर, 1980 में समग्र क्षमता का उपयोग 69 प्रतिशत हुआ था जो अप्रैल-नवम्बर- 1981 में बढ़कर 73 प्रतिशत हो गया था हो सकता है कि बिजली की पर्याप्त सप्लाई न मिलने के कारण कुछ इकाइयों की क्षमता का उपयोग कम रहा हो । फिर भी सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि बिजली की अधिक सप्लाई के लिए इकाइयों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी ।

(घ) इन इकाइयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए इस्पात विभाग ने इन लघु इस्पात

कारखानों को बिजली की पर्याप्त सप्लाई देने के बारे में राज्य सरकारों से लिखा-पढ़ी की है। इसके अलावा इन इकाइयों की कच्चे माल की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए फैरस मेल्टिंग स्क्रेप और स्पंज लोहे के आयात के लिए उदार नीति अपनायी गई है।

मंत्रालयों से सम्बद्ध वैयक्तिक कर्मचारी

467. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र में मंत्री परिषद के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों सहित सभी मंत्रालयों में विशेष सहायक, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक और अन्य वैयक्तिक कर्मचारियों की कुल संख्या और उनके वेतनमान का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री वैयक्तिक स्टाफ रखने के हकादार हैं, जैसाकि संलग्न विवरण में निर्दिष्ट किया गया है। किन्तु कुछ मंत्रियों के पास उनके कार्यभार तथा उनके उत्तरदायित्व के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित मानदण्ड से अधिक स्टाफ होता है चूंकि ये नियुक्तियां विवेकाधीन होती हैं, इसलिए विभिन्न मंत्रियों से सम्बद्ध पदधारियों के ब्यौरे, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नहीं रखे जाते।

विवरण

I. मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री

स्टाफ	संख्या	वेतनमान	अभ्युक्तियां
निजी सचिव	1	रु० 1500-2000	
अतिरिक्त निजी सचिव	1	रु० 1100-50-1600	
सहायक निजी सचिव	1	रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040	ग्रेड-I (अब केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ख")
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200	चयन ग्रेड (अब केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "क")
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800	ग्रेड-II (अब केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "ग")

	स्टाफ के वर्ग	संख्या	वेतनमान	अभ्युक्तियां
	हिन्दी आशुलिपिक	1	रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800	यदि मंत्री आवश्यक समझे।
	लिपिक	1	रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का अवर श्रेणी ग्रेड
	जमादार	1	रु० 200-3-206-4-234-4-250	
	चपरासी	3	रु० 196-3 220-द० रो०-3-232	
II.	**राज्य मंत्री**			
	निजी सचिव	1	रु० 1500-2000	
	अतिरिक्त निजी सचिव	1	रु० 1100-50-1600	
	सहायक निजी सचिव	1	रु० 650-30-740-35-880-द० रो० 40-1040 केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड I (अब ग्रेड "ख")	इनकी नियुक्ति केवल उन मंत्रियों के साथ की जा सकती है, जो किसी मंत्रालय के पूर्ण प्रभारी हों और सम्बन्धित मंत्री द्वारा इनकी आवश्यकता समझी जाए।
	प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	रु० 650-1200	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का चयन ग्रेड (अब ग्रेड "क")
	द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	रु० 425-800	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड-II (अब ग्रेड "ग")
	हिन्दी आशुलिपिक	1	-यथोपरि-	यदि मंत्री आवश्यक समझें।

स्टाफ के वर्ग	संख्या	वेतनमान	अभ्युक्तियां
लिपिक	1	रु० 260-400	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का अवर श्रेणी ग्रेड
जमादार	1	रु० 200-250	
चपरासी	1	रु० 196-232	
III. उप मंत्री			
निजी सचिव	1	रु० 650-1200	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का चयन ग्रेड (अब ग्रेड "क")
वैयक्तिक सहायक	1	रु० 425-800	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड-II (अब ग्रेड "ग")
जमादार	1	रु० 200-250	
चपरासी	1	रु० 196-232	

बम्बई से इस्पात की चोरी

468. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा एशियाई खेल परियोजना के काम में लाया जाने वाला आयातित इस्पात बम्बई बन्दरगाह से चोरी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना इस्पात चोरी हुआ;

(ग) क्या कुछ इस्पात बरामद हो गया है यदि हां, तो कितना; और

(घ) इस चोरी के लिए कौन उत्तरदायी है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सेल द्वारा आयात किया गया कुछ इस्पात अनधिकृत रूप से बम्बई के बन्दरगाह से उठा लिया गया है। आरम्भ में यह सामग्री एशियाई खेलों के लिए मंगाई गई थी, लेकिन बाद में इसे घरेलू बाजार में भेज दिया गया था क्योंकि एशियाई खेलों की आवश्यकता देशीय स्रोतों से पूरी कर दी गई थी।

(ख) और (ग) प्रेषित माल 2208 टन था इसमें से बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने सेल को मात्र 1530 टन माल दिया है शेष 678 टन माल अभी सेल को दिया जाना है।

(घ) पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और पोर्ट ट्रस्ट तथा पुलिस प्राधिकारियों के निष्कर्षों की जानकारी मिल जाने के पश्चात ही आयातित इस्पात को अनधिकृत रूप से उठाने के लिए उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकता है।

पर्यावरण शिष्टमण्डल का चीन का दौरा

469. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यावरण शिष्टमंडल ने हाल ही में चीन का दौरा किया था;

(ख) क्या शिष्टमंडल ने उस देश में पर्यावरणीय समस्याओं को निपटाने के लिए कोई रिपोर्ट पेश की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3381/82**]

पंखा उद्योग में मन्दी

470. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस की यह सूचना सही है कि पंखा उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) उन कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उद्योग में मन्दी के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केबल्स का आयात

471. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार आगामी पांच वर्षों में कुल कितने केबल्स का आयात करेगी और उनकी किस्म का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से केबल्स आयात किए जायेंगे और प्रत्येक देश से कितने केबल्स आयात किए जायेंगे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) : वर्तमान में जैली-युक्त दूर संचार केबलों के सिवाय केबलों का आयात करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। इन केबलों का आयात सीधे ही डाक व तार विभाग द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार इनके लिए निविदायें प्राप्त हुई हैं तथा उनकी जांच की जा रहा है। आकार-वार (प्रस्तावित) आवश्यकता निम्न प्रकार है :

आकार	वस्तु और मात्रा
	एकक टिवन (जैली युक्त केबल)
20/10	300 कि० मी०
20/20	400 कि० मी०
30/20	100 कि० मी०
100/20	200 कि० मी०
क्वैड टाइप जैली	
33/40	50 कि० मी०
14/40	400 कि० मी०

यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आगामी पांच वर्षों में और आयात की आवश्यकता होगी, डाक व तार विभाग द्वारा विद्यमान केबल कारखानों का विस्तार करने के बाद की जैली युक्त केबल की स्वदेशी क्षमता को आंका जा रहा है।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, डाक व तार विभाग द्वारा प्रस्तावित आयात के लिए निविदाओं की जांच की जा रही है तथा निविदाओं की जांच कर लिए जाने के बाद ही देशों के नामों की जानकारी हो सकेगी।

दिल्ली में दर्ज किए गये अपराध

472. **श्री लक्ष्मण सिंह मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों मे डकैती, चोरी और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराधों के कुल कितने मामले दर्ज किये गए;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 में दिल्ली और नई दिल्ली में अपराध घटे हैं;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में वर्ष 1981-82 में कुल कितने अपराध दर्ज किए गए; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) आंकड़े नीचे दिए हैं :

वर्ष	डकैती	लूटपाट	भा० द० सं० के अन्य मामले
1979-80	57	561	42581
1980-81	19	233	34929

(ख) से (घ) 1-4-81 से 31-1-82 तक की अवधि के दौरान 1980-81 की इसी अवधि की तुलना में पुलिस को सूचित किए गए मामलों में 11% से अधिक गिरावट आई है। आंकड़े नीचे दिए गए हैं

अवधि	डकैती	लूटपाट	भा० द० सं० के अन्य मामले
1-4-81 से 31-1-82	22	164	25484
1-4-80 से 31-1-81	14	189	28663

मद्रास में चमड़े के वस्त्रों के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना

473. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में चमड़े के वस्त्रों के लिए कोई उच्च प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) और (ख) चमड़ा वस्त्र उद्योग के उत्पादन तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए एडवान्सड् इण्डास्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना करने का एक प्रस्ताव व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है।

संगठित क्षेत्र में कागज के कारखानों की संख्या

474. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र में कागज के कुल कितने कारखाने हैं;

(ख) कागज के कारखानों में अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ग) वर्ष 1975 की तुलना में वर्ष 1980 में इन कारखानों में कुल कितना उत्पादन हुआ ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1-1-1982 को संगठित क्षेत्र में कागज और गत्ता बनाने वाले 159 एकक थे ।

(ख) तथा (ग) 50 लाख या उससे अधिक प्रदत्त पूंजी वाली कंपनियों के संदर्भ में पूंजी निवेश और पण्यावर्त के संबंधी जानकारी उपलब्ध है और नीचे दी जा रही है :

(करोड़ रुपये में)

	1974-75	1979-80
पूंजी निवेश	344.86	648.02
पण्यावर्त	336.69	608.64
कंपनियों की संख्या	21	30

1979-80 में दिखाई गई नौ कंपनियों के पास 1974-75 में 50 लाख रु० या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी नहीं थी । उनकी निवेशित पूंजी व पण्यावर्त के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बम्बई में अनेक उद्योगों की ओर कर्मचारियों की कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

475. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाह स्टील्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड डी० एच० शाह ब्रदर्स प्राइवेट लि०, मार्कोन स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि०, टेक्स वायर एण्ड मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि०, दिवादा मेटल स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्टस प्राइवेट लि०, शाह ट्यूब. केन्स, कन्टेनर्स प्राइवेट लि०, हिन्दुस्तान वायर एण्ड स्टील प्रोडक्ट्स, हिन्दुस्तान वेल्ड मेस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी और हिन्दुस्तान इन्टरनेशनल, सत्यनारायण सदन चन्दावरकर रोड बोरविली, पश्चिम बम्बई में कुल कितने दैनिक और मासिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारी हैं;

(ख) पिछले तीन सालों में वर्षवार उपर्युक्त फर्मों ने कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि में कितनी धनराशि जमा की और उपर्युक्त प्रत्येक फर्म के पास इन लेखों में कितनी धनराशि बकाया है और इसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त सभी फर्म एक ही व्यक्ति की है और उनका कर्मचारियों को नियमित न करने का मुख्य कारण राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि को बचाना है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

"हैवी पोल्यूशन डयू टु इमरसन आफ हाफ बर्न्ट डैड बौडीज इन टु गंगा" शीर्षक से समाचार

476. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 दिसम्बर 1981 के दैनिक "जागरण मे प्रकाशित" हैवी पोल्यूशन डय टू इमरसन आफ हाफ बर्न्ट डैड बौडीज इन टू गंगा (गंगा में अधजली लाशों को बहाने के कारण अधिक प्रदूषण) शीर्षक समाचार की तरफ दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने जल प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड नगरपालिका एवं औद्योगिक स्रोतों से द्रव बहिश्रावों की मात्रा और गुणता पर नियन्त्रण करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उचित कार्यवाही कर रहा है । मुख्य शहरों में गंगा के तटों पर मल जल गिराने की तुलना में, इसमें अधजली लाशों को बहाने के कारण होने वाला प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ।

रूपनारायणपुर टाऊनशिप में हिन्दुस्तान केबल्स के श्रमिकों के लिए क्वार्टरों की आवश्यकता

477. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूपनारायणपुर टाऊनशिप में "हिन्दुस्तान केबल्स" के श्रमिकों के लिए कितने क्वार्टरों की आवश्यकता है और इस समय कितने क्वार्टर विद्यमान हैं;

(ख) उनकी आवश्यकता की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) रूपनारायणपुर टाऊनशिप में हिन्दुस्तान केबल्स के श्रमिकों के लिए 2700 क्वार्टरों की आवश्यकता है और विद्यमान क्वार्टरों (निर्माणाधीन सहित) की संख्या 1396 है।

(ख) हिन्दुस्तान केबल्स लि० ने छठी योजना अवधि में 500 क्वार्टर निर्मित करने का प्रावधान किया है। आवश्यकता पूरी करने के लिए और अधिक क्वार्टरों का निर्माण करना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) सरकार ने 73.75 लाख रुपये की कुल लागत से 108 क्वार्टरों के निर्माण के लिए 29 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृति दे दी है।

आवश्यकता पर आधारित मजदूरी नीति

478. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के कारण समस्त श्रमिक जनसंख्या को भारी आर्थिक तनाव का सपना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित मजदूरी नीति लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) श्रमिकों को मूल्य वृद्धि से राहत पहुंचाने के लिए सरकार का क्या अन्य ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्री मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) यह सच है कि कीमतों में वृद्धि हो रही है परन्तु मुद्रा-स्फीति की दर में कमी हुई है।

(ख) आगामी त्रिपक्षीय सम्मेलन में श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी-दरों के निर्धारण/संशोधन के लिए मापदंड का सुझाव दिया गया है।

(ग) संगठित क्षेत्र में, जहां मजदूरी-दरें सामान्यत: सामूहिक सौदेकारी द्वारा निर्धारित की जाती है, समझौता करने में मूल्य वृद्धि फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है।

स्टेट इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन्स स्थापित करने का प्रस्ताव

479. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्य सरकारों को स्टेट इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन्स की स्थापना का सुझाव देने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) क्या केन्द्र से मार्गदर्शन लेने से पहले ही किसी राज्य ने इस प्रकार के स्टेट इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की स्थापना कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन स्थापित किए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) जी हां। वर्ष 1972 से इलेक्ट्रानिकी विभाग विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य-स्तरीय इलेक्ट्रानिकी विकास निगमों का गठन करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। इलेक्ट्रानिकी विभाग के परामर्श से निम्नलिखित राज्य सरकारों द्वारा राज्य इलेक्ट्रानिकी निगम स्थापित किए जा चुके हैं :

(i) केरल

(ii) पश्चिम बंगाल

(iii) तमिलनाडु

(iv) कर्नाटक

(v) आन्ध्रप्रदेश

(vi) उड़ीसा

(vii) बिहार

(viii) गुजरात

(ix) महाराष्ट्र

(x) पंजाब

(xi) उत्तर प्रदेश

इस्पात की मांग और सप्लाई के लिये अनुमान

480. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भविष्य में इस्पात के लिए मांग अनुमान का कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मांग और सप्लाई का अनुमान क्या है;

(ग) क्या इस्पात की वस्तुओं का आयात करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग द्वारा पांच वर्ष की अवधि (1980-85) के लिए लोहे और इस्पात के बारे में गठित किए गए कार्यकारी दल ने अक्तूबर, 1980 में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इस्पात की मांग और उपलब्धि इस प्रकार होगी :

(आंकड़े मिलियन टनों में हैं)

वर्ष	मांग का अनुमान	इस्पात की उपलब्धि
1984-85	12.70	11.395
1989-90	18.40	16.796

(ग) और (घ) यद्यपि ऐसा अनुमान है कि दोनों योजनाओं के अन्तिम वर्ष में कुल मिलाकर इस्पात की कमी रहेगी तथापि कुल श्रेणियों, साइज और क्वालिटी का इस्पात आवश्यकता से अधिक होगा जबकि कुछ अन्य श्रेणियों, साइज और क्वालिटी के इस्पात की कमी रहेगी।

उत्पादन में इस प्रकार की कमी को पूरी करने के लिए आयात करना होगा और कई प्रकार के कारणों से इस समय भविष्य के लिए सभी विवरणों की अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

बस्तर, मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

481. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बन तथा खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त क्षेत्र में वनों पर आधारित तथा खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने बस्तर जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयत्न या राज्य सरकार के माध्यम से आवेदन पत्र भेजे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1971 में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया द्वारा बस्तर जिले सहित मध्य प्रदेश राज्य का एक औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण किया गया था। अध्ययन दल द्वारा खनिज साधन स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं जैसे आयरन और पैलेटाइजेशन प्लान्ट, स्पन्ज आयरन

प्लान्ट तथा वन साधन स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं जैसे लुगदी सह कागज कम्प्लेक्स, अख-बारी कागज, हार्ड बोर्ड, प्लाईवुड, पारटिकल बोर्ड तथा साल सीड आयल एक्ट्रेक्शन (साल के बीज से तेल निकालना) आदि का पता लगाया गया था।

(ग) 1979-81 की अवधि में बस्तर जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिये 5 आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं। इनका ब्यौरा विवरण में दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	उपक्रम का नाम तथा स्थापना स्थल	बनाई जाने वाली वस्तु तथा क्षमता
	वर्ष-1979	
आशय-पत्र :		
1.	मैं० एम० पी० स्टेटइंडस्ट्रीज कार० लि० भोपाल (जिला बस्तर, मध्य प्रदेश)	रेयन ग्रेड लुगदी 30,000 मी० टन
2.	मैं० एम० पी० स्टेट इंडस्ट्रीज कार० लि० भोपाल (जिला बस्तर, मध्य प्रदेश)	छपाई तथा लिखाई का कागज 50,000 मी० टन
3.	बस्तर वुड प्रोडक्ट्स लि० जगदलपुर (एम० पी०) (तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश)	एम० एफ० डी० का मध्यम गहराई का रेशा बोर्ड (परटिकल बोर्ड किस्म 30,000 मी० टन)
	वर्ष-1980 (कुछ नहीं)	
	वर्ष-1981	
4.	सेन्ट्रल इंडिया आयल इंडस्ट्रीज रायपुर (जगदलपुर, बस्तर, मध्य प्रदेश)	सालसीड फैट्स तथा सालसीड डि आयल्ड मील =साल सील के नाते 45,000 मी० टन

औद्योगिक लाइसेंस

वर्ष-1979

कुछ नहीं।

वर्ष-1980

1. बस्तर वुड प्रोडक्टस लि0, मध्य प्रदेश (बस्तर, मध्य प्रदेश)	(1) डेकोरेटिव विनियर्स =3.4 मिल० वर्ग मीटर (2) टी वैस्ट प्लाई बूड को छोड़कर विभिन्न किस्मों का प्लाईवूड =1.5 मिलि० वर्ग मीटर

वर्ष-1981

कुछ नहीं।

बिहार में लाख के फार्मों का लगाया जाना

482. **श्रीमती माधुरी सिंह** : उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य को लाख के फार्म लगाने के लिए आर्थिक सहायता देगी जो साठ प्रतिशत से अधिक लाख का उत्पादन करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) लाख विकास संबंधी केन्द्रीय योजना अर्थात "ब्लाकों में लाख लगाने का विस्तार कार्य और एकीकृत कार्यक्रम तथा गरीब किसानों को इकट्ठे ब्लाकों में निःशुल्क बूड लाख का वितरण" के अंतर्गत बिहार राज्य ने वर्ष 1982-83 में 2.30 लाख रुपये निर्धारित किये हैं।

प्रशिक्षुओं के वजीफे में वृद्धि

483. **श्री ए० सी० दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं के वजीफे में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि हो जाने के बाद प्रत्येक तकनीशियन अथवा मैकेनिक अथवा इंजीनियर को कुल कितनी धनराशि मिलेगी;

(ग) ऐसे वजीफों में किस तारीख से वृद्धि की जायेगी; और

(घ) उन प्रशिक्षुओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस निर्णय के कार्यान्वयन से लाभ मिलेगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3382/82**]

(ग) यह 25-1-1982 से लागू हो गया है।

(घ) इस निर्णय द्वारा लाभान्वित होने वाले शिक्षुओं की संख्या इस प्रकार है :

(i) व्यवसाय शिक्षु	1,22,678
(ii) स्नातक शिक्षु और तकनीकी शिक्षु	12,272

भारत में और अधिक निर्माण एककों की स्थापना पर ब्रिटेन का और अधिक खर्च करने का प्रस्ताव

484. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत में निर्माण एककों विशेष रूप से खनन मशीनरी टेकनोलाजी, इलैक्ट्रोनिकी पुर्जों, कम्प्यूटर साफ्ट वेयर और मोटर वाहनों पर अधिक व्यय करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन के उद्योग राज्य मंत्री ने, जिन्होंने हाल में भारत यात्रा की थी कोई ठोस प्रस्ताव रखा था; और

(ग) इन प्रस्तावों का स्वरूप क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) ब्रिटेन के उद्योग राज्य मंत्री, श्री कैनेथ बेकर ने जनवरी, 1982 में भारत का दौरा किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने यह बताया कि ब्रिटेन के उद्योग विदेशों में निवेश तथा भारत जैसे देशों में, जहां काफी मात्रा में तकनीकी रूप से शिक्षित तथा अत्याधुनिक जनशक्ति मौजूद है, निर्माण योग्यताएं स्थापित करने के इच्छुक हैं। जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया उनमें मशीनी औजार, हाथ के औजार, खनन मशीनें, इलैक्ट्रानिक हिस्से पुर्जे, कम्प्यूटर साफ्ट वेयर तथा मोटर गाड़ी उद्योग शामिल हैं। इसे बात पर सहमति थी कि अधिकारी स्तर पर तथा दोनों पक्षों के उद्योगों के संबंधित प्रतिनिधियों के मध्य उचित बातचीत के द्वारा इन संभावनाओं पर और आगे कार्यवाही की जाये।

राज्यों में गृह कल्याण केन्द्र

485. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय के अधीन राज्यवार कुल कितने गृह कल्याण केन्द्र हैं और उनमें कुल कितने बच्चों की देख-रेख होती है, कितने कर्मचारी हैं और कितना शुल्क लिया जाता है;

(ख) क्या इन केन्द्रों में कार्यरत अध्यापकों, आयायों और सहायकों को किसी वेतनमान के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता जबकि कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अनुसार वेतनमान के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है;

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका केन्द्रों के कर्मचारियों को क्या वेतनमान दिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार अध्यापकों को अवर श्रेणी लिपिक और आयाओं को चपरासियों का वेतन मान देने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन एक गृह कल्याण केन्द्र है। गृह कल्याण केन्द्र दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर दोनों में 19 शिशु गृह अथवा दिन के समय देख-रेख केन्द्र और 29 नर्सरी केन्द्र चलाता है। इन शिशु गृहों/नर्सरी केन्द्रों में बच्चों/विद्यार्थियों, नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या और लिए जा रहे शुल्क के सम्बन्ध में राज्यवार सूचना विवरण में दी गई हैं।

(ख) गृह कल्याण केन्द्र एक कर्मचारी कल्याण संगठन है, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी है और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संरक्षणाधीन काम कर रही है। इस प्रकार गृह कल्याण केन्द्र के कर्मचारी इस सोसाइटी के कर्मचारी हैं न कि सरकार के। इसलिए उन्हें केवल मानदेय के वेतनमानों का भुगतान किया जा रहा है। दो अधिकारी, जो नियमित सरकारी कर्मचारी हैं, गृह कल्याण केन्द्र में प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे हैं और उन्हें सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य नियमित वेतनमान दिया जा रहा है। गृह कल्याण केन्द्र का कोई भी अन्य कर्मचारी, चाहे वह कार्यालय में काम कर रहा हो अथवा केन्द्रों में, सरकारी नियमों के अनुसार कोई वेतनमान नहीं ले रहा है।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका में शिशु गृहों तथा नर्सरी अध्यापकों के वेतनमान नीचे दिए जाते हैं :

नर्सरी अध्यापक : 330-560 रु०

शिशु गृहों के परिचर : 260-400 रु०

आया : 196-232 रु०

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

विवरण

क्रम संख्या	उस स्थान का नाम जहां शिशु गृह/नर्सरी स्थित है।	राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या	31.12.81 को बच्चों की सं०	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या तथा प्रवर्ग	वर्ष 1.4.81 से 31.12.81 तक तक लिया गया कुल शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				शिशु गृह		
1	दिल्ली	दिल्ली	16	468	1 मुख्यालय में कार्यपालक प्रभारी 53 परिचर 66 आया	1,75,964 50 रु.
2	फरीदाबाद	हरियाणा	1	56	5 परिचर 6 आया	
3	जयपुर	राजस्थान	1	36	1 परिचर 4 आया	
4	मद्रास	तमिलनाडू	1	6	1 परिचर 1 आया	
		जोड़ :	19	5 6	138	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)
					नर्सरी			
1 (क)	दिल्ली	दिल्ली	20	21	1165	1205	1 मुख्यालय में कार्यपालक प्रभारी 40 अध्यापक 12 आया	59,557.50 रु०
(ख)	नरेला	दिल्ली	1		40		1 अध्यापक 1 आया	
2 (क)	बम्बई	महाराष्ट्र	1	2	193	260	4 अध्यापक 2 आया	
(ख)	नागपुर	—तदैव—	1		67		2 अध्यापक 1 आया	
3	मद्रास	तमिलनाडू		1	39		1 अध्यापक 2 आया	
4	जयपुर	राजस्थान		1	31		1 अध्यापक 1 आया	
5	फरीदाबाद	हरियाणा		1	222		6 अध्यापक 2 आया	
6	देहरादून	उत्तर प्रदेश		3	163		5 अध्यापक 1 आया	
			जोड़ :	29	1920		83	

रोहतक रोड, दिल्ली पर वाहनों को मरम्मत के लिये अनधिकृत वर्कशाप

486. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में रोहतक रोड की सारी पटरी तथा साथ लगने वाले क्षेत्रों में विभिन्न गलियों में स्थानीय पुलिस थाने एवं नगर निगम अधिकारियों की साठ-गांठ के साथ वाहनों की मरम्मत के अनिधकृत वर्कशाप स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या ये वर्कशाप उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए स्वस्थ्य की दृष्टि से खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो उन अनधिकृत वर्कशापों को हटाने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि रोहतक रोड की पटरियों पर कभी-कभी अतिक्रमण होता है और निकटवर्ती क्षेत्रों की कार्यशालाओं के मालिक यदा-कदा पैदल-पथ इत्यादि पर वाहनों की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 322 के अन्तर्गत हटाया जाता है। इस प्रकार की कार्यशालाओं के विरुद्ध मुकदमा भी चलाया जाता है। नगर निगम और पुलिस दोनों के अधिकारियों ने इस बात से इंकार किया है कि ये अतिक्रमण प्राधिकारियों को मिलीभगत से किये गये हैं। 1-1-82 से 15-2-82 तक की अवधि के दौरान यातायात पुलिस ने पटरियों पर मरम्मत का कार्य के कारण, जिससे न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली पर पैदल चलने वालों आदि को रुकावट होती है, 25 कार्यशाला मालिकों और अन्य दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमे चलाए हैं।

इस्पात के वितरण के लिये एजेन्सियों का आवंटन

487. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ राज्यों में पिछले 2 वर्षों में इस्पात के वितरण के लिये एजेन्सियों के आवंटन हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये आवेदन देने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ग) ऐसी पार्टियों के नाम क्या हैं जिनको ये एजेन्सियां मंजूर की गई हैं; और

(घ) लम्बित मामलों पर निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) लोहे और इस्पात का वितरण करने के लिए स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि० कोई अभिकरण नियुक्त नहीं करती है। यह सामग्री सेल देश के विभिन्न भागों में स्थिति अपने स्टाकयार्डों की मार्फत बेचती है या इस्पात कारखानों से उपभोक्ताओं को सीधे भेज दी जाती है। उत्पादन का कुछ भाग व्यापारियों को भी बेचा जाता है। व्यापारियों के पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदनों तथा उन आवेदनों पर लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रिफ्रेक्टरी यूनिटों का इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाना

488. **श्री मतिलाल हसदा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फजल समिति" द्वारा पश्चिम बंगाल तथा बिहार की रिफ्रेक्टरी यूनिटों को इस्पात मंत्रालय का हस्तान्तरित किए जाने की सिफारिश, जिससे कि इन यूनिटों को पुनर्जीवित किया जा सके और इन का आधुनिकीकरण किया जा सके, के प्रश्न पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि अब तक कोई कदम नहीं उठाए गये हैं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) इस्पात विभाग के साथ परामर्श करके इस मामले की जांच की जा रही है।

कोलार सोने की खानों में परमाणु कणों पर व्यय

489. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार सोना खानों में परमाणु कणों के बारे में किये जा रहे अनुसंधान कार्य पर अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(ख) इस संबंध में भविष्य में एक विस्तृत तथा गहन अध्ययन करने के लिए तैयार की जा रही नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) कोलार की सोने की खानों में परमाणु कणों पर किए जा रहे अनुसंधान पर मार्च, 1981 तक 32.14 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। चालू वर्ष में इस काम पर 6.55 लाख रुपए व्यय होने की आशा है।

(ख) प्रोटानों के क्षय होने की घटनाओं की दर को बढ़ाने, क्षय के परिणामस्वरूप उत्पन्न पदार्थों के बारे में विस्तारपूर्ण जानकारी पाने तथा नए कणों पर अध्ययन करने के लिए 1000 टन का एक नया संसूचक लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है। 71015 इलैक्ट्रान वोल्ट पर प्रारंभिक कास्मिक किरणों की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक बड़ा एअर शावर एरे और एक लार्ज एरिया अंडरग्राउंड डिटैक्टर बनाए जा रहे है।

प्रशिक्षण तथा उपकरण की दृष्टि से दिल्ली पुलिस को सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय

490. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षण तथा उपकरण की दृष्टि से दिल्ली पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : अपर सबार्डिनेट्स के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली पुलिस का एक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है और कांस्टेबल रंगरूटों का प्रशिक्षण डी० ए० पी० के एक बटालियन द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण योजनों के लिए गोरे समिति द्वारा यथा अनुशासित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या का पूर्ण रूप से अपनाया गया है। अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रशिक्षुओं को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रशिक्षण

के लिए श्रव्य-दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने, अश्रुगैस के प्रयोग और निहत्थे लड़ाई के संबंध में भी पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। योग आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

जिस प्रशिक्षण स्कूल और रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र के लिए झाड़ोदा कला में एक नियमित परिसर निर्माणाधीन है।

1980 के प्रारम्भ से 60 पुराने वाहनों को बदलने और 200 नए वाहन खरीदने को स्वीकृति दी गई है।

दिल्ली पुलिस की संचालन दक्षता में और सुधार करने के लिए अधिक मोटर साइकिलों और अन्य वाहनों तथा परिष्कृत वायरलैस दूर संचार उपकरणों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। एशियाई खेलों से संबंधित आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

फ्लैटों के लिए सम्पदा-कर का निर्धारण

491. **श्री जैनुल बशर :** क्या गृह मंत्री दिल्ली में गृह कर पर लेवी के बारे में 2 सितम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2559 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी जोन (राजौरी गार्डन) ने जनकपुरी के मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के कुछ आवंटितियों को 1980-81 वर्ष के दौरान अपने फ्लैटों के लिए न केवल सम्पदा और अन्य सम्बद्ध करों के भुगतान के लिए बिल भेजे अपितु उनमें आवंटन द्वारा डी० डी० ए० से अपने फ्लैटों का कब्जा लिये जाने से पूर्व की अवधि के लिए भी जुर्माना लगाया हुआ था;

(ख) क्या ऐसे भी मामले हैं जिनमें दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी जोन ने वर्ष 1981-82 के लिए कर निर्धारण के मामलों में डी० डी० ए० से प्राप्त स्पष्ट अनुदेशों का उल्लंघन किया;

(ग) क्या अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद दिल्ली नगर निगम ने अभी तक ये गैर कानूनी लेवी वापस नहीं ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग राज्य में मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली का अभ्यावेदन

492. **श्री के० ए० राजन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन् नई दिल्ली से दिनांक 21 जनवरी, 1982 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उनके द्वारा क्या शिकायतें तथा सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) उनकी जांच के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन से मिले अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्नलिखित शिकायतें की गई हैं :

(i) मूल्यों में वृद्धि करने हेतु टायर निर्माताओं द्वारा विभिन्न अप्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करना ;

(ii) टायर निर्माताओं द्वारा समस्त बिक्री पर विक्रेताओं को बिक्री प्रोत्साहन देना;

(iii) एम० आर० टी० पी० कमीशन को बचाने के लिए टायर निर्माताओं द्वारा मूल्य वृद्धि की साथ-साथ घोषणा न करना;

(iv) मूल्यों में बार-बार वृद्धि करने से अनैतिक व्यापार जैसे वायदा व्यापार तथा जमाखोरी पनपती है;

(v) टायर निर्माताओं द्वारा वास्तविक परिवहन प्रभार तथा माल ढोने की लागत के अनुपात में माल ढोने के अधिक प्रभार लगाया जाना;

ऐसोसिएशन द्वारा दिये गये सुझाव ये हैं :

(1) आदेशात्मक मूल्य नियंत्रण;

(2) इन मूल्य वृद्धियों तथा कदाचारों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय द्वारा उच्चस्तरीय जांच कराना; तथा

(3) निर्माताओं को सितम्बर, 1981 में की गई मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।

(ग) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से निर्माताओं के इन दावों की जांच करने का यह अनुरोध पहले ही किया जा चुका है। अपरिहार्य लागतों के कारण मूल्य वृद्धि हुई है तथा सरकार को आगे उचित कदम उठाने का परामर्श दिया जाए। इस संबंध में ब्यूरो की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में रोजगार केन्द्रों का कार्यकरण

493. **श्री भीकू राम जैन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रोजगार केन्द्रों की वर्तमान संख्या क्या है और वर्ष 1980 और 1981 में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ख) ऐसे बेरोजगार लोगों की संख्या क्या है जिन्होंने उस अवधि के दौरान इन रोजगार केन्द्रों में अपना पंजीकरण कराया है;

(ग) रोजगार केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में रोजगार केन्द्रों के कार्यकरण की जांच करने का है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) फिलहाल दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के

विभिन्न भागों में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था, उनकी संख्या निम्न प्रकार हैं :

1980	1981
66,209	99,136

(ख) 1980 और 1981 के दौरान दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

1980	1981
1,83,838	2,00,641

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं है ।

(ग) सरकार ने रोजगार कार्यालयों के कार्य संचालन का अध्ययन करने तथा उपचारी उपायों का सुझाव देने हेतु मार्च, 1978 में एक राष्ट्रीय रोजगार सेवा समिति (मैथ्यु समिति) का गठन किया था । इस समिति की 41 सिफारिशों को स्वीकार करने का सरकार का निर्णय सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य दोनों को सूचनार्थ पहले ही भेज दिया गया है । दिल्ली प्रशासन ने नियमित निरीक्षण करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, बड़े रोजगार कार्यालयों के कार्यभार को कम करने, नजफगढ़, नांगलोई तथा महरौली में स्थित तीन रोजगार सूचना सहायता केन्द्रों के अतिरिक्त कार्य को आवंटित करने तथा बड़े रोजगार कार्यालयों में जन-सम्पर्क अधिकारियों को तेनात करने संबंधी कार्रवाई करनी भी शुरु कर दी है ।

(घ) ऊपर (ग) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

गृह मंत्रालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए पदोन्नति के अवसर

494. **श्री डी० पी० यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय पुस्तकालय में 15 से 20 वर्ष को सेवा वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्थिरता के फलस्वरूप उनमें आक्रोश व्याप्त है;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में गृह मंत्रालय में पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों का दर्जा बढ़ाया गया है; यदि हां, तो सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के पदोन्नति के अवसर न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) गृह मंत्रालय में कार्यरत सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों को भी गृह मंत्रालय में सेवाओं के संवर्गों अथवा विभिन्न मंत्रालयों में शुरू किये गये चयन ग्रेड की भांति सरकार का कुछ प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का केवल एक ही पद है और इस पद पर आसीन व्यक्ति पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है । पुस्तकालयाध्यक्ष के पद का वेतनमान

बढ़ाया गया था क्योंकि कर्मचारी निरीक्षण एकक को सिफारिश के अनुसार उसके उत्तरदायित्व बढ़ गये थे ।

(घ) एक पृथक पद के लिए चयन ग्रेड का प्रश्न नहीं उठता ।

मयूर बिहार, दिल्ली में पुलिस स्टेशन का बनाया जाना

495. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मयूर बिहार, दिल्ली में रह रहे लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मयूर बिहार में रोजाना दिन दहाड़े लूटमार की अनेक घटनायें होती हैं, जो इस क्षेत्र में पुलिस स्टेशन न होने के कारण दर्ज हुए बगैर रह जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 4 फरवरी, 1982 को फ्लैट संख्या 5ई पाकेट-1, मयूर बिहार में चार लुटेरे घुस गये थे और बन्दूक की नोक पर सारा मूल्यवान सामान चुराकर ले गए; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) मयूर बिहार पुलिस चौकी, पड़पड़गंज के क्षेत्राधिकार में आता है जो मयूर बिहार से लगभग 1.5 कि० मीटर है । यह पुलिस चौकी थाना कल्याणपुरी के अधीन कार्य करती है ।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) ऐसी एक घटना, जो 5 फरवरी, 1982 को घटी थी, दिल्ली पुलिस को सूचित की गई है ।

(घ) विद्यमान साधनों से इस क्षेत्र में पुलिस गश्त की व्यवस्था की जा रही है ।

कागज उद्योग के लिए गैर-परम्परागत कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबन्ध

496. **श्री रेणु पद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार कागज उद्योग के लिए गैर-परम्परागत कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और उक्त प्रतिबंध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) बांस, जो कि कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, का निर्यात पहले ही प्रतिबंधित है । बांस के निर्यात पर प्रतिबंध में ढील देने का अभी कोई विचार नहीं है । जहां तक गौण कच्चे माल का संबंध है, रद्दी का निर्यात प्रतिबंधित है । जहां तक अनाज के डंठलों और खोई का संबंध है, यद्यपि उनके निर्यात पर प्रतिबंध नहीं है फिर भी निर्यात के लिए गुंजाइश बहुत कम है ।

आवंटित धन को व्यय करने में विफलता

497. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा प्रभावी ढंग से राशि व्यय न किये जाने के कारण पूर्वी क्षेत्र की स्थिति बदतर हो गई है;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न मदों पर कितना परिव्यय रखा गया था और कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रक्षा विभागों, रेलवे तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से आदेशों में कमी के कारण उत्पादन में बाधा पड़ी है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, नहीं। वार्षिक योजना परिव्ययों को मंत्रालयवार आवंटित किया जाता है, क्षेत्रवार नहीं। वर्ष 1981-82 के लिए प्रस्तावित योजना परिव्यय 8618.73 करोड़ रु० है। वर्ष 1981-82 अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए दिया गया वास्तविक व्यय बताना संभव नहीं है।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 1981-82 के पहले सात महीनों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में वर्ष 1980-81 की इसी संगत अवधि के सूचकांक से लगभग 9.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रत्येक जिले में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत

498. **श्री जय नारायण रोट** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक जिले में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की एक यूनिट की स्थापना के प्रस्ताव पर क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए राज्यवार तथा संघ शासित प्रदेशवार, कितनी राशि का आवंटन किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गई है और पिछले वर्ष में कई जिलों में सौर, वायु और जैव गैस पर आधारित कई प्रदर्शन नवीकरणीय ऊर्जा यूनिटों की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों से चर्चायें चल रही हैं ताकि और स्थलों का अभिनिर्धारण किया जा सके और राज्य स्तर के संगठनों का निर्माण किया जा सके ताकि इस कार्य को हाथ में लिया जा सके, इसको चलाया जा सके, इसका रख-रखाव किया जा सके और कार्य निष्पादन का मानीटरन किया जा सके। आशा की जाती है कि छठी योजना के दौरान देश का हर जिला इसके अन्तर्गत आ जाएगा।

फिलहाल, राज्य सरकारों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा दिए गए स्थलों और स्थानीय सहायता के आधार पर ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा विभिन्न प्रदर्शन एककों की प्रत्यक्ष स्थापना की जा रही है।

रंगीन टेलीविजन का मूल्य

499. **श्री मगनभाई बारोट**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में रंगीन प्रसारण की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन से वे रंगीन टेलीविजन के मूल्य में काफी कमी लाने में समर्थ हुए हैं; और

(ख) क्या सरकार भारत में भी रंगीन टेलीविजन का कम मूल्य पर उत्पादन सुनिश्चित करेगी ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां।

(ख) देश में रंगीन दूरदर्शन प्रसारण शुरू करने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, जब कभी यह शुरू किया जाएगा सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि दूरदर्शन सेटों का उत्पादन कम लागत पर किया जाए।

ककरापार के समीप परमाणु बिजलीघर

500. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ककरापार के समीप 470 मैगावाट का एक परमाणु बिजलीघर लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर में प्रथमत: दो रिएक्टर होंगे, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी। ये रिएक्टर दाबित भारी पानी रिएक्टरों की किस्म के होंगे अर्थात इन रिएक्टरों में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में तथा भारी पानी को मंदक के रूप में काम में लाया जाएगा और नरोरा में लगाए जा रहे रिएक्टरों के डिजाइनों की मानक आधारभूत विशेषताओं को इन रिएक्टरों के निर्माण-स्थल की अवस्थाओं के अनुरूप ढाल कर अपनाया जाएगा। इस बिजलीघर पर 382.52 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 34.77 करोड़ रुपए के बराबर होगा।

कुतुब दुर्घटना के बारे में जांच प्रतिवेदन

501. **श्री आर० आर० भोले**
श्री दयाराम शाक्य
श्री पी० के० कोडियन
श्री कमल नाथ
श्री भीकू राम जैन
श्री तारिक अनवर
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली से कुतुब दुर्घटना पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार का भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और दुर्घटना के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) जांच आयोग दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया था। आयोग ने अपनी

रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है । जांच आयोग अधिनियम की धारा 3(4) के उपबंधों के अनुसार आयोग की रिपोर्ट को, इस पर की गई कार्रवाई के साधन सहित, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से 6 महीने के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा । इस बीच कुतुब परिसर के बाहर पुलिस केन्द्र स्थापित किया गया है और वह प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य करता है ।

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण तथा सहायता

502. **श्री नरसिंह मकवाणा :** क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान कितने लोगों को ऋण तथा सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) इस ऋण तथा सहायता के जरिये स्थापित किये गये नये एककों में कितने लोगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है और इन इकाइयों में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है; और

(ग) अगले वर्ष इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को ऋण देने का प्रस्ताव है और क्या इस योजना में कोई परिवर्तन किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) प्राप्त प्रतिवेदनों से पता चला है कि वर्ष 1980-81 के दौरान 2,37,564 नये एककों की जिनमें कारीगर-प्रधान 1,77,236 एकक तथा 60,328 लघु एकक सम्मिलित हैं, स्थापना की गई थी जिनके फलस्वरूप सूचना देने वाले जिला उद्योग केन्द्रों में 8,07,145 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । ऊपर निम्नलिखित सभी एकक 1980-81 में स्थापित एककों में इसी वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ।

(ग) अगले वर्ष अर्थात् 1981-82 में उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर 2,95,162 नये एककों की स्थापना करने का लक्ष्य जिनमें 2,11,818 कारीगर प्रधान एकक व 83,344 लघु एकक सम्मिलित होंगे निर्धारित किया गया है ।

जुलाई, 1980 में संसद में घोषित औद्योगिक नीति संबंधी विवरण के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिये जिला उद्योग केन्द्र के संगठनात्मक ढांचे में कुछ संशोधन किये गये हैं ।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोग

503. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की 50.82 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या, 38.19 प्रतिशत शहरी जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या के 48.13 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) छठी योजना में मुख्य रूप से परिसंपत्तियों और कुशलताओं के अंतरण द्वारा तथा वर्ष में मंदी के मौसमों में रोजगार की व्यवस्था के द्वारा गरीबी को दूर करने के अनेक कार्यक्रम शामिल किये गये हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पहली श्रेणी से संबंधित है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दूसरी श्रेणी से सम्बन्धित हैं। सरकारी क्षेत्रक की अन्य अनेक स्कीमें हैं जिनसे बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को कम करने में सहायता मिलेगी। अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजना विशेष उल्लेखनीय है जिसके लिये विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में योजना में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों, जन-जातीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विशेष कार्यक्रमों से सार्वजनिक नीतियों में पुर्नवितरक आधार को सुदृढ़ करने में और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने में भी सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को विस्तारित और प्रभावी रूप में कार्यान्वित किया जाएगा जिससे कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को न्यूनतम मूल सुविधायें दी जा सकें। योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये 3487 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है, पिछले वर्गों के कल्याण के लिए और अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना, जनजातीय उपयोजना तथा इस संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वियन के लिये 2030 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है तथा राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये 5808 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

कम्पोनेन्ट प्लान का क्रियान्वयन

504. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के जीवन-स्तर को उठाने के उद्देश्य से शुरू की गई कम्पोनेन्ट प्लान के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन में (राज्यवार) क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) यद्यपि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अभी हाल में ही लागू की गई है फिर भी राज्यों से प्राप्त सूचनाओं से मालूम होता है कि इनका कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया गया है। फिर भी, भारत सरकार स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के उचित और कारगर कार्यान्वयन के महत्व पर लगातार बल दे रही है, यह कार्य योजना आयोग में परामर्श के दौरान, पत्र व्यवहार और दौरों के समय किया गया। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन और इसके उपायों पर विशेष रूप से जुलाई, 1981 में गृह मंत्रालय में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया, यह अप्रैल, 1981 में राज्य योजना मंत्री सहित योजना मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक को कार्यसूची में एकमद भी थी। छठी योजना (1980-85) में अनुसूचित जातियों के विकास से सम्बन्धित कार्यदल की रिपोर्ट में दिए गए कार्यान्वयन, प्रबोधन और मूल्यांकन सम्बन्धी विस्तृत मार्गदर्शी निर्देशों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है। कई राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार परिव्यय और व्यय की राज्यवार स्थिति विवरण-1 तथा 2 में दी गई हैं। चालू वर्ष के व्यय के ब्यौरे योजना आयोग में होने वाले अगले वार्षिक योजना विचार-विमर्श के समय ही उपलब्ध होंगे।

विवरण-1

1980-81 के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान में राज्यों के परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य का नाम	परिव्यय	व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.10	36 67
2.	असम	1.74	1.33
3.	बिहार	36.18	23.88
4.	गुजरात	23.82	13.52
5.	हरियाणा	28.51	24.60
6.	हिमाचल प्रदेश	6.79	6.30
7.	कर्नाटक	59.95	46.19
8.	केरल	17.28	14.63
9.	मध्य प्रदेश	20.75	*
10.	महाराष्ट्र	22.76	12.89
11.	मणिपुर	0.27	0.31
12.	उड़ीसा	16.02	*
13.	पंजाब	28.57	21.22
14.	राजस्थान	40.10	30.41
15.	तमिलनाडु	67.75	32.39
16.	त्रिपुरा	1.78	1.58
17.	उत्तर प्रदेश	61.12	54.82
18.	पश्चिम बंगाल	38.51	19.59*

* पूरे ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

टिप्पणी—ये आंकड़े अस्थाई हैं क्योंकि कुछ राज्यों से पूरे ब्यौरों का समन्वय नहीं किया गया है।

विवरण-2

स्पैशल कम्पोनेन्ट प्लान, 1981-82 में राज्य परिव्यय

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रु० करोड़ में
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.29
2.	असम	3.06
3.	बिहार	44.51
4.	गुजरात	25.06
5.	हरियाणा	32.66
6.	हिमाचल प्रदेश	10.98
7.	कर्नाटक	52.23
8.	केरल	20.16
9.	मध्य प्रदेश	41.18
10.	महाराष्ट्र	42.01
11.	मणिपुर	0.82
12.	उड़ीसा	28.11
13.	पंजाब	19.25
14.	राजस्थान	30.68
15.	तमिलनाडु	78.89
16.	त्रिपुरा	2.91
17.	उत्तर प्रदेश	95.85
18.	पश्चिम बंगाल	42.44
19.	सिक्किम	0.27

लघु उद्योगों की 13 मदों को अनारक्षित करना

505. श्रीमती सुशीला गोपालन
श्री अजित बाग
श्री त्रिलोक चन्द
श्री बी० डी० सिंह
श्री अजय विश्वास
श्री इ० के० इम्बीचीबावा

: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों में ही उत्पादन के लिए आरक्षित मदों की सूची में से 13 मदों को अनारक्षित करने की सरकार की कार्यवाही के विरुद्ध लघु उद्योग क्षेत्र की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) फ्यूमेटिक एसिड और टारटरिक एसिड एवं टायर रिट्रीडिंग का आरक्षण समाप्त करने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) केवल लघु क्षेत्र में विकास के लिए उद्योगों को आरक्षित करने संबंधी नीति का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में समग्र प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन के उन क्षेत्रों में, जो लघु क्षेत्र में विकास के लिए आर्थिक रूप से जीव्यक्षम व तकनीकी रूप से उपयुक्त हैं, बड़े एककों से प्रतिस्पर्धा से इन एककों का संरक्षण प्रदान करना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में छिपे हुए उग्रवादियों की गतिविधियां

506. **प्रो० अजित कुमार मेहता**
श्री बी० डी० सिंह } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में छिपे हुए उग्रवादियों ने फिर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं जिनके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं और कुछ तत्वों के संबंध सी० आई० ए० से है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति अधिकांशत: नियंत्रण में रही है। तथापि हिंसा की कुछ छुट-पुट घटनाएं हुई हैं। सरकार इस बात से अवगत है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ उग्रवादी संगठनों का विदेशों से संबंध है और उन्हें विदेशी सहायता प्राप्त हुई है। तथापि सरकार आसूचना एजेंसियों के इस प्रकार की अन्तर्ग्रस्तता के विषय में बताने की स्थिति में नहीं है।

सरकार स्थिति से पूरी तरह परिचित है। मैतयी उग्रवादी निकायों और एम० एन० एफ० और इससे संबद्ध निकायों को गैर-कानूनी संघ घोषित किया गया है। उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कारंवाई की जाती है। सुरक्षा कार्यों को तेज कर दिया गया है। सतर्कता बरती जा रही है।

बिहार में अभ्रक का अवैध खनन

507. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक असामाजिक तत्वों द्वारा अगस्त, 1981 से बिहार के गिरीडीह जिले के गणवाना खंड में जमुनियन, सुरंगी और बेन्द्रों अभ्रक खानों से लगभग एक करोड़ रु० मूल्य की अभ्रक का अवैध रूप से खनन करके उसे चोरी छिपे निकालकर ले जाया जा चुका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन समाज विरोधी तत्वों ने 28 अक्तूबर, 1981 को अन्धाधुन्ध गोलीबारी करके, जिसमें तीन अभ्रक कर्मचारी घायल हो गए लाखों रु० मूल्य की सम्पति लूटी और श्रमिकों के भविष्य निधि के खातों तथा स्थायी रजिस्ट्रों को उठाकर ले गए और वे

वहां पर अन्य लोगों को लगाकर अवैध रूप से खनन कार्य करा रहे हैं तथा वहां पर छ: महीने से 300 श्रमिकों को वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो 300 श्रमिकों को बेरोजगार होने से बचाने तथा समाज विरोधी तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में भावी योजना क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) यह प्रश्न कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा गैर-कानूनी खनन की रोकथाम से संबंधित है। ये मामले बिहार सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं तथा उन पर राज्य के अभ्रक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

कलकत्ता जेसप्स द्वारा ई० एम० यू० रेकों की सप्लाई

508. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी जेसप्स को बम्बई की उपनगरीय सेवा के लिए ई० एम० यू० रेकों की सप्लाई हेतु मध्य रेलवे से आदेश मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी वास्तविक आवश्यकता क्या है और आदेश की तिथि क्या है;

(ग) क्या सप्लाई में कोई विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो विम्लब के क्या कारण है; और

(ङ) इस आदेश को कब तक पूरा किया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) जी, हां। बम्बई की उपनगरीय रेल सेवा के लिए मध्य रेलवे की (172 कोच) तथा पश्चिम रेलवे की (67 कोच) इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ई० एम० यू०) रेकों की सप्लाई के लिए 10 नवम्बर, 1978 को रेलवे बोर्ड से क्रयादेश प्राप्त हुआ था। कुल 239 कोचों में 81 मोटर कोच, 79 ड्राइविंग ट्रेलर कोच तथा 79 नान-ड्राइविंग कोच शामिल हैं।

(ग) से (ङ) क्रयादेशों को पूरा करने में कुछ विलम्ब हुआ है। अब तक 21 कोच सप्लाई किये गये हैं तथा 15 कोच मार्च, 1982 के अन्त तक सप्लाई किये जाने की आशा है। शेष 203 कोच अप्रैल, 1982 तथा मार्च, 1984 के बीच सप्लाई किये जाने की आशा है। मेल खाने वाले आकारों में इस्पात, इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन उपकरण तथा मोटर कोच व्हील सेटों के प्राप्त होने में विलम्ब के कारण उत्पादन ठीक समय पर आरम्भ नहीं हो सका (ये सभी चीजें रेलवे द्वारा सप्लाई की जानी थी। इन सामानों की शीघ्र सप्लाई के लिए जेसप ने यह मामला रेलवे के साथ उठाया है।

भारत बंद के दिन की गई गिरफ्तारियां

509. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री ए० टी० पाटिल
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
श्री अमर राय प्रधान
श्री विजय कुमार यादव
श्री कृष्ण कुमार गोयल
श्री सूरजभान
श्री रामावतार शास्त्री
श्री राम प्रसाद अहिरवार
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्द के अवसर पर ट्रेड यूनियनों को अखिल भारतीय अभियान समिति द्वारा हड़ताल के आह्वान के संबंध में तथा 19 जनवरी, 1982 को और इससे पूर्व सारे भारत में की गई गिरफ्तारियों की पृथक-पृथक संख्या (राज्यवार) कितनी है; और

(ख) उनमें कितनी गिरफ्तारियां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत, पृथक-पृथक (राज्यवार) की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु के शेष राज्यों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

19 जनवरी, 1982 के बंद/हड़ताल के संबंध में गिरफ्तार किए गए/नजरबंद किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे का विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के किए गए व्यक्तियों की संख्या
		हड़ताल/बंद से पूर्व	हड़ताल बंद के दिन		
1.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	कर्नाटक	3085	1174	शून्य	शून्य
4.	मणिपुर	9	5	शून्य	शून्य
5.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		अनिवार्य सेवायें अनुरक्षण अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या
		हड़ताल/बन्द से पूर्व	हड़ताल बन्द के दिन		
6.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पंजाब	शून्य	274	शून्य	शून्य
8.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	उत्तर प्रदेश	139	1960	शून्य	शून्य
10.	प० बंगाल	3144	शून्य	शून्य	शून्य
11.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	अंडमान तथा निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	चंडीगढ़	शून्य	62	शून्य	शून्य
15.	दादरा तथा नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	दिल्ली	1	58	शून्य	शून्य
17.	गोवर दमण व दीव	शून्य	14	शून्य	शून्य
18.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	पांडिचेरी	18	136	शून्य	शून्य

नई सीमेंट नीति

501. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की नई नीति घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सीमेंट के मूल्य निर्धारण और वितरण संबंधी एक योजना अंतिम रूप में सरकार के विचाराधीन है।

"न्यूज प्रिंट" उद्योग की संस्थापित क्षमता को बढ़ाने का विचार

511. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1982-83 में "न्यूज प्रिंट" उद्योग की संस्थापित क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कदमों, यदि कोई हैं, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) अभी हाल तक नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपा नगर 67,50) मी० टन वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता वाला अखबारी कागज उत्पादक एकमात्र एकक था। मिल आधुनिकीकरण व पुनर्नवीकरण कार्यक्रम चालू करके अपनी अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाकर 75,000 मीटर टन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, 1982-83 तक मैसूर पेपर मिल्स की अखबारी कागज परियोजना (75,000 मी० टन वार्षिक क्षमता) और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, केरल की अखबारी कागज परियोजना (80,000 मी० टन वार्षिक क्षमता) में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

निम्नलिखित योजनाओं को अखबारी कागज के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं ये योजनाएं कार्यान्वियन की प्रारम्भिक स्थिति में हैं :

मे० तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लिमिटेड	50,000 मी० टन प्रति वर्ष
मे० सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर लिमिटेड	20,000 मी० टन प्रतिवर्ष

अखबारी कागज के उत्पादन के लिए यदि कोई और प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो सरकार उन्हें प्रोत्साहित करेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेतिहर तथा बागान श्रमिकों को कम मजूरी

512. **श्री राम लाल राही :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतों, बागानों या कुछ अन्य स्थानों पर काम करने वाले निर्धन श्रमिकों को मालिक बहुत कम मजूरी देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन निर्धन श्रमिकों की कठिनाईयों को ध्यान में रखकर सरकार कोई नया कानून बनाने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कृषि और बागानों में नियोजनों तथा अधिकांश नियोजनों में, जहां श्रमिक अच्छी तरह से संगठित नहीं है, मजदूरी की न्यूनतम दरें संबंधित सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित की जाती है। इन मजदूरी-दरों को समय-समय पर संशोधित भी किया जाता है तथा उनके द्वारा उन्हें लागू किया

जाता है। बागानों में, मजदूरी-दरें द्विपक्षीय करारों द्वारा भी निश्चित की जाती हैं। अतः इन नियोजनों में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी-दरों के बारे में किसी नए कानून का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, न्यूनतम मजदूरी, अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इसके कार्यान्वियन में सुधार किया जा सके।

छठी पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन

513. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो उनका स्वरूप और उसके कारण क्या हैं; और

(ख) राष्ट्र के निर्माण से सम्बन्धित पुराने मामलों पर इस प्रस्तावित परिवर्तन से कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बाटा द्वारा अन्य लोगों द्वारा बनाए गए जूतों की ब्रिकी

514. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि अन्य कम्पनियों द्वारा सस्ती दरों पर बनाए गए जूते और चप्पलों को बाटा कम्पनी अपनी मोहर लगाकर बेच रही है और इस प्रकार भारी मुनाफा कमा रही है; और

(ख) क्या सरकार ने अन्य कम्पनियों द्वारा बनाए गए जूतों को अपने नाम से बेचने के धंधे पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

सीमेंट उत्पादन पर नियन्त्रण हटाने के लिए घोष समिति की सिफारिश

515. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री के० टी० कोसलराम
श्री भीखू राम जैन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सीमेंट के एक चौथाई उत्पादन पर नियन्त्रण हटाने की घोष समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों संबंधी ब्योरा क्या है तथा इन्हें स्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सीमेंट के मूल्य निर्धारण और वितरण संबंधी एक योजना अन्तिम रूप में सरकार के विचाराधीन है।

गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोग

516. श्री चतुर्भुज : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के अन्त में देश की राज्यवार गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण कारीगर और हरिजनों की राज्यवार अलग-अलग प्रतिशतता क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के अनुमानों को योजना आयोग में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के संबंध में वर्ष 1977-78 के बाद सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसलिए वर्ष 1981 के अन्त में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कागज उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल

517. श्री सी० पलानीअप्पन : क्या उद्योग मंत्री यही बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज उद्योग के लिए कौन-कौन सी कच्ची सामग्री महत्वपूर्ण है;

(ख) क्या उद्योगों की संख्या में वृद्धि के कारण वनों के वृक्षों की संख्या में कमी होगी;

(ग) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या तमिलनाडु में एक कागज उद्योग शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह एक गैर सरकारी क्षेत्र में है अथवा सरकारी क्षेत्र का उद्योग है; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कागज उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल बांस, कड़ी, लकड़ी और वन पर आधारित अन्य कच्चा माल है जिसकी पूर्ति खाद्यान्न के भूसे खोई, रद्दी कागज और अन्य गौण कच्चे माल द्वारा की जाती है।

(ख) तथा (ग) वनों पर कच्चे माल पर आधारित एककों के लिए औद्योगिक लाइसेन्स संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस बात का निश्चित रूप से पता लगा लेने के बाद ही दिये जाते हैं कि कच्चा माल निरन्तर उपलब्ध होता रहेगा। जल्द बढ़ने वाली किस्म की लुग्दी वाली लकड़ी बागानों के संवर्धन तथा कृषि अवशेष, खोई, रद्दी कागज आदि जैसे गौण कच्चे माल के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) से (च) राज्य सरकार के एक उपक्रम, मै० तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि० को तमिलनाडु के सेलम जिले में खोई पर आधारित 90,000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला संयन्त्र स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेन्स जारी किया गया है।

विद्युत दरें तथा परिवहन किराये में बढ़ोत्तरी

518. ए० के० बालन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत बोर्डों तथा परिवहन निगमों की अर्थक्षमता सुधारने के उद्देश्य से कितने राज्यों ने योजना आयोग से आगामी वर्षों में विद्युत दरें बढ़ाने और परिवहन किराये में संशोधन करने की सिफारिश की है?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : योजना आयोग को किसी राज्य सरकार से ऐसी कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, राज्य सरकारें, राज्य बिजली बोर्डों और सड़क परिवहन निगमों की आर्थिक विकास क्षमता और आत्मनिर्भरता में सुधार करने के लिए तथा राज्यों की विकास योजनाओं के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले उपाय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

हरिजनों पर अत्याचार रोकने के लिए एक ग्रामीण सुरक्षा की स्थापना

519. श्री जगपाल सिंह
श्री मोहन लाल पटेल
श्री नवीन रवाणी
श्री त्रिलोक चन्द
श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री पी० वी देसाई
श्री विजय कुमार यादव

: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरिजनों पर अत्याचार रोकने के लिए एक ग्रामीण सुरक्षा बल स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, सरकार द्वारा इस संबंध में किया गया निर्णय, यदि कोई किया गया है; का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) साढूपुर कांड के बाद गृह मंत्री ने अनुसूचित जातियों के विरुद्ध इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले उपायों के विषय में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ बैठक की। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के लिए प्रणत क्षेत्रों के गांवों में ग्रामीण सुरक्षा बल के सृजन का विचार, बैठक में चर्चित विचारों में से एक है। इस पर आगे और जांच की जा रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया।

संयुक्त सचिवों के लिए निजी सचिवों और वैयक्तिक सहायकों की व्यवस्था

520. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव एक विंग के स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष होते हैं और अपने विंग के सभीकार्यों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र तथा उत्तरदायी होते हैं;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त सचिवों को अपर और विशेष सचिवों के अनुपात में निजी सचिव और वैयक्तिक सहायक उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस असमानता को दूर करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जबकि सामान्यत: कोई विशेष सचिव/अपर सचिव किसी स्कंध का अध्यक्ष होता है किन्तु संयुक्त सचिव के साथ ऐसा मामला नहीं है।

(ख) आशुलिपिक सहायता विभिन्न स्तरों की कार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर निर्धारित की गई है।

(ग) विद्यमान पात्रता में कोई विषमता नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने वाले निकाय

521. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आज एक ही समय में बहुत से ऐसे निकाय हैं जो अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निकायों या आयोगों के नाम क्या हैं, ये निकाय या आयोग किस वर्ष में स्थापित किये गए थे और इन निकायों या आयोगों का कार्य-क्षेत्र क्या है;

(ग) प्रत्येक निकाय का आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ आयोग एक जैसा कार्य कर रहे हैं और एक ही प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) एक ओर भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी के कार्यालय तथा भाषाई आयोग के बीच कार्य और दूसरी ओर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकारी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के बीच कार्य को अति व्याप्ति है।

विवरण

अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा प्रदान करने के लिये इस समय निम्नलिखित निकाय कार्य कर रहे हैं :—

1. संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष अधिकारी का कार्यालय।

2. संविधान के अनुच्छेद 350 (बी) के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये विशेष अधिकारी का कार्यालय।

3. भारत सरकार द्वारा उसके 12 जनवरी 1978 के संकल्प के तहत स्थापित अल्पसंख्यकों के आयोग।

4. भारत सरकार द्वारा उसके 21 जुलाई, 1978 के संकल्प के तहत स्थापित किया गया अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यालय; और

5. यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकार की आर्थिक नीतियां अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों तक पहुंचे, भारत सरकार द्वारा उसके 10 मई, 1980 के संकल्प के तहत गठित अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग उच्चाधिकार पैनल।

2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विशेष अधिकारी और अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी के कार्य संविधान के अन्तर्गत क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदत्त संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करना और ऐसे अन्तराल से, जैसा राष्ट्रपति निदेश दे, राष्ट्रपति को उन मामलों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

3. अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और उच्चाधिकार प्राप्त पैनल के कार्य इस प्रकार है :—

अल्पसंख्यक आयोग

(1) अल्पसंख्यकों के लिये संविधान में और संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों में विभिन्न संरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;

(2) सभी संरक्षणों तथा कानूनों का प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिफारिशें करना;

(3) अल्पसंख्यकों के संबंध में संघ और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना;

(4) अल्पसंख्यकों को अधिकारों तथा संरक्षणों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(5) अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये प्रश्न के संबंध में अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण करना;

(6) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किसी अल्पसंख्यक के बारे में किये जाने वाले उपयुक्त कानूनी तथा कल्याण उपायों का सुझाव देना;

(7) अल्पसंख्यकों की दशा के सम्बन्ध में सूचना के लिये एक राष्ट्रीय क्लीयरेंस हाउस के रूप में सेवा करना; और

(8) निर्धारित अन्तराल से सरकार को सावधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये संविधान में प्रदत्त संरक्षणों से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का पुनरीक्षण करना शामिल होगा कि सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुचित जनजातियों के लिए अनुबंध आरक्षण व्यवहार में किस प्रकार कार्यान्वित किए जाते हैं।

(2 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 से उत्पन्न अस्पृश्यता तथा घृणित भेदभाव को पांच वर्ष की अवधि में दूर करने के उद्देश्य विशेष संदर्भ में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन का अध्ययन करना;

(3) लागू कानूनों में रुकावटों को दूर करने और अपराधों की तुरन्त जांच पड़ताल सुनिश्चत करने के उपायों समेत उपयुक्त सुधारात्मक उपाय सुझाने के उद्देश्य से सामाजिक-आर्थिक तथा अन्य तत्सम्बन्धी परिस्थितियों का पता लगाना जिनके कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार होते हैं;

(4) अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों का सदस्य होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदत्त किन्हीं संरक्षणों के लिए इन्कार करने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना।

अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए वर्ग उच्चाधिकार पैनल

(1) यह पता लगाना कि क्या संघ और राज्यों, दोनों सरकारों की विभिन्न आर्थिक नीतियों के लाभ वास्तव में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को पहुंचते हैं;

(2) ऐसे प्रतिबन्धों तथा मार्गविरोधों का पता लगाना जिनके कारण वे प्रोत्साहनों, सुविधाओं और अन्य प्रोत्साहनों का पूरा लाभ नहीं उठाते;

(3) ऐसे तरीकों का सुझाव देना जिनसे विभिन्न आर्थिक नीतियों, प्रोत्साहनों, सुविधाओं तथा अन्य प्रोत्साहनों का लाभ उन तक पहुंचे;

(4) अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में सिफ़ारिशें करना।

4. इसके अतिरिक्त संविधान में अन्य उपबंध हैं और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अन्य विभिन्न विभाग हैं जो अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण कार्य में लगे हैं।

हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

522. **श्रीकृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पिछले दो वर्षों में हरिजनों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में दर्ज किए गये मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए केन्द्रीय गृह मन्त्री के 10-3-198, के अ० शा० पत्र में एहतियाती, निरोधक, दंडात्मक, पुनर्वासात्मक और कार्मिक नीति सम्बन्धी उपायों के व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत राज्य सरकारों को भेज दिए गये हैं और राज्य सरकारों से इसके अनुसार काम करने के लिए निरन्तर कहा जा रहा है। इनमें से बहुत से अपराधों के मूल सामाजिक-आर्थिक कारणों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक तथा अन्य विकास पर बल दिया जा रहा है और हाल के संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में 7 सूत्री कार्यक्रम शामिल हैं। जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों को तेज करने के लिए है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में पिछले दो वर्षों—1980 और 1981 के दौरान हरिजनों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के संबंध में दर्ज किये गये मामलों की संख्या का विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1980 (पूरे वर्ष) के दौरान और 1981 में प्रत्येक के सामने दिये गये महीनों तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या, जिनकी रिपोर्टें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हो गई है :		
		1980	1981	(प्रत्येक के सामने दिए महीनों तक)
1.	आंध्र प्रदेश	166	202	(अक्तूबर)
2.	असम	शून्य	शून्य	(नवम्बर)
3.	बिहार	2086	1689	(अक्तूबर)
4.	गुजरात	628	751	(दिसम्बर)
5.	हिमाचल प्रदेश	68	69	(दिसम्बर)
6.	हरियाणा	78	41	(जून)
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	
8.	कर्नाटक	377	402	(दिसम्बर)
9.	केरल	482	222	(सितम्बर)
10.	मध्य प्रदेश	5306	5092	(अक्तूबर)
11.	महाराष्ट्र	664	928	(दिसम्बर)
12.	उड़ीसा	94	91	(दिसम्बर)
13.	पंजाब	79	51	(दिसम्बर)
14.	राजस्थान	1498	1946	(दिसम्बर)
15.	तमिलनाडु	140	132	(सितम्बर)

1	2	3	4	5
16.	उत्तर प्रदेश	4279	3627	(नवम्बर)
17.	पश्चिम बंगाल	49	44	(नवम्बर)
18.	दिल्ली	3	6	(दिसम्बर)
19.	पांडिचेरी	16	8	(दिसम्बर)
20.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	(दिसम्बर)
		16009	15401	

टिप्पणी :—मध्य प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के केवल सितम्बर, 1981 तक आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

खाल तथा चर्म उद्योग में रोजगार तथा अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा

523. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के पहले के वर्षों की तुलना में वर्ष 1980 और 1981 के दौरान अर्द्ध परिशोधित चर्म, तैयार चर्म और चर्म उत्पाद उद्योगों में रोजगार में वृद्धि संबंधी उद्योग वार, ब्यौरा क्या है और;

(ख) वर्ष 1979-80 के पहले की वर्षों की तुलना में वर्ष 1980 और 1981 में कच्ची खाल और खाल, अर्द्ध परिशोधित, चर्म, तैयार चर्म और चर्म उत्पादों से अर्जित विदेशी मुद्रा का मद-वार, अन्तर क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग एक बड़ा विकेन्द्रीयकृत उद्योग है वर्ष 1980-81 के दौरान इसमें रोजगार की कितनी वृद्धि हुई है इसका ठीक-ठीक विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ख) कच्ची खालों के निर्यात पर रोक है। अन्य वस्तुओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

	1979-80	1980-81	198 -82
1—अर्द्ध परिशोधित चमड़ा	885.44	565.85	444.96
2—तैयार चमड़ा	2660.09	18[illegible]7.94	1515.42
3—चमड़ा उत्पाद	698.87	8[illegible].42	791.52

पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की सिफारिश

524. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री प्रताप भानु शर्मा
श्री सूरज भान : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति की औद्योगिक विकेन्द्रीकरण संबंधी सिफारिश क्या है;

(ख) प्रत्येक सिफारिश सम्बन्धी प्रगति क्या है;

(ग) इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने औद्योगिक प्रकीर्णन संबंधी अपनी रिपोर्ट में कुछ परस्पर संबंधित सिफारिशें की थीं। जिनमें बड़े और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पात्र संवृद्धि केन्द्रों का चयन करना और चुने गए हरेक संवृद्धि केन्द्र में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना करना शामिल है। इस समिति ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक संपदा कार्यक्रम को फिर से चालू और सुव्यवस्थित करने की सिफारिश की है। विभिन्न सिफारिशों से संबंधित ब्यौरे औद्योगिक प्रकीर्णन संबंधी रिपोर्ट में देखे जा सकते हैं जिसकी प्रतियां सभा पटल पर 2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत की गई थीं।

(ख) से (घ) इन सिफारिशों की राज्य सरकारों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से जांच की जा रही है।

देश खनिजमें भंडारों की खोज

525. **श्रीमती जयन्तीप टनायक** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना में देश में खनिज भंडारों की खोज पर बल देने का है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उड़ीसा में भारी मात्रा में उपलब्ध खनिज संसाधनों में एक तिहाई की अभी तक खोज नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उड़ीसा में तेजी से खनिज संसाधनों की खोज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) छठी योजना अवधि में देश में खनिज भंडारों की खोज पर पर्याप्त बल दिया गया है ।

(ख) खनिजों की खोज एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा खनिज खोजों द्वारा खनिज श्रोतों का पता लगाने की संभावना सदैव बनी रहती है । परन्तु अछूते क्षेत्रों में खनिज भंडारों की मात्रा का सही-सही आंकलन करना कठिन होता है ।

(ग) और (घ) चालू क्षेत्र फल सत्र (अक्तूबर 1981 से सितम्बर, 1982) में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मैंगजीन अयस्क चूना पत्थर, बैक्साइड, ग्रेफाइट, क्रोमाइट, आधार धातु, कोयला, स्वर्ण और कीमती और कम कीमती पत्थरों के लिए खोज करने का विचार है । उड़ीसा सरकार के खनन और भूतत्व विभाग ने राज्य में खनिज भंडारों की खोज के लिए योजनाएं बनाई हैं । भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खनिज खोज कार्यक्रम को अंतिम रूप राज्य सरकार के राजकीय भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है, इससे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार के खनन और भूतत्व विभाग के बीच कार्य के तालमेल में सुनिश्चय होता है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड

526. **श्री शिवचरण वर्मा** : क्या गृह मंत्री केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता समिति लिमिटेड के बारे में 25 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाहकार एर्जेंसी की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 की व्यवस्था करने वाले उपनियमों, सलाहकार एजेंसी की रिपोर्ट और उसमें दी गई सिफारिशों और लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखी जाएंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) समिति के कार्यकरण को ठीक करने तथा उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन के परामर्शी तथा प्रमोशनल सेल की कुछ सिफारिशों को लागू कर दिया गया है और कुछ अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा अभी विचार किया जाना है । किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम-स्वरूप समिति को वर्ष 1981-82 में काफी लाभ होने की आशा है ।

(ख) यदि हर प्रकार से सोचा जाए तो समिति के उपनियम दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अनुरूप हैं । समिति के वर्ष 1980-81 के लेखा-परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षकों ने लाभों को रिजर्व फन्ड में आबंटन करने से सम्बन्धित उप-नियमों में असंगति का उल्लेख किया है । इस असंगति को समिति की 5 मार्च, 1982 को होने वाली आम सभा की बैठक

में उप-नियमों पर संशोधन करके, दूर किए जाने का प्रस्ताव है। इसके बाद, समिति के उप-नियमों की एक अद्यतन प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट और वर्ष 1979-80 का लेखापरीक्षित विवरण 8 मई, 1981 को सदन के पटल पर रख दिए गए थे और वर्ष 1980-81 के लेखा परीक्षित विवरण को वर्तमान सत्र के दौरान सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

उद्यम बोर्ड की स्थापना

527. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

निम्नलिखित की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं :

(1) अर्द्ध बेरोजगार वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की सहायता तथा अप्रयुक्त ऋण सुविधाओं के लिए उद्यम बोर्ड;

(2) जनक इन्जीनियरिंग और तेल, कीटनाशक औषधियों और उर्वरक आदि का प्रयोग कम करने पर अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिकी बोर्ड; और

(3) विकास की क्षमता वाले कम खोज किए गए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण संगठनों का सार्थ समूह ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्यमंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (1), (2) और (3) : उद्यमवृत्ति बोर्ड और जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के क्रमश: संकल्प संख्या एफ० 20019/1/82-प्रशा०-1 दिनांक 18/21-1-82 और एफ० 20019/2/82-प्रशा०-1, दिनांक 18-1-1982 के अनुसार की जा चुकी है। इन संकल्पों की प्रतियां 19-2-1982 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है। देश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और इष्टतम उपयोगीकरण के लिए सर्वेक्षण संगठनों के एक कन्सार्शियम की स्थापना करने की परिकल्पना भी की गई है।

राज्यों द्वारा नान-प्लान योजनाओं पर प्लान योजनाओं की धनराशि खर्च करना

528. **श्री बालकृष्ण बासनिक**
प्रो० अजित कुमार मेहता
श्री वी० डी० सिंह
: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ राज्य प्लान योजनाओं की धनराशि को 'नान-प्लान' योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं;

(ख) ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं और इस प्रकार उन्होंने कितनी-कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए प्लान-योजनाओं की धनराशि को 'नान-प्लान' योजनाओं पर खर्च न किया जाये, योजना आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल को छोड़कर राज्यों द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उससे इस प्रकार का कोई अन्तरण दिखाई नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल के मामले में योजना व्यय के बारे में विस्तृत सूचना अभी तक नहीं मिली है।

(ग) अनुमोदित वार्षिक योजनाओं में निर्धारित क्षेत्र में/परियोजनाओं/स्कीमों से धन राशियों को दूसरे क्षेत्रकों में अंतरित करने और समग्र योजना व्यय में कमियों का विनियमन करने के लिए योजना आयोग ने एक विशिष्ट कार्यविधि निर्धारित की है। वर्ष के अंत में राज्यों से प्राप्त समायोजन प्रस्तावों के समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है।

बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में हड़ताल

530. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में श्रमिकों की आठ दिन की हड़ताल से कुल कितनी अनुमानित हानि हुई; और

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में काम कर रहे सभी मजदूरों के वित्तीय लाभों में समता लाने के लिए कोई उपाय किए हैं ?

श्री मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बंगलौर में स्थित उपक्रमों में हड़ताल के कारण उत्पादन में अनुमानित हानि प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ रुपये की थी।

(ख) मजदूरी-दरों में संशोधन के प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय सरकार अनुचित असमानताओं को दूर करने और उनके वेतन ढांचे को युक्तियुक्त करने के लिए यत्न करती रही है।

निकोबार में भूकम्प

531. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोबार में जनवरी, 1982 में आए भूकम्प से कितनी जान-माल की हानि हुई है; और

(ख) इस आपदा के शिकार व्यक्तियों को दी गई सहायता तथा राहत के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) और (ख) : विवरण संलग्न है।

विवरण

अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप और कुछ अन्य स्थानों में आये भूकम्प के कारण कोई जान हानि होने का समाचार नहीं मिला है। लगभग 8 लाख रुपये की संपत्ति की हानि का अनुमान है जिसमें निजी इमारतों की 15,680/-रुपये की हानि शामिल है।

2. चिकित्सा अधिकारियों समेत अधिकारियों का एक दल पीर्टब्लेयर से नौसैनिक जहाज से ग्रेट निकोबार भेजा गया था जो औषधियां, तम्बू तथा खाद्य सामग्री ले गया था। बाद में एक दूसरा सैनिक जहाज भी राहत कार्य में संलग्न हुआ। भूकम्प इन्जीनियरिंग विभाग, सड़कों के. वैज्ञानिक भी ग्रेट निकोबार द्वीप गये थे।

3. ग्रेट निकोबार को लगभग समस्त जनसंख्या को छ: दिन का मुफ्त राशन दिया गया। औषधियां, प्राथमिक उपचार उपकरण, टीके और पानी साफ करने के रसायन भी दिये गये। इस क्षेत्र में प्रयोग के लिए 84 तम्बू और 40 तिरपालें भी उपलब्ध कराई गई थी। कुछ महिलाओं और बच्चों को अस्थायी तौर पर पोर्ट ब्लेयर भेजा गया। उनके लिए मुफ्त यात्रा तथा खाने की व्यवस्था दी गई।

4. प्रधानमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपये दिये गए हैं। पोर्ट ब्लेयर में कई स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त लगभग 12 हजार रुपये को उपहार वस्तुयें प्रभावित लोगों में बांटी गई।

बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा मन्त्रालयों में एजेंट रखा जाना

532. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच बिरला, टाटा, डालमियां जैसे बड़े व्यापारिक गृहों की राजधानी में गत पांच वर्षों के दौरान की सम्पर्क गतिविधियों की जांच कर ली है जिन्होंने प्रत्येक मन्त्रालय में अपने व्यापार के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अपने वेतनिक एजेंट रखे हुए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सरकार की प्रत्येक मंत्रालय में बड़े व्यापारिक गृहों के वेतनिक एजेंटों की उपस्थिति की जानकारी नहीं है। फिर भी पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से गुप्त सूचना के प्रकट होने का एक मामला ध्यान में आया है जिसकी जांच की जा रही है। विभागीय सुरक्षा अनुदेश पहले ही विद्यमान है जिनमें गुप्त कागजों को संभालने की रूपरेखाएं दी गई हैं।

कोयले के कारण वातावरण प्रदूषण

533. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्र है कि कोयले से चलने वाले संयत्रों, खुली धोवनशालाओं, मल-निकास,

खुली हुई खानें और खनन में रेत के कारण भीषण परिस्थितिकीय असंतुलन और वातावरण प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो परिस्थितिकीय सन्तुलन बनाए रखने और प्रदूषण की रोकथाम करने, जो देश में विभिन्न खनन योजनाओं का एक अभिन्न अंग हैं, के लिए कोई कार्यवाही अथवा मार्ग निदेश सरकार के विचाराधीन है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। यदि पर्याप्त पर्यावरणीय प्रबन्ध सम्बन्धी प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जाती है तो इन गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकीय विघटन तथा वायुमंडलीय प्रदूषण हो सकता है। इस समय ऐसी परियोजनाओं में प्रदूषण का न्यूनतम प्रभाव करने के लिए सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं। बहिश्राव का निकासन केन्द्रीय या राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्डों द्वारा प्रदान की गई सहमति से ही किया जाता है और यह निर्धारित मानकों के ही अनुरूप प्रदान की जाती है। ऐसे कार्यों के लिये वायु श्रावों के मानकों को अभी अपनाया जाना है। पर्यावरण विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक कार्यकारी दल ने खनन परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरण को समाविष्ट करने हेतु मार्ग दर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा खनन संगठनों को परिचालित किये जा चुके हैं। नई खनन परियोजनाओं के सम्बन्ध में, प्रदूषण विरोधी उपायों को, खनन परियोजनाओं के एक अभिन्न अंग के रूप में, तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। नई खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलुओं की समीक्षा करने के लिये पर्यावरण विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की भी स्थापना की गई है। औद्योगिकी परियोजनाओं के सम्बन्ध में ऐसी ही कार्यवाही इससे पूर्व भी की जा चुकी है।

शिवालिक पहाड़ियों में शाफ्ट स्टोन की सप्लाई के कारण पर्यावरण प्रदूषण

534. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के देहरादून और मसूरी की शिवालिक पहाड़ियों में शाफ्ट स्टोन की खुदाई के कारण होने वाले पर्यावरण-प्रदूषण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इन खदानों के कारण होने वाले पर्यावरण-प्रदूषण की जांच करने के लिए एक सर्वेक्षण दल गठित करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं। परन्तु पर्यावरण विभाग ने कुछ समय पूर्व एक कार्यकारी विशेषज्ञ दल गठित किया था, जिसने मसूरी पहाड़ियों में चूना प्रत्थर आदि खनिजों की खुदाई के कारण होने वाले पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या का अध्ययन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी देहरादून जिले में

खनन तथा पर्यावरण पर उसके प्रभाव के प्रश्न पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की रपट की राज्य सरकार को प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

कलपाक्कम परमाणु संयंत्र के चालू होने में विलम्ब

535. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलपाक्कम परमाणु संयंत्र को शुरू करने में होने वाले असाधारण विलम्ब के क्या कारण है; और

(ख) इस परमाणु संयंत्र को यथा शीघ्र चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के पूरा होने में हुए विलम्ब के प्रमुख कारण हैं : प्रमुख उपस्करों का निर्माण अपने ही देश में करने में सामने आई प्रौद्योगिकी संबंधी समस्यायें, निर्मातओं की कार्यशालाओं में अनेक कारणों से जिनमें श्रमिक अशांति भी शामिल हैं, हुए विलम्ब, बिजली की कटौती, उपभोज्य सामग्री की कमी तथा कुछ देशों द्वारा कुछ प्रकार के उपस्करों तथा सामग्रियों के निर्यात पर लगाई गई रोक।

(ख) संयंत्र को लगाने और चालू करने के बकाया कामों को यथासंभव समानांतर लाया जा रहा है। भारी पानी का पर्याप्त स्टाक बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं।

सीमेंट की मांग और पूर्ति में अन्तर

536. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आगामी वर्षों के दौरान परियोजनागत मांग को ध्यान में रखते हुए सीमेंट की वर्तमान पूर्ति और मांग का अन्तर और अधिक बढ़ जाएगा जिस पर देश के विकास को गम्भीर रूप से बुरा असर पड़ेगा;

(ख) सीमेंट की स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) आगामी वर्षों में, वर्षवार, सीमेंट उत्पादन में किस सीमा तक बढ़ोतरी किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या निकट भविष्य में सीमेन्ट के निर्यात किए जाने की कोई सम्भावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीमेंट की मांग और पूर्ति का अन्तर कम होने की आशा है।

(ख) सीमेंट उद्योग में अतिरिक्त क्षमता को अधिष्ठापित करने की स्वीकृति देने की सरकार ने उदार अपनाई है।

(ग) वर्ष 1981-82 में सीमेंट का अनुमानित उत्पादन 21 लाख मी० टन है। 1982-83 के दौरान बढ़कर इसके 26 लाख मी० टन होने का अनुमान है।

(घ) देश में सीमेंट की वर्तमान कमी की स्थिति में निकट भविष्य में सीमेंट के निर्यात करने की कोई सम्भावना नहीं है।

साठवीं विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशों की जांच

537. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जनवरी, 1982 को समाप्त हुई साठवीं विज्ञान कांग्रेस ने देश द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाई को दूर करने के लिए मूलभूत अनुसंधान पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) क्या विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशों की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सिफारिशों में और लोचदार प्रणाली तथा अनुसंधान और विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल के महत्त्व पर भी जोर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां। 8 जनवरी, 1982 को समाप्त हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 69वें अधिवेशन का केन्द्रीय भाव था "विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आत्मनिर्भर आधार के एकीकृत संघटक के रूप में मूल अनुसंधान" (इसकी भूमिका, संगति, समर्थन और प्रभाव क्षेत्र।

(ख) केन्द्रीय भाव अधिवेशन, सम्पूर्ण अधिवेशन और विभिन्न तकनीकी अधिवेशनों से उद्भूत सिफारिशें तैयार कर ली गई हैं।

(ग) इन सिफारिशों में शिक्षा संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विभागों की सरकारी प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों और अभिकरणों में अनुसंधान के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया गया।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकों विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल का संगठन किया है। प्रधान-अध्यक्ष द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

में इस कार्यबल की सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं और उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को परिचालित किया जाता है। इस कार्यबल द्वारा 69वें अधिवेशन की सिफारिशों पर अभी चर्चा की जानी है।

इस्पात वितरण नीति

538. **श्री के०टी० कोसल राम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया की अव्यवस्थित इस्पात वितरण नीति के कारण, देश में, लगभग सभी विशेषकर 4 दक्षिणी राज्यों में रि-रोलिंग मिलें बन्द होने की स्थिति में आ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की एक संतुलित इस्पात वितरण नीति की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) पुनर्वेलकों को मुख्यतः बिलेट तथा भारी गोल छड़ों की आवश्यकता होती है। वर्तमान वितरण नीति के अन्तर्गत पुनर्वेलकों को मुख्य इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित यह सामग्री प्राथमिक क्षेत्रों की आवश्यकाएं पूरी करने के पश्चात् दी जाती है। इसके अलावा पुनर्वेलक पुनर्वेलन-योग्य सामग्री की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकांशतः लघु इस्पात कारखानों से करते हैं। 5 दिसम्बर, 1981 तक बिलेट का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता था और अब इनका आयात "सेल" की मार्फत किया जाता है।

कम्प्यूटरीकरण से बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी

539. **श्री मती विभा घोष गोस्वामी**
श्री हन्नान मोल्लाह } :क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में कम्प्यूटर लगाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का और इसके साथ-साथ देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति का ब्यौरा क्या है, और

(ख) भारत में कम्प्यूटर लगाए जाने के समर्थकों की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए सरकार की योजना क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) सरकार ने देश में कम्प्यूटरीकरण की एक नीति अपनाई है, जो कम्प्यूटरों के आयात के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को सतर्कतापूर्वक छानबीन करने के बाद विनिर्माण विषयक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर आधारित है। नीति संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत मोटे तौर पर वे हैं जिनकी सिफारिश श्रम मंत्रालय द्वारा गठित स्वचालन समिति द्वारा की गयी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 1972 में पेश की थी। नीति विषयक मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कम्प्यूटरों के आयात की अनुमति उसी स्थिति में

दी जाती है, जब किसी संस्थान के अन्दर कम्प्यूटर स्थापित करने को अनिवार्यतः सिद्ध हो जाए तथा श्रम मंत्रालय के साथ परामर्श करके रोजगार के अवसरों पर इसके द्वारा पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना की सतर्कतापूर्वक जांच कर ली जाए। कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को उस स्थिति में निरुत्साहित किया जाता है जब इस बात का अनुमान हो जाता है कि इसके फलस्वरूप जो उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार हासिल होगा वह रोजगार के अवसरों के अनुरूप नहीं होगा, बल्कि उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। श्रम मंत्रालय से श्रमिकों के दृष्टिकोण से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही इलेक्ट्रानिकी विभाग आयात की वास्तविक अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार की अनुमति ऐसे सभी स्टेंड एलोन कम्प्यूटरों पर लागू होती है जिनका आशय व्यावसायिक अथवा प्रशासनिक आंकड़ा संसाधन और कार्यालय में स्वचालन प्रक्रिया के लिए होता है।

(ख) आयातित कम्प्यूटरों के माध्यम से की जाने वाली कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को सरकार कम्प्यूटर प्रणालियों के आयात से सम्बन्धित विशेष नीति के माध्यम से सतर्कतापूर्वक विनियमित करती है।

देश में पुरमाणु ऊर्जा का विकास

540. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जबकि यूरेनियम की कमी है, थोरियम की प्रचुर मात्रा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में परमाणु ऊर्जा की भावी विकास नीति को यूरेनियम, जिसके लिए हमें अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, के स्थान पर थोरियम पर बनाने के अनुदेश जारी करने पर विचार करेगी;

(ग) क्या इस कच्चे माल को उपयोग में लाने और इस कार्य के लिए मशीनें तैयार करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो यदि आगामी 10 वर्षों के लिए कोई योजना बनाई गई है तो उसका ब्यौरा क्या है?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा समुद्र विकास विभागों में राज्यमंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) यह सही है कि हमारे देश में थोरियम के भंडार यूरेनियम के भंडारों से बहुत बड़े हैं।

(ख) इस समय जिस नीति पर चला जा रहा है, उसका लक्ष्य यूरेनियम तथा थोरियम के उपलब्ध भंडारों का अधिकतम उपयोग करना है।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के दीर्घकालीन कार्यक्रम में, फास्ट रिएक्टरों में थोरियम का उपयोग बिजली के उत्पादन के लिए करना शामिल है। एक पृथक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा चुका है तथा उसमें काम आगे बढ़ रहा है।

(घ) रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र में फस्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के निर्माण और चालू किए जाने तथा उसी केन्द्र में फस्ट रिएक्टर से संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान तथा विकास-कार्यों का लक्ष्य अन्य कार्यों के साथ-साथ थोरियम का उपयोग करना भी है।

कर्नाटक में नाभिकीय बिजलीघरों की स्थापना

541. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों की दिन व दिन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार ने केन्द्र पर नाभिकीय बिजलीघरों की स्थापना करने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय राज्य को अपनी बिजली की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है और जब तक बिजली के सस्ते स्रोतों को नहीं बनाया जाता, उस समय तक राज्य के उद्योग के सतत विकास और अच्छी अर्थ-व्यवस्था को बनाए नहीं रखा जा सकता;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को पूरे आंकड़े भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो मामलों में निर्णय लिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा समुद्र विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क), (घ) चूंकि कर्नाटक सरकार इस समय अपनी बिजली संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है, इसलिए वह इस बात पर बल देती रही है कि एक परमाणु बिजलीघर लगाया जाए। नए परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के स्थल चुनने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है। उस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बेरोनेस स्टीफानियां के आभूषणों की चोरी

542. **श्री कमल नाथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरोनेस स्टीफानियां ने बेशकीमती आभूषणों की चोरी के बारे में दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बेरोनेस से 25 लाख रुपये के शुल्क का भुगतान करने को कहा गया है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क), (ख), (ग) और (घ) स्टीफनिया वोन कोरेज ने 7 जनवरी, 1982 को 3.35 बजे दोपहर को निजामुद्दीन थाने को सूचित किया कि उसने होटल ओबराय इंटरकान्टीनेंटल में लगभग 1 बजे प्रातः लौटने पर अपने कुछ जेवरातों को, जिन्हें वह पहने हुए थी, होटल के लौकर में रखा था। जब वह शेष जेवरातों को जमा करने के लिए आयी तो उसने लौकर की वस्तुओं की जांच की और पाया कि 2 थैलियां (जो एक खाली थी और दूसरे में कान की हीरे की बलियां थीं) गुम हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के अन्तर्गत निजामुद्दीन थाने में 10-1-82 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 22 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। मामले कि जांच पड़ताल का कार्य 11-1-82 को अपराध शाखा को हस्तान्तरित किया गया। कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जांच जारी है।

सीमा शुल्क अधिकारियों ने 8-2-82 को उसे 25,96,000 रुपये का सीमा-शुल्क देने का निदेश दिया और उसने यह राशि नहीं दी।

दिल्ली पुलिस द्वारा गाड़ियों के लिए "चैसिसों" की खरीद

543. **श्री त्रिलोक चन्द्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष कुछ गाड़ियों के लिए कुछ चैसिस (इंजन) खरीदे हैं; और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है आज इस खरीअ पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या ये चैसिए पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से पुरानी दिल्ली (तीस हजारी) पुलिस लाईन तथा अन्य स्थानों पर पड़े हैं और उनके टायर तथा इंजन बेकार हो गए हैं और यदि ह, तो इस लापरवाही के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है; और

(ग) इन गाड़ियों की "बाडी" न बनाने के कारण क्या हैं, जिनको पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रयोग कर सकती थी ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली पुलिस ने वर्ष 1981 के दौरान 88,80,000 रुपये की कुल लागत से 76 चैसिस अर्थात् बसों के लिए 12, तेल वाहनों के लिए 11, पिक-अप के लिए 46 और चलते फिरते नियंत्रण कक्ष के लिए 1 चैसिस खरीदे।

(ख) तथा (ग) पूरे वर्ष के दौरान वस्तुतः दिल्ली पुलिस द्वारा वाहन प्राप्त किये गये थे। बाडियों के निर्माण के लिए दो निविदाएं जारी की गई थीं, एक मई में और दूसरी जुलाई में। निविदाएं जारी करने में अन्तर्ग्रस्त औपचारिकताएं अब पूरी की जा चुकी हैं और अधिकांश वाहनों की बाडियों के निर्माण के लिए आदेश दे दिये गये हैं। इस बात से इंकार किया जाता है कि टायर और इंजिन बेकार कर दिये गये हैं।

पुनः चालू किए गए रुग्ण एकक

544. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों की रुग्णता के कारण कितने श्रमिकों को अपने काम से वंचित होना पड़ा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने रुग्ण एककों को पुनः चालू किया गया है और कितने एककों को रुग्ण होने से बचाया गया है; और

(ग) शेष रुग्ण एककों को कब तक पुनः चालू किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित रुग्ण एककों के आंकड़ों में कार्यरत कामगारों की संख्या के आंकड़ों का निर्देश नहीं है ।

(ख) तथा (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित रुग्ण एककों के आंकड़ों के अनुसार, रुग्ण एककों की सूची में से वर्ष 1980 में 2750 एककों और 1981 की मार्च में समाप्त तिमाही में 1075 एककों के नाम निकाल दिए गए थे उनके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं । अन्य रुग्ण एककों के कब तक पुनरुज्जीवित होने की संभावना है इस विषय में कुछ कह पाना संभव नहीं है ।

मुहानों से यूरेनियम प्राप्ति की योजना

545. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा किये गये अध्ययन से देश की प्रमुख नदियों द्वारा समुद्र में प्रति वर्ष कई टन यूरेनियम छोड़े जाने का पता चला है ।

(ख) क्या यह सच है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रति 1000 टन पानी में एक ग्राम यूरेनियम की दर से प्रतिवर्ष लगभग 25 टन यूरेनियम समुद्र में छोड़ती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुहानों और समुद्री अवसादों से उनके छोड़े जाने वाले प्वाइंट पर यूरेनियम और रेडियो धर्मी तत्वों को प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनाई है; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा समुद्र विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा किये गये अनुसंधानों से यह पता चला है कि नर्मदा, ताप्ती जैसी बड़ी नदियों द्वारा समुद्र में यूरेनियम छोड़ा जाना असामान्य बात नहीं है तथा केवल सैद्धांतिक महत्व का विषय है। इन मुहानों में यूरेनियम और उसके आइसोटोपों की सांद्रता इतनी कम है कि प्रौद्योगिकी की वर्तमान अवस्था में उन्हें निकालना आर्थिक दृष्टि से किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है ।

अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान

546 **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के लागू होने से लेकर अब तक इसके अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को, वर्ष-वार और राज्यवार, अनुदान की कितनी-कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) प्रत्येक आदिवासी पर कितना प्रति व्यक्ति खर्च किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स कोलगेट-पालमोलिव की स्थापित क्षमता में वृद्धि

547. **श्री सुबोध सेन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मैसर्स कोलगेट-पालमोलिव बहुराष्ट्रीय कम्पनी की स्थापित क्षमता टूथपेस्ट उत्पादन में 1978-79 के 6982 टन से बढ़कर 1980 में 11000 टन हो गई, यह वृद्धि 57.5 प्रतिशत से अधिक की है और टूथ पाउडर का उत्पादन 1978-79 के 2025 टन से बढ़कर 1980 में 4500 टन हो गया और यह वृद्धि 122 प्रति से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या कथित फर्म ने इस सम्बन्ध में सरकार से आवश्यक मंजूरी ली थी;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी, तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) मै० कोलगेट पालमोलिव (इ०) लि०, बम्बई ने जो एक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से भिन्न कम्पनी है, वर्ष 1978 और 1979 की अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ टूथ पाउडर की 2025 मी० टन और टूथपेस्ट की 6982 मी० टन अधिष्ठापित क्षमता होने की जानकारी दी थी। अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी ने यह भी बताया है कि पुराने उपकरणों को बदल कर विद्यमान तकनीकी तथा अन्य संगत कारकों के आधार पर उपकरणों के पूर्ण उपयोग से टूथ पाउडर के लिए 4500 मी० टन० एवं टूथपेस्ट के लिए 11000 मी० टन अधिष्ठापित क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

उपर्युक्त आधार पर कम्पनी को "कारण बताओ" नोटिस जारी किया गया था कि उसके खिलाफ उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 13 (1) (घ) के उपबंधों का उल्लंघन करने पर क्यों न कार्रवाई की जाए। कम्पनी ने उत्तर दिया है कि उपर्युक्त उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

कम्पनी के दावों की जांच करने के लिए वास्तविक निरीक्षण करवाने का प्रस्ताव है।

उत्तर भारत में डाकुओं का सफाया

549. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर भारत के अन्य भागों में डाकुओं के बढ़ते हुए आतंक को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डाकुओं के गिरोहों तथा उनके अड्डों का सफाया करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों से सहयोग करके कोई समन्वित प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस दिशा में अब तक क्या सफलता मिली है; और

(ग) इस क्षेत्र में अब तक सक्रिय डाकु-गिरोहों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1981-1982 के दौरान अब तक उनमें से कितनों का सफाया किया जा चुका है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोटा परमाणु बिजलीघर का बन्द होना

549. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन**
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1981 से आज तक उन दिनों के माहवार आंकड़े क्या हैं जब कोटा स्थित परमाणु बिजलीघर की पहली और दूसरी यूनिटें बन्द रहीं;

(ख) क्या यह सच है कि पहली तथा दूसरी यूनिटों की स्थापना किए जाने के समय से ही उनकी ऐसी खराब स्थिति चली आ रही है;

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इन यूनिटों का ठीक ढंग से कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) क्या केंद्रीय सरकार इस बात को महसूस करती है कि उक्त बिजली घर के बन्द होने के फलस्वरूप राजस्थान में कृषि तथा उद्योगों को काफी बड़ा आघात पहुंचा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा समुद्र विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) अप्रैल, 1981 से 31-1-1982 तक की अवधि में राजस्थान

परमाणु विजलीघर के दोनों यूनिटों के बंद रहने के दिनों की महीनेवार संख्या नीचे दी जा रही है :—

महीना		बन्द रहने के दिनों की संख्या	
		बिजली का पहला यूनिट	बिजली का दूसरा यूनिट
अप्रैल	1981	9.76	7.87
मई	1981	7.92	5.85
जून	1981	18.08	12.44
जुलाई	1981	11.00	9.08
अगस्त	1981	19.07	2.29
सितम्बर	1981	11.00	4.18
अक्बतूर	1918	31.00	2.62
नवम्बर	1981	30.00	8.64
दिसम्बर	1981	31.00	1.65
जनवरी	1982	29.35	15.42

(ख) तथा (ग) बिजली के दोनों यूनिटों को समय-समय पर उपस्करों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाये गए हैं।

(घ) जी, हां।

भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति का उपयोग न किया जाना

550. श्री डी० एम० पुत्ते गौडा, श्री के० लकप्पा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति का उपयोग नहीं किया गया है, अथवा गलत उपयोग किया गया है,

(ख) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 69वें सत्र में इस दिशा में बहुत से कदमों की घोषणा की गई है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वैज्ञानिकों का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) देश में विज्ञान स्नातकों, के स्तर के इंजीनियरी में डिप्लोमाधारियों और उसके समकक्ष या इससे अधिक योग्यता वाले बेरोजगार विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्मिकों की संख्या लगभग 3 लाख है। कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों का गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख), (ग) और (घ) जी हां, प्रधान मन्त्री ने 3 जनवरी, 1982 को मैसूर में भारतीय विज्ञान के 69 वें अधिवेशन में घोषणा की थी कि मन्त्रिमण्डल की विज्ञान सलाहकार की समिति की सिफारिशों पर योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के बीच बेरोजगारी और गलत रोजगारी में सुधार के उपाय के रूप में सरकार ने एक त्रि-तरफा कार्यक्रम आरम्भ करने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के अधीन सरकारी, गैर-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सभी खाली पदों को भरने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। बेकार विज्ञान प्रौद्योगिकी जनशक्ति को निरुप्रयुक्त संस्थागत उधार सुविधाओं से सम्बन्धित करने के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रोद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड की स्थापना की गई है और देश में विभिन्न भागों में राष्ट्रीय संसाधनों के अन्वेषणा कार्य को हाथ में लेने के लिए सर्वेक्षण संगठनों के कन्सार्शियम की परिकल्पना की गई है। इन कदमों से देश में योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है।

राजधानी में दिन दहाड़े डकैतियां

551. **श्री के० लकप्पा : क्या गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राजधानी में दिन दहाड़े कोई डकेतियां पड़ीं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अपराध मे कुछ युवा लोग शामिल हैं; और

(घ) सरकार ने इस प्रकार की डकेतियों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) पिछले छः महीनों के दौरान अर्थात 1-8-1981 से 31-1 1982 के दौरान 25 ऐसे मामले सूचित किए गए हैं।

(ग) इन मामलों में गिरफ्तार किए गये 35 व्यक्तियों में से 21 व्यक्ति 25 वर्ष की आयु से कम के हैं।

(घ) इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

(i) पुलिस सतर्कता में वृद्धि।

(ii) वाकी-टाकी सैटों के साथ वायरलेस युक्त मोटर-साईकिल की गस्त सहित सशस्त्र गस्त और पैदल और चलती-फिरती गहन गश्त।

(iii) बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई।

(iv) आसूचना में वृद्धि करके डाकुओं, लुटेरों और अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिये जिलों के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान चलाना।

(v) अपराध करने में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिये वाहनों की आकस्मिक जांच करना।

(vi) ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी करना।

(vii) पुलिस गश्ती टुकड़ियों के समन्वय से स्थानीय निवासियों और निजी चौकीदारों द्वारा "टिकरी पहरा" और गश्त का आयोजन।

(viii) रिहा किए गए अपराधियों पर विशेष निगरानी।

(ix) सामरिक महत्त्व के स्थानों पर टुकड़ियों की तैनाती।

(x) चुने हुए और सामाजिक महत्त्व के स्थानों पर अवरोधक रखना।

(xi) निष्कासन प्रक्रिया का स्तर बढ़ाना।

(xii) आस-पास के अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तर जिला बैठकें करना।

बंधुआ मजदूर

552. श्री सत्य गोपाल मिश्र
श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री सुधीर कुमार गिरि
: क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंधुआ मजदूरों की संख्या के सम्बन्ध में राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाक हैं और इस प्रकार के श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) दस राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उ र प्रदेश से बंधुआ श्रम पद्धति की विद्यमानता के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। एक विवरण संलग्न है (विवरण-एक), जिसमें 31-12-81 की स्थिति के अनुसार पता लगाये गये, मुक्त कराये गये और पुनर्वासित किये गये बंधुआ श्रमिकों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या दिखाई गई है।

(ग) राज्यों सरकारों द्वारा अधिनियम को कार्यान्वित किया जाता है। राज्यों के प्रयासों को पूरा करने और मुक्त कराये गये बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से 1978-79 में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजना शुरू की गई थी जिसके अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्यों को 50 : 50 के आधार पर बराबर-बराबर की सहायता दी जाती है। एक विवरण संलग्न है (विवरण-दो), जिसमें इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई धन-राशियां दर्शाई गई हैं।

विवरण-एक

बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना

(31-12-1981)

1	राज्य	पता लगाए गए और मुक्त कराए गए	अन्य चालू योजनाओं के अधीन	केंद्र द्वारा संचालित योजना के अधीन अब तक पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या 1978-79 के दौरान	1979-80 के दौरान	1980-81 के दौरान	1981-82 के दौरान	इनके अन्तर्गत आने वालों की कुल संख्या	पुनर्वासित किए जाने वालों की शेष संख्या जिसमें 1981 के दौरान पता लगाए गए नए बंधुआ श्रमिक शामिल हैं।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	13399	2880	2920	1586	2268	913	10567	2832
2.	बिहार	4958	952	816	369	1876	361	4374	584
3.	गुजरात	42	42	—	—	—	—	42	—
4.	कर्नाटक	62699	39560	527	1521	13436	61	55505	7194
5.	केरल	1162	138	110	60	—	—	308	854
6.	मध्य प्रदेश	1531	—	58	—	—	77	135	1396
7.	उड़ीसा	7096	—	321	16	517	4338	5792	1304
8.	राजस्थान	6036	4256	700	700	314	—	6000	36
9.	तमिलनाडु	27874	27311	—	—	359	—	27670	204
10.	उत्तर प्रदेश	8733	1368	495	2606	500	3664	8633	120
	कुल	133550	76907	5947	6858	19300	10014	119026	14524

विवरण-दो

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना—31-12-1981 तक राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता संबंधी स्थिति

राज्य	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (रुपये लाखों में)										
	1978-79			1979-80			1980-81			1981-82	
	राज्य सरकार को दी गई	राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई	पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या	राज्य सरकार को दी गई	राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई	उन बंधुआ श्रमिकों की संख्या जिनके पुनर्वासित होने की आशा है	राज्य सरकार को दी गई	राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई	पुनर्वास के लिए इसके अन्तर्गत आने वाले बंधुआ श्रमिकों की संख्या	पुनर्वास के लिए इसके अन्तर्गत आने वाले बंधुआ श्रमिकों की संख्या	राज्य सरकारों को दी गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	20.00	18.01	2,920	17.73	17.13	1,586	19.17	13,24,000	268	913	7,92,175
बिहार	14.28	11.29	816	6.62	1.93	369	22.34	—	1876	361	3,61,000
कर्नाटक	10.28	9.77	52	7.14	4.37	1,521	125.15	82,250	13436	61	71,000
केरल	1.65	1.65	110	0.60	—	60	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	17.00	1.21	58	—	—	—	—	—	—	77	65,000
उड़ीसा	5.11	3 67	321	1.00	4.74	16	10.22	—	517	4938	49,33,000
राजस्थान	14.00	14.00	700	10.53	—	700	10.35	—	344	—	—
तमिलनाडु	5.32	—	—	—	—	—	1.70	—	359	—	—
उत्तर प्रदेश	10.00	10.00	-95	10.00	10.00	2,606	10.00	—	500	3664	18,22,000
कुल	97.64	69.60	5,947	63.62	38.77	6,858	198.93	14,06,250	19300	10014	80,44,175

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधारभूत संयंत्र की स्थापना

553. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विदिशा जिले को भारत सरकार के आधारभूत संयंत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए निम्नलिखित जिलों का प्रस्ताव भेजा है : सीधी, झबुआ, शाजापुर, भिण्ड, राजगढ़, माण्डया, छतरपुर, सरगुजा, बस्तर, रींवा, सोगर, मुरैना, गुना, धार, बिलासपुर और विदिशा।

उपरलिखित जिलों में से सीधी, झबुआ, भिण्ड और छतरपुर जिलों का केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम आरम्भ करने का पता लगाया गया है। सीधी और झबुआ जिलों के लिए सहायक और लघु उद्योगों के अधिकतम विकास से सम्बन्धित सभी परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक कृतिक बल की स्थापना पहले ही की जा चुकी है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं।

कृतिक बल अभी कार्य कर रहा है। भिंड और छतरपुर के लिए मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से शीघ्र ही कृतिक बल बनाने की आशा है।

कमजोर वर्गों के मारे गए लोग

554. **श्री चित्त महाटा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1980 से लेकर अब तक किन स्थानों पर हरिजनों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के लोग मारे गए अथवा उनकी हत्या की गई;

(ख) इन स्थानों का दौरा किन-किन केन्द्रीय मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों ने किया और उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) हरिजनों, अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की जीवन-रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विनोद और विमल मिल्स, उज्जैन का बन्द होना

55५. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अस्थायी तथा स्थायी श्रमिकों की अलग-अलग संख्या क्या है, जिन पर विनोद और विमल मिल्स, उज्जैन, मध्य प्रदेश के बन्द होने का प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि इन दोनों ही मिलों के प्रबन्धकों ने मिलों को चलाने के लिये कर्मचारियों की भविष्य निधि की जमा राशि का उपयोग किया है, और यदि हां, तो इस प्रकार कितने धन का उपयोग किया गया और क्या भविष्य निधि खाते से इस प्रकार धन निकाला जाना वैध है और यदि नहीं, तो इस अनियमितता पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन दोनों मिलों पर कर्मचारियों एवं श्रमिकों के ले आफ वेतन की कितनी राशि बकाया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है। इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रबंधतंत्र ने अपक्व प्रतिभूतियों को भुनाया और मिलों के खर्चों को पूरा करने के लिए 41,6 ,000 रुपयों का उपयोग किया। सभी संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गये है कि भविष्य निधि के अपक्व प्रतिभूतियों को भुनाने के लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों न की जाए।

स्कूटर्स इंडिया लि० द्वारा नए स्कूटरों का निर्माण

556. **श्री अशोक गहलोत :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटर्स इण्डिया लि० लखनऊ को नई तकनीक पर आधारित नए स्कूटरों के निर्माण की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम क्वालिटी के स्कूटरों के साथ स्पर्धा करने के उक्त स्कूटरों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्कूटर का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मे० स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ का विचार 100 सी० सी० इंजन क्षमता तथा विजय सुपर के वर्तमान माडल से बेहतर ईंधन क्षमता प्रदान करने वाले एक नये माडल का स्कूटर आरम्भ करने का है। इस स्कूटर का वाणिज्यिक निर्माण तथा विपणन वर्ष 1982-83 में आरम्भ हो जाने की आशा है।

रूपनारायण के केवल अनुसंधान तथा विकास संस्थान का अन्यत्र ले जाया जाना

557. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने रूपनारायण में केवल अनुसंधान तथा विकास संस्थान स्थापित करने के लिये 100 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके बावजूद इसके स्थान को रूपनारायण से पश्चिम बंगाल के बाहर कहीं अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को श्रमिकों/यूनियनों से इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो केवल अनुसंधान तथा विकास संस्थान के स्थान को रूपनारायणपुर से देश के किसी अन्यत्र स्थान में न बदलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) रूपनारायणपुर में अनुसंधान और विकास संस्थान स्थापित करने के लिए कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) सरकार ने हैदराबाद में मुख्य विकास और अनुसंधान एकक स्थापित करने का निश्चय किया है अत: किसी अन्य राज्य स्थापना स्थल के परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विदेशी सहयोग

558. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेषकर इलेक्ट्रानिक्स में, के विकास के लिए विकसित देशों तथा कोरिया और ताइवान जैसे देशों के साथ सहयोग करने में सरकार की क्या नीति है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस बात को ध्यान में रखकर किये जाते हैं कि इस प्रकार के सहयोगों से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और उनके विकास के लिए इसके अनुप्रयोगों के संबंध में राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा मिले। सहयोग मुख्यत: उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें संबंधित देशों ने सर्वोत्कृष्ट स्तर प्राप्त कर लिया हो तथा जो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हों। इसका चयन हमारी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर किया जाता है।

दक्षिणी कोरिया के साथ इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में कोई विशेष या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई सामान्य सहयोग नहीं किया गया है। तथापि, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास

संगठन ने इलेक्ट्रानिकी विभाग के सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम को उत्तरी कोरिया में एक सेमी-कंडक्टर प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने का ठेका दिया है। जहां तक ताइवान का सम्बंध है, सरकार ने हाल ही में दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र की एक कम्पनी और ताइवान की एक कम्पनी के बीच एक विदेशी तकनीकी सहयोग को अनुमोदन प्रदान किया है।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए दिल्ली पुलिस बल को पुनः सशक्त बनाना

559. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण के लिए दिल्ली पुलिस बल को पुनः सशक्त बनाने के लिए नए पुलिस आयुक्त ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) 1980 के शुरू से सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपायों के कारण दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। इन उपायों में छः नये थाने और 12 पुलिस चौकियां खोलना 2600 और चौकियों का बनाना, 60 पुराने वाहनों को बदलना और 200 नए वाहन खरीदना शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की संचालनात्मक दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि में उनको अधिक मोटर साइकिलें वाहन और परिष्कृत बेतार, टेलीफोन संचार उपकरण देने का प्रस्ताव है।

पुलिस आयुक्त ने उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुछ थानों में प्रयोगात्मक उपाय के रूप में जांच पड़ताल कर्मचारियों को विधि और व्यवस्था कर्मचारियों से पृथक् कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों में नामसूद्र जाति को शामिल करना

560. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आई नामसूद्र जाति को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के मामले पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां श्रीमान। पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आई नामसूद्र जाति को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव, अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन

के संदर्भ में उनकी टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार और भारत के महापंजीयक को भेजा गया है।

(ख) राज्य सरकार की टिप्पणी की अभी प्रतीक्षा है।

"वंभ्फावलाज पूअर लूज टु रिच" शीर्षक से समाचार

561. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1982 के इंडियन एक्सप्रैस में "वंभ्फावलाज पूअर लूज टु रिच" शीर्षक उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया था :

(एक) ग्राम प्रधान द्वारा हरिजन और भूमिहीन परिवारों को कानूनी रूप से आवंटित भूमि से वंचित किया जाना।

(दो) गरीबों के लिए बने प्लाटों का समृद्ध लोगों द्वारा अधिग्रहण किया जाना और आठ प्लाटों आदि को मिलाकर एक अकेले मकान की नींव खोदा जाना;

(तीन) बिना सफलता प्राप्त किये प्राधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाना;

(चार) गृह प्लाटों के मामले में घोटाला करने, गांव सभा की कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने, गांव भूमि को ईंट के भट्टों के लिए बाजार भाव से कम मूल्य पर पट्टे पर देकर लाभ कमाने, हत्या के प्रयास में शामिल होने, आदि के आरोप प्रधान पर लगाया जाना;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है और उसका ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार शिकायतों के बाद विस्तृत जांच की गई और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात 27. 1. 1982 को गांव सभा और पंचायत को हटा दिया गया था। प्रधान, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही की गई थी, से अधिकांश पंचायत रिकार्ड जब्त कर लिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अब उपाय किए जा रहे हैं कि आवंटियों को उनको देय प्लाटों का कब्जा दिया जाय और बिना वैध स्थिति वाले उन आवंटियों से प्लाट खाली करा लिये जायें जिन्होंने प्रधान से सांठगांठ करके अपने पक्ष में प्लाटों के आवंटन कार्ड जारी करा लिए हैं।

जहां तक गांव की भूमि को ईंट के भट्टों के लिए पट्टे पर दिए जाने का प्रश्न है वह निर्धारित प्रक्रिया के पालन के बाद किया गया था।

विवाहित युवतियों की मृत्यु के बारे में राज्यों को अनुदेश

562. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राज्य सरकारों को ऐसी विवाहित युवतियों की मृत्यु के बारे में विशेष अनुदेश दिए हैं जो अपने विवाह के पांच वर्षों में संदेहास्पद घटनाओं में मर जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो ये अनुदेश क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में 1981 के दौरान भिन्न-भिन्न थानों में ऐसी कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार को ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए महिलाओं के संगठनों से हाल ही में कोई ज्ञापन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) इस विषय पर 22 जुलाई, 1980 को राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3383/82]

(ग) 1981 के दौरान विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गयी शिकायतों के विषय में अखिल भारतीय स्तर पर राज्यवार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है। अपराधों से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघशासित क्षेत्र जिम्मेवार हैं।

(घ) और (ङ) इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और प्राप्त होते ही उचित कार्रवाही की जाती है।

श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में विचाराधीन मामले

563. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में राज्यवार कुल कितने मामले विचाराधीन हैं और उनका ब्योरा क्या है ?

(ख) इनमें से कितने मामले राज्यवार और उपक्रमवार सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध हैं तथा उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन

आठ केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय हैं और सारा भारत उनके क्षेत्राधिकार में हैं। अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण संलग्न है।

(ग) मामलों की स्थिति की प्रत्येक माह में पुनरीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यकता समझी जाती है, मामले को संबंधित पीठासीन अधिकारियों के साथ उठाया जाता है। केन्द्रीय औद्योगिक विवाद नियमों में संशोधन के सुझाव देने के लिए सरकार ने तीन-सदस्यीय समिति नियुक्त की है, ताकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन निर्देशों और आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान किया जा सके और न्यायालय स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

विवरण

3!-'-1982 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालयों के पास लंबित मामलों की कुल संख्या (राज्यवार) और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऐसे मामलों की कुल संख्या (राज्यवार और उपक्रमवार)।

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों की कुल संख्या	कालम 4 के अधीन मामलों का ब्यौरा				
				पतन और गोदियां	बैंक तथा बीमा	कोयला	गैर कोयला	अन्य जैसे एफ० सी० आई० आयोग/एयर इण्डिया आदि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	17	17	—	2	2	11	2
2.	बिहार	220	191	—	9	174	8	—
3.	गुजरात	8	4	2	1	—	—	1
4.	हरियाणा	3	5	—	—	—	—	5
5.	हिमाचल प्रदेश	26	26	—	2	—	—	24
6.	जम्मू और कश्मीर	5	5	5	—	—	—	5
7.	कर्नाटक	1	1	—	1	—	—	—
8.	केरल	3	2	—	—	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	मध्य प्रदेश	74	67	—	18	36	11	2
10.	महाराष्ट्र	128	89	11	47	14	2	15
11.	मेघालय	1	1	—	—	—	—	1
12.	उड़ीसा	6	4	—	—	—	2	2
13.	पंजाब	12	10	—	10	—	—	—
14.	राजस्थान	18	13	—	7	—	5	1
15.	तमिलनाडु	1	—	—	—	—	—	—
16.	उत्तर प्रदेश	124	103	—	92	—	—	11
17.	पश्चिम बंगाल	263	223	37	37	148	—	6
18.	गोवा, दमन और दीव	33	2	2	—	—	—	—
19.	चंडीगढ़	57	57	—	34	—	—	23
20.	दिल्ली	129	96	—	79	—	—	17
		1132+	921	52	339	374	39	117

+ इसमें सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रम से संबंधित मामले शामिल हैं, परन्तु इनमें वे 7 मामले शामिल नहीं हैं, जो राष्ट्रीय अधिकरणों के पास लंबित पड़े हैं, जिनमें से 3 मामले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित है।

—इसमें विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं।

भारत में उद्योगों की स्थापना

564 **श्री अजय बिश्वास :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संख्या की रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा में मिट्टी और चूना पत्थर का भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ये कच्चे माल मिलने पर नए उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या, और

(ङ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर सफेद और भूरी कास्टिक मिट्टी के छोटे भंडार हैं। इस मिट्टी के कुल 0.12 मि० टन भंडार होने का अनुमान है। इसके अलावा, संघ शासित क्षेत्र में जम्पुई और साखेन रेंजों में भी लैन्साइड चूना पत्थर की पट्टियों का पता चला है।

(ग), (घ) और (ङ) छठी योजना में त्रिपुरा में 12 टन दैनिक क्षमता वाले लाइम-क्ले-पोजोलाना संयंत्र को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। संयंत्र के लिए कच्चे माल के नमूनाकरण और परीक्षण का काम चल रहा है।

मन्त्रियों के विशेष सहायकों के पदों का समाप्त किया जाना

565. **श्री धर्मवीर सिंह :**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री चन्द्र भान आठरे पाटिल } क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों के विशेष सहायकों के पद समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) पदनाम के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) इस पद से सम्बद्ध कार्यों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, विशेष सहायक के पदनाम को बदलकर निजी सचिव कर दिया गया है।

कालाहांडी, उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

566. **श्री रासबिहारी बहेरा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए कोई विशेष रुचि ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े कालाहांडी जिले को औद्योगिक विकास हेतु कोई प्राथमिकता दी गई है और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) छठी योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों के एक अंग के रूप में अर्थात् क्षेत्रीय विकास में असमानताओं को कम करने के लिए सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम चालू किए हैं। केन्द्रस्थ संयंत्र धारणा में चुने हुए स्थानों में एकीकृत औद्योगिक काम्पलेक्सों का संवर्धन अभीष्ट है। एक केन्द्रस्थ संयंत्र की स्थापना अपनी परिधि में आने वाले सहायक एककों के उत्पादों को एसेम्बिल करने या बहुत से निकटस्थ लघु एककों की आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करने और इस प्रकार के एककों की प्रोयोगिकी, प्रशिक्षण एवं विपणन की आवश्यकताओं को देखने जिससे कि विनियोग पर ध्यान केन्द्रित करेगी और रोजगार का विस्तृत जाल का उदय हों इस प्रकार कार्यक्रम का उद्देश्य उचित समय में उद्योगों के अधिकाधिक छितराव में सहायता देना, उद्यमिताओं को बढ़ाना और साथ ही स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार जुटाना भी है।

(ग) और (घ) केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गये कालाहांडी जिले में सहायक और लघु उद्योगों के अधिकतम विकास से सम्बन्धित संभाव्यता वाली सभी परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक कृतिक बल की स्थापना की गई है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारी सम्मिलित हैं।

कृतिक बल वर्तमान में कार्यरत है।

देश में रोलिंग बारों और राडों के लिए क्षमता का विस्तार

568. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको देश में रोलिंग बारों और राडों की क्षमता का विस्तार करने के प्रश्न के बारे में स्टील रोलिंग मिल्स एसोसिएशन आफ इंडिया से 30 दिसम्बर, 1981 को कोई अभ्यावेदन मिला था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अगस्त, 1981 में इस्पात, और खान मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति को आश्वासन दिया था कि देश में रोलिंग बारों और राडों की क्षमता नहीं बढ़ाई जायेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार इस नीति को बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) एसोसिएशन ने टिस्को द्वारा तार छड़ बनाने की एक मिल लगाने के कथित प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। उनका कहना है कि इससे वर्तमान पुनर्बेलन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग), (घ) और (ङ) सरकार की यह नीति है कि अतिरिक्त क्षमता के लिए स्वीकृति देते समय वर्तमान उत्पादन क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है। निर्णय लेने से पहले टिस्को के प्रस्ताव की भी सभी पहलुओं से जांच की जायेगी।

सेलम इस्पात संयंत्र के लिये भूमि

569. **श्री के० अर्जुनन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात संयंत्र के लिए कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई है;

(ख) कितने एकड़ भूमि का वास्तव में उपयोग हो रहा है और कितने एकड़ भूमि कंजामलाई से अयस्क का खपत करने के लिए मूल कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रत्याशा में अनुपयुक्त रखी गई है;

(ग) कंजामलाई पहाड़ियों से अयस्क निकालने के इस मूल कार्यक्रम को कब तक निष्पादित किया जायेगा;

(घ) इसके क्रियान्वयन में क्या बाधाएं हैं; और

(ङ) सरकार इन बाधाओं को कैसे दूर करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) (क) : से (ङ) सेलम इस्पात कारखाने के लिए कुल 3961 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। इसमें से इस्पात कारखाने की सड़कों में से लगभग 53 एकड़ भूमि तमिलनाडु हाईवेज को अन्तरित करने पर सहमति हो गई है। कंजामलाई के लौह-अयस्क को निकालने के लिए भूमि अर्जित नहीं की गई है।

सेलम इस्पात कारखाने के लिए 1974 में तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में यह परिकल्पना की गई थी कि लौह अयस्क का इस्तेमाल परियोजना के दूसरे चरण में लोहा और इस्पात बनाने में किया जायेगा और इस प्रश्न पर वर्तमान उत्पादन के स्थिर हो जाने और इसकी अर्थ-क्षमता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है। यह इस कारखाने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर भी निर्भर करेगा।

राज्यवार रुग्ण एकक

570. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गत वर्ष बड़े और छोटे, पृथक्-पृथक्, कितने रुग्ण उद्योगों को दर्ज किया गया है;

(ख) सरकार ने प्रत्येक राज्य में कितने मामलों में उनके ठीक होने और सक्षमता की संभावनाओं की जांच की है;

(ग) सरकार ने प्रत्येक राज्य में कितने मामलों में उन रुग्ण एककों की सहायता की; और

(घ) सरकार उन एककों का अगले वित्तीय वर्ष में कितने मामलों में पुनर्वास करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अपने द्वारा अपनाई हुई रुग्ण एककों की परिभाषा के अनुसार आंकड़े इकट्ठे करता है। रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास अधुनातम आंकड़े लघु उद्योगों के बारे में 31 दिसम्बर, 1979 तक के और बड़े उद्योगों के बारे में अर्थात् जिन्हें 1 करोड़ या उससे अधिक के ऋण की सुविधाएं प्राप्त हैं। 31 दिसम्बर, 1980 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया मझौले रुग्ण एककों के आंकड़े इकट्ठे नहीं करता है।

राज्य	रुग्ण लघु उद्योग एकक 31. 12. 1979	रुग्ण बड़े उद्योग एकक 31. 12. 1980
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1,323	15
असम	1,045	2
बिहार	802	12
गुजरात	856	39
हरियाणा	225	5
कर्नाटक	1,039	20
केरल	653	13
महाराष्ट्र	2,763	85
मध्य प्रदेश	525	19
उड़ीसा	772	4
पंजाब	403	1
राजस्थान	323	4
तमिलनाडु	955	31
उत्तर प्रदेश	1,152	49
पश्चिमी बंगाल	6,948	102

1	2	3
दिल्ली	530	2
पांडिचेरी	3	2
गोवा	75	4
हिमाचल प्रदेश	51	—
जम्मू और कश्मीर	71	—
मणिपुर	186	—
नागालैंड	3	—
मेघालय	25	—
त्रिपुरा	70	—
चंडीगढ़	43	—
योग :	20,841	409

(ख) दिसम्बर, 1980 के अंत में पता लगाए गये 409 बड़े रुग्ण एककों को वित्तीयन करने वाले बैंकों ने 318 को जीव्यक्षम माना है। इन एककों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	जीव्यक्षम एकक
आन्ध्र प्रदेश	12
असम	1
बिहार	6
गुजरात	32
हरियाणा	3
कर्नाटक	15
केरल	12
महाराष्ट्र	69

1	2
मध्य प्रदेश	10
ऊड़ीसा	4
राजस्थान	4
तमिलनाडु	24
उत्तर प्रदेश	37
पश्चिमी बंगाल	82
दिल्ली	2
पांडिचेरी	2
गोवा	2
पंजाब	1
योग :	318

31 दिसम्बर, 1980 के अंत में लघु उद्योग रुग्ण एकक 23,149 थे, उनमें से बैंकों ने 5075 एककों को जीव्यक्षम समझा है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) रूग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी सरकारी नीति के अनुसार बैंकों और वित्तीयन करने वाले संस्थानों का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए और उसके उपचार के लिए अभ्युपाय करें। दिसम्बर 9 0 के अंत में 24550 रूग्ण एकक थे, उनमें से 2650 एककों को वित्तीयनकारी बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया। उनके राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

किसी क्षेत्र को "अनुसूचित जनजाति क्षेत्र" अथवा किसी जाति को "अनुसूचित जाति" घोषित करने का मानदंड

571. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष क्षेत्र को "अनुसूचित जनजाति क्षेत्र" और किसी विशेष जाति को "अनुसूचित जाति" घोषित करने का मानदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या-क्या हैं तथा उनकी इस प्रकार घोषणा करने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) देश के प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से क्षेत्र "अनुसूचित जनजाति क्षेत्र" के रूप में घोषित किये गये हैं और किन-किन जातियों को "अनुसूचित जाति" के रूप में घोषित किया गया है; और

(ग) सरकारी सेवाओं में भर्ती तथा सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितनी अवधि तक आरक्षण/छूट दी जाती रहेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबन्धों के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को घोषित करने में अपनाए गए मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

अनुसूचित जाति

पारम्परिक छुआछूत की प्रथा से उत्पन्न होने वाली अत्यधिक सामाजिक, प्रशिक्षिणिक और आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजाति :

आदिवासी विशेषताएं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथकता, अधिकांशत: समुदाय के साथ सम्पर्कता में झिझक और पिछड़ेपन के चिह्न। किसी विशिष्ट क्षेत्र को "जनजाति क्षेत्र" घोषित नहीं किया जाता है। तथापि संविधान के अनुच्छेद 244 और पांचवी अनुसूची में निहित उपबंधों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये जाते हैं।

(ख) अभी तक जारी किए गए राष्ट्रपति के 15 आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए समुदायों की सूची, राज्य-वार चुनाव-कानून मेनुअल, 9वें प्रकाशन में दी गई है।

(ग) इन्हें समय-समय पर संशोधित संविधान के विभिन्न उपबंधों, विशेष रूप से अनुच्छेद 16 (4), 46,275, 335, 330 और 331 के तहत नियमित किया जाता है।

चमड़ा उद्योग को बुनियादी सुविधाएं

572. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़े के परिष्कृत सामान के उद्योग में वर्ष 1980 और 1981 के दौरान बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ख) चमड़े के सामान का उपयोग करने वाले देशों के बाजार आसूचना और बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गये प्रयासों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) 1. चमड़ा वस्तु उद्योग को बड़ी मात्रा में तैयार चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के एककों के बारे में 90 प्रतिशत तथा राज्य क्षेत्र के एककों के मामले में 60 प्रतिशत निर्यात दायित्व में से जुलाई, 1981 से चमड़ा तैयार करने वाले एककों पर निर्यात दायित्व को उनके उत्पादन का 40 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।

2. निर्यात योग्य पर्याप्त क्षमता का निर्माण करने की दृष्टि से संयुक्त क्षेत्र में चमड़े के जूतों तथा चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की नीति उदार कर दी गई है।

3. मशीनों, रासायनों तथा सहायक सामान का आयात करने हेतु उदारता से अनुमति दी गई है।

4. नमूनों के नए आकारों का विकास करने के लिए डिजाइन और असुसंधान प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है।

5. चमड़े की बढ़िया वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लघु एककों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

6. लघु एककों को उनके उत्पादों की बिक्री करने में विपणन सहायता दी जाती है।

(ख) 1. प्रायोजित बिक्री एवं अध्ययन दौरों द्वारा तथा चमड़ा मेलों, नुमाइशों में भाग लेकर विदेशों में विक्रेताओं के साथ बराबर सम्पर्क रखना।

2. बाजार की शर्तों पर प्रतिसंभरण करने के लिए विदेशों में प्रमुख स्थानों पर चमड़ा विशेषज्ञ तैनात कर दिये गये हैं।

3. ब्रुसेल्स में स्थापित भारतीय व्यापार केन्द्र सम्बद्ध निर्यात संवर्धन संगठनों के माध्यम से डिजाइनों और फैशन के बारे में नियमित रूप से जानकारी प्रदान करता है।

एम० आर० टी० पी० कम्पनियों का उत्पादन बढ़ाने की छूट

573. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को बिना किसी सीमा के उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कंपनियों को 5 लाख रुपये तक के मूल्य के पुर्जों और फालतू-पुर्जों के अतिरिक्त पूंजीगत उपकरण का आयात करने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) वर्ष 1982 को "उत्पादिता वर्ष" के रूप में घोषित कर दिये जाने के अनुसरण में औद्योगिक उपक्रमों के के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कुछ प्रस्ताव बनाए गए हैं ।

अत्तापड़ी आदिवासी खंड, केरल में आदिवासी परिवार

574. **श्री सूरज भान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालघाट (केरल) जिले के अत्तापड़ी आदिवासी खण्ड के कितने आदिवासी परिवार रह रहे हैं और वहां आदिवासियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) जब से उक्त खण्ड बनाया गया है तब से लेकर अब तक उक्त खण्ड पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) इस खण्ड में अब तक कितने आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी भूमि से वंचित कर दिया गया है;

(घ) क्या उस क्षेत्र के समाचार पत्रों में आये विस्तृत समाचारों के अनुसार दिसम्बर, 1981 में इस खण्ड के पांच आदिवासी भुखमरी के कारण मर गये थे; और

(ङ) क्या उक्त खण्ड के आदिवासी थोड़े समय से किसी अज्ञात रोग से पीड़ित हैं, यदि हां, तो इस रोग का क्या प्रभाव है और आदिवासियों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अत्तापड़ी एकीकृत जन-विकास परियोजना की जनजातीय जनसंख्या 18,600 है जिसमें 3943 जनजातीय परिवार हैं।

(ख) 1962 से 1981 तक के खण्ड में जनजातीय विकास कार्यक्रम पर किया गया व्यय 392.42 लाख रुपये हैं ।

(ग) विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(घ) भुखमरी के कारण हुई किसी मौत का कोई मामला नहीं हुआ था।

(ङ) गत नवम्बर, दिसम्बर के दौरान 200 जनजातीय व्यक्तियों को खुराक की कमी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के निम्न स्तर के संक्रामण की सूचना प्राप्त हुई थी। उस क्षेत्र में तुरन्त डाक्टरों के दल गये थे और सात कैम्प लगाए गए थे, सभी मरीजों का इलाज किया गया था और गम्भीर रोगियों को अस्पताल भेजा गया था । इस बीमारी के कारण दो वयस्कों और तीन बच्चों की मृत्यु हुई थी। प्रभावित परिवारों के लिए छः सप्ताह के मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी और दवाइयों पर 70,000 रु० व्यय किए गए थे ।

नर्मदा परियोजना के लिए सीमेंट का विशेष कोटा

575. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने नर्मदा परियोजना के लिए सीमेंट का विशेष कोटा देने तथा विदेशी मुद्रा के बदले सीमेंट के आबंटन की नीति में परिवर्तन करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुजरात सरकार ने शिकायत की है कि सीमेंट के आबंटन में गुजरात के साथ अन्याय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उद्योग मंत्रालय में नर्मदा परियोजना के लिए सीमेंट का अतिरिक्त आबंटन करने हेतु कोई भी अनुरोध नहीं मिला है। तथापि विदेशी मुद्रा में सीमेंट का प्राथमिकता के आधार पर आबंटन करने की योजना में ढील दिये जाने का एक अनुरोध मिला था।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने राज्य के लिए सीमेंट का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए कहा था। देश में सीमेंट की सामान्य कमी के कारण राज्य की सम्पूर्ण मांग को पूरा कर सकना संभव नहीं हो सका है। तथापि, अक्तूबर 1981 से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के दौरान सीमेंट की संभावित अधिक उपलब्धि को देखते हुए गुजरात राज्य को तदर्थ आधार पर 33,000 मी० टन अतिरिक्त आबंटन कर दिया गया था। 1982 से यह अतिरिक्त तदर्थ आबंटन बनाये रखा गया है।

नैनी में उद्योगों की स्थापना करना

577. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में नैनी के निकट शंकरगढ़ में सिलिका और बाक्साइट प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं; और

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नैनी में कोई उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां किसानों से अधिगृहीत भूमि का बड़ा क्षेत्र अभी तक खाली पड़ा हुआ है; यदि हां, तो कब तक और उसमें कितनी राशि का पूंजीनिवेश करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) इलाहाबाद जिले में शंकरगढ़ के समीप सिलिका बालू के निक्षेप नहीं है इस क्षेत्र में बाक्साइड का कोई भी निक्षेप नहीं है। राज्य सरकार का जो मुख्यत: राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का विकास करने से सम्बन्धित हैं, इस समय इन खनिज पदार्थों पर आधारित किसी भी उद्योग की स्थापना करने का

प्रस्ताव नहीं है। तथापि क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन तथा सुविधाएं जैसे (i) किराया-खरीद ऋण (ii) ब्याज राजसहायता (iii) विपणन सहायता आदि देने हेतु नैनी स्थित औद्योगिक बस्ती का विकास करने जैसे अनेक अभ्युपाय किए गए हैं। इलाहाबाद स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान भी क्षेत्र के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तकनीकी, प्रबंधकीय तथा आर्थिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, नैनी स्थित सरकारी क्षेत्रों के वर्तमान उपक्रमों का विस्तार करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित परिव्यय रखे गये हैं :—

(i) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० =5 करोड़ रुपये

(ii) आई० टी० आई० =12.27 करोड़ रुपये

(iii) भारत पम्पस एण्ड काम्प्रेशर्स =10.37 करोड़ रुपये

राउरकेला इस्पात संयन्त्र का पिण्ड इस्पात उत्पादन और खरीदी गई वस्तु-सूचियों का मूल्य

578. **श्री रुद्र प्रताप षांडगी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-77 से राउरकेला इस्पात संयंत्र का पिण्ड इस्पात उत्पादन कितना है और खरीदी गई वस्तु सूचियों का मूल्य क्या है;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र के फालतू सामान की बिक्री के जरिए कितनी राशि वसूल हुई और आयातित सामान की बिक्री से कितनी राशि वसूल हुई थी;

(ग) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों ने अपने मांग पत्रों पर कार्यवाही करने का निर्णय किया है और इस बात की उपेक्षा की है कि इनके लिए बजट का आवंटन है अथवा नहीं है; और

(घ) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक मांग-पत्रों पर मोहर लगाने आबंटित किये गए बजट और उपयोग किये गये बजट की पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं; यदि हां, तो क्या इस पद्धति को बन्द कर दिया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) वर्ष 1976-77 से 1981-82 (अप्रैल, 81 से जनवरी, 82 तक) की अवधि में राउरकेला इस्पात कारखाने में इस्पात पिंड का उत्पादन नीचे दिया गया है :

	(हजार टन)
1976-77	1503
1977-78	1409
1978-79	1319

		(हजार टन)
1979-80		1268
1908-81		1070
1981-82		992 (अप्रैल, 81 से जनवरी 82 तक)

खरीदे गए माल के मूल्य तथा प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केन्द्रीय सेवाओं में अतिरिक्त सचिव और उससे ऊपर के पद वाले अधिकारियों की संख्या

579. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद से ऊपर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कितने अधिकारी हैं;

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केन्द्रीय सेवाओं में अलग-अलग, ऐसे कितने अधिकारी हैं;

(ग) सरकारी सेवा के उच्च स्तरों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा को इतना कम प्रतिनिधित्व देने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह असंतुलन दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सचिवों तथा अपर सचिवों के रूप में कार्य कर रहे अधिकारियों, जिनमें वे अधिकारी भी सम्मिलित हैं जिन्हें पदेन दर्जा स्वीकृत किया गया है, के 1-1-1982 के सेवावार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(i) अखिल भारतीय सेवाएं	—	60
(ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा	—	शून्य
(iii) समूह 'क' की अन्य संगठित केन्द्रीय सेवाएं (जिनमें अनुबंध अधिकारी भी सम्मिलित हैं)।		73

(ग) तथा (घ) ऐसे वरिष्ठ पदों की नियुक्तियां, विशेषकर सचिवों तथा अपर सचिवों के स्तर पर, अखिल भारतीय तथा समूह 'क' की अन्य संगठित केन्द्रीय सेवाओं के उपलब्ध अधिकारियों में से,

निर्धारित सेवावधियों के लिए उनकी आपेक्षिक उपयुक्तता के आधार पर की जाती है जिनमें प्रत्येक पद की विशिष्ट अपेक्षाओं और चयन के क्षेत्र में अधिकारियों की अर्हताओं और अनुभव को ध्यान में रखा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सन्दर्भ में योजना का पुनरीक्षण और प्राथमिकताओं का नियतन

580. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर लगाई गई शर्तों को देखते हुए योजना की प्राथमिकताओं और नियतन का पुनरीक्षण करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खनन के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सिंधु दुर्ग जिले के वेनगुरला तालुका में रेडी के निवासियों का ज्ञापन

581. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडी में कृषि, सिंचाई और पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव से सम्बन्धित निवासियों की शिकाततों के बारे में महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग जिले के वेनगुरला तालुका में रेडी के निवासियों की कार्यवाही समिति ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो रेडी के निवासियों की ये शिकायतें दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार मांगा जाना

582. **श्री सनत कुमार मन्डल** : क्या गृह मन्त्री निजी औद्योगिक संस्थाओं में उपसचिव और उससे ऊंचे अधिकारियों के बच्चों तथा रिश्तेदारों द्वारा नौकरी के लिए उनके द्वारा अनुमति लिए जाने के बारे में 23 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित 5138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों, जिनके बच्चे अथवा अन्य रिश्तेदार उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित मामलों में गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार ढूंढ़ते हैं, के बारे में सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यवेक्षित सूचना के कार्य को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को सौंपने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1980 और 1981 के दौरान प्रथम श्रेणी के ऐसे अधिकारियों, जिनके बच्चों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों अथवा आश्रितों ने गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाया था और ऐसे मामले में जिनमें यह रोजगार सरकार की अनुमति से लिया गया था अथवा कम से कम उसकी सूचना दी गई थी और ऐसे मामले जिनमें यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र करने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान । विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अथवा उनके अधीन कार्य कर रहे सभी अधिकारियों के सम्बंध में आचरण नियमों से सम्बंधित मामलों को, इसके कार्य की मात्रा के कारण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन्हें केन्द्रीय रूप में मानिस्टर करने से प्राप्त होने वाले परिणाम उसपर लगने वाले समय तथा श्रम की मात्रा के अनुकूल नहीं होंगे, केन्द्रीय रूप में मानिटर करना व्यवहार्य नहीं है। सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को पूरी शक्तियां प्राप्त हैं और वे अपने नियन्त्रणाधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों पर पूरा नियन्त्रण रखते हैं। मंत्रालयों तथा विभागों का यह कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि आचरण नियमों के उपबंधों का, उनके अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य निष्ठा से अनुपालन किया जाता है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारियों की बारी-बारी से तैनाती

583. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय और इससे सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारियों की बारी-बारी से तैनाती के बारे में 22 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8191 के भाग (घ) और भाग (ङ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के ऐसे अधिकारियों की बारी-बारी से तैनाती के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है जो गत 20 वर्षों से अधिक अथवा इसके आस-पास की अवधि में स्वास्थ्य मंत्रालय और डी० जी० एच० एस० जैसे एक ही मंत्रालय अथवा विभाग में लगातार रहे हैं; और

(ख) स्वस्थ प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की बारी-बारी से तैनाती का आदेश देने में सरकार के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां क्या हैं बावजूद इस तथ्य के कि गत लगभग दो वर्षों से अधिक की अवधि से निरन्तर यह मामला उनके विचाराधीन था ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जैसा कि 25 नवम्बर, 1981 को अतारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर में उल्लेख किया गया था, बारी-बारी से तैनाती योजना के अधीन उद्देश्यात्मक मानदण्डों के आधार पर स्थानान्तरण करने के विचार से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के रुकने की अवधि से सम्बन्धित सूचना भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित कर ली गई हैं और उसका विश्लेषण किया गया है। इस मामले पर यथासम्भव शीघ्र निर्णय ले लिए जाने की आशा है।

दक्षिण जोन में कालोनियों के लिये सम्पत्तिकर का निर्धारण

584. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर के निर्धारण के बारे में 9 सितम्बर, 198' के अतारांकित प्रश्न संख्या 3419 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान शांतिनिकेतन, बसंत बिहार और समीपवर्ती आनन्द निकेतन में स्थित कालोनियों के बारे में दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में निर्धारित मानक किराये का निर्धारण करने के लिये अपनाये गये सिद्धान्त क्या हैं;

(ख) वर्ष 1968 और 1969 के दौरान निर्मित किये गये मकानों के बारे में ऐसे किराये और कर योग्य मूल्य की गणना करते हुए इन कालोनियों में भूमि की लागत किसी प्रकार पता लगाई गई है;

(ग) इन वर्षों के दौरान इन कालोनियों में निर्मित समान प्रकार के भवनों के लिये अलग-अलग मानदंड अपनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे मामलों में कर योग्य मूल्य की गणना करते हुए और विशेष रूप से छोटे प्लाट धारियों को हो रही अनावश्यक परेशानी से वचाने के लिये सरकार का विचार कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर इसको सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मांगें उठाने पर मारे गये हरिजन

585. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान मांग उठाने और देश में भूमि की मांग करने पर कितने हरिजन मारे गये थे और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1981 के दौरान सवर्ण हिन्दू भू-स्वामियों और भूमिहीन हरिजनों के बीच के कितने झगड़े हुए और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

साम्प्रदायिक घटनाओं के मामले

586. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में देश में साम्प्रदायिक घटनाओं के मामलों की संख्या कितनी है और उनमें हताहत हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा इनके, राज्यवार, विस्तृत आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या साम्प्रदायिक मामलों के अभियुक्तों के लिये कोई विशेष न्यायालय बनाया गया है; यदि हां, तो ऐसे न्यायालयों का ब्यौरा क्या है और ये किन किन राज्यों में कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या साम्प्रदायिक मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) और (घ) 1980 में 427 साम्प्रदायिक घटनाओं की तुलना में 1981 में उनकी संख्या 319 थी । परन्तु आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है और आसूचना संगठन को सुदृढ़ करने, सम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिये प्रशासनिक कार्रवाई करने और सम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के संबंध में राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं और समय-समय पर दोहराए गए हैं । केन्द्रीय सरकार भी जब कभी राज्य सरकारों द्वारा मांग की जाती है, केन्द्रीय पुलिस बलों की सहायता उपलब्ध कराती है ।

विवरण

वर्ष 1981 में साम्प्रदायिक घटनाओं के मामलों की संख्या और राज्यवार अलग-अलग आंकड़ों सहित उनमें हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या	हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	38	49
असम	10	3

1	2	3
बिहार	39	62
गुजरात	53	16
हरियाणा	2	1
जम्मू तथा कश्मीर	3	---
कर्नाटक	17	2
केरल	11	4
मध्य प्रदेश	19	5
महाराष्ट्र	28	3
मणिपुर	1	2
उड़ीसा	2	—
राजस्थान	14	2
तमिलनाडु	20	—
त्रिपुरा	1	—
उत्तर प्रदेश	31	16
पाश्चमी बंगाल	27	30
दिल्ली	3	1
जोड़	319	196

केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थाम द्वारा विकसित नया उर्वरक

587. **श्री ए० के० राय :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ए० एम० पी० (अमोनियम पोली कार्बोक्सीलेट) के नाम से धनबाद के केंद्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित उस नए उर्वरक की ओर दिलाया गया है,

जिसमें हल्की किस्म (लो ग्रेड) का कोयला प्रयोग होता है तथा परम्परागत उर्वरकों की तुलना में यह अधिक उत्पादन देता है; और

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और शीघ्र वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिये इस प्रकार की योजना चालू करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी एम० आर० आई०) धनबाद, ए० एम० पी०/सी० ए० एस० पी० नामक नये किस्म का जल घुलनशील बहु-उद्देशीय कॉर्बनिक उर्वरक के विकास पर कार्य कर रहा है। यह उर्वरक कोयले के नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकरण के उपरांत अम्लों (पॉलीकार्बोक्सीलिक एसिड, लोकप्रिय नाम कोल एसिड) के अमोनियाकरण की व्युत्पत्ति पर आधारित है। सी० एफ० आर० आइ० 20 किग्रा०/दिन बेंच स्तर संयंत्र की स्थापना कर रहा है। इसके उपरांत देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय परीक्षणों में नमूनों और डिजाइन आंकड़े एकत्रित करने के लिये समुचित क्षमता का आरंभिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह कार्य अभी विकास के चरण में है और इस पर उत्पादन का प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1982-83 के लिए कर्नाटक की वार्षिक योजना

588. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के लिए कर्नाटक की वार्षिक योजना केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बहुत-सी योजनायें योजना आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या थे; और

(घ) वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किए जा रहे कर्नाटक योजना का कुल परिव्यय क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) जी हां। योजना आयोग और राज्य के मुख्य मन्त्री के बीच विचार-विमर्श के बाद राज्य की योजना के परिव्यय का क्षेत्रीय वितरण तय किया गया है।

(घ) यदि यह सूचना 1982-83 के लिए केन्द्रीय/राज्यों के बजट प्रस्तुत करने के बाद दी जाए तो उपयुक्त होगा।

पंजाब में "सी० आई० ए०" द्वारा गड़बड़ी का उकसाया जाना

589. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सोवियत संघ ने अमरीका की सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसीज पर पंजाब और उत्तरी राज्यों में गड़बड़ी उकसाने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन रिपोर्टों की जांच की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब और उत्तरी राज्यों में गड़बड़ी इस क्षेत्र में "सी० आई० ए०" की गतिविधियों के कारण हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसी कोई सामग्री मिली है जिसमें "सी० आई० ए०" के एजेंट भारत में समाज-विरोधी तत्त्वों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार ने इस विषय पर 1-1-1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार देखा है।

(ख), से (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी शक्तियों के साथ मैत्री सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले इस प्रकार के संवेदनशील मामलों पर विचार-विमर्श करना जनहित में नहीं है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सतत सतर्कता बरत रही है। विदेशी आसूचना और अन्य संगठनों की तोड़-फोड़ और इस प्रकार की अन्य प्रतिकूल गतिविधियों के किन्हीं प्रयत्नों का पता लगाने और अन्य आवश्यक कार्रवाई करने के निरन्तर प्रयत्न किए जाते हैं।

पिक्चर ट्यूबों की कमी

590. **श्री मोहनलाल पटेल**
श्री नवीन रवाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिक्चर ट्यूबों की कमी है जिसके कारण टी० वी० निर्माताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और टेलीविजन का उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ग) रंगीन दूरदर्शन, जिसके चालू वर्ष के दौरान शुरू किए जाने की सम्भावना है, के संबंध में पिक्चर ट्यूबों के लिए क्या निर्णय किया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभागों में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीव राव) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हाल ही में सरकार ने रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन को अनुमोदन देने का निर्णय किया है।

देश में अखबारी कागज की वार्षिक आवश्यकता

591. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) भारत में प्रति वर्ष इसकी कुल कितनी मात्रा उत्पादित की जाती है;

(ग) मांग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं; और

(घ) देश में अखबारी कागज का अधिक उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

द्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1981-82 के लिए अखबारी कागज की मांग 3.60 लाख मी० टन है।

(ख) 1981-82 में अखबारी कागज का देशी उत्पादन लगभग 55,000 मी० टन होने की आशा है।

(ग) मांग और घरेलू उत्पादन के बीच अन्तर को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है।

(घ) अभी हाल तक अखबारी कागज बनाने वाला एक मात्र एकक केवल नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, नेपानगर ही था (67,500 मी० टन प्रति वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता वाला) क्षमता को 75, 000 मी० टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए मिल एक एकीकृत आधुनिकीकरण व नवीकरण कार्यक्रम चला रहा है। 75,000 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड और 80,000 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड का केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट अखबारी कागज संयंत्रों में भी 1982-83 से वाणिज्यिक उत्पादन हो जायेगा। निम्नलिखित योजनाओं को भी लाइसेंस दिये जा चुके हैं और क्रियान्वयन के पहले दौर में हैं :—

मै० तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लि०	50,000 मी० टन प्रतिवर्ष
मै० सेंचूरी पल्प एण्ड पेपर कम्पनी	20,000 मी० टन प्रतिवर्ष

अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्राप्त होने वाले और प्रस्तावों, यदि कोई हों, को भी सरकार प्रोत्साहन देगी।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम

592. **श्री हरिहर सोरन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने नई दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में यातायात पुलिस को सावधान करने के लिए हाल में क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या एशियाई खेलों के समय सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) दिल्ली में यातायात की स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए है :—

( ) अनेक स्थानों पर अनधिकृत अतिक्रमण हटा दिये गए हैं ।

(2) सड़कों पर अनुचित रूप से खड़े पाये गये वाहनों को क्रेनों की सहायता से उठाया जाता है ।

(3) सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली से दैनिक घोषणा की जाती है जिसमें लोगों से यातायात नियमों के पालन करने का आग्रह किया जाता है ।

(4) यातायात नियमित करने के लिए भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में अधिक यातायात कर्मचारी लगाये गये हैं ।

(ख) और (ग) एशियाड खेलों के समय निम्नलिखित विशेष उपाय किए जाने का प्रस्ताव है : -

(1) कुछ सड़कों पर भारी और मध्यम माल वाहनों के आने-जाने पर प्रातः 8-00 बजे से शाम 8-00 बजे तक प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ।

(2) एशियाड खेलों के स्थानों को जाने वाली मुख्य सड़कों पर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी ।

(3) चलती-फिरती यातायात पुलिस द्वारा गश्त गहन की जायेगी ।

(4) सड़क संकेत और सड़क पर निशान लगाने की व्यवस्था की जायेगी ।

(5) सभी खड़े चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात पुलिस लगाई जायेगी ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायें

593. **श्री हरिहर सोरन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी योजना चल रही है;

(ख) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में रह रहे "भूइयान" आदिवासियों के कल्याण के लिए वहां किसी ऐसी योजना को शुरू किये जाने का विचार है अथवा वहां कोई ऐसी योजना चल रही है, और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में उड़ीसा के क्योंझर जिले में उस योजना के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, (2) डाक्टरी तथा इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये पुस्तक बैंक, (3) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना, (4) प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये विशेष प्रशिक्षण, (5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये छात्रावासों का निर्माण, (6) अनुसूचित जाति वित्त सरकारी निगम के लिए शेयर पूंजी, और (7) ऐसे छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां जिनके अभिभावक अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देना केन्द्र की योजना है।

उपर्युक्त योजनाओं में जनजातीय क्षेत्रों समेत समस्त राज्य शामिल हैं। केवल क्योंझर जिले के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं चलाई जाती है।

न्यूनतम मजदूरी में संशोधन

594. **श्री हरिहर सोरन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों को न्यूनतम मजूरी में संशोधन करने का सुझाव दिया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव दिया गया है और किन-किन राज्य सरकारों ने मजूरी में संशोधन कर लिया है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अब तक न्यूनतम मजूरी में संशोधन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं और मजूरी में संशोधन किये जाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए उनके मन्त्रालय का क्या प्रयास करने का विचार है कि वे राज्य सरकारें न्यूनतम मजूरी का संशोधन कर लें ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है, जिसमें सूचना दी गई है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम समुचित सरकार को अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों को देय न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रत्येक राज्य सरकार ने अनुसूची में अनेक रोजगार शामिल किए हैं, जिनकी कुल संख्या 217 से अधिक है। न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण की अवधियों तथा तारीखों में अन्तर होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन रोजगारों को अनुसूची में कब शामिल किया गया, मजदूरी को पहले कब निर्धारित किया गया तथा पिछली बार कब पुनरीक्षित किया गया और न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण के लिए कौन-सी पद्धति अपनायी गई है—समिति के तरीके से या अधिसूचना के तरीके से। जुलाई, 1980 में हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि न्यूनतम मजदूरी को हर दो वर्ष के बाद कम से कम एक बार पुनरीक्षित किया जाए, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 पाइण्टों की वृद्धि होने पर पुनरीक्षित किया जाए। इसकी राज्य सरकारों को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए सूचना दी गई और उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें समय-समय पर लिखा जाता है। इस मामले में अप्रैल, 1981 में स्वयं मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया गया था। पुन: दिसम्बर, 1981 में राज्य श्रम मन्त्रियों से पुनरीक्षण करवाने तथा मजदूरी के बेहतर प्रवर्तन के लिए अनुरोध किया गया था। इन उपायों के फलस्वरूप, कई रोजगारों के सम्बन्ध में मजदूरी पुनरीक्षित की गई है या की जा रही है। राज्य सरकारों/प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न नियोजनों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी के संशोधन की स्थिति निम्न प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश : जनवरी, 1982 में एक रोजगार में न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण किया गया। 1980-81 के दौरान, 10 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें संशोधित की गई और 5 रोजगारों में संशोधन करने हेतु प्रस्तावों को अधिसूचित किया गया था।

असम : न्यूनतम मजदूरी को नियमित रूप से संशोधित किया जा रहा है और जहां कहीं अधिसूचनाओं में संशोधन देय हो जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। कृषि में न्यूनतम मजदूरी दर का 28 दिसम्बर, 1981 में संशोधन किया गया।

बिहार : अगस्त, 1980 से 2 रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई और 7 रोजगारों की दरों में संशोधन किया गया। एक रोजगार में मजदूरी निर्धारण और 4 रोजगारों में मजदूरी के संशोधन हेतु अधिसूचना जारी की गई।

गुजरात : अधिनियम के अन्तर्गत आए 44 अधिसूचित रोजगारों में से, राज्य सरकार ने 20 रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित/संशोधित किया। 10 रोजगारों में मजदूरी दर निर्धारित नहीं की गई, क्योंकि उनमें श्रमिकों की संख्या 1,000 से कम थी। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन हेतु 15 रोजगारों में समितियां गठित की गई हैं।

हरियाणा : 23 अधिसूचित रोजगारों में, पिछला न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारण 2 जनवरी, 1980 को किया गया।

36 अधिसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव 10 नवंबर 1981 को अधिसूचित किया गया।

हिमाचल प्रदेश : 5 अधिसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें संशोधित की गई।

जम्मू व कश्मीर : अधिसूचित रोजगारों में न्यूनतम् मजदूरी दर के निर्धारण सम्बन्धी मामलों पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

कर्नाटक : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत 45 रोजगारों को शामिल किया गया है। 28 रोजगारों में मजदूरी निर्धारित की जा चुकी है। राज्य सरकार 10 रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। 27 रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन संबंधी प्रस्ताव था। पहली जुलाई, 1982 से बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी दरों में संशोधन किया गया।

केरल : न्यूनतम मजदूरी समिति गठित की गई है ताकि कृषि तथा कुछ अन्य नियोजनों में, जहां पुनरीक्षण करने अपेक्षित हो गये हैं, वर्तमान मजदूरी को पुनरीक्षित किया जाये।

मध्य प्रदेश : 7 अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी पहली बार निर्धारित की जा रही थी, 2 में समितियां नियुक्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 15 रोजगारों में मजदूरियां पहली जुलाई, 1981 से संशोधित की गई थी और 5 में मजदूरियां अधिसूचना के तरीके से पुनरीक्षण की प्रक्रिया में थी। बीड़ी और कृषि में न्यूनतम मजदूरियां जनवरी, 1982 में संशोधित की गई थी।

महाराष्ट्र : 53 रोजगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। जिन 11 रोजगारों में मजदूरी अभी तक निर्धारित नहीं की गई थी, उनमें से 4 में मामला समितियों

के विचाराधीन था, 3 में 1,000 से कम कर्मचारी थे, तथा 4 रोजगारों में मामला विचाराधीन था ।

मणिपुर : इस राज्य में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

उड़ीसा : अगस्त, 1980 के बाद 4 रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी संशोधित की गई थी तथा बीड़ी सहित तम्बाकू उद्योग में रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण के लिए सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति गठित की गई थी ।

पंजाब : कृषि तथा कुछ अन्य अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को 31 जनवरी, 1982 से संशोधित किया गया था । लगभग सभी अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरियों को संशोधित किया गया है ।

राजस्थान : राज्य सरकार सभी अनुसूचित रोजगारों के लिए 8.50 रुपये की सामान्य न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित कर रही है । कृषि सहित 30 रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरों को पहली जुलाई, 1980 को अन्तिम बार निर्धारित/संशोधित किया गया और उनमें संशोधन करने संबंधी अधिसूचना को पहली जुलाई, 1981 को जारी किया गया ।

उत्तर प्रदेश : पहली बार 1980-81 में 6 रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई । 1980 में एक रोजगार में तथा 1981 में 22 रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें संशोधित की गई । 12 रोजगारों के सम्बन्ध में संशोधन कार्यवाहियां विभिन्न चरणों में हैं ।

पश्चिम बंगाल : चूंकि न्यूनतम मजदूरी दरों सम्बन्धी सभी अधिसूचनाओं में मूल्यों में वृद्धि को निष्प्रभावित करने के लिये अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक अन्तरालों पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है, इसलिए प्रत्येक दो वर्ष बाद न्यूनतन मजदूरी दरों में संशोधन करना न तो अनिवार्य है और न ही व्यावहारिक है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह : सभी रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी में पहली अक्तूबर, 1980 को संशोधन किया गया ।

तमिलनाडु : 1980-81 के दौरान 4 रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई और 3 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें संशोधित की गई । 1981 में 9 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए समिति गठित की गई ।

नागालैंड : हाल ही में राज्य सरकार ने अकुशल श्रमिकों तथा कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी दरों में निर्धारण/संशोधन किया है।

अरुणाचल प्रदेश : हाल ही में असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें संशोधित की गई।

चंडीगढ़ : सभी अनुसूचित रोजगारों तथा कृषि सम्बन्धी रोजगारों के लिये न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करने हेतु प्रस्तावों के मसौदे को सितम्बर, 1981 में अधिसूचित किया गया।

दादर और नागर

हवेली : न्यूनतम मजदूरी दरों में, संशोधन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली : 17 सितम्बर, 1981 को प्रस्तावों को अधिसूचित किया गया, ताकि 26 अनुसूचित रोजगारों में न्यूननतम मजदूरी दरों में संशोधन किया जा सके।

गोवा, दमन और

दीव : कृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करने के प्रस्तावों के मसौदे को 6 फरवरी, 1981 को अधिसूचित किया गया।

पांडिचेरी : कराईकल क्षेत्र के संबंध में कृषि संबंधी रोजगार में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करने के प्रस्तावों के मसौदे को 12 जनवरी, 1982 को अधिसूचित किया गया।

जड़ी-बूटियों का वैज्ञानिक अध्ययन

596. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जड़ी-बूटियों का कोई वैज्ञानिक अध्ययन या सर्वेक्षण विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ जड़ी-बूटियां समाप्त हो गई हैं और कुछ निकट भविष्य में समाप्त होने वाली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने देश के बहुत से भागों में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण किया है।

(ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा किए गये अध्ययनों के अनुसार अभी तक कोई भी औषधीय पौधा विलोप हुआ नहीं बताया गया है। फिर भी, अकोनिथ्य स्पीशीज, कोप्टिस टीटा, डायसकोरिया स्पीशीज, रेवोलफिया स्पीशीज, फोड़ोफाइलम हेक्सन्ड्रम आदि जैसी कुछ स्पीशीज निर्यात/घरेलू औषधीय प्रयोजनों के लिए बड़े पैमाने पर अरक निकालने के कारण संकटग्रस्त हुई जान पड़ती हैं।

(ग) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ऐसे संकटग्रस्त पौधों का एक स्थिति सर्वेक्षण कर रहा है और उनको बचाने के लिए अपने वनस्पति उद्यान में बहुत सी दुर्लभ स्पीशीज के नमूनों का विकास करने का प्रयत्न कर रहा है।

कागज उद्योग के लिये कच्चे माल की उपलब्धता

597. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की उपलब्धता के मामले में गड़बड़ी के कारण कागज के उत्पादन में कमी आ रही है; और

(ख) उक्त उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) यद्यपि समस्तरूपेण कागज तथा कागज गत्ते का उत्पादन स्थिर रूप से बढ़ रहा है, पर कुछ क्षेत्रों में बनों पर आधारित प्राथमिक कच्चे माल के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण क्षमता के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं। अधिक लुगदी तैयार करने हेतु उद्योगोन्मुख जल्दी उगने वाले वृक्षों के उगाने को बढ़ावा देने तथा गौण कच्चे माल यथा कृषीय अवशेष, खोई, रद्दी कागज आदि के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

बस्तर में नक्सलवादियों का आतंक

598. **श्री लक्ष्मण वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पड़ोसी राज्यों के सीमा-क्षेत्रों से बस्तर जिले में नक्सलवादियों का सदैव आतंक रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां नक्सलवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

बैलाडिला लोह-अयस्क परियोजना में काम शुरू करने की स्वीकृति

599. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 के दौरान बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना की निक्षेप संख्या 11-सी० में काम करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना में कब तक काम शुरू हो जाने की आशा है;

(ग) इस निक्षेप संख्या 11-सी में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(घ) क्या आदिवासियों और हरिजनों के लिए आरक्षित कोटा, जो अब तक नहीं भरा गया है, इस योजना में भर लिया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य जनवरी, 1981 में आरंभ किया गया था।

(ग) चूंकि यह खान बैलाडिला -14 के बदले शुरू की गई है अतः बैलाडिला-14 के कर्मचारियों को इस खान में लगाया जायेगा। इन कर्मचारियों की संख्या 1740 है। लगभग 150 श्रमिक और रखे जायेंगे।

(घ) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार मिल गए तो इन जातियों के लिए निर्धारण कोटा पूरा भर लिया जायेगा।

भिलाई और एच० ई० एल०, भोपाल में कर्मचारियों की संख्या

600. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के भिलाई और एच० ई० एल०, भोपाल में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनमें से आरक्षित कोटे के अन्तर्गत हरिजन और आदिवासी कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि भिलाई और एच० ई० एल० फैक्ट्रियों में हरिजनों और आदिवासियों के लिये पदों के आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी श्रेणी-वार प्रतिशतता क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सम्भवतः इसका संबंध भिलाई इस्पात संयन्त्र और बी० एच० ई० एल०, भोपाल से है। बी० एच० ई० एल० ने बताया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों के आरक्षण के आदेशों का उसके द्वारा पालन किया जा रहा है। बी० एच० ई० एल०, भोपाल में काम कर रहे कर्मचारियों के संबंध में ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

31-12-1981 को कर्मचारियों की कुल संख्या	18968
हरिजनों की संख्या (अनुसूचित जातियां)	2276
आदिवासियों की संख्या (अनु० जनजातियां)	568

श्रेणीवार प्रतिशतता

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति
ग्रुप क	3.5%	1.6%
ग्रुप ख	2.8%	0.7%
ग्रुप ग	8 5%	4.0%
ग्रुप घ	24.0%	1.9%
सफाई कर्मचारी	99.9%	

भिलाई इस्पात संयन्त्र के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बैलाडिला लौह-अयस्क परियोजना में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या

601. **श्री लक्ष्मण वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलाडिला और लौह-अयस्क परियोजना में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के, वर्गवार और श्रेणीवार कितने-कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या परियोजना के प्रबन्धकों ने आरक्षण सम्बन्धी नियमों का अनुपालन नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो आरक्षण सम्बन्धी नियमों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) बैलाडिला क्षेत्र की दोनों परियोजनाओं अर्थात् बैलाडिला निक्षेप संख्या-14 और बैलाडिला निक्षेप संख्या-5 में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

बैलाडिला-14	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी
ग्रुप "ए"	99	2	1
ग्रुप "बी"	145	1	2
ग्रुप "सी"	992	80	122
ग्रुप "डी"	504	80	245
जोड़ :—	1740	163	370
बैलाडिला-5			
ग्रुप "ए"	100	4	—
ग्रुप "बी"	122	3	2
ग्रुप "सी"	1007	120	200
ग्रुप "डी"	581	148	272
जोड़ :—	1810	275	474
कुल जोड़ :—	3550	438	844

(ख) और (ग) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का कोटा भरने के बारे में प्रबन्धकों द्वारा भरसक प्रयत्न करने के बावजूद ग्रुप "ए", "बी", और "सी" में इन जातियों के कर्मचारियों की कमी है। यह कमी इन श्रेणियों से सम्बन्धित आवश्यक तकनीकी कुशलता के उपयुक्त अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार न मिलने के कारण है। इसके अलावा प्रबन्धकों को ग्रुप "ए" के कुछ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों, जो इस संगठन को छोड़कर चले गये हैं, के स्थान पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। बैलाडिला-14 में ग्रुप "डी" तथा बैलाडिला-5 में ग्रुप "सी" और "डी" के अन्तर्गत रखे गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कोटे से अधिक है।

राष्ट्रीय जीव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना

602. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जीव-प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किए जाने का विचार है, यदि हां, तो बोर्ड का गठन किस प्रकार होगा तथा उसके काम और कार्यक्षेत्र क्या होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी पर्यावरण तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना 18 जनवरी, 1982 को की गई है। 18 जनवरी, 1982 के भारत सरकार के संकल्प सं०। एफ 20019/2/82- प्रशा०-1 में बोर्ड के गठन, विचारार्थ विषय और कार्य दिए गए हैं। इस संकल्प की एक प्रतिलिपि पहले ही 19-2-1982 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

"यट एन अवर कमेटी" शीर्षक से सम्पादकीय लेख

603. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 के बिजनस स्टेण्डर्ड कलकत्ता में "यट एन-अदर कमेटी" शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) उक्त समिति का गठन क्या है और उसके कार्य-कलाप क्या-क्या हैं;

(ग) क्या वे इस समिति के गठन संबंधी सरकारी आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ; और

(घ) इस समिति की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं और औद्योगिक लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया में सुधार लाने में यह कहां तक सहायक हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार का ध्यान इस सम्पादकीय की ओर गया है जैसा कि उल्लेख है सरकार ने सुपर कमेटी गठित नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म्स की क्षमता

604. **श्री एम० एम० कृष्ण :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की हिन्दुस्तान-फोटो-फिल्म्स ने यह सुझाव दिया है कि रंगीन फिल्मों, औद्योगिक उस एक्स-रे और ग्राफिक-आर्ट फिल्मों का आयात केवल उसी स्थिति में ही करने की अनुमति दी जाए जब हिन्दुस्तान-फोटो-फिल्म्स संपूर्ण मांग को पूरा करने में समर्थ न हो;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान-फोटो-फिल्म्स ने इस क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता बना ली है, और आयात ने इस क्षमता को बेकार कर रखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म्स मैन्यु० कं० लि० द्वारा औद्योगिक एक्स-रे और ग्रेफिक आर्ट फिल्म के आयात सम्बन्धी प्रावधानों में अनेक संशोधन करने का अनुरोध किया है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) कम्पनी के अनुरोध की जांच की जा रही है ।

श्रमिकों को विदेश भेजने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सम्बद्ध प्राधिकृत भर्ती एजेण्टों की संख्या

605. **श्री पियूष तिरकी :** क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित ऐसे कितने व्यक्ति है जो लोगों को भेजने के लिए प्राधिकृत है; और

(ख) विदेशों में रोजगार के लिए लोगों की भर्ती करने हेतु किसी एजेन्सी को खोलने के वास्ते पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) भर्ती एजेण्टों के पंजीकरण की पद्धति को उच्चतम न्यायालय ने अपने 20 मार्च, 1979 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया था। अत: इस समय, भर्त्ती एजेण्टों के कार्य को प्राधिकृत करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। कोई भी व्यक्तिगत फर्म/संगठन उच्चतम न्यायालय के 20 मार्च, 1979 के आदेश में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उत्प्रवासी संरक्षी के साथ औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात विदेशी नियोजकों की ओर से श्रमिकों की भर्त्ती और नियुक्ति कर सकते हैं। ये कार्यालय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, मद्रास और त्रिवेन्द्रम में स्थित हैं।

छोटा नागपुर में खानों की संख्या

606. **श्री पियूष तिरकी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर में कितनी खानें हैं,

(ख) इनमें से कितनी खानें गैर-सरकारी हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेईमान ठेकेदारों और कारखाना-मालिकों द्वारा आदिवासियों का उनकी अपनी ही भूमि पर हर प्रकार से शोषण किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार समय-समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों के क्रियान्वयन के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) बिहार के धनबाद, गिरिडीह, पलामू, रांची और सिंहभूम जिलों के छोटा नागपुर क्षेत्र में खनिज संरक्षण तथा विकास नियम 1958 के अन्तर्गत 1981 में कोयला, परमाणु और गौण खनिजों की खानों के अलावा 251 खानों में उत्पादन हुआ। इन 251 खानों में से 229 खानें गैर-सरकारी हैं। शेष खानें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की है।

(ग) और (घ) जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बंगला देश से आये भारत में आदिवासी

607. **श्री बीर भद्र सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान बंगलादेश से कुल कितने आदिवासियों ने भारत में प्रवेश किया है; और

(ख) उनके इस प्रकार भारी संख्या में प्रवेश को रोकने अथवा उस पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1-8-1981 से 31-1-1982 की अवधि के दौरान बंगलादेश से भारत में प्रविष्ट हुए कुल 15, 192 आदिवासियों का पता लगाया गया है। इनमें से 14,311 को बंगलादेश सरकार के साथ बातचीत करके बंगलादेश वापस भेज दिया गया है। शेष आदिवासी भी वापस चले गए हैं।

(ख) सीमा बाह्य चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है और नदी तटीय ओर दूसरी सीमाओं पर सतर्कता को गहन कर दिया गया है।

विजाग स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए सोवियत सहायता

608. **श्री वीरभद्र सिंह**
श्री सुभाष चन्द बोस अल्लूरी
श्री एच० एम० नंजे गौडा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विजाग स्थित एल्युमिनियम संयंत्र के लिए सोवियत सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश में 6-8 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले एक नये एल्यूमिनियम संयंत्र की साध्यता रिपोर्ट सोवियत सलाहकारों द्वारा तैयार की गई है। सोवियत पक्ष से परियोजना के लिए वित्त के एक बड़े भाग की पूर्ति करने तथा उत्पादित समूचे या अधिकांश एल्यूमिना की खरीद करने का अनुरोध किया गया है। मामले पर बातचीत चल रही है।

विज्ञान के लिए कार्यक्रम

609. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969 में मैसूर में इण्डियन साइन्स कांग्रेस का उद्घाटन करते समय प्रधान मन्त्री ने विज्ञान के विकास और वैज्ञानिकों के भविष्य को सुधार ने के लक्ष्य से एक कार्यक्रम की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1981-82 में वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-सी मुख्य योजनाएं शामिल की गई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 3 जनवरी, 1982 को मैसूर विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 69वें अधिवेशन का उद्‌घाटन किया। अपने उद्‌घाटन अभिभाषण में, प्रधान मन्त्री ने विज्ञान के विकास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किये और उनमें से निम्नलिखित कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे ये हैं :

—सरकार ने योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के बीच बेरोजगारी और अनुपयुक्त रोजगार को समाप्त करने के उपाय के रूप में एक त्रि-तरफा कार्यक्रम आरम्भ करने का फैसला किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैतनिक पदों के सभी खाली स्थानों को तुरन्त भरा जाएगा। बेकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनशक्ति को अप प्रयुक्त संस्थागत उधार सुविधाओं के साथ संबंधित करने के संस्थागत तन्त्र के रूप में एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है। तीसरे, क्षेत्रवार अदोहित विकासात्मक संभावना का अभिनिर्धारण करने के लिए सर्वेक्षण संगठन किया जाएगा।

—हमें आनुवंशिक इंजीनियरी और संबंधित क्षेत्रों में नई संकल्पनाओं का उपयोग किया जाना चाहिये ताकि ऐसे उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास किया जा सके जो कि हमारे कृषि, आयुर्विज्ञान और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय जैव, प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है और यह इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों की गतिविधियों में समन्वय करेगा ताकि लाभों को अधिकतम किया जा सके।

—श्री चित्रा तरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम जोकि जैव आयुर्विज्ञान इंजीनियरी में कार्य करता है को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में चलाया जा रहा है।

—दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान वैक्सीन विकास में मूल अनुसंधान और अनुप्रयोगों पर कार्य कर रहा है।

—भारतीय मध्य वायुमंडल कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है—यह कार्यक्रम अन्तरिक्ष, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों, भारत मौसम विज्ञान विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संयुक्त कार्यकलाप है। यह मध्य वायुमण्डल में वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और परिघटनाओं का अध्ययन करने के लिए मौजूद प्रशिक्षित जनशक्ति को संचालित कर उपयोग में लाएगा।

—ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत का आयोग नवीकरणीय ऊर्जा विकास के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास प्रयासों को प्रेरित करेगा इसके अन्तर्गत सौर प्रकाश वोल्टीय सैलों की कुशलता में सुधार, मूल कच्ची सामग्रियों की लागत कम करना, सौर तापीय युक्तियों की कुशलता में सुधार करना, कम लागत के जैव गैस संयन्त्रों का निर्माण करना, सिंचाई

और उद्योग के लिए वायु शक्ति का इस्तेमाल करना, वानिकी को जीवभार के अधिक उपज देने और तीव्र वृद्धि करने वाले रूपों का रूप प्रदान करना है।

— विश्वविद्यालय स्तरीय अनुसंधान की अपनी ही संगति है और इसे अवश्य ही सुदृढ़ किया जाना चाहिये। युवा वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान की जानी चाहिये ताकि वे मूल अनुसंधान की कुछ जिम्मेदारियों को उठा सकें।

(ग) 1981-82 के दौरान वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिये 603.2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें भारत सरकार के सभी विभागों के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शामिल हैं।

(घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के ब्यौरे भारत सरकार के योजना द्वारा प्रकाशित "एनुअल प्लान 1981-82" प्रलेख से देखे जा सकते हैं।

सौर कुकर्स का प्रयोग

610. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आम आदमी के प्रयोग के लिए और इंधन की बचत करने के लिए सरकार का विचार और सौर कुकर का प्रयोग करने का है;

(ख) क्या कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी उपक्रम इस कार्य में लगा है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे उपक्रम का वित्त पोषण करने अथवा आर्थिक सहायता देने का है; और

(घ) क्या देश में लम्बे समय से प्रतीक्षित कुकर को उपलब्ध कराने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस सम्बन्ध में कई निजी और सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं। 25000 सौर कुकरों के विनिर्माण और उन्हें रियायती दरों पर वितरण के लिये एक स्कीम तैयार की जा चुकी है और सभी राज्यों द्वारा सौर कुकरों की संविरचना और वितरण को आरम्भ करने के लिये इस योजना को सभी राज्यों में परिचालित किया गया है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा अनुमोदित रियायत का स्तर सौर कुकर और इससे सम्बन्धित पकाने के बर-

तनों की कुल लागत का 33 1/3% है, बशर्ते कि यह रियायत प्रतिसैट 150 रुपये से अधिक न हो। इन सौर कुकरों का विक्रय देश भर में विभिन्न राज्यों में किया जायेगा। कुछ राज्यों में पहले से ही उत्पादन और विक्रय को शुरू किया जा चुका है और शीघ्र ही कुछ अन्य राज्यों में भी इसे हाथ में लिये जाने की सम्भावना है।

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम, ओखला में आबंटन में अनियमिततायें

611. **श्री जैनुल बशर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ओखला से दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के औद्योगिक शैडों के आबंटन में गंभीर अनियमिताएं हुई हैं;

(ख) क्या 1981 के दौरान बड़ी संख्या में शैड निमित कर दिये गये हैं यदि हां, तो इन आबंटियों में मिले हुये वस्त्र तैयार करने वाले का ब्यौरा क्या है और इन शैडों के आबंटन को किन शर्तों पर नियमित किया गया है;

(ग) इनका कब्जा लेने के समय जो मूल्य थे वे इस समय बहुत अधिक बढ़ गए हैं और यदि हां तो क्या इनको पुराने मूल्यों के आधार पर नियमित किया गया है अथवा वर्तमान मूल्य स्तर के आधार पर; और

(घ) किस अधिकारी ने ऐसे नियमन के आदेश दिये थे और किन परिस्थितियों अथवा आधार पर ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के शेड किराये के आधार पर हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति आय

612. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या यह अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) शीघ्र अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 1980-81 के दौरान देश में प्रचलित भावों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1537 रु० है।

(ख) और (ग) एक विवरण इसके साथ संलग्न किया गया है जिसमें वर्ष 1978 के दौरान विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अद्यतन उपलब्ध तुलनीय अनुमान अमेरिकी डालर के रूप में दिया गया है जो संयुक्त-राष्ट्र संघ के 1979 के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सम्बन्धी अब्दकोश से लिया गया है। भारत का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अनेक देशों से कम है। विभिन्न देशों के अनुमान में अन्तर के बहुत से कारण हैं; आर्थिक विकास की स्थिति एवं प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि इनमें से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

विवरण

बाजार भावों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अनुसार (अमेरिकी डालरों के रूप में)

	देश	1978
1.	स्विटजरलैण्ड	12408
2.	लक्संबर्ग	10040
3.	डेनमार्क	9869
4.	जर्मन संघीय गणराज्य	9278
5.	स्वीडन	9274
6.	बैल्जियम	9025
7.	संयुक्त राज्य अमेरिका	8612
8.	नीदरलैंड	8509
9.	आयरलैंड	8392
10.	नार्वे	7949
11.	फ्रान्स	7918
12.	कनाडा	7572
13.	आस्ट्रेलिया	7467

	देश	1978
14.	जापान	7153
15.	ओस्ट्रिया	6739
16.	लीबिया	6335
17.	फिनलैंड	6090
18.	न्यूजीलैंड	5346
19.	ग्रेट ब्रिटेन	4955
20.	इटली	4118
21.	स्पेन	3625
22.	इजरायल	3332
23.	यूनान	3209
24.	पुरटो राइस़	2778
25.	वेनेजुला	2772
26.	साइप्रस	2200
27.	माल्टा	2036
28.	उरुग्वैय	1612
29.	ब्राजील	1523
30.	कोस्टारिका	1512
31.	दक्षिणी अफ्रीका	1296
32.	मैक्सिको	1244
33.	कोरिया गणराज्य	1187
34.	पनामा	1116

	देश	1978
35.	ट्नुनिसिया	934
36.	डॉमिनीकन गणराज्य	841
37.	निकारागुआ	825
38.	कोलंबिया	803
39.	पारागुये	778
40.	इ० एल० सालवैदर	639
41.	पपुआ न्यू गुनी	573
42.	हान्दुरस	482
43.	फिलीपाईन्स	457
44.	थाइलैंड	444
45.	जांबिया	414
46.	इंडोनेशिया	304
47.	हैती	269
48.	पाकिस्तान	261
49.	तंजानिया	253
50.	भारत	173
51.	श्री लंका	168
52.	बंगला देश	112

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र संघ के 1979 के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी अब्दकोष—खण्ड—2 अन्तर्राष्ट्रीय सारणी, विवरण—1 ख।

पारादीप में समेकित लोह और इस्पात मिल तथा रोलिंग प्लाट के निर्माण के लिए ऋण

613. श्री लक्ष्मण मलिक
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पारादीप में समेकित लौह और इस्पात मिल तथा रोलिंग प्लांट के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कुल कितने रुपये का ऋण लिया गया है अथवा लिये जाने का विचार है;

(ख) किन-किन वित्तीय संस्थानों से इस तरह का ऋण लिए जाने की सम्भावना है;

(ग) ऋण प्राप्त करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) सरकार ने उड़ीसा में एक इस्पात कारखाना लगाने का कार्य आद्योपान्त आधार पर ब्रिटेन के मेसर्स डेवी मेकी को देने का निर्णय लिया है बशर्ते कि करार की शर्तें सन्तोषजनक ढंग से तय हो जाएं । मेसर्स डेवी मेकी के साथ करार के विवरण पर बातचीत करने के लिये एक वार्ता दल का गठन किया गया है । इस समय करार की तकनीकी विशिष्टियां तथा वाणिज्यिक और वित्तीय शर्तें अन्तिम रूप से तय करने के लिये मेसर्स डेवी मेकी के साथ बातचीत चल रही है । चूंकि बातचीत अभी पूरी नहीं हुई हैं अतः इस समय इस बारे में और विवरण देना समयपूर्व होगा ।

चर्म उद्योग का विकास

614 **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980 और 1981 के वर्षों में कच्ची खाल और चमड़े को अर्द्धपरिष्कृत चमड़े में रूपांतरित करने के मामले में चर्म उद्योग के वस्तु-वार विकास और परिष्कृत चर्म और चर्म उत्पादों के लिए भी उद्योग के विकास का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : चमड़ा और चमड़ा वस्तु उद्योगों को अत्यधिक विकेन्द्रीयकरण होने के कारण वर्ष 1980 और 1981 के दौरान इस उद्योग में हुई वृद्धि का ठीक-ठीक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 1980 और 1981 के दौरान उपलब्ध चर्म और खालों का अनुमान निम्न प्रकार है :

(आंकड़े लाख संख्या में)

	1980	1981
भैंसों और गायों की खालें	316.8	3 4
बकरियों और भेड़ों की खालें	688.8	693.8

अनुमान है कि उपलब्ध कच्ची खालों और चर्म को अर्द्ध परिष्कृत चमड़े में बदल दिया जाता है। 1980 और 1981 के दौरान संगठित क्षेत्रों में तैयार चमड़े और चमड़े उत्पादों के उत्पादन में हुई

वृद्धि निम्न प्रकार है :

मद	उत्पादन (लाख संख्या में)		वृद्धि दर (अनुमानित)
	1980	1981	
चर्म से तैयार किया गया चमड़ा	27.4	49.6	81 प्रतिशत
खालों से तैयार किया गया चमड़ा	234.8	252.2	8 प्रतिशत
चमड़े के जूते (जोड़े)	122.7	143.3	16 प्रतिशत

विदेशों में भारतीय लोगों को नौकरी दिलाने वाले अधिकृत एजेंटों की संख्या

615. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौकरी के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती करने वाले उन एजेंटों की संख्या कितनी है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जो 1 जनवरी, 1981 को भारत में कार्य कर रहे थे;

(ख) क्या यह सच है कि अभी भी ऐसे कुछ अनधिकृत भर्ती करने वाले एजेंट भारत में कार्य कर रहे हैं जिनके पंजीकरण को समाप्त करते हुए मंत्रालय ने परिपत्र जारी कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन एजेंटों की छानबीन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) पहली जनवरी, 1981 को कोई भी अनुमोदित भर्ती एजेंट नहीं था। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, कोई भी व्यक्ति विशेष-फर्म या संगठन उच्चतम न्यायालय के 20 मार्च, 1976 के आदेश द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् दिल्ली, बम्बई, कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, चंडीगढ़ और त्रिवेन्द्रम में स्थित उत्प्रवासी संरक्षी के कार्यालयों में श्रमिकों की भर्ती और नियुक्ति कर सकते हैं।

(ख) उनका अनधिकृत एजेंट होने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि एजेंटों के विशेष रूप से प्राधिकृत करने का कोई उपबंध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में इलेक्ट्रोनिक एकक

616. **श्री भीकूराम जैन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक देश के समूचे इलेक्ट्रोनिक उद्योग का सम्बन्ध है दिल्ली अब तक सर्वोच्च स्थान पर है;

(ख) दिल्ली में इलेक्ट्रोनिक एककों की कुल संख्या कितनी है और अन्य राज्यों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) इलेक्ट्रोनिक उद्योग के संवर्द्धन की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न निर्माणकर्ताओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 1980 में छः प्रमुख राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में उत्पादन, मूल्य तथा एककों की संख्याओं का वितरण नीचे दिये अनुसार है :

राज्य	उत्पादन (1960) (करोड़ रुपये में)	एककों की संख्या
कर्नाटक	199	51
महाराष्ट्र	156	222
उत्तर प्रदेश	74	34
दिल्ली	56	124
आंध्र प्रदेश	51	41
केरल	26	27

उपर्युक्त आंकड़ों में रेडियो रिसीवरों तथा कुछ अन्य ऐसे उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक उत्पादों का निर्माण करने वाली यूनिटों की संख्या तथा उनके उत्पादन-मूल्य शामिल नहीं हैं जिनका संयोजन अनिवार्यतः कुटीर/दुकान स्तर पर संचालित यूनिटों द्वारा किया जाता है।

(ग) सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मृत्यु दण्ड से सम्बन्धित कानून में संशोधन

617. **श्री जेवियर आराकल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मृत्यु दण्ड से सम्बन्धित कानून को संशोधित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1978, जो राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया था परन्तु छठी लोक सभा के भंग होने से रद्द हो गया था, में विद्यमान धारा 302 भा० दं० सं० के स्थान पर एक नई धारा रखने की व्यवस्था की गई थी जिसमें हत्या के लिए सामान्य दंड आजीवन कारावास होगा और केवल कुछ गंभीर परिस्थितियों में, जिनको वहां विनिर्दिष्ट किया गया है, न्यायालय स्वनिर्णय से मृत्यु दंड दे सकता है। रद्द विधेयक के उपबंध अभी सरकार के विचाराधीन है। इस अवस्था में कोई ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती कि इस विषय पर विधान संसद में कब पुरःस्थापित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के लिए औद्योगिक कार्यक्रम

618. **श्री उमाकान्त मिश्र** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम या योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गहन औद्योगीकरण हेतु केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम की शुरूआत करने के लिए बलिया, झांसी, अलमोड़ा, बस्ती, फैजाबाद, रायबरेली तथा ललितपुर जिलों का पता लगाया गया है। केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के लिए पता लगाये गये उत्तर प्रदेश के इन औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में अधिकतम सहायक तथा लघु उद्योगों के विकास की सम्भावना वाली सभी परियोजनाओं पर रिपोर्ट देने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के तीन कृतिक बलों की स्थापना कर दी गई है। इस समय कृतिक बलों का काम चल रहा है।

मृत्यु दण्ड को माफ करना

61 . **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उस विवाद की जानकारी है जो इस बारे में हाल ही में उत्पन्न हुआ है कि दया-याचिका पर निर्णय देते समय राष्ट्रपति क्या मानदण्ड अपनायें;

(ख) क्या सरकार का विचार मृत्यु-दण्डों को माफ करने की राष्ट्रपति की शक्ति-क्षेत्र की जांच करने का है और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) (क) जी हां, श्रीमान। उच्चतम न्यायालय ने 1981 की रिट याचिका सं० 8193 (ए), जब 7-11-1981 को मंजूरी के लिए न्यायालय के सामने आया था, की सुनवाई के दौरान मानदण्डों के बारे में उल्लेख किया था। 20 नवम्बर, 1981 को उक्त रिट-याचिका में निर्णय देते समय न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के शक्ति-क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न की किसी उपयुक्त अवसर पर जांच के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। न्यायालय ने यह भी कहा था कि वह यह नहीं मानता कि राष्ट्रपति की हितकारी शक्ति प्रयोग करने पर कोई गंभीर न्यायिक नियंत्रण लगाने से याचिका कर्ता का क्या लाभप्रद प्रयोजन सिद्ध होगा, जैसा कि किसी मामले के न्याय में अपेक्षित हो सकता है।

(ख) तथा (ग) विधि आयोग ने अपनी पैंतीसवीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ संविधान के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रदत्त दया की शक्ति की स्थिति के बारे में प्रश्न; इन शक्तियों को बनाये रखने की आवश्यकता; दया के विशेषाधिकार के प्रयोग के लिए सिद्धांत तथा प्रक्रिया और दया के लिए सिद्धांतों का संहिताकरण कराने की वांछनीयता पर विचार किया। आयोग ने प्रश्नावली के प्राप्त उत्तरों की जाँच करने के बाद और किए गए अध्ययनों का परिशीलन करने पर इन शक्तियों के क्षेत्र में किसी परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की और यह कह कर समाप्त कियाकि कोई कठोर तथा सर्वांगपूर्ण सिद्धांत जिनके अनुसार मृत्यु दण्ड को माफ किया जा सकता है, निर्धारित करने का प्रयास वांछनीय नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दया का विशेषाधिकार एक बहुत विशेष किस्म की कार्यकारी शक्ति है और प्रायः स्वीकार्य है और निसंदेह आपराधिक न्यायालयों के प्रशासन में कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप का एक अनिवार्य साधन है।

मृत्यु दण्ड को माफ करने के राष्ट्रपति के शक्ति-क्षेत्र की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के चरित्र प्रमाण-पत्र का सत्यापित किया जाना

620. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवा शुरू करने से पहले एक राजपत्रित अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में एक चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है;

(ख) क्या निर्धारित प्रपत्र के अनुसार, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किए गए ऐसे प्रमाण पत्र को वैतनिक प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट अथवा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से सत्यापन कराया जाना अपेक्षित होता है।

(ग) यदि हां, तो सरकार के अपने राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारीकिए गए प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराये जाने के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव इसको समाप्त करने का है?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (घ) समूह "ग" पद पर (सचिवालय तथा उनके सम्बद्ध कार्यालयों में लिपिकवर्गीय पदों के अलावा, नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार को उस शिक्षा संस्था के प्रधान का एक चरित्र प्रमाण-पत्र, जिसमें वह अन्तिम रूप से पढ़ा हो, अथवा अपने नियोक्ता, यदि कोई हो, से इसी प्रकार का एक सार्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया चरित्र प्रमाण-पत्र जब उसे नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, एक प्रथम श्रेणी के वृत्तिभोगी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (किसी जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप-जिला मजिस्ट्रेट सहित) द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। यह अपेक्षा चरित्र प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की अधि-प्रमाणिकता तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझी जाती है। इस अपेक्षा में कोई परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

इस्पात का उत्पादन

62. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 और 1981-82 के वर्षों में इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

(ख) क्या इस्पात का उत्पादन अत्यन्त अधिक है और वहां आयातित तथा देशी, दोनों प्रकार के इस्पात की मात्रा फालतू हो जायेगी; और

(ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में किस प्रकार इस तरह के इस्पात का आयात किया गया था और किस तरह इसका वितरण किया गया था ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा लघु इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिखाया गया है : —

(लाख टन)

	1980-81	1981-82 (अनुमानित)
सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने	63.1	72.5
लघु इस्पात कारखाने	18.0	18.0
कुल :	81.1	90.5

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान माध्यम अभिकरण के रूप में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 10,57,600 टन और वर्ष 1981-82 (अप्रैल, 1981 से जनवरी, 19८2 तक) में 9,45,000 टन इस्पात आयात किया गया था।

लोहे तथा इस्पात की मदों का, जिनके लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड माध्यम अभिकरण है, आयात बैक-टू-बैक आधार पर तथा बफर योजना के अन्तर्गत किया गया है। बैक-टू-बैक आधार पर आयात पार्टियों की विशिष्ट मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। बफर योजना के अन्तर्गत किए गए आयात का वितरण, मूल्य समुच्चयन व्यवस्था (प्राइस पूलिंग अरेंजमेंट) के अधीन देशीय मूल्यों पर किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आयात की गई सामग्री का वितरण संयुक्त संयंत्र समिति लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा समय-समय पर बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

खुले बाजार में सीमेंट की बिक्री

622. **श्री सज्जन कुमार : क्या उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नये सीमेंट संयंत्रों को उनके द्वारा अपनी अधिष्ठापित क्षमता के 60 प्रतिशत से अधिक उत्पादित सीमेंट को फरवरी, 1982 से खुले बाजार में बेचने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष देश में खुले बाजार में कितनी अनुमानित मात्रा में सीमेंट की बिक्री करने की अनुमति दिये जाने की सम्भावना है, और

(ग) लैवी सीमेंट के मूल्यों की तुलना में इसके मूल्य कितने प्रतिशत अधिक होंगे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सीमेंट के मूल्य निर्धारण और वितरण सम्बन्धी एक योजना अंतिम रूप में सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना किया जाना

623. **श्री सज्जन कुमार : क्या उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने की है;

(ख) दिल्ली के गांवों में उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा की गई सहायता का ब्यौरा क्या है, और

(ग) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक एकक किस प्रकार के हैं जिनकी स्थापना के लिए सरकार द्वारा विशेष सहायता दी जाती है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार दिल्ली के गांवों में निम्नलिखित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करती है :—

(1) तकनीकी परमार्श

(2) वित्तीय सहायता,

(3) पूंजीगत धातु माल का अधिग्रहण,

(4) देशी एवं आयातित कच्चे माल की प्राप्ति।

बादली में एक ग्रामीण औद्योगिक बस्ती स्थापित की गई है। नरेला औद्योगिक बस्ती की स्थापना का कार्य चल रहा है। प्रत्येक खण्ड मुख्यालय के समीप ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की नियमित वृद्धि में सहायता करने के लिए एक वर्कशेड स्थापित करने की भी योजना है।

(ग) सभी प्रकार के लघु तथा ग्रामोद्योगीकृत उनसे भिन्न जिनके पंजीयत पर रोक लगा दी गई है तथा वे उद्योग जो जोखिम पूर्ण क्षतिकारक/प्रदूषक हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं बशर्ते कि वे वृहनर योजना/मास्टर प्लान तथा अन्य स्थानीय विनियमों/बाधाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इस मामले में विशेष सहायता देने की कोई भी योजना नहीं है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों को फ्लैट युक्त फैक्ट्रियों की संख्या

624. **श्री आर० आर० भोले** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 में दिल्ली प्रशासन द्वारा फ्लैट-युक्त फैक्ट्रियां आबंटित की गई थी और उनमें से 45 फ्लैट-युक्त फैक्ट्रियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों के लिए आरक्षित की गई थी;

(ख) क्या सच है कि फ्लैट-युक्त फैक्ट्रियों के आबंटन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा कर रहे अनुसूचित जातियों के योग्य और सक्षम स्नातक इंजीनियरों को भी अस्वीकृत कर दिया गया और फैक्ट्रियों को अनारक्षित करने की शिफारिश की गयी थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण है; और

(ग) क्या संसद सदस्यों ने भी इस अन्याय की ओर दिल्ली प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था; यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1981 में

दिल्ली प्रशासन द्वारा आबंटित 294 फ्लैट वाली फैक्ट्रियों में से 42 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां, दिल्ली प्रशासन द्वारा सम्बन्धित माननीय सदस्य को 10-2-1982 को सूचित कर दिया।

सीमेंट के उपभोक्ता मूल्य और संधारण मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लेना

625. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवेश सम्बन्धी ऊंची लागतों की समस्या पर काबू पाने के लिए उद्योग को सहायता देने के एक प्रयास के रूप में सीमेंट के उपभोक्ता मूल्य तथा संधारण मूल्य में वृद्धि करने का अब तक कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) उपभोक्ताओं को आसानी से सीमेंट कब तक मिलने लग जाने की संभावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सीमेंट के मूल्य निर्धारण और वितरण सम्बन्धी एक योजना अन्तिम रूप में सरकार के विचाराधीन है।

कुकिंग कोयले का आयात

626. **श्री बीरभद्र सिंह :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार निकट भविष्य में कुकिंग कोयले का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड वर्ष 1978-79 से लेकर प्रत्येक वर्ष कुछ मात्रा में कोककर कोयले का आयात कर रही है।

(ख) वर्ष 1981-82 में लगभग 9 लाख टन कोककर कोयला आयात किया जाएगा। अगले वर्ष के लिए आयात का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

वर्ष 1981-82 में दहेज के कारण मृत्यु

627. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में देश में दहेज के कारण कितनी मौतें हुई हैं और उनके मुख्य कारण क्या हैं तथा ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें कारावास में बदल दिया गया है:

(ख) दहेज के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) दिल्ली सदर बाजार की श्रीमती रश्मि की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी और जान से मारने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र अपराध सम्बन्धी कानूनों को लागू करने के लिये जिम्मेवार है। वर्ष 1981-82 के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या और ऐसी गिरफ्तारियों की संख्या, जिनमें कैद की सजा दी गयी हो, के संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि यह राज्य का विषय है। इस अपराध का प्रमुख कारण दहेज की-मांग के कारण पीड़ितों को उनके सुसराल वालों द्वारा तंग किया जाना है।

(ख) इस विषय पर 22-7-1980 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। जारी किये गये निर्देशों की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3384/82]

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 309/306//34 के अधीन थाना सदर बाजार, दिल्ली में 13-1-1982 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 2. के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। श्री राकेश गुप्ता (श्रीमती रशमी का पति) और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जांच की जा रही है।

राज्य सरकारों द्वारा सीमेंट के आबंटन का मानदंड

628 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सीमेंट के आबंटन के मामले में राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए मानदण्ड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जिन स्थानों में नियमों का उल्लंघन हुआ है वहां विद्यमान स्थिति का सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जनता, निकायों, भवन निर्माताओं आदि को सीमेंट जारी करने के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) राज्यों को सीमेंट का आबंटन करने के लिए बनाई गई वर्तमान प्रक्रिया के अधीन, राज्य सरकारों को सीमेंट का इकट्ठा आबंटन किया जाता है इस इकट्ठे आबंटन में से कुछ मात्रा सिंचाई तथा विद्युत क्षेत्र तथा लघु एककों को देने के लिए पूर्व आरक्षित है। शेष मात्रा अन्य क्षेत्रों के आबंटन के लिए होता है, जिसके उपआबंटन करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकारों को विवेक से करने का है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को सौंपे गये सीमेंट के थोक आबंटन के बारे में राज्य-सरकारों को शेष विभिन्न क्षेत्रों के लिए सीमेंट का उपआबंटन करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाने की जिम्मेवारी स्वयं राज्य सरकारों की है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में मारे गए हरिजन

629. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री जयनारायण रोट } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-8 में ऊंची जाति के लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कितने हरिजन मारे गए थे ;

(ख) ऐसा करने का मुख्य कारण क्या है और भविष्य में ऐसी घटना न होना सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक रोकथाम की गई है; और

(ग) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मृत व्यक्तियों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है और क्या मृतकों के प्रियजनों को उपयुक्त रोजगार देना सुनिश्चित किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्यों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार के मधुबनी और पालामऊ जिलों में उद्योगों की स्थापना करना

630. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी और पालामऊ जिलों को गहन औद्योगिकीकरण के लिए चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,;

(ग) क्या केन्द्र की ओर से किसी कृत्तिक बल ने बिहार का दौरा किया है। यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) वे विशिष्ट औद्योगिक एकक कौन-कौन से हैं, उत्पादन शुरू करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है और क्या नये कुटीर छोटे तथा लघु एककों को कोई विशेष सहायता दी जाएगी;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के लिए मधुबनी और पालामऊ जिलों का पता लगाया गया है। उन जिलों में सहायक और लघु उद्योगों के अधिकतम विकास से सम्बन्धित सभी परियोजनाओं की सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक कृतित वल की स्थापना की गई है जिसमें केन्द्र और राज्य के अधिकारी सम्मिलित हैं।

कृतिक वल अभी कार्य कर रहा है।

चयन सूची तथा सीधे भर्ती किए गए सहायकों के वीच सहायकों के ग्रेड को वरिष्ठता में असन्तुलन

631. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि विभाग ने गृह मन्त्रालय की चयन सूची तथा सीधे भर्ती किए गए सहायकों के बीच सहायक ग्रेड की वरिष्ठता में विद्यमान असन्तुलन जो पिछले 10 वर्ष या इससे अधिक से बराबर बना हुआ है, समाप्त करने के लिए लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो गृह मंत्रालय ने इतने लम्बे समय से चले आ रहे इस प्रकार के असंतुलन के कारणों की छानवीन की है और उन्हें इस विवाद को तय करने में कितना समय लगेगा?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सीधे भर्ती किए गए सहायकों तथा पदोन्नत सहायकों के बीच वरिष्ठता के विनियमन के सम्बन्ध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सामान्य अनुदेश हैं तथा प्रवर सूची सहायकों तथा सीधे भर्ती किए गए सहायकों के मामले में कुछ विशेष अनुदेश भी जारी किए गए हैं। कृषि मंत्रालय को इन आदेशों के लागूकरण तथा निर्वचन के सम्बन्ध में कुछ संदेह होते रहे हैं तथा उन्हें ये संदेह समय-समय पर स्पष्ट कर दिए गए हैं। इस संबंध में अन्तिम सन्दर्भ नवम्बर, 1981 में प्राप्त हुआ था और उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है।

खादी और ग्रामोद्योग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए उद्योग

632. **श्री अनादि चरण दास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के खादी और ग्रामोद्योग ने ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर उन पहाड़ी क्षेत्रों, जिनमें आदिवासी रह रहे हैं, में उद्योगों की स्थापना की है,

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के खादी बोर्ड ने राज्य के विभिन्न जिलों में इस प्रकार के कितने उद्योग लगाए हैं; और

(ग) उनके जिलेवार संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों को विभिन्न राज्यों में प्रमुख रूप से राज्य के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों तथा प्रत्येक रूप से सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नीति के अनुसार आयोग पहाड़ी, सीमावर्ती, पिछड़े, दूरवर्ती तथा अगम्य क्षेत्रों पर तुलनात्मक रूप से अधिक ध्यान देता है तथा इन क्षेत्रों की निगरानी हेतु आयोग में अलग से एक प्रभाग है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य के प्रत्येक जिले में चलाए जा रहे खादी और गामोद्योगों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

जिले का नाम	उद्योगों के नाम
1. बालासौर	: खादी बढ़ईगीरी, लुहारगीरी, ग्रामीण चर्म, रेशा परिष्करण तथा खाद्यान्नों, दालों गर्म मसालों, मसाले आदि का विपणन व पैकिंग गुड़ और खांडसारी, घानी तेल, कुम्हारी।
2. बोलनगीर	: बेंत और बांस, परिष्करण, खाद्यानों, दालों, गर्म मसाले तथा मसालों आदि का विपणन व पैकिंग, गुड़ और खांडसारी तथा कुम्हारी।
3. कटक	: खादी, बढ़ईगीरी और लुहारगीरी, चूना उत्पादन, ग्राम्य चर्म, बेंत और बांस परिष्करण और खाद्यान्नों, दालों, गर्ममसालों, मसालों आदि का विपणन व पैकिंग, गुड़ और खांडसारी, खजूर का गुड़, ग्रामीण तेल, कुम्हारी, रेशा।
4. धेनकेनाल	: खादी, बढ़ईगीरी तथा लुहारगीरी, ग्राम्य चर्म, रेशा, परिष्करण व खाद्यान्नों, दालों, गर्म मसालों, मसालों आदि का विपणन व पैकिंग, खजूर गुड़, ग्रामीण तेल, ग्राम्य कुम्हारी, निओ साबुन।
5. गजम	: खादी, बढ़ईगीरी और लुहारगीरी, चूना, ग्राम्य चर्म, रेशा, बेंत या बांस परिष्करण खाद्यान्नों, दालों, गर्म मसालों, मसालों आदि का विपणन व पैकिंग, हस्तनिर्मित कागज, कुटीर दियासलाई, ग्रामीण तेल, कुम्हारी मैपजिक संयंत्र।

6. कालाहांडी: : बढ़ईगीरी व लुहारगीरी, ग्राम्य चर्म, रेशा, बेंत व बांस, गुड़ और खाण्डसारी, ग्रामीण तेल, कुम्हारगीरी, नियो साबुन, लाख, परिष्करण, खाद्यान्नो, दालों, गर्म मसालों, मसालों आदि का विपणन व पैकिंग ।

7. क्योंझर · बढ़ईगीरी व लुहारगीरी, चूना, ग्राम्य चर्म, बेंत व बांस, रेशा, परिष्करण, खाद्यान्नों, दालों, गर्म मसालों, मसालों आदि का विपणन व पैकिंग। खादी, गुड़, व खांडसारी, ग्राम्य तेल, कुम्हारी, नियो साबुन।

8. कोरापुत : खादी, बढ़ईगीरी व लुहारगीरी, ग्राम्य चर्म, बेंत व बांस, परिष्करण खाद्यान्नों, दालों, गर्म मसालों, आदि का विपणन व पैकिंग, हस्तनिर्मित कागज, गुड, खांडसारी खजूर का गुड़, ग्रामीण कुम्हारी तथा नियो साबुन।

9. मयूरभंज : ग्रामीण चर्म, रेशा, बेंत व बांस परिष्करण, खाद्यान्नों, दालों, गर्म मसालों, मसालों आदि का विपणन व पैकिंग, ग्राम्य तेल, ग्रामीण कुम्हारी और निओ साबुन।

10. पुरी : खादी, बढ़ईगीरी व लुहारगीरी, चूना, ग्राम्य चर्म, रेशा, बेंत व मांस, परिष्करण, खाद्यान्नों दालों, गर्म मसालों, मसालों, आदि का विपणन व पैकिंग, कुटीर दियासलाई, गुड़ व खाण्डसारी, खजूर, गुड़, ग्राम्य तेल, ग्रमीण कुम्हारी, नियो साबुन, लाख, गोंद व बैरोजा।

11. फुलबनी : ग्राम्य चर्म, रेशा, बेंत व बांस, परिष्करण, खाद्यान्नों दालों, मसालों आदि का विपणन, व पैकिंग, गुड़ व खण्डसारी ग्राम्य कुम्हारगीरी, तथा नियो साबुन।

12. संबलपुर : बढ़ईगीरी व लुहारगीरी, ग्राम्य चर्म, रेशा, बेत व बांस, परिष्करण, खाद्यान्नों, दालों, गर्म मसालों, मसालों, आदि का विपणन, व पैकिंग कुटीर. दियासलाई, ग्रामीण तेल, ग्राम्य कुम्हारगीरी, नियो सोप, भेषजीय संयंत्र, फल परिष्करण और कत्था।

13. सुन्दरगढ़ : बढ़ईगीरी व लुहारगीरी, ग्राम्य चर्म, रेशा, परिष्करण, खाद्यान्नों, दालों, गर्म मसालों आदि का विपणन व पैकिंग तथा ग्राम्य तेल ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिवर्तन

633. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या गुप्त मतदान के माध्यम से चुनाव पर आधारित ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने

के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विधान संबंधी परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित विधान कब तक प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क)से (ग)इस मामले पर श्रमिकों और नियोजनों के केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अन्यों के साथ भारतीय श्रम सम्मेलन में आगे विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है। इस सम्मेलन को इस वर्ष में आयोजित करने का विचार है।

रंगीन दूरदर्शन प्रौद्योगिकी की वाणिज्यीकरण

634. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी द्वारा विकसित रंगीन दूरदर्शन प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण के लिए तैयार है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के दूरदर्शन निर्माताओं की इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ग) केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी की मुख्य बातें क्या हैं ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव): (क)केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सी० ई० ई० आर० आई०) एक औद्योगिक यूनिट में निदर्शन संयंत्र स्थापित करने का विचार कर रहा है, जो रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के लिए इसकी अपनी प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा। किंतु केन्द्रीय इ० इ० अ० स० द्वारा विकसित दूरदर्शन रिसीवरों का इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने वाणिज्यिक उपयोगिक की दृष्टि से अभी मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के लिए के इ० इ० अ० स०, पिलानी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी की मुख्य विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं :

(i) माड्यूलर निर्माण,

(ii) जहां कहीं उपलब्ध हों वहां एकीकृत परिपथों का उपयोग,

(iii) एक मल्टीचैनल अति उच्च आवृत्ति (वी० एच० एफ०) वाले इलेक्ट्रोनिक समस्वरित्र (ट्यूनर),

(iv) पी० ए० एल० डी मानक (भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर आधारित हैं।

(v) कई इलेक्ट्रानिक तथा हार्डवेयर (पत्र-सामग्री) वस्तुओं का स्वदेशीकरण तथा विदेशी-मुद्रा वाली अन्तर्वस्तुओं की मात्रा को कम करना।

समुद्र-तट की स्थिति बिगड़ने तथा दुरुपयोग रोकने के लिए राज्यों से अनुरोध

635. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने राज्यों से समुद्र तट की स्थिति बिगड़ने तथा दुरुपयोग को रोकने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी और गोआ तटवर्ती राज्यों द्वारा प्रधान मंत्री के अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है ताकि समुद्र तट पर मकान बनाने और अन्य गतिविधियों को रोका जा सके : और

(ग) उक्त राज्यों द्वारा इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडिचेरी तथा गुजरात की राज्य सरकारों ने हां में उत्तर दिया है कि भूमि-कटाव से समुद्री तट की सुरक्षा करने तथा समुद्री तटों के सौन्दर्यपरक और पर्यावरणीय गुणत्व के परिरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगें। इन राज्यों द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन केवल कुछ समय के पश्चात् ही किया जा सकता है क्योंकि किये जाने वाले उपायों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने में समय लगेगा।

पुरानी दिल्ली में यातायात की भीड़-भाड़

636. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह राज्य मन्त्री ने यातायात की भीड़-भाड़ का अध्ययन करने के लिए पुरानी दिल्ली का दौरा किया था;

(ख) क्या यह दौरा राजधानी में यातायात की भीड़ दूर करने के प्रस्तावित गहन अभियान के अनुसरण में किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री निहार रंजर लास्कर) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कई स्थानों पर अनधिकृत रूप से किए गए कब्जे को हटा दिया गया है ।

(2) सड़कों पर अनुचित रूप से खड़े पाये जाने वाले वाहनों को क्रेनोंकी सहायता से ले जाया जाता है ।

(3) उस क्षेत्र के दुकानदारों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने सामान को पैदल-पथ सड़कों पर न रखें ।

(4) लोगों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए एक जन सम्बोधन पद्धति द्वारा प्रतिदिन कहा जाता है ।

(5) अधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात को नियमित करने के लिये यातायात के अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं ।

(6) दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों से अजमेरी गेट/जामा मस्जिद क्षेत्र में कारें खड़ी करने के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है । लाल किला, मोरी गेट, श्रद्धानंद मार्ग और आसफअली रोड़ पर वाहन खड़े करने के स्थानों का विकास किया जा रहा है और ये वाहनों को खड़े करने के लिये उपलब्ध किये जाएंगे । इन उपायों से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ।

इस्पात का आयात करने के लिए खुला सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) प्रणाली

637. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और इस्पात की बनी वस्तुओं का आयात करने के लिए खुला सामान्य लाइसेंस प्रणाली सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) लोहे तथा इस्पात की आयात-नीति का उद्देश्य यह है कि उन श्रेणियों का आयात करने की सुविधाएं प्रदान की जाएं जिनकी देश में कमी है । ऐसा करते समय देशीय उद्योग के हितों को ध्यान में रखा जाता है । अगले वर्ष की नीति के बारे में घोषणा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष के आरम्भ में की जाएगी ।

वाणिज्यिक वाहनों के मूल्य में वृद्धि

638. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1977 को सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों तथा कारों के थोक मूल्य क्या थे;

(ख) समय-समय पर इन गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं तथा मूल्यों में मनमाने तौर पर वृद्धि किए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पंचाग वर्ष 1977, 1978, 1979, 1980 तथा 1981 में निर्मित प्रत्येक श्रेणी के वाहनों की संख्या क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :(क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अधिक लोकप्रिय मेकों की कीमतें दी गई हैं।

(ख) निर्माताओं ने बताया है कि अन्तर्वस्तुओं और उपरिव्यय आदि की लागत में वृद्धि होने के कारण समय-समय पर मूल्यों में वृद्धि की गई है। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य-वृद्धि रोकने की आवश्यकता के बारे में निर्माताओं पर बल दिया है। इसके साथ ही, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों से मामले की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ग) निर्माताओं द्वारा बताए गए ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वाणिज्यिक गाड़ियां (हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों सहित)	**नग**
1977	41,207
1978	51,470
1979	58,373
1980	65,931
1981	87,328
यात्री कारें	
1977	38,285
1978	34,630
1979	29,299
1980	30,462
1981	42,381

विवरण

(रुपयों में)

वस्तु	मेक	निम्नलिखित तारीखों को दिल्ली में खुदरा मूल्य					
		1-1-77	1-1-78	1-1-79	1-1-80	1-1-81	1-1-82
ट्रक चेसिस	टाटा	*1,04,500	1,11,100	1,13,356	1,42,910	1,60,727	1,76,669
	लेलैंड	1,03,627	1,05,876	1,20,730,	1,53,563	1,74,053	1,87,301
बस चेसिस	टाटा	*1,01,750	1,08,350	1,10,394	1,37,368	1,53,594	1,72,891
	लेलैंड	1,04,355	1,06,604	1,21,462	1,54,393	1,74,570	1,87,500
कारें	अम्बेसेडर	31,140	34,806	38,390	51,116	57,864	73,525
	प्रीमियर पदमिनी	32,068	35, 274	39,183	50,980	63,492	69,127
हल्की वाणिज्यिक गाड़ियाँ	मेटाडोर	42,977	44,113	47,727	54,409	62,136	70,750
	**स्टैंडर्ड-20 (मिनी बस)	44,773	44,773	47,023	52,623	60,462	65,280

*क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, दिल्ली से निकलते समय का खुदरा मूल्य

**बताई गई कीमत कारखाने से निकलते समय का खुदरा बिक्री-मूल्य है।

'न्यूक्लियर-रिप्रोसेसिंग' संयंत्र स्थापित करने की योजना

639. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा 30 जनवरी, 1982 के नेशनल हेराल्ड में छपा है न्यूक्लियर एन रिप्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा समुद्र विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास के निकट कलपाक्कम में एक पुनः संसाधन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । यह संयंत्र, कलपाक्कम स्थित मद्रास परमाणु बिजलीघर तथा फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर से प्राप्त भुक्तशेष ईंधन को पुनः संसोधित करेगा । यह संयंत्र उच्च सक्रियता वाले विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न हुये अपशिष्ट भागों से प्लूटोनियम को अलग करेगा, जो नयां ईंधन तैयार करने के काम में लाया जाएगा ।

असम बंगला सीमा पर तार लगाये जाने के बारे में समाचार

640. **श्री हरिनाथ मिश्र**
श्री तारिक अनवर } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "बैरियर टू बी इरेक्टेड आन असम-बंगला बार्डरनी-एग्रीमेंट आन एलियान्स डिटेक्शन" (असम बंगला सीमा पर तार लगाया जाना-बिदेशियों की पहचान के बारे में कोई समझौता नहीं) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 1982 के तीसरे सप्ताह में हुई असम के विदेशियों पर त्रिपक्षीय वार्ता का प्रथम दौर पहचान-फार्मूले का मामला विना किसी समझौते के समाप्त हुआ;

(ग) यदि हां, तो सरकार और आन्दोलन के नेताओं के दृष्टिकोणों के बीच मौलिक मतभेद क्या थे;

(घ) क्या जब बैठक पर सहमति हो गई थी कि बंगला देश सीमा को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये तब इस बारे में कोई प्रगति हुई थी; यदि हां, तो उठाए जाने वाले इन कदमों का ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है; और

(ङ) त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां,

(ग) विदेशियों की पहचान संबंधी फार्मूले पर वार्ताएं अभी तक अनिर्णायक रही हैं। मत-भेदों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित को अन्तिम रूप दिया गया :—

"अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर उपर्युक्त स्थानों पर भौतिक रुकावटें, जैसे दीवारें, कांटेदार तारें तथा अन्य रुकावटें खड़ी करके भविष्य में घुसपैठ से सुरक्षा की जाएगी। समस्त अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ भूमि और तटीय मार्गों पर सुरक्षा बलों द्वारा गश्त पर्याप्त रूप से कड़ी की जाएगी। भविष्य में घुसपैठ को कारगर ढंग से रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंध और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में जांच चौकियां स्थापित की जाएंगी।

2. उपर्युक्त प्रबंधों के अतिरिक्त और सुरक्षा के विचार को ध्यान में रखकर सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर एक सड़क का निर्माण किया जायेगा ताकि सुरक्षा बलों द्वारा गश्त को सरल बनाया जा सके। सीमा और सड़क के बीच भूमि को जहां संभव होगा, निर्जन रखा जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ तटीय गश्त गहन की जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाले अथवा पार करने का प्रयास करने वाले घुसपैठियों को रोकने के लिए सभी कारगर उपाय किए जाएंगे।"

अधिकारियों की एक समिति विभिन्न उपायों की व्यावहारियता की जांच कर रही है।

(ङ) संयुक्त वार्ताओं का एक अन्य दौर 8 से 10 फरवरी, 1982 तक नई दिल्ली में हुआ था। विचार विमर्श 15 और 20 मार्च, 1982 के बीच किसी समय शुरू करने का विचार है।

"गवर्नमेंट डिटरमिन्ड टु फ्लश आउट एम० एन० एफ०"
शीर्षक समाचार

641. **श्री हरिनाथ मिश्र**
श्री एस० एम० कृष्ण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में "गवर्नमेंट डिटर मिन्ड टु फ्लश आउट एम० एन० एफ०" (सरकार मिजो नेशनल फ्रंट को समाप्त करने को कटिबद्ध) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिजो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगाना तथा देश द्रोहियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का अर्थ मिजोरम के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों के विरुद्ध बड़ा अभियान शुरू करना है;

(ग) क्या श्री लालडेंगा द्वारा अपने भूमिगत संगठन को सुदृढ़ करने और मिजोरम में वैधानिक रूप से गठित प्रशासन को कमजोर सिद्ध करने के उद्देश्य से, शान्ति वार्ता में किया जा रहा "दूराग्रह" ही श्री लालडेंगा तथा भारत सरकार के मध्य बातचीत के असफल हो जाने का मुख्य कारण है; और

(घ) यदि हां, तो मिजो नेशनल फ्रंट की लगातार की गतिविधियां क्या रही है और सरकार उनसे कैसे निपट रही हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) : जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) मिजो नेशनल फ्रंट और इसकी सम्बद्ध संस्थाओं को जब कि श्री लालडेंगा के साथ वार्ता जारी थी अवैध गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 20 जनवरी, 1982 को अवैध गतिविधियों (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन अवैध संस्थाएं घोषित कर दिया गया है।

(घ) मिजो नेशनल फ्रंट के कर्मिकों पर संदेह है कि वे जुलाई, 1979 से सुरक्षा बल के 23 कर्मिकों और 39 सिविलियनों को मारने और 11 लाख रुपये वलपूर्वक एकत्र करने के लिए उत्तरदायी हैं। संघ शासित क्षेत्र में शान्ति और सद्भाव बनाये रखने के लिये कानून के अधीन कार्रवाई की जा रही है।

"स्टील प्लांट प्रोजेक्ट बोइंग टास्टड अराउण्ड" शीर्षक समाचार

642. **श्री हरीनाथ मिश्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "स्टील प्लांट प्रोजैक्ट बोइंग टास्टड अराउण्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विजयनगर इस्पात संयंत्र परियोजना का प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास किये जाने के 10 वर्ष से भी अधिक अवधि के बाद भी यह परियोजना एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में धक्के खाती रही है;

(ग) क्या विजयनगर में इस 30 लाख टन के इस इस्पात संयंत्र की लागत वर्ष 1976 में व्याप्त मूल्यानुसार 1,680 करोड़ रुपये होनी थी और अब नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1981 के आरम्भ के मूल्यानुसार यह लागत 2,963 करोड़ रुपये होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को क्रियान्वित करने में इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। विजयनगर में परम्परागत धमन भट्टी प्रक्रिया पर आधारित 31 लाख टन क्षमता का एक कारखाना लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर रेलवे तथा ऊर्जा जैसे अन्य मन्त्रालयों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। यह विचार-विनिमय परियोजना के बारे में आन्तरिक रूप से विचार करने जैसा है।

(ग) अप्रैल, 1977 में तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1976 की तीसरी तिमाही के मूल्यों के आधार पर विजयनगर में 30 लाख टन क्षमता के इस्पात कारखाने की लागत का अनुमान 1579.6 करोड़ रुपये लगाया गया था। मई, 1981 में प्रस्तुत की गई अयतन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1981 की प्रथम तिमाही के मूल्यों के आधर पर विजयनगर में 31 लाख टन क्षमता के इस्पात कारखाने की पूंजीगत लागत का अनुमान 2962.9 करोड़ रुपये लगाया गया है। इन दोनों ही लागत अनुमानों की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि परियोजना के क्षेत्र और प्राचालों में काफी अन्तर है।

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना की मंजूरी न दे सकने का मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों की कठिनाई है।

"सिंगल विंडो" फार जाबलैस सांइटिस्ट्स" शीर्षक समाचार

643. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में "सिंगल विंडो फार जाबलैस सांइटिस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो (एक) क्या बेरोजगार वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकियों को अपनी निजी ईकाइयां स्थापित करने हेतु जल्द ही "एक ही खिड़की" पर सहायता मिलने लगेगी, और (दो) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यकलापों को समन्वित करने हेतु डा०एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम विकास बोर्ड की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो (एक) उक्त बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं; (दो) इससे किन-किन श्रेणियों के तथा कितने बेरोजगार वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकियों को लाभ होने की आशा है, और (तीन) इन वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकियों को किस-किस तरीके से सहायता दी जायेगी; और

(घ) (एक) बोर्ड की स्थापना तथा उसके कार्यकलापों की रूप रेखा तैयार करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और (दो) चालू योजनावधि के शेष वर्षों में क्या-क्या भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर लेने का अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) जी हां, एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण

(क) से (घ) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड में बेरोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को "एकल खिड़की" के आधार पर उपलब्ध स्वरोजगार के अवसरों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा ओर ऐसी जानकारी को देश के भीतर और विदेशों में विकेन्द्रीकृत आधार पर प्रचारित-प्रसारित कराने की यवस्था करेगा।

बोर्ड का गठन 18-1-1982 को किया गया। इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :

पदेन सदस्य

1.	अध्यक्ष, मंत्रिमण्डल की विज्ञान सलाहकार समिति	अध्यक्ष
2.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
3.	सचिव, इलैक्ट्रानिकी	सदस्य
4.	सचिव, पर्यावरण	सदस्य
5.	सचिव, वाणिज्य	,,
6.	सचिव, औद्योगिक विकास	,,
7.	सचिव, व्यय	,,
8.	सचिव बैंककारी	,,
9.	सचिव, श्रम	,,
10.	सचिव, शिक्षा	,,
11.	सचिव, कृषि	,,
12.	सचिव, ग्रामीण पुनर्निर्माण	,,
13.	महानिदेशक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	,,
14.	अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया	,,
15.	अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल फाइनैंस कार्पोरेशन	,,
16.	अध्यक्ष, एग्रीकल्चरल रिफानेंइस एंड डिवेलपमेंट कारपोरेशन	,,

17.	अध्यक्ष, एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन	सदस्य
18.	प्रधान, फैडरेशन आफ इन्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री	"
19.	प्रधान एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री	"

नमित सदस्य

20.	डा० एस० वारद राजन	"
21.	डा० वाई० नायुडम्मा	"
22.	कार्यक्रम का प्रभारी कार्यकारी अधिकारी	सदस्य-सचिव

बोर्ड शीघ्र ही विस्तार से अपनी कार्यप्रणाली का निरुपण करेगा। साथ ही उन विभिन्न प्रस्तावों का निरूपण किया जाएगा जिन्हें सांस्थानिक वित्त और क्षेत्रों की सहायता से हाथ में लिया जायेगा जिनमें परियोजनाओं का सूत्रपात्र किया जाना है।

कार्यमंचों (पार्टिसिपेटिव फोरम्स) में श्रमिकों के प्रतिनिधि

644. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्यमंचों (पार्टिसिपेटिव फोरम्स) में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चर्म, खालों तथा चमड़ा उत्पादों का अनुपात

645. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान कच्ची खालों चर्म अर्द्ध परिशोधित चमड़े तैयार चमड़े तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यात अनुपात का मदवार ब्योरा क्या है; और

(ख) कच्ची खालों तथा चर्म को अर्द्ध परिशोधित चमड़े में बदलने के लिए तथा तैयार चमड़े और चमड़ा उत्पाद तैयार करने के कार्य में वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान उद्योग में हुई प्रगति का मदवार ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कच्ची खालें निर्यात करना निषेध है। पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान अर्द्ध परिशोधित चमड़ा, तैयार चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात का विवरण निम्न प्रकार है :

(दस लाख रुपयों में)

	1979-80	1980-81
1. अर्द्ध परिशोधित चमड़ा	885.44	565.85
2. तैयार चमड़ा	2660.09	1867.94
3. चमड़ा उत्पाद	698.87	870.42
योग	4244.4)	3304.21

इस आधार पर 1979-80 और 1980-81 के दौरान अर्द्ध परिशोधित चमड़ा, तैयार चमड़ा और उत्पादों के निर्यात का अनुपात क्रमश: 9 : 27 : 7 और 6 : 19 : 9 के लगभग निकलता है।

(ख) चमड़ा और चमड़े का सामान बनाने वाले उद्योगों के अत्यधिक बिखरे होने के कारण वर्ष 1980 और 1981 में इसमें हुए विकास का ठीक-ठीक ब्योरा उपलब्ध नहीं है। फिर भी वर्ष 1980 और 1981 को खालों और चमड़े की अनुमानित उपलब्धता निम्न प्रकार है :

	(आंकड़े दस लाख वर्गों में)	
	1980	1981
भैंस और गाय की खालें	32.68	33.4
बकरी और भेड़ का चमड़ा	68.88	69.38

यह मान लिया गया है कि उपलब्ध खालों और चमड़े को अर्द्ध परिशोधित चमड़े में बदल दिया जाता है। संगठित क्षेत्र में 1980 और 1981 के दौरान तैयार चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन में हुई वृद्धि निम्न प्रकार है :

मद	उत्पादन (दस लाख संख्या)		वृद्धि दर (लगभग)
	1980	1981	
खालों से तैयार चमड़ा	2.74	4.96	81 प्रतिशत
चर्म से तैयार किया गया चमड़ा	23.48	25.22	8 प्रतिशत
चमड़े के जूते (जोड़े)	12.27	14.33	16 प्रतिशत

पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

646. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती**
श्री मुकुन्द मण्डल
श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री निरेन घोष : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के रुग्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

647 **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण करने के प्रयोजन से केन्द्रीय स्तर पर एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस पर कुल कितना खर्च होना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण के लिये केंद्रीय योजना को 10 वर्ष की और अवधि के लिये बढ़ाया गया था, जिसका 1980-81 से 1989-90 तक का कुल परिव्यय 100 करोड़ रुपये हैं। राज्य सरकारों को सहायता के रूप में 7.5 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी ताकि वे 1980-81 के दौरान इस योजना को कार्यान्वित कर सकें। 1981-82 के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये योजना के अधीन राज्यों को 31-12-81 तक 3,43,75,500 रु० की राशि दी जा चुकी है।

बंधुआ मजदूर

648. **श्री चित्त बसु** : क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1982 तक मुक्त तथा पुनर्वासित न हो सके बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार बंधुआ मजदूरी की पुनः परिभाषा करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनका पुनर्वास करने हेतु जिला स्तर पर कार्य-बल स्थापित करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 31 जनवरी, 1982 तक पता लगाए गये मुक्त कराये गये और पुनर्वासित किये गये बंधुआ श्रमिकों की संख्या दर्शाई गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य सरकारें ऐसे बंधुआ श्रमिकों का, जो अभी आवर्ती सर्वेक्षणों के अनुसार बाकी है, पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठा रही है। सभी राज्य सरकारों पर इस कार्य की अत्यावश्यकता के लिए दबाव डाला गया है।

विवरण

बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना तथा पुनर्वास

(31-1-1981)

राज्य	पता लगाए गए और मुक्त कराए गए	अन्य चालू योजनाओं के अधीन	केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अधीन अब तक पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या				इनके अन्तर्गत आने वालों की कुल संख्या	पुनर्वासित किए जाने वालों की शेष संख्या जिसमें 1981 के दौरान पता लगाए गए नए बंधुआ श्रमिक शामिल हैं।
			1978-79 के दौरान	1979-80 के दौरान	1980-81 के दौरान	1981-82 के दौरान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	13399	2880	2920	1586	2268	913	10567	2832
बिहार	4958	952	816	369	1876	361	4374	584
गुजरात	42	42	—	—	—	—	42	—
कर्नाटक	62699	39960	527	1521	13436	61	55505	7194
केरल	1162	138	110	60	—	—	308	854
मध्य प्रदेश	1531	—	58	—	—	77	135	1396
उड़ीसा	7096	—	321	16	517	4938	5792	1304
राजस्थान	6036	4256	703	700	344	36	6036	—
तमिलनाडु	27874	27311	—	—	359	—	27670	204
उत्तर प्रदेश	8758	1368	495	2606	500	3664	8633	120
कुल	1,33,550	76,907	5947	6,858	19,300	10,050	1,19,062	14,488

अन्तर्राज्यीय आब्रजक श्रमिक (रोजगार तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम

649. **श्री चित बसु**
श्री के० ए० राजन } : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अन्तर्राज्यीय आब्रजक श्रमिक (रोजगार तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम के अधीन नियम तैयार नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है; और

(ग) सभी राज्यों में उक्त अधिनियम को प्रभावी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जैसी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, मेघालय, मणिपुर, पांडिचेरी, चंडीगढ़, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली, मिजोरम, लक्ष्यद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव तथा दिल्ली हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे बिना किसी विलंब के अपने नियम बनाएं। वे इस संबंध में सक्रिय कदम उठा रहे हैं।

राज्यों में उर्दू भाषा को मान्यता

650. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जा चुकी है;

(ख) उक्त मान्यता किस-किस आधार पर जी जानी है; और

(ग) उक्त मान्यता के फलस्वरूप क्या लाभ मिल जाते हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उर्दू जम्मू तथा कश्मीर राज्य में राज्यभाषा है। यह आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में दूसरी राजभाषा है। इसी प्रकार उर्दू को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बिहार के 15 जिलों में दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है।

(ख) अगस्त, 1961 में हुए मुख्य मन्त्रियों और केन्द्रीय मन्त्रियों के सम्मेलन में कार्यालय प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यकों की भाषाओं को मान्यता देने के लिये कुछ मानदण्ड तैयार किए गए थे। इन सिफारिशों के अनुसार किसी राज्य को एकभाषी तब समझा जाता है जब इसकी 70 प्रतिशत अथवा अधिक जन संख्या एक भाषा बोलती हो और यदि राज्य के काफी अल्पसंख्यक जिनकी तादात 30 प्रतिशत अथवा अधिक हो, दूसरी भाषा बोलते हैं तो ऐसा राज्य द्विभाषी समझा जाता है। जिला स्तर पर जहां 60 प्रतिशत जनसंख्या राज्य की राजभाषा के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा बोलती है अथवा प्रयोग करती है तो उस जिले में राज्य की राजभाषा के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समूह की उस भाषा को मान्यता देनी पड़ती है। उर्दू भाषी जनसंख्या के संबंध में जहां उपर्युक्त मानदण्ड पूरे हो जाते हैं वहां राज्य सरकार उस भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करती है। फिर भी किसी अल्पसंख्यक भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देना विभिन्न राज्यों पर निर्भर है।

(ग) इसके लाभ राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों में दिये गए हैं जिनमें ऐसे प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन की गई गिरफ्तारियां

651. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के जनवरी मास के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन विभिन्न राज्यों में (राज्यवार) कितनी गिरफ्तारियां की गईं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अभी तक बन्दी हैं; और

(ग) उनकी गिरफ़्तारी के क्या कारण हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) नजरबन्दी के आदेश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए गए थे क्योंकि सम्बद्ध व्यक्ति राज्य की सुरक्षा अथवा लोक व्यवस्था को बनाए रखने अथवा समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करते पाये गये थे।

विवरण

राज्य	जनवरी, 1982 के दौरान नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या	जनवरी, 1982 के अन्त में नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	39	1
असम	12	8

1	3	4
बिहार	7	6
गुजरात	5	5
मध्य प्रदेश	4	4
महाराष्ट्र	6	6
मणिपुर	4	4
उड़ीसा	7	2
पंजाब	2	1
राजस्थान	2	1
तमिलनाडु	1	1
उत्तर प्रदेश	18	8
दिल्ली	1	1

शेष राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

स्वाधीनता संघर्ष के दौरान बन्दी बने अल्पवयस्क स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन

652. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे स्वाधीनता सेनानियों को भी स्वाधीनता सेनानी पेंशन देने का कोई प्रावधान है जो स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उस समय कारावास में डाले गये थे जबकि वे अल्पव्यस्क थे तथा इस कारण उनको दण्डित नहीं किया जा सकता था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय किस तारीख से लिया गया था तथा कब से क्रियान्वित किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या ऐसे मामलों में भी स्वाधीनता सेनानी पेंशन देने का निर्णय लिया जायेगा; और

(घ) उक्त निर्णय संभवत: किस तारीख तक कर लिया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन में उन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन देने का प्रावधान है जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में अर्हक अवधि के लिये कारावास/नजरबन्दी की यातना सहन की थी, जब वे अल्पवयस्क थे, भले ही उन्हें सुधारात्मक स्कूलों/बोरस्टल जेलों में रखा गया था। स्वतन्त्रता सेनानियों के जेलों में जन्मे बच्चों की ओर/या जो बच्चे अपने अभिभावकों के साथ अर्हक अवधि के लिए जेलों में उन्हें सम्मान पेन्शन उपबन्धों में छूट देकर पेन्शन देने की पात्रता के मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

छठी योजना मध्यावधि समीक्षा

653. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना की कोई मध्यावधि समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुर्नसमीक्षा की मुख्य बातें क्या रहीं और भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य तथा भारत सरकार के प्रत्येक विभाग के लिए कितने-कितने वित्तीय नियतन का निर्णय किया गया ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कागज तथा गत्ता उद्योग उत्पादन की क्षमता

654. **श्रीमती सुशीला गोपालन**
श्री सुबोध जैन } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज तथा गत्ता उत्पादन उद्योग की वार्षिक क्षमता 17 लाख टन है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान क्षमता के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योग में क्षमता का कम उपयोग हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उद्योग में क्षमता के कम उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1980 तथा 1981 के दौरान कागज तथा कागज गत्ते की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोए निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (मी० टन प्रतिवर्ष)	क्षमता का उपयोग
1980	15 38	72 प्रतिशत
1981	16.57	75 प्रतिशत

(ग) और (घ) क्षमता के कम उपयोग के निम्नलिखित कारण हैं:—

(क) उद्योग के तेजी से विकास के कारण नये एककों में अभी अधिकतम क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। (ख) कोयले की ढुलाई करने के लिए पर्याप्त वैगनों की अनुपलब्धि, तथा (ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई विद्युत कटौतियां।

(ङ) सरकार द्वारा कागज उद्योग के लिए भविष्य में कोयले का परिवहन करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर वैगनों का आवंटन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं तथा विद्युत संभरण में भी पर्याप्त सुधार होने की आशा है जिससे 1982 के दौरान क्षमता का बेहतर उपयोग होने की आशा है।

निर्णयों में विलम्ब के कारण इलैक्ट्रोनिक्स उत्पादन में बाधा

655. **प्रो० अजित कुमार मेहता**
श्री रशीद मसूद : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रोनिक्स तथा तत्सम्बन्धी उपकरणों के उत्पादन से संबंधित मामलों में अनिश्चय की स्थिति तथा निर्णय में विलम्ब के फलस्वरूप विशेषत: सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निदेश अवरुद्ध ही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन मामलों में निर्णय करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में सरकारी क्षेत्र की एल्यूमिनियम परियोजना के चालू होने में विलम्ब

656. प्रो० मधु दण्डवते : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के पिछड़े हुए कोंकण क्षेत्र से रत्नगिरि जिले में सरकारी क्षेत्र की एल्यूमिनियम परियोजना के चालू होने में लम्बा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(ख) उक्त परियोजना के कार्य को तेज करने में हो रही कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) यह परियोजना सम्भवतः अब चालू हो जायेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना, जो 1974 में स्वीकृत की गई थी, का कार्यान्वयन वित्तीय कठिनाइयों के कारण शुरू नहीं किया जा सका। यह उन परियोजनाओं में से एक थी जिन की समीक्षा छठी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय की गई थी। समीक्षा से पता चला कि यह परियोजना अब तक अर्थपूर्ण नहीं होगी, जब तक कि संयंत्र के आकार का निश्चय न हो जाए तथा ऊर्जा बचत वाली अति-आधुनिक प्रौद्योगिकी न अपनाई जाए। अतः बड़े आकार के संयंत्र के लिए अधिक बाक्साइट भंडारों की पुष्टि के लिए क्षेत्र में और अधिक खोज करने का निश्चय किया गया है। पुनर्मूल्यांकन से बाद, परियोजना की अध्यक्षता की नए सिरे से जांच की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।

साढूपुर में हुई हत्याएं

657. प्रो० मधु दण्डवते
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी
श्री राम विलास पासवान
श्री विजय कुमार यादव
श्री माधव राव सिंधिया
श्री सूरज भान
श्री पीयूष तिरकी

: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने साढूपुर गांव में की गई 10 हरिजनों की हत्या के बाद अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिए उस गांव का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दुख:द घटना के मूल कारण के बारे में पता लगा सके हैं और उस अपराध के लिए कौन उत्तरदायी है;

(ग) यदि हां, तो क्या अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है; और

(घ) हरिजनों पर होने वाले ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचारहै ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय गृह मन्त्री ने 1 जनवरी, 1982 को साडूपुर का दौरा किया था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के अनुसार, मामले की अभी जांच की जा रही है। अभी तक न तो अभियुक्त की पहचान हो पायी है और न ही अपराध के इरादे का पता लगा है। राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार हत्या उस क्षेत्र के एक कुख्यात डकैत श्री अनार सिंह द्वारा की गई थी।

(घ) राज्य सरकार के अनुसार हरिजनों की सुरक्षा के लिए साडूपुर गांव में पी० ए० सी० की एक पलाटून तैनात कर दी गई है। घटना के बाद गांव के 7 हरिजनों को गन/राइफलों के लाइसेन्स स्वीकृत कर दिए गए हैं।। गांव के उन लाइसेंसधारियों को जो अपराध के समय हरिजनों की सुरक्षा के लिए नहीं आए, नोटिस जारी किए गए हैं। 31 दिसम्बर, 1981 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित परिवारों को 8500 रु० की वित्तीय सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त गांव के पीड़ित परिवारों को कुल 1,62,000 रु० की राशि वितरित की गई है। राज्य सरकार द्वारा गांव में विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैनपुरी जिले में 25 नई पुलिस वाह्य चौकिया स्थापित की गई हैं; और जिले में विभिन्न स्थानों पर पी० ए० सी० की 27 पलाटूनें तैनात की गई हैं।

केरल में भू-विज्ञान अध्ययन केन्द्र

658. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भू-विज्ञान केन्द्र की स्थापना कब हुई थी ; और

(ख) भू-विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन का ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) केरल में भू-विज्ञान केन्द्र की स्थापना मई, 1973 में हुई थी।

(ख) केन्द्र ने केरल तट पर तरंग-चढ़ाव-उतार बैरामीटरों के लगातार अध्ययन के लिए कोचीन में एक क्षेत्रीय केन्द्र के अलावा, तेल्लिचेरी, कालीकट, अल्लेप्पी और त्रिवेन्द्रम में चार तटीय प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। केन्द्र, केरल की एक स्रोत मानचित्रावली भी तैयार कर रहा है, जो चालू वर्ष में अपने लिए तैयार हो जाएगी। यह केन्द्र पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन, बहु-उद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं के मूल्यांकन तथा केरल के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण, भू आकृति एटलस बनाने का काम भी कर रहा है। केरल सरकार ने इस केन्द्र को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल खनिज अन्वेषण परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। भू-विज्ञान अध्ययन केन्द्र को सागर, भूमि और पर्यावरण सम्बन्धी बहु-विषयों के अध्ययन को संस्थागत करने के लिए गठित किया जा रहा है और उसने राज्य के लिए विशेष हित तथा व्यावहारिक परिणामों वाली अनेक परियोजनाओं का निर्धारण कर लिया है।

भारत में पाइराइट और ग्रेफाइट के भंडार

659. श्री ए० नीलालोहिथावसन नाडार : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वाणिज्यिक दोहन में योग्य पाइराइट और ग्रेफाइट के भंडार कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केरल के वाइनाड और वेलानाड क्षेत्रों में पाइराइट और ग्रेफाइट के भारी भंडार हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके वाणिज्यक दोहन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारत में वाणिज्यिक दोहन योग्य महत्वपूर्ण पाइराइट निक्षेप बिहार के रोहताश जिले में आमझोर और राजस्थान के सीकर जिले में सलादीपुरा में हैं। उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण ग्रेफाइट भंडार हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए भर्ती

660. श्री ए० नीलालोहिथावसन नाडर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 के बाद से प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए अब तक कितने-कितने लोग भर्ती किए गए हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने व्यक्ति भर्ती किए गए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1982 तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों समेत भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या (राज्य-वार) का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों समेत भर्ती किए गए कुल व्यक्ति	भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	भर्ती किए गए अनुसूचित जन जाति के उम्मीद वारों की संख्या
1.	असम	363	122	41
2.	आन्ध्र प्रदेश	391	82	27
3.	बिहार	1462	401	212
4.	गुजरात	180	48	53
5.	हरियाणा	1869	254	1
6.	हिमाचल प्रदेश	292	35	4
7.	जम्मू और कश्मीर	565	23	4
8.	कर्नाटक	231	35	10
9.	केरल	645	13	5

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	448	140	60
11.	महाराष्ट्र	482	112	41
12.	मणिपुर	86	1	2
13.	मेघालय	16	—	2
14.	नागालैंड	2	—	—
15.	उड़ीसा	408	52	17
16.	पंजाब	694	173	3
17.	राजस्थान	1226	196	51
18.	सिक्किम	2	2	—
19.	तमिलनाडु	483	109	25
20.	त्रिपुरा	40	39	—
21.	उत्तर प्रदेश	2875	257	94
22.	पश्चिम बंगाल	597	97	76
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	46	—	—
2.	अरुणांचल प्रदेश	27	—	19
3.	चण्डीगढ़	1	—	—
4.	दादर तथा नगर हवेली	2	1	—
5.	दिल्ली	123	40	2
6.	गोवा दमण तथा द्वीव	—	—	1
7.	मिजोरम	8	—	1
8.	पांडिचेरी	10	—	—
	जोड़	13,581	2202	767

प्रबन्ध में मजदूरों की सहभागिता

661. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार
श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा चुकी है और;

(ख) भारत सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आगे और क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न रूपों में श्रमिकों की व्यापक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता योजना को प्रारम्भ किया है। 100 या इससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले औद्योगिक उपक्रमों में द्विपक्षीय वर्क कमेटी में श्रमिकों के चुने हुए प्रतिनिधियों की सहभागिता के लिए पहली बार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में व्यवस्था की गई। 1958 में संयुक्त प्रबन्ध परिषद सम्बंधी योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसमें कतिपय विशिष्ट मामलों में सलाह-मशविरा या सूचना के आदान-प्रदान करने के अधिकार की व्यवस्था की गई, 1970 में एक सांविधिक योजना शुरू की गई, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-बोर्ड में श्रमिक निदेशक की नियुक्ति की व्यवस्था की जा सके। तदनन्तर, कुछ चुने हुए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध-बोर्डों में श्रमिक प्रतिनिधि को शामिल करने संबंधी योजना सन् 1971 में प्रारम्भ की गई। 500 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले विनिर्माण और खनन क्षेत्र की इकाईयों के लिए शाप-फ्लोर और संयंत्र स्तर पर उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता संबंधी स्वैच्छिक योजना अक्तूबर, 1975 में शुरू की गई। जनवरी, 1977 में सरकारी क्षेत्र के ऐसे वाणिज्य और सेवा संगठनों में, जिनका बड़े पैमाने पर लोगों से वास्ता पड़ता है और जिसमें कम से कम 100 व्यक्ति नियोजित हों, प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की नई योजना शुरू की गई।

1980 से, सरकार ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों तथा नियोजकों के संगठनों राज्य सरकारों के साथ हुई अनेक बैठकों में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता को सफल बनाया जाय। श्रम मन्त्री जी ने राज्य के मुख्य मन्त्रियों तथा केन्द्रीय नियोक्ता मंत्रालयों के मन्त्रियों से लिखकर अनुरोध किया है कि वे श्रमिक सहभागिता

सम्बन्धी स्वैच्छिक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाएं। सहभागी प्रबन्ध की धारणा के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए उत्पादिता परिषद द्वारा दिसम्बर, 1981 को दिल्ली में एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गयी और यह निर्णय किया गया है कि ऐसे स्थानों में जहां उद्योग सकेन्द्रित है क्षेत्रीय गोष्ठियां आयोजित की जाएं।

प्रबन्ध में इक्विटी में श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी 21 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप, सरकार प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता की अवधारणा को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे कार्यवाही करने पर विचार कर रही है।

पाराद्वीप और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों को उपकरण सप्लाई करने और परामर्शदात्री सेवा प्रदान करने के लिए विदेशी करार

662. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री के० टी० कोसल राम
श्री अर्जुन सेठी
: क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पाराद्वीप और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों को उपकरण सप्लाई करने और परामर्श दात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी करार करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बंगलौर स्थित एककों को यह ठेका न देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, नहीं। दस्तूर एण्ड कम्पनी विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए प्रमुख सलाहकार हैं और मेकन(भारत)पाराद्वीप इस्पात कारखाने के लिए सलाहकार हैं। विशापत्तनम कारखाने के लिए उपकरणों की प्राप्ती देशीय संभारकों और विदेशों (रूस भी शामिल है) से की जाएगी। पाराद्वीप इस्पात कारखाने के निर्माण का कार्य मैसर्स डैवी मैकी को आद्योपान्त आधार पर सौंपने का प्रस्ताव है।

(ग) विद्युत उपकरणों की सप्लाई के लिए ठेका देते समय भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की पेशकश पर विचार किया जाएगा।

श्रम प्रधान उद्योगों में गैर-सरकारी अमरीकी पूंजी का निवेश

663. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में वस्त्र उद्योग, जूता उद्योग और कुछ अन्य प्रकार के इस्पात उद्योगों जैसे श्रम प्रधान उद्योगों में गैर-सरकारी अमरीकी पूंजी के नए निवेश हो रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। किन्तु, विदेशी इक्विटी सहभागिता के बारे में सरकार की नीति चयनात्मक होती है तथा उद्योग की प्राथमिकता निहित प्रोद्योगिकी का स्वरूप, क्या इससे निर्यात का संवर्धन हो सकेगा। तथा उपर्युक्त को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध वैकल्पिक शर्तें अथवा समान प्रोद्योगिकी अन्तरण जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर ऐसी सहभागिता पर विचार किया जाता है।

राउरकेला में सीमेंट का निर्माण करने वाला एक एकक स्थापित करने के बारे में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का प्रस्ताव

664. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राउरकेला में सीमेंट का निर्माण करने वाले, एक एकक स्थापित करने के बारे में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सरकार ने राउरकेला में धातुमल से सीमेंट बनाने का एक कारखाना लगाने के प्रस्ताव को सिद्धान्ततः स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना के लागत अनुमान तथा अन्य विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

"एस० सी० आन स्टेनोज राइट्स" शीर्षक समाचार

665. श्री राम सिंह शाक्य : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1982 के इन्डियन एक्सप्रेस में "एस० सी० आन स्टेनोज राइट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें इन बातों पर प्रकाश डाला गया है ;

(एक) क्या आशुलिपिक को जो सरकारी टाइपराइटर पर एक निजी पत्र टाइप करता पाया गया था, दण्ड दिए जाने का पात्र है ;

(दो) क्या न्यायालय ने आदेश दिया है कि उस आशुलिपिक को तत्काल बहाल किया जाय ;

(तीन) केन्द्रीय सचिवालय में आशुलिपिकों द्वारा वकीलों के लिए अंशकालिक आधार पर कार्य किया जाना ;

(चार) निजी कार्यों के लिए टाइपराइटर तथा स्टेशनरी के प्रयोग पर सेवा संबंधी शर्तों का लागू किया जाना ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस आशय के आदेश जारी कर दिए गये हैं कि किसी भी आशुलिपिक के साथ भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा जैसा पारादीप बन्दरगाह के नौकरी से निकाले गए आशुलिपिक के साथ किया गया है और आशुलिपिकों के खाली तथा विश्राम के समय में उनके निजी कार्य के लिए टाइपराइटरों के इस्तेमाल की अनुमति होगी ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा सरकारी कर्मचारियों को अंशकालिक रोजगार करने की अनुमति दिए जाने के आशय के अनुदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंटकसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) दिनांक 29.1.82 के इन्डियन एक्सप्रेस में "एस० सी० आन स्टेनोज राइट्स" शीर्षक के अधीन एक समाचार प्रकाशित हुआ था और सरकार को इसकी जानकारी है।

(ग) सरकार का विचार कोई ऐसे आदेश जारी करने का नहीं है, जिसमें सरकारी उपकरणों का गैर-सरकारी कार्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाये, क्योंकि सरकारी उपकरण मूलतः सरकारी प्रयोजन के लिए ही होते हैं।

(घ) सरकारी कर्मचारियों को शासित करने वाले आचरण नियम, उन्हें सरकार के अधीन सेवा में रहते हुए अंशकालिक रोजगार की अनुमति नहीं देते। इसलिए सरकार का विचार अपने कर्मचारियों को बाहर रोजगार की अनुमति देने के कोई अनुदेश जारी करने का नहीं है।

मृत्यु दंड दिए गए अपराधियों को राज्य क्षमा प्रदान किया जाना

666. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एमनेस्टी इन्टरनेशनल के स्वीडिस सैक्शन ने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को लिखा है कि ऐसे सभी अपराधियों को, जिन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया है, मानवीय आधार राज्य-क्षमा प्रदान की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान। अमनेस्टी इन्टर नेशनल के स्वीडिश सैक्शन के कुछ ग्रुपों ने राष्ट्रपति को लिखा है कि सभी कैदियों के मृत्युदंड को मानवीय आधारों पर आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि अमनेस्टी इन्टरनेशनल सभी मामलों में मृत्यु दंड का विरोध करती है।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1978 जिसे नवम्बर, 1978 में राज्य सभा ने पारित किया था परन्तु छटी लोक सभा के भंग हो जाने के कारण समाप्त हो गया, में कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणियों के मामलों में वेंकल्पिक सजा के रूप में मृत्यु दंड देने की व्यवस्था की गई थी। समाप्त हुए विधेयक के आधार पर एक नया भारतीय दंड सहिता (संशोधन) विधेयक बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें मामलों की कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणियों तक मृत्यु दंड को सीमित रखा गया है परन्तु मृत्यु दंड को पूर्णतः समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मृत्यु दंड भारत की कानूनी पुस्तकों में बना है। फिर भी नई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों और उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गए मृत्यु दंड को सांविधानिक वेधता को बनाए रखने के निर्णण के कारण हत्या के मामले में मृत्यु दंड अपवाद है।

संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन मृत्यु दंड को बदलने के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए याचिकाएं प्रस्तुत करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया हैं और राष्ट्रपति प्रत्येक मामले के गुण दोषों के आधार पर इस अनुच्छेद के अधीन आदेश देते हैं।

भ्रष्टाचार-निरोधी विधेयक

667. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में व्यापक रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये संसद में एक भ्रष्टाचार निरोधी विधेयक पुरःस्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (**श्री पी० वेंकटसुब्बय्या**) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भ्रष्टाचार के अपराधों से निबटने के लिये कानूनों में पहले से ही पर्याप्त उपबन्ध हैं।

एस० के० डी०/सी० के० डी० कण्डीशन में पूर्ण स्वचालित हार्वेस्टर कम्बाइनों का आयात

668. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित क्षेत्र अथवा छोटे पैमाने के क्षेत्र द्वारा एस० के० डी०/सी० के० डी० कन्डीशन में पूर्ण स्व-चालित हार्वेस्टर कम्बाइनों का आयात किये जाने के बारे में अनुमति प्रदान की जा रही है ;

(ख) क्या देश में पूर्णतः स्वदेशी ज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा गेहूं और चावल के लिये स्वचालित हार्वेस्टर कम्बाइनों का निर्माण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो स्वदेशी मशीनों के उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें आयात करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) मे० पंजाब ट्रैक्टर्स लि० देश में विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर स्वचालित कम्बाइन हार्वेस्टरों का निर्माण कर रहा है । हां, वे उन हिस्से पुर्जों का सीमित मात्रा में आयात, कर रहे हैं जो देश में उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित किए गए छोटे इस्पात संयंत्रों की संख्या

669. श्री निहाल सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितने लघु इस्पात संयंत्र स्थापित किए गये और उनमें से कितनों में कार्य चालू हो गया है ; और

(ख) 1981-82 के दौरान राज्य-वार कितने अतिरिक्त लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इस्पात पिण्डों का उत्पादन करने के लिये विद्युत भट्टियों की स्थापना के लिये वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में आठ आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं । इनमें से सात इकाइयों में उत्पादन हो रहा है ।

(ख) वर्ष 1981-82 (जनवरी, 1982 तक) में 10 नये लघु इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये स्वीकृति दी गई है । राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. असम	1
2. गोआ	2
3. महाराष्ट्र	2
4. मेघालय	1
5. नागालेण्ड	1
6. उड़ीसा	1
7. पांडिचेरी	2
कुल :	10

मै० जे० के बैटरीज, भोपाल की ओर कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

670. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै० जे० के० बैटरीज लि० गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश में दैनिक और मासिक मजदूरी पाने वाले कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यह कम्पनी कर्मचारियों को स्थायी नहीं कर रही है ; और भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि जमा न करके श्रम हितकार कानूनों का उल्लंघन कर रही है ,· और

(ग) यदि हां, तो इस फर्म द्वारा भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन कितनी राशि जमा की गई और कम्पनी की ओर कितनी राशि बकाया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रतिष्ठान में दैनिक मजदूरी पर 837 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 353 कर्मचारी मासिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) कर्मचारियों को स्थाई करने या न करने से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन सीमा में कोई अन्तर नहीं पड़ता । तथापि, दोनों अधिनियम के अधीन अंशदानों को जमा करने के बारे में स्थिति नीचे दी गयी है :—

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

इस प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण सम्बन्ध अधिनियम, 1952 के पैराग्राफ 79 के अधीन पहली अगस्त, 1980 से छूट प्रदान की गई है और तब से वे अपने न्यासी बोर्डों को अंशदानों की राशि का हस्तांतरण कर रहे हैं। छूट प्रदान करने से पहले की अवधि के लिए प्रतिष्टान ने कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों के पास 6,64 089.00 रुपये की राशि जमा करा दी है और कोई राशि बकाया नहीं है ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

प्रतिष्ठान ने जनवरी, 1979 से नवम्बर, 1981 की अवधि के लिए 4,66,312.35 रु० की राशि का भुगतान कर दिया है और कोई राशि बकाया नहीं है ।

मैं० जीप इंडस्ट्रीयल सिंडीकेट, इलाहाबाद की ओर कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की राशि

671. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैं० जीप इण्डस्ट्रीयल सिंडीकेट लि०, इलाहाबाद, में कितने कर्मचारी दैनिक और मासिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कितनी राशि जमा की गई है और तत्संबन्धी बकाया राशि कितनी है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्म बीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन प्रतिष्ठान में 3733 कर्मचारी मासिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे हैं और दैनिक मजदूरी के आधार पर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है।

(ख) स्थिति निम्न प्रकार है : –

कर्मचारी भविष्य निधि बकाया राशि

इस प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन छूट प्राप्त है। उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने न्यासी बोर्ड को 59,09,976.60 रु० की राशि का हस्तांतरण किया है और कोई भी राशि बकाया नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा बकाया राशि

इस प्रतिष्ठान ने कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के लिए 30,42,620.05 रुपये की राशि जमा कराई है और सामान्यतः नियमित रूप से अनुपालन कर रहा है। तथापि, हाल ही में किए गए निरीक्षण के परिणामस्वरूप, 5,226.30 रुपए की कम अदायगी का पता लगाया गया और इस राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

लद्दाख क्षेत्र में असन्तोष और तनाव

672. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष माह जनवरी में लद्दाख क्षेत्र में भारी तनाव और असंतोष का था, और वहां गोली चलाये जाने की घटना भी घटित हुई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू-कश्मीर सरकार से परामर्श करके लद्दाख की वित्तीय समस्यायें सुलझाने, इस क्षेत्र के लोगों की मांगों के बारे में चर्चा करने,इस क्षेत्र का संतुलित विकास करने और इसका आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए कोई पहलकदमी की है ; और

(ग) क्या सरकार लद्दाख के लिए एक अलग योजना बनाने के बारे में विचार कर रही और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) राज्य में लद्दाख क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित रूप से विकास का उत्तर-दायित्व राज्य सरकार का है । राज्य सरकार के कथन के अनुसार लेह कार्य समिति द्वारा रखी गयी विभिन्न मांगे तथा जम्मू कश्मीर की केबिनेट-सब-कमेटी जिसने जनवरी 1981 में लेह का दौरा किया था, द्वारा स्वीकार की गई मांगों पर कार्यवाई की जा रही है तथा क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए व्यापक संदर्श योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार कदम उठा रही है। इस मामले में राज्य सरकार से आग्रह किया जा रहा है ।

(ग) लद्दाख के विकास के लिए अलग से एक उप योजना है । लद्दाख की छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान 1980-85 परिव्यय 44.60 करोड़ रुपए है । वार्षिक योजना 1981-82 के दौरान 8.30 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया था । इस क्षेत्र योजना के लिए केन्द्रीय सहायता की रूप रेखा 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण पर आधारित है ।

धातु और खनिज संसाधनों की खोज के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का खोज कार्यक्रम

673. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का विचार धातु और खनिज संसाधनों को बीज के लिए देश के तटीय प्रादेशिक क्षेत्रों में कोई खोज कार्यक्रम आरम करने का है;

(ख) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने सर्वेक्षण हेतु आवश्यक पोतो की व्यवस्था कर ली है;

(ग) क्या इस संबंध में भूवैज्ञानिकों के प्रशिक्षण अथवा आधुनिक उपकरण प्राप्त करने के लिए कोई सहयोग मांगा गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहले ही भारतीय जहाजरानी निगम से एक पोत खरीदा है, जिसे समुद्री सर्वेक्षण के लिए गवेषणी पोत के रूप में तैयार किया जा रहा है।

(ग) सर्वेक्षण कार्यों के लिए अपेक्षित उपकरण, अन्य पार्टियों से विशेष सहयोग प्रबंध किए बिना ही, सामान्य अवधि में प्राप्त किए जाते हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक एक योजना के अनुसार समुद्री भूविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ये योजना देश और विदेश में ऐसी प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रख कर बनाई जाती है।

अखबारी कागज के स्वदेशी उत्पादन तथा अनुमानित मांग के बीच अन्तर

674. श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982-83 में अखबारी कागज के अनुमानित स्वदेशी उत्पादन और उसी अवधि में अनुमानित मांग के बीच 2,65,000 टन का अन्तर है :

(ख) यदि हां, तो उक्त अन्तर को घटाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का का ब्योरा क्या है; और

(ग) देश की अखबारी कागज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1982-83 में देश में होने वाले उत्पादन तथा आवश्यकता के बीच लगभग 2,35,000 मी० टन का अन्तर होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) अभी हाल तक नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स नेपानगर ही अखबारी कागज तैयार करने का (वार्षिक 67,500 मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता वाला) एकमात्र एकक है। यह एक वार्षिक क्षमता को 75,000 मी० टन तक बढ़ा देने के लिए एक समन्वित तथा नवीकरण कार्यक्रम शुरू कर रहा है। 1982-83 तक मैसूर पेपर मिल्स लि०, 75,000 मी० टन वार्षिक क्षमता की अखबारी कागज परियोजना तथा हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०, की केरल न्यूजप्रिंट परियोजना के द्वारा 50,000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाणिज्यिक उत्पादन होने लगेगा।

निम्नलिखित योजनाओं के लिए लाइसेंस भी जारी किए गए हैं तथा कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवस्था में है :—

मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लि० = 50,000 मी० टन० वार्षिक

मैसर्स सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर कं० = 20,000 मी० टन वार्षिक।

यदि अखबारी कागज निर्माताओं से और कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए तो सरकार उन्हें भी प्रोत्साहन देगी।

विश्व बेंक के प्रतिनिधियों का हिन्दुस्तान केबल्स, रूपनारायणपुर का दौरा

675. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बेंक के प्रतिनिधियों ने हिन्दुस्तान केबल्स, रूपनारायणपुर एकक का दौरा किया था और उसके साथ के स्थान पर केवल अनुसंधान तथा विकास संस्थान की स्थापना के लिए 100 करोड़ रु० मंजूर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उद्योग तथा इस्पात और खाद मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात का उत्पादन

676. श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 तथा 1981 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों तथा टिस्को द्वार इस्पात का कुल कितना उत्पादन किया गया और उनकी क्षमता का कितना उपयोग हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि में देश में इस्पात की क्या मांग थी;

(ग) क्या यह सच है कि देश के भीतर उत्पादन और मांग के बीच अन्तर बढ़ रहा है; और

(घ) क्या इस्पात उद्योग के तेजी से विस्तार का कोई कार्यक्रम है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1980 और 1981 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में विक्रेय इस्पात के उत्पादन और क्षमता के उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है :—

(लाख टन)

	1980		1981	
	उत्पादन	क्षमता का उपयोग	उत्पादन	क्षमता का उपयोग
सेल	45.02	62.5 प्रतिशत	55.29	76.8 प्रतिशत
टिस्को	15.22	101 प्रतिशत	15.76	105 प्रतिशत

(ख) वर्ष 1980-81 में इस्पात की विभिन्न श्रेणियों की मांग 102.1 लाख टन आंकी गई थी जबकि वर्ष 1981-82 के लिए इन श्रेणियों की मांग 105.2 लाख टन आंकी गई है।

(ग) आशा है वर्ष 1981-82 के मुकाबले में वर्ष 1982-83 में प्रत्याशित उत्पादन और देशीय मांग का अन्तर कम रहेगा। वर्ष 1981-82 और 1982-83 में इस्पात की अनुमानित मांग और प्रत्याशित उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(लाख टन)

वर्ष	मांग	प्रत्याशित उत्पादन
1981-82	105.2	90.5
1982-83	100.5	98.2

(घ) बोकारो और भिलाई के इस्पात कारखानों का विस्तार कार्य चल रहा है। विशाखापत्तनम में एक नये इस्पात कारखाने का निर्माण किया जा रहा है और पारादीप में एक अन्य इस्पात कारखाने के निर्माण की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा पंचाट निर्णयों को कार्यान्वित न किया जाना

67. श्री ए० के० राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा टिस्को कोयला खानें समूह द्वारा पिछले तीन वर्षों में कार्यान्वित न किए गए पंचाट के नाम एवं ब्यौरे क्या हैं तथा बिहार के जिला धनबाद की यूनियनों के नाम क्या हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा प्रबंधकों के विरुद्ध कितने मामलों पर विचार किया गया तथा मुकदमे दायर किए गए;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबंधकों द्वारा मुकदमों की उपेक्षा कर दी जाती है और पंचाट निर्णयों के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है जिससे क्षेत्र में तनाव एवं अशांति पैदा होती है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या-3385/82]

(ग) और (घ) कुछ मामलों में, अभियोजन मामला दायर करने के पश्चात् भी पंचाटों का कार्यान्वियन न करना जारी रहता है। पंचाटों को कार्यान्वित न किए जाने के कारण उत्पन्न तनाव की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य

678. श्री इन्द्रजीत गुप्त
डा० ए० यू० आजमी
श्री एस० एन० कृष्ण
श्री रशीद मसूद
श्री रामावतार शास्त्री
श्री जार्ज फर्नाण्डीस
: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित इस्पात संयंत्रों द्वारा चालू वर्ष के लिए बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेंगे;

(ख) यदि हाँ, तो उत्पादन के लक्ष्य क्या हैं तथा अब तक का वास्तविक उत्पादन क्या रहा;

(ग) उत्पादन में कमी का क्या कारण है; और

(घ) क्या अगले इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्वी उत्तर प्रदेश में करके इसे भारत के मान-चित्र में गौरव का स्थान दिया जायेगा?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) चालू वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के उत्पा-

दन का लक्ष्य वर्ष के आरम्भ में 57.3 लाख टन निर्धारित किया गया था। सितम्बर, 1981 में इस धारणा के आधार पर कि वर्ष की शेष अवधि में अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धि और अच्छी हो जाएगी, इस लक्ष्य में संशोधन करके इसे बढ़ाकर 63 लाख टन कर दिया गया था। चूंकि यह धारणा पूरी नहीं हो सकी अत: सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए कारखानों का उत्पादन कार्यक्रम 57.3 लाख टन के आरम्भिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही बना रहा। आशा है वर्ष के अन्त तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा।

अप्रैल, 81 से जनवरी, 82 के 10 महीनों का निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(हजार टनों में)

कारखाना	1981-82 के लिए विक्रेय इस्पात का वास्तविक लक्ष्य	अप्रैल-81 से जनवरी, 82 के लिए तदनुरूपी लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य की पूर्ति का प्रतिशत
भिलाई	1750	1449	1456	100.5
दुर्गापुर	780	650	649	99.8
राउरकेला	1080	898	890	99.1
बोकारो	1600	1313	1195	91
इस्को	520	425	404	95.1
जोड़ सेल	5730	4735	4594	97 प्र०

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा आयात किए गए इस्पात की गैर-सरकारी पार्टियों को डिलीवरी

679. श्री दयाराम शाक्य
श्री लक्ष्मण मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा दिल्ली में एशियाड परियोजनाओं के लिए आयात किया गया लाखों रुपयों के मूल्य का इस्पात किसी गैर-सरकारी पार्टी को दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उस गैर-सरकारी पार्टी का नाम क्या है जिसे वह इस्पात दिया गया है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पोर्ट ब्लेयर अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की काल कोठरी को राष्ट्रीय स्मारक में बदलना

680. श्री दया राम शाक्य : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान निकोबार द्वीप समूहों की राजधानी पोर्ट ब्लेअर की काल कोठरी को राष्ट्रीय स्मारक में बदलने का समारोह का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था; और

(ख) किन किन राष्ट्रीय नेताओं तथा विशेष रूप से प्रधान मंत्रियों के चित्र वहां पर लगाए गए हैं?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) पोर्ट ब्लेयर में सेल्लुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा 11 फरवरी 1979 को किया गया था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"कोर" क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

681. श्री गुलाम रसूल कोचक
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह निर्णय किया था कि विशेष रूप से "कोर" क्षेत्र की

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि तथा रक्षा आवश्यकताओं के संदर्भ में योजना प्राथमिकताओं का क्रम फिर से तय किया जाना होगा ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा अपनी बैठक में अन्य क्या निर्णय किए गए ,

(ग) सरकार द्वारा परियोजनाओं की लागत वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या योजना आयोग ने राज्यों के लिए 1982 के लिए वार्षिक योजनाएं नियम करने का भी निर्णय किया है; और

(ङ) वर्ष 1982 के दौरान किन-किन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। अभी तक छठी योजना की मूल प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ख) बैठक में किए गए निर्णयों की सूची संलगन है।

(ग) कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए जो कार्रवाई पहले से की गई है वह है कीमतों को स्थिर करने और कीमतों में स्थिरता को बनाए रखने, योजना को वास्तविक स्वरूप में बनाए रखने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने और वार्षिक योजनाओं के जरिए योजनागत परियोजनाओं की लागत के लिए समायोजन करने के लिए सतत उपाय करते रहना।

(घ) पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 1982-83 के लिए वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ङ) योजनागत परियोजनाएं/स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है ऐसी परियोजनाओं की पूरी सूची तैयार करना इस समय संभव नहीं हैं जो वर्ष 1982 में पूरी हो जाएंगी।

सूची

(1) वर्ष 1982 को उत्पादकता वर्ष माना जाना चाहिए तथा इसके साथ-साथ कृषि और उद्योग को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों और सभी बड़ी परियोजनाओं में क्षमता के उपयोग को बढ़ाने और विकास के लिए संसाधनों को बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए।

(2) योजनेतर व्यय को कम करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(3) राज्यों द्वारा अधिविकर्ष का सहारा लेने के तरीके को प्राप्त करने के लिए प्रकारताएं तय की जानी चाहिए।

(4) योजना के कार्यान्वयन में प्रगति का अब से थोड़े-थोड़े समय बाद प्रबोधन किया जाना चाहिए।

(5) राज्य बिजली बोर्डों के घाटे को कम करने के तरीके निकाले जाने चाहिए।

(6) विदेशों में स्थित जो भारतीय वैज्ञानिक और शिलवैज्ञानिक देश के लिए अपना कुछ समय और शक्ति लगाना चाहते हैं उनकी योग्यताओं और आकांक्षा का उपयोग करने के लिए कुछ कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। इसके अलावा तकनीकी संस्थाओं के साथ और अधिक अच्छा समन्वय और अन्तः कार्य होना चाहिए।

(7) प्रबंध के स्तर को अधिक अच्छा करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

(8) योजना आयोग के प्रलेख में प्रस्तावित परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम की मंत्रिमंडल के अनुमोदन लिए सिफारिश की जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओवर ड्राफ्ट

682. श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कहा था कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1981-82 के अन्त तक ओवर ड्राफ्ट को साफ नहीं किया जाता तो राज्य की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देना मुश्किल होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने कहा है कि केन्द्र सरकार के अनुरोधों के बावजूद राज्य के मुख्य मन्त्री तथा वित्त मंत्री ने इस बारे में अपनी सरकार के दृष्टिकोण को अभी तक स्पष्ट नहीं किया है ;

(ग) पश्चिम्म बंगाल सरकार ने अब तक कितनी राशि का ओवर ड्राफ्ट किया है और क्या केन्द्र सरकार ने इस ओवर-ड्राफ्ट को साफ करने में पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता देने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो राज्य सरकार के दृष्टिकोण के न बदलने की स्थिति में सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ;

(ङ) किन-किन राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और उसके क्या कारण हैं ; और

(च) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप कब तक दिया जाएगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार का दि० 18-2-82 को अधिविकर्ष 278.75 करोड़ रुपए था। इस अधिविकर्ष के निपटान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है । पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्य सरकारों से समय समय पर यह अनुरोध किया गया है कि वे योजना व्यय को उपलब्ध साधनों के भीतर बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय करें तथा कीमतों की वर्तमान कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष का सहारा न लें ।

(घ) इस मामले पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा ।

(ङ) और (च) पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 1982-83 की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है । पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देने के प्रश्न को स्थगित कर दिया गया था; उन्होंने राज्य विधान सभा में 1982-83 के लिए राज्य के बजट को प्रस्तुत करने के बाद राज्य के संसाधनों के बारे में अपेक्षित सूचना भेजने का आश्वासन दिया है।

निर्यातोन्मुख औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना करना

683. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1981 में निर्यातोन्मुख उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(ख) राज्यवार कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए तथा उनका नियतन निवेश क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	1981 में प्राप्त प्रकरणों की कुल संख्या	स्वीकृत प्रकरणों की कुल संख्या आशय पुत्र *	अनु० *	वि० स० *	पूं० मा०	योग	स्थिर निवेश
1	2	3	4	5	6	7	8
1. पंजाब	10	7	2	—	—	9	
2. महाराष्ट्र	38	11	6	—	—	17	प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक
					(1)		
3. गुजरात	28	7	5	—	1	13	निवेश के सम्बन्ध में जानकारी
4. उत्तर प्रदेश	12	2	3	2	1	8	केन्द्रीय रूप से औद्योगिक
5. हरियाणा	13	4	3	—	—	7	विकास विभाग के औद्योगिक
6. आन्ध्र प्रदेश	8	2	1	1	—	4	स्वीकृति सचिवालय में नहीं
				(2)	(1)		रखी जाती।
7. कर्नाटक	17	6	2	—	—	8	
				(1)	(1)		
8. पश्चिमी बंगाल	15	3	—	1	—	4	
9. तमिलनाडु	14	2	2	—	2	6	
10. जम्मू और कश्मीर	2	1	—	—	1	2	
				(1)	(1)		

1	2	3	4	5	6	7	8
11. उड़ीसा	5	3	—	—	2	5	
12. हिमाचल प्रदेश	1	1	—	(1) —	(2) —	1	
13. बिहार	6	1	1	—	—	2	
14. राजस्थान	13	—	—	(1) —	(1) —	—	
15. मध्य प्रदेश	4	1	—	—	—	1	
16. केरल	5	2	1	1	—	4	
17. दिल्ली	12	3	2	—	(1) —	5	
18. चण्डीगढ़	4	—	1	—	(1) 1	2	
19. गोवा	3	1	2	—	—	3	
योग	200						

टिप्पणी :— विदेशी सहयोग/पूंजी माल सहित कुछ आशयपत्रों/उपरोक्त अनुमतियों के सदर्श में आवेदन संयुक्त रूप में प्राप्त हुये थे तथा उन्हें स्वतन्त्र वि० स०/पूं०मा० आवेदनों से अलग करने के उद्देश्य से इस प्रकार प्रकरणों में विदेशी सहयोग स्वीकृतियों/पूंजी माल स्वीकृतियों को वि० स० और पूं० माल स्तम्भों में कोष्टकों में दिखाया गया है।

* आ०प० = आशय पत्र
* अनु० = 100 प्रतिशत निर्यात आधारित योजना के अन्तर्गत अनुमति।
* वि० स० = विदेशी सहयोग
* पूं० मा० = पूंजी माल

मानसिक अस्पताल जेलों में बन्दी

684. श्री जगपाल सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक वर्षों से भारी संख्या में बन्दी केन्द्रीय कारागार मानसिक अस्पताल हजारी बाग में सड़ रहे हैं और किन्हीं मामलों में व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गये हैं और न्यायालय द्वारा दोषयुक्त कर दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्य जेलों में इसी प्रकार के मामलों के बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और उनको लगातार बन्द रखे जाने के क्या कारण हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) राज्यों/सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मिजो विद्रोहियों द्वारा गतिविधियों को तेज करना

685. श्री जगपाल सिंह :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक ओर मिजो नेशनल फ्रण्ट नेता लालडेंगा से मिजो समस्या निपटाने के लिए बातचीत कर रही है दूसरी ओर मिजो विद्रोहियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए पिछले महीनों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख) तथा (ग) मिजो नेशनल फ्रंट की गैर कानूनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इसे और इसके सहबद्ध निकायों को 20 जनवरी, 1982 को गैर कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है जबकि श्री लालडेंगा के साथ बातचीत चल रही थी। संघ शासित क्षेत्र में शांति और सोहार्द बनाए रखने के लिए कानून के अधीन कार्रवाही की जा रही है।

लाहसुना हरिजनों की दुर्दशा

686. श्री जगपाल सिंह
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री आनन्द पाठक
: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन एक्सप्रेस दिनांक 31 जनवरी, 1982 में उन लाहसुना हरिजनों की दुर्दशा उजागर करने वाले एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि जो आशंका में रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यक आयोग के लिए संवैधानिक और सांविधिक दर्जा

687. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक और सांविधिक दर्जा देने के सुझाव पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का मामले में कब तक निर्णय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रयोजन के लिए कोई समय ठीक ठीक बताना कठिन होगा।

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज और एक इटेलियन फर्म के बीच सहयोग

688. प्रो० रूप चन्द्र पाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन और कुछ स्टेट इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन्स और इलेक्ट्रोनिक विभाग, इण्डियन टेलीफोन इनडस्ट्रीज और एफ. ए.- सी. इ. नामक एक इटालियन फर्म के बीच संभावित सहयोग के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रोनिक ट्रेड एण्ड टेकनोलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा उठाई गई उक्त आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आपत्ति के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेट्रानिकी विभाग में उपमंत्री : (श्री एम. एस. संजीवी राव) : (क) इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम (इ. टी. टी. डी. सी.) तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग भारतीय टेलीफोन उद्योग और एफ. ए. सी. इ. (आई. टी. टी.) नामक इटेलियन फर्म के बीच होने वाले प्रस्तावित सहयोग के पक्ष में नहीं है। इस मामले में राज्य-स्तरीय इलेक्ट्रानिकी निगमों के प्रतिनिधि के बारे में इलेक्टानिकी विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम ने उसके द्वारा विकसित सम-तुल्य स्वदेशी प्रोद्योगिकी की उपलब्धता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

(ग) सरकार मामले पर विचार कर रही है।

आसाम समस्या

639. श्री आर०आर० भोले
श्री भोगेन्द्र झा
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी
श्री एस०ए० दोराई सेबस्तियन
श्री राम विलास पासवान
श्री मूल चन्द डागा
श्री माधव राव सिन्धिया
श्री डी०पी० जदेजा

: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम समस्या की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) सरकार का विचार आसाम आन्दोलन के नेताओं को बातचीत के लिए तैयार करने तथा बातचीत को अन्तिम रूप देने के लिए क्या नए प्रयास करने का है ;

(ग) विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या को हल करने के लिए सरकार के पास क्या नए प्रस्ताव हैं ; और

(घ) आसाम आन्दोलनकारियों को 25 दिसम्बर, 1981 से तोड़-फोड़ की घटनाओं के परिणामस्वरूप जान तथा माल की एवं सरकारी राजस्व की कितनी हानि हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सरकार आसाम में विदेशियों के मामले का शीघ्र समाधान ढूंढने के लिए सदैव उत्सुक रही है। 18 से 20 जनवरी और 8 से 10 फरवरी, 1982 तक नई दिल्ली में सरकारी प्रतिनिधियों, संसद में विपक्ष के

नेताओं और अ. अ. छा./अ. अ. गण सं. परिषद की बैठकें की गई थी। इन विचार विमर्शों से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकारी प्रतिनिधियों और विपक्ष के नेताओं ने आसाम के कुछ अल्पसंख्यक संगठनों के भी विचार सुने। आगे विचार-विमर्श मार्च, 82 में किसी समय किया जाना है।

(घ) दिसम्बर, 1981 से अब तक विस्फोट/बम बरामद करने के इक्तीस मामलों की सूचना मिली है। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य रेलवे और राज्य परिवहन कार्यालय रहे। यद्यपि कुल हानि की वित्तीय रूप से ठीक मात्रा निश्चित करना संभव नहीं है तथापि इन विस्फोटों के परिणामस्वरूप सामान्य कार्य में बाधा आई है। तोड़-फोड के मामलों में 24 जनवरी को पुलिस अधीक्षक नार्थ लखीमपुर के निवास स्थान पर फैंका बम शामिल है जिसके कारण भवन को कुछ हानि हुई।

आन्दोलन की इस अवधि में काफी हिंसा भी हुई। 22 जनवरी को गोहाटी में असम विधान सभा का अध्यक्ष जब वह एक कालेज समारोह में उपस्थित था, पर हमला किया गया। 2 फरवरी को असम राज्य सड़क परिवहन के महाप्रबंधक पर इसलिये गोली चलाई गई कि उसने बंधों के दौरान परिवहन सेवाएं चालू रखी। पुनः 15 फरवरी, 1982 को नार्थ लखीमपुर में नारायणपुर के खण्ड विकास अधिकारी जब अपने घर में सो रहे थे तो उन पर गोली चलाई गई जिसके कारण उनको चोटें आई। इस अवधि में हिंसा के अन्य कई मामलों की भी सूचना प्राप्त हुई थी।

दिल्ली महानगर परिषद तथा दिल्ली नगर निगम

690. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली महानगर परिषद तथा दिल्ली नगर निगम को निलम्बित करने के क्या कारण थे;

(ख) इन का निलम्बन किन तारीखों को हुआ था और निलम्बन की अवधियां किन तारीखों को बढ़ाई गई तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन के लिए चुनाव कब कराये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली के उपराज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिल्ली महानगर परिषद 21-3-80 से 6 महीने की अवधि के लिए भंग की गई थी। भंग करने की अवधि को 20 सितम्बर, 1980, 20 मार्च, 1981 और 19 सितम्बर, 1981 को प्रत्येक बार छः-छः महीने के लिए बढ़ाया गया था।

समय बढ़ाने का आदेश 20-21 मार्च, 1982 की मध्यरात्रि को समाप्त होगा। तारीख 21-3-80, 20-9-80, 20-3-81 और 19-9-81 के राष्ट्रपति के सभी आदेशों को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

दिल्ली नगर निगम को 11 अप्रैल, 1980 से केन्द्रीय सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए भंग किया गया था। निलम्बन की अवधि को 9-4-81 और 5-10-81 को प्रत्येक बार छः महीने के लिए बढ़ाया गया था। समय बढ़ाने का आदेश 10-4-82 को समाप्त होगा। अधिसूचना और कारणों के विवरण प्रत्येक अवसर पर लोक सभा के पटल पर रख दिए गए थे।

(ग) सरकार को इस संबंध में अभी निर्णय लेना है।

"स्नब फोर वार हीरोज मदर" शीर्षक समाचार

691. श्री बापूसाहिब परुलेकर
श्री दौलत राम सारण
श्री जयपाल सिंह
: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जनवरी, 1982 के नेशनल हेराल्ड में "स्नब फोर वार हीरोज मदर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) वार हीरो फ्लाइट लेफ्टिनेंट जेरी की माता श्रीमती जे. दयावन्ती तिलक मार्ग थाने में गई और सूचित किया कि उसको सेक्टर सं० 10 में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए निर्धारित बाड़े में पहुंचने के लिए 26-1-1982 को राजपथ पार करने की अनुमति नहीं दी गई। यद्यपि वे मामले में आगे कार्रवाई कराना नहीं चाहती थी फिर भी सेक्टर 11 जहां पर उनको सड़क पार करने से रोका गया था, में ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिस कार्मिकों की एक पहचान परेड की गई किन्तु श्रीमती दयावन्ती उस पुलिस कर्मचारी को नहीं पहचान सकी जिसने उन्हें रोका था।

यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि भविष्य में घटनाएं न हों।

लघु उद्योगों के श्रमिकों संबंधी कानून में संशोधन

692. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के श्रमिकों संबंधी विधान में संशोधन करके उन लघु उद्योगों के श्रमिकों की ओर विशेष ध्यान देने का है जिन्हें उत्पादन शुल्क में कटौती और ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि ऐसे उद्योगों को मिलने वाले लाभ को कुछ हिस्सा श्रमिकों को भी मिल सके :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) श्रमिकों को न्यूनतम मजदुरी, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याण उपायों के रूप में नियोजकों को दी गई रियायतों का जिनका उद्देश्य निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन देना है स्वतत्र रूप से कानून द्वारा लाभ मिलते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है ......

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसे देखना होगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह मामला समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : उसके बावजूद भी मैं उसे देखना चाहता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसका अर्थ है वह अभी विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन नहीं है, लेकिन मैं उसकी जांच पडताल करूंगा । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने यह कहा कि मैं उसकी जांच पड़ताल करूंगा। यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसकी जांच करना चाहता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय कल हम ने कहा था कि बजट का लीकेज हुआ है जो बजट पेश हुआ है । उस से हमारे आरोप की दृष्टि हो गई है और मैं चाहता हूं कि इस मामले पर आप गंभीरता से विचार कराएं ।

श्री रत्नसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : कल मैंने यह मामला उठाया था और आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप इस मामले की जांच पड़ताल करना चाहते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : समाचारपत्रों में यह लगभग 250 रु० करोड़ बताया गया था और यह लगभग 261 रु० करोड़ का है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस में यह भी कहा गया था कि उसमें किसी क्लास को छोडा नहीं जाएगा और वह बात भी साबित हो गई।

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : यहां दो प्रश्न है। पहला यह कि हमने इस मामले को कल आपके सामने उठाया था। और दूसरा प्रश्न अभी मेरे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा उठाया गया है। यह रेलवे बजट की मर्यादा से संबंधित है जो कहां कल उठाया गया था। रेलवे बजट के इस सदन में प्रस्ताव किए जाने के तुरन्त बाद ही (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी जांच करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कृपया मेरी बात सुनिए :

अध्यक्ष महोदय : जब यह मेरे पास ही है तो उसमें सुनने की क्या बात है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : भले ही बजट की मर्यादा हो अथवा नहीं......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि इसकी जांच करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री गुजराल यह कहने वाले कौन होते हैं कि बजट निरर्थक है और यह कि वह उपनगरीय रेल प्रणाली के किराए को बढ़ाने जा रहे हैं। वह है कौन ? पूरा सदन को मजाक बना दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित न किया जाए। (व्यवधान)**

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : मैंने एक नोटिस दिया है। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने 15 उद्योगों को आवश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित कर दिया है और अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उनमें कर्मचारियों के विरुद्ध लागू किया जायेगा।

श्री जार्ज फर्नांडीस : आपको रेलवे मंत्री से कहना चाहिए कि वह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

हटा दें। आपको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को हटवा देना चाहिए। यह सदन का अपमान है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे।

श्री जार्ज फर्नांडीस .क्या यह सरकार द्वारा इस संसद को मजाक बना जा रही है? रेलवे बजट का क्या अर्थ था जब कल रेलवे बोर्ड के सभापति ने कहा कि वह किराए बढ़ाने जा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख लूंगा।

श्री जार्ज फर्नांडीस : श्री गुजराल कौन हैं...(व्यवधान) हम मंत्री को सुनने के किए एक घन्टे तक यहां क्यों बैठे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की जांच करने वाला हूं।

श्री जार्ज फर्नांडीस : आप किसकी जांच पड़ताल करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इन सभी बातों की। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम यह देखेंगे कि क्या यह बात सच है।

श्री जार्ज फर्नांडीस : महोदय, यह बहुत हद तक एक गंभीर मामला है। कृपया इसे सहज भाव से मत लीजिए। आपको सदन के अधिकारियों की रक्षा करनी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नांडीस : कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूं कि क्या यह बात सच है। क्या उन्होंने ऐसा कहा या नहीं; मुझे यह रेलवे मंत्री से पूछना पड़ेगा।

श्री जार्ज फर्नांडीस : इस बीच आप रेलवे बोर्ड के सभापति के निलम्बन के लिए कहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपया रेलवे मंत्री को यहां इसी वक्त बुलवाइये।

श्री जार्ज फर्नांडीस : आपको सदन की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा ही करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपको इससे ऐसा नहीं लगता कि यह सदन का अपमान है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता करने दीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रत्यक्षतः, बिना नियमों को जाने ही......

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे इसके दूसरे पक्ष की बात भी सुन लेने दीजिए । दूसरे पक्ष को सुने बिना मैं निर्णय कैसे दे सकता हूं ?

श्री रत्नसिंह राजदा श्री गुजराल को घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह अन्य 250 करोड़ भी बढ़ा सकते थे लेकिन उन्होंने कहा... (व्यवधान) ।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) कर्मचारी संघों द्वारा 19 जनवरी की हड़ताल का आह्वान किया गया था । सरकार ने हड़ताल को विफल करने के लिए यथा सम्भव सभी अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया ।

अध्यक्ष महोदय : आप वाद विवाद में इसका उल्लेख कर सकते हैं ।

श्री एम० एस० लारेंस (इदुक्की) कर्मचारियों के अधिकार को...

अध्यक्ष महोदय : आप वाद-विवाद में हिस्सा ले सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, इस पर न आपका कोई नियंत्रण है और न ही मेरा । इससे पहले कि हम श्री शास्त्री के प्रश्न पर चर्चा पूरी कर पाते, प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे वाद-विवाद में कह सकते हैं ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मैं जो बात उठा रहा हूं वह यह है । इसके साथ सदन के अवमान का प्रश्न जुड़ा हुआ है । जब यहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था तब वे बार-बार हमसे यही कह रहे थे कि इसका उपयोग कर्मचारी सघों के कार्यों के विरुद्ध नहीं किया जायगा और फिर वे यह कहते रहे कि आवश्यक सेवाएं अधिनियम को कभी उपयोग नहीं किया गया । अब इन्होंने इसका उपयोग...

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उल्लेख वाद-विवाद में कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 16 उद्योगों को लिया है...(व्यवधान) कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह बात वाद-विवाद के दौरान कहिए ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। वे वाद-विवाद में कोई उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसलिए, हमें दूसरे उपाय इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वे कह रहे थे कि कोई हड़ताल नहीं हुई है। अब हजारों कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहे हैं। यदि उन्होंने हड़ताल नहीं की तो उनका उत्पीडन क्यों किया जा रहा है ? मैं इसके बारे में बहुत से उद्धरण दे सकता हूं। आपको हमारी बात सुनना ही पड़ेगा ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने एक एडजार्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है। बिहार में कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी जब कि सारे के सारे जुड़िशियल आफिसर्स हड़ताल पर चले गए हों। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री एम० एम लारेंस : जब हड़ताल हुई तो हरियाणा में 2000 से भी अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर दी गयी। तो इसमें भी... (व्यवधान)

अटल बिहारी वाजपेयी : 19 फरवरी को जो कुछ हुआ है उस पर सदन में विशेष चर्चा होनी चाहिए। यह सरकार मजदूरों को दबाने पर तुली हुई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री प्रणब मुकर्जी।

इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आर्थिक सर्वेक्षण, 1981-82 तथा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन

(सार्वजनिक उद्योगों का सर्वेक्षण)

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू ।

(1) "आर्थिक सर्वेक्षण, 1981-82" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3329/82]

(2) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1980-81 के

कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सार्वजनिक उद्यमों का सर्वेक्षण) (खंड 1 से 3) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3330/82]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचना में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर की वर्ष 1980-81 की, हैवी इंजनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची की वर्ष 1980-81 की तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड तुंगभद्रा डैम (कर्नाटक) की वर्ष 1980-81 की, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी-इलाहबाद आदि की वर्ष 1980-81 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) का० आ० 765 (अ) जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो मैसर्स कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को 5 वर्षों से आगे जारी रखने के बारे में है।

(दो) का० आ० 784 (अ) जो दिनांक 2 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली के प्रबन्ध को 5 वर्षों से आगे जारी रखने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 825 (अ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो मैसर्स पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगाँव के प्रबन्ध को 5 वर्षों से आगे जारी रखने के बारे में है।

(चार) का० आ० 827 (अ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो मैसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के प्रबन्ध को 5 वर्षों से आगे जारी रखने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 832 जो दिनांक 28 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो मैसर्स कंटेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पांच वर्षों से आगे जारी रखने के बारे में हैं।

(छ:) का० आ० 906 (अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो मैसर्स कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुट्टुकोटई के प्रबन्ध को 5 वर्षों से आगे जारी रखने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3331/82]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माइनिंग एन्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परिक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3332/82]

(ख) (एक) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रक-महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3333/82]

(ग) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम (कर्नाटक) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डेम (कर्नाटक) का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरिक्षक की टिप्पिणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3334/82]

(घ) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी—इलाहबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी—इलाहाबाद का वर्ष 1980-31 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3335/82]

(ङ) (एक) बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3336/82]

(च) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, इंडिया लिमिटेड, रांची के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, रांची का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3337/82]

(छ) (एक) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी—इलाहबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, नैनी—इलाहबाद का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3338-82]

(ज) (दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1980-81 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3339/82]

(झ) (एक) जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

(दो) जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखा परिक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (2) (च) और (2) (झ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3340/82]

खानों में सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद, धनबाद (बिहार) की वर्ष 1980-81 तथा केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनसार (धनबाद) की वर्ष 1980-81 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खानों में सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद, धनबाद, (बिहार) के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(दो) खानों में सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद, धनबाद (बिहार) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3341/82]

(2) (एक) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनसार, (धनबाद), के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनसार (धनबाद), के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3341ए/82]

मैटेलर्जिकल एण्ड इंजनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन्हे सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं श्री चरणजीत सिंह चानना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखत पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मैटेलर्जिकल एण्ड इंजनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैटेलर्जिकल एण्ड इंजनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड रांची का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा-परिक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (१) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3342/82]

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलोर की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा सभापटल पर इन्हें रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसन्धान संस्थान, बंगलोर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलोर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3342ए/82]

इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद की वर्ष 1980-81 की, यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा खानें, सिंह भूम (बिहार) की वर्ष 1980-81 की तथा इन्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड, बम्बई की वर्ष 1980-81 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और पर्यावरण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति :—

( ) (एक) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3343/92]

(2) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जादुगड़ा खानें, सिंह भूम (बिहार) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) युरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा खानें, सिंह भूम (बिहार) का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-3344/82]

(3) (एक) इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-3345/82]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1109 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3346/82]

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 23 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 167 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3347/82]

(2) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 को उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली व्यक्तियों अथवा पशुओं (रोगी तथा रोगी समझे जाने वाले) का पृथक्करण और व्यवस्थापन विनियम, 1981 जो दिनांक 13 नवम्बर, 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3156/80 स्पेशल सेल में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली पुलिस नियुक्ति तथा भर्ती (पहला संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 10/11/81 होम (पी) एस्टे० में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3348/82]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 1111 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसमें दिनांक 24 अक्तूबर 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 944 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1982, जो दिनांक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 27 में प्रकाशित हुये थे।

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

(तीन) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1982 जो दिनांक 25 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०-का० नि० 27 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 2 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 3 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम 1981 जो दिनांक 2 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 4 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम 1981 जो दिनांक 2 जनवरी 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 3349/82]

कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1982

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्म वीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 69 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 3350/82]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन, नियम, 1982 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 तथा सीमा अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 धारा को 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1982 (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 74 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3351/82]

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 71 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पास्चरीकृत मिल्टान को शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3352/82]

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 156 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 61 (अ), जो दिनांक 15 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा मूंगफली से निर्यातशुल्क को हटाने के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) सा० का० नि० 66 (अ) जो दिनांक 16 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि डीजल इन्जिनों के पुर्जों पर चाहे उनका वर्गीकरण कुछ भी हो, दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना सं० 341-सीमाशुल्क के अन्तर्गत रियायती शुल्क दर लागू होगी।

(तीन) सा० का० नि० 69 (अ) जो दिनांक 16 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो दिनांक 1 जनवरी, 1982 की अधिसूचना का अधिलन्घन करके जापानी येन की भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को जापानी येन में बदलने की पुनरीक्षत विनियम, दर के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 73 (अ) जो दिनांक 17 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो कॉफी के निर्यात शुल्क को 85 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति क्विंटल करने के बारे में है।

(पांच) सा० का० नि० 144 जो दिनांक 13 फरवरी 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि टिन प्लेटों

[श्री जनार्दन पुजारी]

और जी० आई० शीटों पर दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 342-सीमा-शुल्क के अन्तर्गत रियायती शुल्क दर लागू होगी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 3353/82]

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (पहला संशोधन) नियम, 198! (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 70 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3354/82]

———

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि अफ्रीकी विकास निधि विधेयक, 1981, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 23 दिसम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया गया था, राज्य सभा द्वारा निम्नलिखित संशोधनों के साथ अपनी 23 फरवरी, 1982 को हुई बैठक में पारित कर दिया है :

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति, 1 में "बत्तीसवें" शब्द के स्थान पर "तेंतीसवें शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में "1981" अंक के स्थान पर "1982" अंक प्रतिस्थापित किया जाये।

अत:, राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसार मैं अत: उक्त विधेयक को इस निवेदन के साथ वापिस लोटा रहा हूं कि उपरोक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति इस सभा को भेज दी जाए।"

———

अफ्रीकी विकास निधि विधेयक

[राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में]

सचिव : महोदय, मैं अफ्रीकी विकास निधि विधेयक, 1982 को, जिसे राज्य सभा ने संशोधन के साथ वापिस किया है, सभा-पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

केनरा बैंक, महारानी बाग शाखा, नई दिल्ली, में सशस्त्र डकैती का समाचार

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें।

"21 फरवरी, 1982 को केनरा बैंक, महारानी बाग शाखा, नई दिल्ली, में हुई सशस्त्र डकैती का समाचार"

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : रविवार 21 फरवरी, 1982 को दोपहर के लगभग 12.30 को महारानी बाग में स्थित केनरा बैंक की शाखा में डकैती डाली गई। यह शाखा रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य करती है। दोपहर लगभग 12.30 बजे 4-5 व्यक्ति हथियार लिए हुए चौकीदार को एक तरफ धकेल कर जबरदस्ती घुस गए। उन्होंने बैंक कर्मचारियों को एक कोने में एकत्र होने और दीवार की तरफ मुंह करने का आदेश दिया। पिस्तौल दिखाकर उन्होंने स्ट्रांग रूम की चाबियां भी प्राप्त की जहां से उन्होंने 10,78,880/- रु० की राशि एकत्र की। वे आसमानी रंग की फिएट कार, जिसका नं० डी० ई० बी० — 57 था, में बैठकर भाग गए, जिसे उन्होंने पास की कालिन्दी आवासीय कालोनी की एक एकान्त गली में आग लगा दी और पहले से खड़ी अन्य कार में बचकर भाग गए।

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

इस घटना के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष को 12.44 को अपराह्न सूचित किया गया और घटनास्थल पर पुलिस का पहला दल 12.49 बजे पहुंचा। एस० एच० ओ० भी अपने कर्मचारियों सहित बैंक में पहुंच गए जिसके बाद आयुक्त तथा अपर आयुक्त समेत डी० सी० पी० तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। कुछ ही देर बाद उप-राज्यपाल भी घटनास्थल पर पहुंच गये।

दिल्ली पुलिस ने सीमा चौकियों और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा पुलिस को कार पर निगरानी रखने के लिए सावधान किया। थाना श्री निवासपुरी में एक मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ सुरागों की जांच करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर पुलिस दल भेजे गये हैं।

अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

प्रो० रूपचन्द पाल : श्रीमन, पिछले रविवार को महारानी बाग में जो डकैती हुई वह दिन दिहाड़े हुई तथा उसमें सशस्त्र डाकुओं द्वारा जो तरीका अपनाया गया उससे हमें टेक्सटाज की उस कहानी की याद है जो कि अमरीका तथा कुछ अन्य स्थानों में हुई सशस्त्र डकैतियों के बारे में लिखी गई है।

श्रीमान, इस डकैती में केवल दस मिनट लगे और सशस्त्र डाकू 10 लाख रुपए से अधिक लेकर, तथा चौकीदार कोषाध्यक्ष तथा प्रबन्धक की पिटाई करके फरार हो गये।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमन, यह अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। हाल ही में अधिक नहीं तो ऐसी तीन डकैतियां केवल दक्षिण दिल्ली में हुई। पहली घटना एक राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक आफ इण्डिया, ग्रेटर कैलाश शाखा में हुई तथा दूसरी केनरा बैंक की ही साउथ एक्सटेन्शन शाखा में हुई।

श्रीमन्, डकैती दिल्ली में नई बात नहीं है। दिल्ली का काफी समय से भारत के अपराधों के मानचित्र में राजधानी के रूप में वर्णन किया जा रहा है तथा अनेक बार हमने दिल्ली की ही कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की है। परन्तु इस कार्यवाही की नई बात यह थी कि इसे अति सावधानी से आयोजित किया गया था, सन्देह वाली कार को जला दिया गया तथा भागने के लिए एक दूसरी कार उपयोग में लायी गयी, डकैतियों के बारे में यह कार्यवाही एक नयी बात की ओर संकेत करती है। मन्त्री महोदय ने सामान्य और घिसा पिटा उत्तर दिया है यदि मन्त्री महोदय अन्त में यह कह दें कि बैंक डकैतियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति हैं तो इसमें हमारे

लिए हैरानी की कोई बात नहीं होगी। क्योंकि जब मुद्रा स्फीति पर चर्चा हुई थी तब यह कहा गया था यह अन्तराष्ट्रीय प्रवृति है। यदि आप भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहते हैं तब भी यही कहा जाता है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति है। अब यदि महारानी बैंक डकैती की चर्चा की जाती है तो इस बारे में भी वैसा कहा जा सकता है। मैं नहीं जानता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अखिल भारतीय प्रवृति है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अब बैंकों की लूट में विदेशी हाथ है।

प्रो० रूपचन्द पाल : हां, आपको पता लगाने की चेष्टा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० रूपचन्द पाल, यह स्थिति पश्चिमी बंगाल समेत है।

प्रो० रूपचन्द पाल : जी, नहीं। यदि आप आंकड़ों पर ध्यान दें तो पुलिस द्वारा निकाली गई खोज राशि वास्तव में प्रशसनीय है।

आश्चर्य की बात यह है कि बैंक की सुरक्षा की देखभाल करने के लिए एक ही चौकीदार था जिसके पास एक साधारण लकड़ी का डन्डा था। श्रीमन, मन्त्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बैंक दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाये गये सुरक्षा उपायों का दृढ़ता से पालन नहीं कर रहे। क्या यह सच नहीं है कि पिछले नवम्बर, में दक्षिण दिल्ली में हुई डकैती के बाद दिल्ली पुलिस ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सादे कपड़ों में आधुनिकतम सशस्त्रों से युक्त पुलिस मैनों को बैंकों में नियुक्त किया जाये और बैंकों से यह भी कहा जायेगा कि लोहे की ग्रिलों वाले द्वार लगाये तथा अलार्म प्रणाली स्थापित करें। क्या कारण है कि उक्त परिपत्र के बाद भी अधिकारियों ने उसका पालन नहीं किया अथवा क्या यह सच है कि अधिकारियों की कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए बैंक अधिकारियों ने चौकीदारों के लिए शस्त्रों के लाइसेंस जारी करने तथा पुलिस एवं अन्य स्रोतों के बीच अलार्म प्रणाली लगाये जाने के लिये बार बार पुलिस से कहा।

जो कुछ मैंने कहा है उसको देखते हुए क्या यह सच नहीं है कि उस बैंक के, जिसमें पिछले रविवार को डकैती हुई थी, वरिष्ठ प्रबन्धक ने कई महीने पहले सुरक्षा गार्ड के लिए बन्दूक का लाइसेन्स जारी करने के लिए पत्र लिखा था। इस बारे में मांगा गया विवरण भी बैंक अधिकारियों ने दे दिया था। परन्तु फिर भी सुरक्षा गार्ड के लिए लाइसेन्स नहीं दिया गया।

[प्रो० रूपचन्द पाल]

डाकुओं द्वारा उपयोग में लायी गयी कार के बारे में बहुत से समाचार मिले हैं, कि वह उक्त नं० अथवा उक्त रंग की थी, वास्तव में उपयोग में लायी गयी कार का नं० डी० ई० बी० 57 था, जो कि भिन्न प्रकार की थी। ये सब बातें अखबार में आई हैं। मैं यह नहीं जानता कि यह कहां तक सच है। जांच पोस्टों को कार संख्या डी० ई० बी० 57 के बारे में सतर्क किया गया जबकि पुलिस को पता था कि यह नकली नं० था तथा इस नं० की कार द्वारा डाकू बचकर अन्य गांव अथवा पडोसी राज्यों की तरफ नहीं जा सकते थे। क्या इस मामले में समन्वय ठीक नहीं था? क्या ऐसा जानबूझकर किया अथवा भूल से हुआ, इस बात का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है? यदि यह भूल थी तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करना पड़ेगा, तथा इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बैंक कर्मचारियों के संगठनों के महासंघ ने बैंक में डकैतियों को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं। सर्व प्रथम यह सुझाव दिया गया है कि बैंक अधिकारियों को शस्त्रों के लाइसेन्स देने में उदारता बरती जाये। दूसरे समाज विरोधी व्यक्तियों तथा बैंक डकैतियों से सम्बद्ध व्यक्तियों के, जिन्हें न्यायालय ने जमानत पर छोड़ा हुआ है, फोटो बैंक अधिकारियों को दी जाये। तीसरे बैंकिंग व्यवसाय के समय के दौरान बैंक तथा पुलिस और चल पुलिस दस्तों के साथ सीधा सम्पर्क होना चाहिए। यदि ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही बैंकों द्वारा धन एक शाखा से दूसरी शाखा को लाते ले जाते समय पालन किये जाने वाले कुछ उपायों का सुझाव दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त नई शाखा खोले जाते समय कुछ बातों की पूछताछ की जाती है तथा कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। शस्त्रों के लाइसेन्स सदा दिए जाने चाहिए तथा सुरक्षा गार्ड भी सर्वदा सशस्त्र रहना चाहिए। विज्ञान एवं शिल्पविधि में अपनी प्रगति पर हमें संतोष है। क्या सरकार बैंकों में अलार्म प्रणाली की व्यवस्था नहीं कर सकती, ताकि जब लूट अथवा डाके की आशंका हो तब उसका उपयोग किया जा सके? बैंक के सुरक्षित कमरे के खोले जाने तथा बन्द किए जाने का समय निर्धारित रहना चाहिए तथा बिजली के स्वचालित दरवाजों की व्यवस्था होनी चाहिए।

ये सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इन सब पर विचार किया है अथवा नहीं। इन सब बातों को पूछने का मेरा अभिप्राय यह जानना है कि इनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी है क्योंकि लोग इस बारे में सोचने लगे हैं कि इन डकैतियों का ढंग एक सा ही है। जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है तथा यदि हम पिछले कुछ महीनों में दक्षिण दिल्ली में हुई डकैतियों का विश्लेषण करें तो हम इनके ढंग को जान सकते हैं, और यही ढंग बनता जा रहा है। गृह मन्त्रालय जनता के हितों के संरक्षण के लिए बहुत सा धन व्यय करता है। पर

हम देखते हैं कि एक के बाद एक डकैतियां हो रही हैं परन्तु इस बारे में कुछ नहीं किया गया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पहली बैंक डकैती के बारे में क्या हुआ ? क्या अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ? 6.5 लाख रुपए की डकैती का क्या हुआ ? क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

इन सभी भारी संख्या में होने वाली, विशेष रूप से दिल्ली में होने वाली, बैंक डकैतियों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का तुरन्त क्या कार्यवाही करने का विचार है ? इस सन्दर्भ में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1980-81 में और 1981-82 में अब तक दिल्ली में कितनी डकैतियां हुई हैं तथा उनमें कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, इनमें कितने धन की हानि हुई तथा पुलिस द्वारा कितने धन का पता लगा लिया ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, मैं यह कहते हुए आरम्भ करूंगा कि माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या ये घटनाएं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के कारण हो रही हैं। यह अखिल भारतीय प्रवृत्ति हो सकती है; प्राप्त आंकड़ों के अनुसार डकैतियों के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। मैं इस समय इसके ब्योरे में नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कहिये कि यदि ऐसा पश्चिम बंगाल में हो तो भी यह बुरी बात है। यह वक्तव्य देने में कोई हानि नहीं है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : ऐसी घटना, पश्चिम बंगाल सहित, चाहे कहीं भी हो वह बुरी बात है। मैंने यही बात कही है। (व्यवधान)

प्रो० रूपचन्द पाल : इस समय हम दिल्ली में हुई घटना पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : पश्चिम बंगाल उनके लिए दुःस्वप्न है। वे उसे नहीं भूल सकते।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : परन्तु यह डाकुओं के लिए दुःस्वप्न नहीं है।

दूसरी बात जो उठायी गयी है वह लाइसेन्स के बारे में है कि उनमें विलम्ब हुआ है।

ऐसा कोई लाइसेन्स नहीं मांगा गया, अतः लाइन्सेस दिए जाने में विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं है।

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

महासंघ ने कुछ सुझाव दिए थे तथा माननीय सदस्य ने उनमें से कुछ को गिनाया है। वे अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं तथा वित्त मन्त्रालय के बैंकिंग डिवीजन द्वारा उनका अध्ययन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि चेक पोस्ट को एक विशेष नम्बर ही क्यों बताया गया।

महारानी बाग में हुई बैंक डकैती के मामले में घटनाएं जिस क्रम से घटीं वह मैंने अपने वक्तव्य में बताया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : क्या यह लूटपाट है अथवा डकैती है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यह लूट-पाट भी हो सकती है अथवा डकैती भी।
यह डकैती हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप डकैती तथा लूट पाट में भेद कर सकते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि आप मुझ अनुमति दें तो मैं ऐसा कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : इस काण्ड का जो ब्यौरा मैंने अभी दिया है उसके अनुसार यह घटना 12.30 और 12.38 के बीच हुई बताई गई है। नियंत्रण कक्ष को सूचना 12.44 घटे पर दी गई। पुलिस वहां 12.49 को पहुंची। अगला प्रश्न यह था कि जब पुलिस ने वहां घटना स्थल पर जांच कर ली थी तो वह नंबर विशेष ही चेक पोस्ट को क्यों दिया।

वे कहते हैं लोग एक विशेष कार में आए, उन्होंने अपराध किया और भाग गए। अतः तत्काल ही पुलिस ने सीमा तथा चौकियों की पुलिस को और विभिन्न नियंत्रण कक्षों को सावधान करने के लिए कार्यवाही की कि फलां-फलां कार में बैठे व्यक्तियों ने डकैती की है। लोग उस कार के बारे में जानते थे। सिर्फ कुछ समय पश्चात ही ऐसा हुआ कि जब एक नियत्रण कक्ष से सावधान रहने की सूचना दी गयी तो हमें सूचना मिली कि एक गली में नम्बर की कार जल रही थी। अतः ये लोग और पुलिस के लोग वहां गए और उन्होंने पूछताछ की। जब जांच पड़ताल की गयी और लोगों से पूछताछ की गयी तभी उन्हें यह जानकारी मिली कि इस स्थल पर एक कार प्रतीक्षा में खड़ी थी। वह कार जिस पर वह नंबर विशेष लिखा था जला दी गई अतः प्रश्न पुलिस की ढिलाई का नहीं है क्योंकि उन्हें यह मालूम ही नहीं था। वे कुछ समय पश्चात आए और उन्होंने देखा कि यह कार गली मे छोड़ दी गई थी और यही जला दी गई थी और डाकू एक अन्य कार विशेष से भाग गए थे।

प्रो० रूप चन्द पाल : बैंक तथा जहां पर कार छोड़ी गई थी उस जगह के बीच कितनी दूरी है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : इस समय मैं आपको नहीं बता सकता । इसमें उन्हें 15 या 20 मिनट और लगे, तब तक उन्हें सूचना मिल गई कि फलां नम्बर की एक कार जल रही है, वे वहां गए; वे तुरन्त उस स्थान पर पहुंचे, इसमें उन्हें 5 या दस मिनट लगे होंगे तथा उसके बाद पूछताछ की गई । मैं समझाता हूँ कि यह स्थान बैंक से एक किलोमिटर की दूरी पर होगा । उन्होंने अब पूछताछ की और जिन लोगों से पूछताछ की गयी थी उनसे उन्हें पता चला कि डाकू दूसरी कार में भाग गये थे। पुलिस की तरफ से उस कार विशेष का उल्लेख जानबूझ कर नहीं किया गया। जब उन्हें सूचना मिली सबसे पहले उन्होंने सभी कन्ट्रोल रूम्स को तथा सभी पुलिस चोकियों को सचेत किया तथा उन्होंने उस कार का विशेष रूप से उल्लेख किया क्योंकि घटनास्थल पर लोगों ने बताया था कि वे लोग उस नम्बर की कार में भाग गये हैं । इससे न कोई ढिलाई की गई और न ही पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई कार्य जानबूझकर किया गया ।

दूसरी समस्या जिसका उन्होंने उल्लेख किया है वह कुछ कदम उठाये जाने के बारे में है हमने बैंक प्राधिकारियों तथा बैंकिग प्रभाग से इस बारे में बातचीत की है कि सुरक्षा के क्या उपाय किये जायें, क्या पूर्वसावधानियां बरती जायें तथा यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि ऐसी घटनायें बार बार न घटें ।

माननीय सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि पुलिस उपायुक्त ने बैंकिंग प्राधिकारियों को एक पत्र लिखा है उसमें बहुत सी बातों की चर्चा की गयी हैं । फिलहाल देश में व्यवसायिक बैंकों कीलगभग 35,000 शाखायें हैं जिनमें सशस्त्र प्रहरियों, की नियुक्ति का अर्थ है कि चार प्रहरी प्रति शाखा के आधार पर 1,40,000 व्यक्ति नियुक्त किये जायें जिस पर लगभग 140 रु० प्रति वर्ष का खर्च आयेगा । यह वित्तीय भार होगा जिस पर इस बैठक में चर्चा की गयी । इसीलिए यह सुझाव दिया गया है कि बैंक संवेदनशील तथा असुरक्षित जगहें चुनकर, विशेष रूप से जहाँ पर काफी मात्रा में नकदी हो, सशस्त्र प्रहरी नियुक्त करने की नीति अपना सकते हैं । मामले को वित्तीय कठिनाई के पहलूके अलावा यह बात भी है कि प्रहरियों की नियुक्ति से भी कर्मचारियों तथा ग्राहकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जायेगी । बैंकों का यह अनुभव रहा है कि जहाँ कहीं प्रतिरोध किया गया वहीं पर बैंक कर्मचारियों या स्वयं सशस्त्र प्रहरियों या ग्राहकों को डकैतो द्वारा घायल किया गया या मार दिया गया । इस जोखिम पर भी बैठक में विचार किया गया है ।

इस बैंक विशेष, केनरा बैंक ने इस मामले पर चर्चा की है और यह निर्णय किया है कि कम से कम उनकी उत्तर स्थित शाखाओं में इन सशस्त्र प्रहरियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। केनरा बैंक के प्रबन्धकों ने हाल ही में यह निर्णय लिया है यह निश्चय किया गया था । कि संवेदन-

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

शील शाखाओं में, विशेष रूप से जहाँ पर काफी मात्रा में नकदी विशेष होती है, सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरे जो निर्णय लिए गये हैं उनमें ये बातें सम्मिलित हैं कि इलैक्ट्रोनिक चेतावनी प्रणाली लगाई जाये जिनकी ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है, तथा शाखाओं द्वारा उसी दिन रविवार के अतिरिक्त दिन—छुट्टी रखी जाए जिस दिन बाजार बन्द रहे ये कुछ निर्णय लिए गये हैं ताकि ऐसी डकैतियां न पड़ें।

इस मामले में कैनरा बैंक ने जो निर्णय लिए है उनका भी मैंने उल्लेख कर दिया है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये दूसरे प्रश्नों अर्थात दक्षिण-दिल्ली में पड़ी डकैतियां—विशेष रूप से उन्होंने दिल्ली में हुई तीन डकैतियों क उल्लेख किया—का सम्बन्ध है मुझे बतलाया गया है कि पिछले वर्ष एक डकैती पड़ी तथा उससे पहले वर्ष दो डकैतियां पड़ी थी—जैसा कि बताया जा चुका है हम इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

सितम्बर 1981 में पड़ी डकैतियों के सम्बन्ध में पुलिस सभी आवश्यक कदम उठा रही है। ऐसी काफी सम्भावनायें हैं कि अपराधियों का पता लगा लिया जायेगा और उन्हें दण्ड दिया जायेगा इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : इस समय जांच की जा रही है तथा इस स्थिति में सारी सूचना देना न तो जनहित में है और न ही सफल जांच किए जाने के हित में है क्योंकि इससे अपराधियों को रास्ते से बचकर निकलने का मौका मिल सकता है।

गत वर्ष पड़ी डकैतियों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। मैंने कहा है कि जोरदार जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में हम हर सम्भव कदम उठा रहे हैं।

जहाँ तक सुरक्षा उपायों का सम्बन्ध है हम बैंकिग बैंक प्राधिकारियों से निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि अतिसंवेदन शील क्षेत्रों की उचित रूप से सुरक्षा की जा सके। इस सम्बन्ध में हमने सभी सम्भव कदम उठाए हैं अतः सरकार की तरफ से इस मामले में कोई ढिलाई या उपेक्षा नहीं बरती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर देने का कोई अन्य तरीका नहीं है।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने यह नहीं कह दिया है कि यह वर्ल्ड वाइड फिनोमिना होने के कारण घटना घटी है......

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैंने ऐसा नहीं कहा । शायद मैं अपनी बात ठीक से व्यक्त करने में असमर्थ रहा ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि आपने वैसा नहीं कहा ।

अभी मंत्री जी ने कहा है कि वैस्ट बंगाल सर्वोपरि है बैंक डकैतियों के मामले में । यह हो सकता है । लेकिन कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूं । वैस्ट बंगाल में डकैतियों की 1403 घटनाएं हुई हैं और राबरी की 13461 । बिहार में राबरी की 2793 और डकैतियों कि 1578 । उत्तर प्रदेश में डकैतियों की 6575 और राबरी की 7496 । महाराष्ट्र में 3208 राबरीज की घटनाएं घटी हैं । दिल्ली को ही आप लें । 21 दिसम्बर 1981 को जत्थेदार संतोख सिंह की हत्या हुई । उनके तीन दिन पहले कूचा खान सिंह में एक व्यापारी सत्तर वर्षीय हकूमत राय, उनकी साठ वर्षीय पत्नी श्रीमती केसरी देवी और उनके अठारह वर्षीय पोते प्रमोद की हत्या हुई और लूट-पाट की घटना हुई । कुतुब मीनार पर दिल दहला देने वाली घटना भी यहां पर घटी थी । यह सब काम करने वाली सरकार के नाक के ठीक नीचे हुआ है । यही इसकी तस्वीर है । होम मिनिस्टर समझते हैं कि एक पुलिस कमिशनर को बदल देने से उनके कर्तव्य की इतिश्री हो गई । पुलिस कमिशनर को बदल देने से ही सारी व्यवस्था क्या सुधर जाएगी ?

पिछले साल की घटनाओं पर अगर दृष्टिपात करें तो आप देंगे कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि सारे देश में कमोबेश यही अवस्था थी । पुलिस पर ही इसका सारा दोष लाद दिया जाए मैं ऐसा नहीं मानता हूं । व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है । किन्तु व्यवस्था बिगड़ती है पुलिस और अपराधियों का जब राजनीतिज्ञों के साथ सांठगांठ हो जाता है ।

पिछले दिनों दिल्ली में भी कुछ ऐसी घटनायें प्रकाश में आयी हैं जिनमें राजनीतिज्ञों के साथ अपराधियों की सांठगांठ की बात सामने आयी है । इस घटना को लीजिये लगता है कि जैसे बम्बई फिल्म का दृश्य देख रहे हो । हवाई फायर हुआ, 5 डकैत मुख्य दरवाजे से शस्त्रहीन चौकीदार को ढकेलकर भीतर घुसे, अफसरों को चपताया और खजाने में घुसकर 10 लाख रु० लेकर बाहर आये और गाड़ी में बैठ गये । आधा किलो मीटर चलने के बाद उस गाड़ी को आग लगा दी और दूसरी गाड़ी से भाग गये । मैं समझता हूं कोई चमत्कार ही होगा यदि आप इस मशीनरी से इन अपराधियों का पता लगा सकेंगे । क्या आप बतायेंगे कि देश में जितनी डकैती की

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

घटनायें होती हैं उनमें से कितनों का आप पता लगा सके हैं, कितनी धनराशि रिकवर करने में आप सफल हुए हैं ? अगर आंकड़े इकट्ठा करें तो मालूम होगा कि सारा इन्वेस्टीगेशन बेकार होता हैं, कुछ परिणाम नहीं हाथ लगता । घटनायें हुईं, पुलिस और दूसरे अधिकारी लोग यहां भी पहुंच गये । अगर किसी व्यक्ति के घर में यह घटना हुई होती तो पुलिस वाले वहां पहुंच कर उस व्यक्ति को भी तंग करते । लेकिन यह तो बैंक की बात है, तुरन्तु सब लोग पहुंच गये । लेकिन हुआ क्या ? अखबारों में छपा, संसद में आज चर्चा हो रही है और सब लोगों ने कहा है कि इस तरह की घटनायें नहीं होनी चाहिए । मगर जिस रफ्तार से यह घटनायें हो रही है उससे तो यही लगता है कि कुछ दिनों के बाद बैंक डकैती और बड़ी-बड़ी डकैतियों की घटनायें गिरहकटी जैसी मामूली घटनायें हो कर रह जायेंगी । लोग उसी तरह से अभ्यस्त हो जायेंगे, चर्चायें होंगी दो, चार दिन और उसके बाद कर्त्तव्य की इतिश्री ।

आपने बताया कि जून और सितम्बर, में डकैती की घटनायें हुई और अभी तक किसी को नही सुलझा पाये । मैं पूछता हूं फिर इतनी बड़ी पुलिस मशीनरी किसलिये है ? यह घटना भी नहीं सुलझ सकी है । क्या सारी पुलिस इसलिये है कि जनआन्दोलन को दबा दिया जाय । अपराधियों का पता लगाने के लिए नहीं । आपकी सारी पुलिस मशीनरी और गृह विभाग इसलिए चल रहा है कि जन आन्दोलनों को दबाया जाए, और कोई काम इनका नहीं है । ऐसा ही प्रतीत होता है ।

मैं समझता हूं कि शायद गृह मंत्री अभी तक यह नहीं जानते होंगे कि वह गाड़ी जो चली है और जिस गाड़ी पर डकैत लोग भागे हैं उनके मालिक कौन थे । पिछले साल जून में ग्रेटर कैलाश कालोनी में यूनाइटेड बैंक में इसी तरह की घटना हुई । आप देखें हम लोग जो नान-टेक्नीकल हैं वह भी जानते हैं कि दोनों को मोडस आपरेन्डी एक सा ही लगता है । महारानी बाग में जो घटना हुई वहां का भी बाजार बन्द था, ग्रेटर कैलाश में जो घटना हुई वहां का भी बाजार उस दिन बन्द था, शायद मंगलवार था । और कहा जाता है कि अपराधियों के वर्णन से पता लगता है कि ग्रेटर कैलाश कालोनी में जो लोग थे वही शायद यहां भी हैं क्योंकि मोडस आपरेन्डी दोनों का एक ही लगता है । इसके बावजूद भी पुलिस को पता लगाने में इतने दिन लग गये । आखिर कारण इसका क्या हो सकता है ? क्या इसमें किसी तरह का कोई षड्यत्र होगा, कोई मिली भगत हो सकती है, इस पर आपको ध्यान देना होगा ।

पिछले दिनों दूसरे सदन में मंत्री महोदय ने बताया कि पिछले साल 40 बैंक डकैतियां हुए हैं और इस साल जनवारी तक कुल 45 हुई । इन 45 डकैतियों में क्या गृह-मंत्री जानते हैं कि कितने मामले सुलझाये गयें अभी तक ? आपने आंकड़ा दिया कि पिछले साल सितम्बर में जो डकैती हुई, उसके बारे में अभी अनुसंधान जारी है, पता नहीं यह अनुसंधान कब तक जारी रहेगा, 1985 तक अनुसंधान ही करते रहेंगे, फल उसके बाद आयेगा ?

इस सारे संदर्भ में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी देशों में जो बैंकों के सुरक्षात्मक उपाय बनाये गये हैं, वे सुरक्षात्मक उपाय क्या भारतवर्ष में भी अपनाये जायेंगे ? स्टेट बैंक आफ इण्डिया, जिसकी करीब 5 हजार शाखाएं हैं, सबसे बड़ा बैंक है, क्या यह बैंक इन सुरक्षात्मक उपाय को अपनाने में अगुआई करेगा ?

बैंक में नकद राशि रखने सम्बन्धी नियम का क्या कड़ाई से पालन होता है, अगर नहीं होता है, तो उसके सम्बन्ध में क्या उपाय करवे जा रहे हैं ?

तीसरा प्रश्न मेरा इस सम्बन्ध में यह है कि वैसी ही घटना जब दिल्ली में पहले हो चुकी थी, तो कनारा बैंक का चौकीदार उस दिन भी खाली हाथ क्यों था ? बढ़ती हुई बैंक डकैतियों को घटनाओं को देखते हुए, और इस तरह की घटनाएं दक्षिण दिल्ली में पहले भी हो चुकी हैं, तो वैसी स्थिति में जब कि उस दिन बाजार बन्द था,......

चौकीदार निहत्था क्यों था (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मेहता तीन सदस्य और है कृपया उनको भी कुछ समय दीजिए आपको ही सारी बाते समाप्त नहीं करनी चाहिए ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मेरे केवल यही प्रश्न थे । महोदय मैंने अपनी बात पूरी कर दी ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं केवल इस डकैती की दुर्घटना के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों तक ही सीमित रहूंगा क्योंकि वह ही इस समय चर्चा का विषय है । सदस्य महोदय ने देश के अन्य भागों में हुऐ अपराधों आदि का उल्लेख किया है । महोदय ये विभिन्न बात हैं । यदि एक यथोचित प्रश्न पूछा जाये तो उसका उत्तर दिया जायेगा । अब इन बातों के विस्तार में जाकर मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता । मैं केवल वाद विवाद के विषय तक ही सीमित रहूंगा । माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ पाश्चात्य देशों में कुछ सुरक्षा उपाय विकसित किये गये हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसे कुछ उपायों को हम अपने देश में अपनाने और लागू करने जा रहे हैं । महोदय मैंने अपने व्यक्तव्य में पहले ही बतला दिया है कि हम वाकी-टाकी आदि के बारे में इलेक्ट्रोनिक प्रणाली को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में बैंकिंग प्रभाग तथा बैंकों से बातचीत कर रहे हैं हम इन बातों पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं कि इस मामले में कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये जा सकते हैं । इन मामलों पर सरकार बैंकिंग प्रभाग तथा देश में सम्बन्धित बैंकों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से विचार कर रही है मैं माननीय मत्री से सहमत हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य......

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य, — मुझे खेद है ।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : इधर कोई मंत्री नहीं है। यह तो केवल आपका विशेषाधिकार है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : जबान के बहक जाने में वह भी कभी मंत्री बन सकते हैं ! कौन जानता है ?

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : मुझे खुशी है कि उन्होंने भविष्य के बारे में बतला दिया है कि भविष्य में इस तरफ से भी मंत्री बन सकता हैं। उन्हें भी हमारे साथ इधर ही आ जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ समय पहले मैंने समाचार पत्रों में देखा था कि वह मुख्य मंत्री बनेंगें ; इसलिए वह उनको मंत्री कह रहे हैं ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय यदि मैं उस तरफ आ जाऊं तो मुझे श्री सत्य साधन चक्रवर्ती का बहुत अच्छा सान्निध्य मिलेगा क्योंकि उनकी इधर आने की तो कभी आशा नहीं है। वहां पर मुझे अच्छा साथ मिलेगा ।

उन्होंने स्टेट बैंक का भी उल्लेख किया जो देश एक प्रमुख बैंक है। इस बात पर भी तेजी से विचार किया जा रहा है कि उनको नवीनतम जुगतों तथा इलेक्ट्रोनिक उपस्करों से सज्जित करने के लिए कौन से कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। फिर वित्तीय बाधायें भी हैं। इन सभी बातों पर पूर्ण रूप से चर्चा की जा रही है ।

नकदी रखने के बारे में बैंक की विभिन्न शाखाओं को विस्तृत अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि धन कैसे रखा जाये। सुरक्षा उपाय किये गये हैं। तिजोरी दी जाती है तथा नकदी को एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। इनमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाती।

चौकीदार एक बैंक कर्मचारी होता है जैसा कि मैंने कहा है ये डकैतियां दक्षिण दिल्ली में पड़ी हैं। केनरा बैंक के प्रबन्धकों ने हमें पहले ही बतलाया है कि ऐसे मामलों पर विशेष रूप से उत्तर भारत तथा दिल्ली में उन्होंने उन संवेदन शील क्षेत्रों में संतरी या चौकीदार को शस्त्र देनें का प्रस्ताव किया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों के आकार पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय बहुत ही थोड़े समय के दौरान अकेले दक्षिण

दिल्ली में तीन बैंक लूटे जा चुके हैं और इन घटनाओं के किसी भी अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह हमारे देश की राजधानी की स्थिति तथा तस्वीर है। इससे लोगों को बहुत अधिक चिन्ता पैदा हो गयी है। माननीय मन्त्री पश्चिमी बंगाल के बारे में कह रहे थे। मुझे सभा के सामने वास्तविकता को स्पष्ट करने दें। 1979 में पश्चिमी बंगाल की पुलिस ने डाकुओं द्वारा लूटी गयी 22.51 लाख रु० की राशि खोज निकाली तथा 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मैं वर्ष 1980-81 के आंकड़े भी दे सकता हूं।

यह विचार सत्य नहीं है कि बैंकों में नियुक्त चौकीदारों को बन्दूक या राइफल देने से इन बैंकों को डकैतियों से बचाया जा सकता है। पश्चिमी बंगाल में हमारा यह अनुभव रहा है कि कुछ बैंकों में चौकीदारों को दी गयी राइफलें भी डाकुओं द्वारा छीन ली गयी थी। हां, यह ठीक है कि घटनाओं के हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस उन बन्दूकों और राइफलों को खोज निकालने में सफल रही। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछूंगा और उनके विशिष्ट उत्तर चाहूंगा।

दिल्ली में, जनवरी 1980 से अब तक बैंक डकैती की कितनी घटनाएं हुई हैं और अब तक कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 जनवरी 1980 से अब तक बैंकों से कितनी धन राशि लूटी गई है और उस राशि में से कितनी राशि अब तक बरामद की गयी है? दिल्ली प्रशासन द्वारा बैंकों की रक्षा के लिए समय-समय पर कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं और उनका क्या प्रभाव हुआ है?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य ने पश्चिमी बंगाल का उल्लेख किया है। उसके सन्दर्भ में मैंने कहा था कि पश्चिमी बंगाल भी इससे मुक्त नहीं है। वास्तविकता यह है कि वह न केवल मुक्त नहीं है पर कदाचित सबसे आगे भी है। यही मैंने कहा था। हमें प्राप्त सूचना के अनुसार 1980 में पूरे देश में हुई 24 बैंक डकैतियों में से 11 डकैतियां पश्चिम बंगाल में हुई थी तथा 1981 में पूरे देश में हुई 40 डकैतियों में से 16 डकैतियां पश्चिमी बंगाल में हुई। इस तरह पूरे देश में 1980-81 के दौरान हुई बैंक डकैतियों में से 40 प्रतिशत पश्चिम बंगाल के खाते में जाती हैं। चालू वर्ष में लूटपाट और डकैती की 11 घटनाएं हुई हैं और उनमें से 6 पश्चिमी बंगाल में हुई।

प्रो० रूपचन्द पाल : क्या आपको इस तथ्य की कुछ जानकारी है कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों का सम्बन्ध**...(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

प्रो० रूपचन्द पाल : ठीक है, महोदय।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यह एक परोक्ष संकेत है। जब कभी डकैती होती है तो क्या मुझे कहना चाहिए कि वह...द्वारा की गई...**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इस प्रश्न को वापस ले लिया है। यह उचित नहीं है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : दिल्ली में हुई बैंक डकैतियों का उल्लेख मैंने पहले से ही कर दिया है। 1980 के दौरान कोई बैंक डकैती अथवा लूटपाट नहीं हुई। 1981 में 2 और 1982 में हुई। यही वे आंकड़े हैं जो मैं देना चाहता हूं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : उनमें से कितने गिरफ्तार किए गए हैं ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते हैं कि डकैती आदि में किस की कार का प्रयोग किया गया था। मैं सभा में यह कहना चाहता हूं कि पिछली डकैतियों के मामले तथा इस मामले की छानबीन की जा रही है। कुछ अन्तर्राज्यीय डाकू हैं जो ये कर रहे हैं। वे लोग केवल दिल्ली परिधि में ही नहीं हैं। हम यह आशा नहीं कर सकते कि दिल्ली निवासी ही दिल्ली में डकैती करेगा। यह ऐसा नहीं है। वे किसी नागरिकता अधिनियम या अन्य आवासीय अधिनियम के अन्तर्गत बन्धे हुए नहीं। हैं ये अन्तर्राज्यीय डाकू हैं जो ऐसा कर रहे हैं। छानबीन करने में कुछ समय लगता है और मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। इससे जो जांच पड़ताल की जा रही है उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और अपराधी से बच सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इससे डाकुओं को सहायता मिलेगी।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, कैनरा बैंक में डकैती हुई वह सचमुच में बहुत दुखद घटना है। आप जानते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वारा किया गया और आज बैंकों की शाखाएं सारे देश में फैली हुई हैं। हिन्दुस्तान के सभी कोनों में बैंकों की शाखाएं फैली हुई हैं और जब दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घट सकती है तो आप सोच सकते हैं कि जो देहाती इलाकों में हमारे नेशनलाइज्ड बैंकों की शाखाएं हैं वे कितनी असुरक्षित हैं। इसका अन्दाजा अपने आप लगाया जा सकता है।

हम यह नहीं कहना चाहते कि बंगाल में कितनी डकैतियां हुईं, उत्तर प्रदेश में कितनी हुईं या बिहार में कितनी हुई क्योंकि बंगाल की जनता भी प्रधान मन्त्री को उतने ही आदर की

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

नजरों से देखती है जितने कि उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के अन्य कोनों की जनता देखती है। इंदिरा गांधी बंगाल के लोगों को भी उतनी प्यारी हैं। इसलिए यह नहीं हम कहना चाहते कि बंगाल में इतनी डकैतियां हुई, बिहार में इतनी हुईं या और दूसरी स्टेट्स में इतनी डकैतियां हुईं।

कल राज्य सभा में वित्त उपमंत्री, श्री जनार्दन पुजारी ने जवाब देते हुए बताया कि पिछले साल 40 बैंक शाखायें लूटी गई जिनमें से 1 ‹ शाखायें वेस्ट बंगाल की थी। इस बात से स्पष्ट पता चलता है कि 40 परसेन्ट बैंक राबरीज बंगाल में हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम बंगाल कलकत्ता की नहीं वरन दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं।

श्री राम स्वरूप राम : इस बात से स्पष्ट होता है कि वेस्ट बंगाल में ला एण्ड आर्डर की क्या पोजीशन है। वेस्ट बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी की सरकार है और वहां पर ला एण्ड आर्डर की क्या पोजीशन है वह वेस्ट बंगाल की जनता और सारा देश जानता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक विषय पर आ जाइए

श्री सत्य साधन चक्रवती : क्या आप जनते हैं कि पुलिस द्वारा कितने डाकुओं को पकड़ा गया? कितने गिरफ्तार किये गए हैं क्या आप यह जानते हैं? क्या आपको आंकड़े पता है।

श्री राम स्वरूप राम : मैं यह कहना चाहता हूं कि डकैती डकैती ही है चाहे वह देश के किसी भी हिस्से में क्यों न हो, वह सारे देश के लिए एक दुःखद घटना है और सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। उधर के माननीय सदस्यों को इस पर एजिटेटर नहीं होना चाहिए।

सरकार ने अपने बयान में कहा है कि साढे बारह बजे यह डकैती हुई और दस मिनट तक डकैती चलती रही. यानी साढे बारह बजे केनरा बैंक में डकैत घुसे और 12 बजकर 40 मिनट तक डकैती करते रहे। 12 बजकर 44 मिनट पर वहां पुलिस पहुंची। इसमें जो टाइम फैक्टर है वह बहुत महत्व रखता है। यदि पुलिस ने अधिक सतर्कता के साथ काम लिया होता और पुलिस काफी एक्टिव रहती तो मैं समझता हूं केनरा बैंक को लूटने वाले जो डकैत थे वह गिरफ्तार हो जाते और जो लूटेड प्रापर्टी थी वह रिकवर हो जाती। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस एक्टिव नहीं थी, निष्क्रिय रही। कहीं-कहीं तो पुलिस की कनाइवेन्स से भी डकैतियां होती हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि वे देश की समस्त देहाती और अरबन क्षेत्र की बैंकों की शाखाओं को सुरक्षा देने के लिए एक कांम्प्रिहेन्सिव प्लान बनाकर उसको लागू करें वरना आपकी कोई भी बैंक कहीं सुरक्षित नहीं है।

[श्री राम स्वरूप राम]

दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो घटनायें देश के हर कोने में हुई है उनकी जांच की गई है, कोई दोषी पकडे गए हैं या नहीं, सरकार कभी कालिंग अटेन्शन के माध्यम से और कभी स्टार्ड क्वैश्चन के माध्यम से यही जवाब देती है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टिगेशन या अनुसन्धान का क्या प्रतिफल हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, यह सदन के माननीय सदस्यों को कभी मालूम नहीं होता है। हो सकता है श्री वेंकटसुब्बैय्या साहब को मालूम होता हो इस आधार पर मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार कोई काम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, इस तरह की जो घटनायें देश में हुई हैं उनके बारे में, इस सदन की मेज पर रखने का विचार रखती है ? और क्या भविष्य में इस तरह की घटनायें देहाती और अरबन क्षेत्र की बैंकों में न घटें उसके लिए सरकार कोई सख्त कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो वे कदम कौन से हैं ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : हमारी प्रधान मत्री द्वारा उठाए गए कुछ ऐतिहासिक कदमों के कारण ही ये शाखाएं देश में दूर दूर तक फैल गई हैं। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा हैं कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों की 35000 शाखाए है । महोदय, मैंने आपके माध्यम से सदन को सुरक्षात्मक उपायों के बारे में बता दिया है, कि कितनी वित्तीय अड़चने हैं और कितने लोगों को रोजगार देना है। मान लीजिए वे सशस्त्र हैं जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी —क्या उससे डाकुओं को रोकने में सहायता मिलेगी, अथवा इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा परिणामस्वरूप राइफलों को छीन लिया जाएगा। इन मामलों को बहुत ध्यान पूर्वक देखना है उदाहरणतः दूरस्थ क्षेत्रों में क्या-क्या कदम उठाय जा रहे हैं।

हम इस विषय पर विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यह सुझाव दिया गया था कि कुछ उन संदेहास्पद स्थानों के साथ तादतम्य रखा जाए जहां डकैतियां होने की सभावना है। इस संबंध में भी कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 40 प्रतिशत डकैतियां हुई हैं। स्वभाविक ही श्री राम स्वरूप राम ने पूछा कि जब 40 प्रतिशत डकैतियां अकेले पश्चिमी बंगाल में हुई है तो क्या यह प्रशासन पर आक्षेप नहीं है जबकि दूसरी जगहों पर कम डकैतियां हुई है—दिल्ली में 2-3 डकैतियां ही हुई हैं। इस मामले पर राज्य सरकार यह देखने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करेगी कि सब काम सुचारू रूप से चल रहा है।

दूसरे स्थानों पर जो डकैतियां हुई हैं उनके बारे में हमने आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी है। जो भी जानकारी उपलब्ध है वह सभा को दे दी गई है। जो कार्यवाही की गई है तथा जांच पड़ताल का जो परिणाम आया है उसके बारे में उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है कि—क्या सभा पटल

पर विस्तृत रिपोर्ट रखी जाएगी। ऐसे इस समय, मैं कोई भी उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं। यदि इस संबंध में कोई विशेष प्रश्न पूछा जाता है तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभी जानते हैं कि अपराधों में बड़ी तेजी आई है। सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी और सभी प्रकार के आंकडे दे सकती है। फिर भी वास्तविकता यह है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।

इस विशेष बैंक के संबंध में, हमारे पास यही नेमी उत्तर है जो कि सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

इसमें घटनाओं का उल्लेख मात्र हैं और इसमें कहा गया है कि कार्यवाही की जा रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने उदासीन रवैया अपनाया है जिस पर मुझे गंभीर निराशा हुई है।

मैंने मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर को बडे गौर से सुना है। वह उत्तर भी बहुत निराशाजनक है। हमें बताया गया है कि पुलिस बैंकों को सुरक्षात्मक प्रबंध करने के लिए कह रही है। कुछ वित्तीय कठिनाईयां हैं और इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। बैंकों को कई हजार संतरियों की आवश्यकता होगी जिस पर कई करोड़ रुपये खर्च होंगे। अतः कुछ नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह कही गई है कि इसका संबंध राज्य सरकार से है। अतः राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पूरी स्थिति को हल करने का यह बहुत ही निराशाजनक तरीका है।

यह विशेष बात ही गंभीरता से विचार करने योग्य है। इसके तीन मुख्य पहलू हैं जो मैं सरकार तथा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रथमतः बैंक डकैती का यह उदाहरण सरकार द्वारा किए गए सुरक्षात्मक प्रबंधों में गलतियों का स्पष्ट उदाहरण है। जब मैं ऐसा कहता हूं तथा सरकार के विरुद्ध यह विशेष आरोप लगाता हूं —अगर सरकार इसे खंडित कर सकती है तो करें— मैं इस आरोप की पृष्ठभूमि के महत्वपूर्ण पहलुओं की तरह आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है कि यह बैंक डकैती अपने तरह की पहली डकैती नहीं है। इससे पहले भी हाल ही में दो डकैती और हुई थी। इसके अतिरिक्त दो और डकैतियां दिन के समय हुईं।

साउथ एक्सटेंशन के केनरा बैंक से 6.35 लाख रुपये लूट लिए गए। दूसरा उदाहरण हाल में हुई ग्रेटर कैलाश में बैंक आफ इन्डिया में हुई डकैती का है जहां 1.75 लाख रु० लूटे गए।

[श्री जी० एम० बनात वाला]

सब साउथ दिल्ली में होने वाली यह तीसरी बड़ी डकैती है। कार्य सम्पादन के तरीके में भी समानता है। जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा बताया गया कि डकैती उन बैंकों में हो रही हैं जोकि उस समय भी काम करते है जबकि क्षेत्र विशेष की अन्य संस्थाएं बंद होती हैं। तीनों मामलों में लूटपाट करने के तरीके में एक अन्य समानता यह भी थी कि बैंकों की धन संबंधी कार्रवाई समाप्त करने के थोड़ी देर बाद ही डाकुओं ने प्रवेश किया। अब हमारे सामने दो मुख्य बातें हैं। हाल ही में हुई बैंक डकैती का यह पहला उदाहरण नहीं है और दूसरे काम करने के तरीके में समानता है।

सरकार ने सुरक्षा उपायों के संबंध में बहुत लम्बे चौड़े दावे किए हैं। हमें यह बताया गया था और बार-बार इसको दोहराया जा रहा है कि 24 घंटे गश्त लगायी जा रही है। यही आश्वासन हमें कई बार दिया गया है। हमें इस हर समय की गश्त के बारे में कई बार बताया गया। मैं नहीं जानता कि जब यह ड़कैती हुई तो उस वक्त की पुलिस गश्त नींद ले रही थी। जब दूसरी बड़ी बैंक डकैती हुई तो हमें यह आश्वासन दिया गया कि उन बैंकों के बाहर पुलिस टुकड़ी रहेगी जो बैंक छुट्टी के दिन काम करते है अथवा कार्य समय के बाद कार्य करते हैं। दिल्ली निवासियों को जो आश्वासन दिया गया उस को कार्यान्वित किया गया था अथवा नहीं किया गया था? दूसरी बैंक डकैती के समय क्या वह पुलिस की टुकड़ी थी ?

हां, शायद एक कांस्टेबल किसी कोने में खडा था और संभवतः धन संबंधी कार्यवाही समाप्त होने से पहले ही यह दृश्य देखकर तुरन्त ही खिसक गया। उनकी कार्यवाही से कुछ ही समय पहले ऐसा हुआ।

हमें यह बताया गया कि पुलिस की गश्त को तीव्र कर दिया गया है ; हमें यह भी बताया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में वायरलेस लगी 12 मोटर साइकिल को विभिन्न क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए तैयार रखा गया है। वे मोटर साइकिलें कहां हैं ? उनको क्या हुआ है ? हमें यह भी बताया गया कि डकैतों का पीछा करने के लिए चार गाड़िया हर वक्त तैयार हैं। ये सभी आश्वासन हमें कुछ देर पहले ही दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको वह तिथियों भी बात सकता हूं जब दिल्ली वासियों को ये आश्वासन दिए गए थे। लेकिन नहीं जानता कि इस गश्त, पुलिस टुकड़ियों और गाड़ियों आदि का क्या हुआ ?

अतः इससे यह स्पष्ट है कि इस सुरक्षा के संबंध में पुलिस की तरफ से बहुत ढील दी गई थी। दस मिनट के अन्दर ही बैंक में यह सब घटना हो गई। उसके बाद डाकू रिंग रोड़ के उल्टी तरफ चले गए। उस वक्त कोई पुलिस की गश्त नहीं थी, कोई चेकिंग नहीं थी। उस समय उनके पास अपनी कार को जला देने के लिए बहुत फालतू समत था। सब कुठ हो चुका था। उस समय गश्त कहां थी ? डाकुओं की कार रिंग रोड़ के उल्टी तरफ भगाई गई।

लेकिन बढ़ते हुए अपराधों के होते हुए भी इसे किसी ने भी चुनौती नहीं दी। यह बैंक डकैती की पहली घटना नहीं थी। अतः कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में सरकार की सहायता करने की दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस की अपनी गलतियों के बारे में क्या कोई जांच की गयी हैं, यदि नहीं तो, क्या इस प्रकार की कोई जांच की जायेगी और सुरक्षा प्रवन्ध में चूकें करने के लिए जिम्मेंवार पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

सारी बात का दूसरा पहलू अपराधों का पता लगाने में हुई चूकें और बरती गयी ढील है, जिनका ज़िक्र स्पष्ट रूप से कुछ अन्य सदस्यों ने भी किया है। कुछ समय पहले हुयी पहली छः डकैतियों के मामले में भी यद्यपि गहरी छानबीन चल रही है, फिर से उसके अभी तक कोई परिणाम नहीं निकले हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह प्रश्न पूछने कें लिए शारीरिक बल का उपयोग कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : तथा कथित गहरी छानबीन का कोई भी परिणाम नहीं निकला है।

इस बैंक के लूटे जाने के दिन, अर्थात् 21 फरवरी को डाकुओं ने पैट्रोल पम्प, भी लूटा था। पैट्रोल पम्प को लूटा जाना भी पहली घटना नहीं थी। उसके चार या पांच दिन पहले तीन पैट्रोल पम्प लूटे गए थे। सरकार ने क्या किया ? सरकार ने पैट्रोल पम्प के मालिकों को केवल इतना ही कहा कि वे अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध स्वयं करें। सरकार ने इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है। अतः दूसरा पहलू यह है :—इस बात का ध्यान रखने के लिए क्या किया जा रहा है कि गहरी छानबनी केवल गहरी ही बन कर न रह जाए बल्कि प्रभावकारी भी सिद्ध हो ?

मैं पूरे जोर से...

उपाध्यक्ष महोदय : आपका हर शब्द जोरदार है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान प्रवृति अपराध सम्बन्धी तथ्यों को छिपाने की ही, यहां मैं कहूंगा कि पुलिस स्टेशनों तथा सरकार द्वारा अपराध सम्बन्धी झूठे आंकड़ें संसद के अन्दर तथा बाहर दिए जा रहे हैं, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यदि हम रोग व्यापकता को छिपाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया का कोई भी डाक्टर इस को किसी उपचार का सुझाव ही नहीं दे सकेगा, चिकित्सक की तो बात ही दूर है। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं कि अपराध सम्बन्धी आंकड़े वास्तविकताओं पर आधारित हों। उदाहरण के लिए मैंने उसी दिन, अर्थात् 21 फरवरी को ही

पैट्रोल पम्प पर की गयी डकैती का जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदय आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसी दिन दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गयी अपराध बुलेटिन में इस डाक्टर की किसी घटना का जिक्र नहीं किया गया था। जब हम बीमारी को छिपाते हैं तो उसका समाधान भी नहीं कर सकते। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इस प्रवृत्ति को दबाया जाए और आंकड़े राष्ट्र की सही स्थिति पर आधारित हों? मुझे आशा है कि इन तीनों पहलुओं, अर्थात् सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की चूकों, जांच सम्बन्धी ढील और अपराध सम्बन्धी आंकड़ों को छिपाने की प्रवृत्ति की ओर उचित तथा गम्भीर रूप से ध्यान दिया जाएगा।

उसके बाद ही हम कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में कोई प्रगति कर सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं चर्चाधीन विषय तक ही सीमित रहूंगा, क्योंकि इन्होंने बड़े प्रभावशाली ढंग से तथा जोरदार ढग से सरकार की अनेक गलतियों तथा त्रुटियों का जिक्र किया है। मैं इन बातों पर प्रभावशाली ढंग से बाद में किसी उचित समय पर प्रकाश डालूंगा। सरकार इनकी सब बातों के उत्तर देने के लिए तैयार है। इन्होंने पुलिस के आत्मसंतोष, ढिलायी तथा उपेक्षा-पूर्ण प्रवृत्ति की चर्चा की हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आत्मसंतोष, उपेक्षा तथा सांठगांठ वाली कोई भी बात नहीं है मैं घटनाओं का वर्णन कर सकता हूं ताकि माननीय सदस्य को वास्तविकता का पता चल सके।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या मैं कह सकता हू ...

श्री पी० वेंकटसब्बय्या : वह एक माननीय तथा आदरणीय सदस्य है। क्या आप समझते हैं कि मैं उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा ?

श्री जी० एम० बनातवाला : लेकिन उस आदरणीय सदस्य को शोलापुर तथा पुणे नहीं जाने दिया जाता।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : आदरणीय सदस्यों को अपने ही स्थानों पर रहना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : इन्हें पुणे क्यों जाना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा इस चर्चा में बाहर की बातें न लायें।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं फिर कहूंगा कि पुलिस सतर्क थी तथा उसने तुरन्त कार्यवाही की। यह बैंक महारानी बाग के एक दो मंजिल आवासीय गृह के भूमि तल पर है। मालिक पहली मंजिल पर रहता है। इमारत सड़क की अपेक्षा निचले तल पर है। बैंक में दो टेलीफोन हैं। एक टेलीफोन को डाकुओं ने खराब कर दिया। दूसरा बन्द कर रहा था। मालिक के घर पर ही टेलीफोन है लेकिन वह ठीक नहीं था। मालिक के पुत्र को कंट्रोल रूम के टेलीफोन करने के लिए

बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। कहा जाता है कि यह घटना 12 बजकर 30 मिनट तथा 12 बजकर 38 मिनट के बीच हुई थी। अतः सारा काम 8 मिनट के अन्दर हो गया।

एक माननीय सदस्य : वे साधारण लोग हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : कंट्रोल रूम को 12 बजकर 44 मिनट पर सूचना मिली कि पुलिस 12 बज कर 49 पर अर्थात् 5 मिनट के अन्दर स्थान पर पहुंच गयी (व्यवधान)।

पुलिस का पहला कर्त्तव्य यह देखना होता है कि परिसर को घेरा जाये ताकि उपलब्ध तथ्य में गडबडी न हो सके। उन्हें बैंक तथा इसके कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। फिर उन्हें पूछताछ करनी पड़ती है। उन्हें 10 मिनट के बाद बताया गया कि वे किसी नम्बर विशेष वाली कार में चले गये हैं। तुरन्त ही सभी स्थानों को समाचार भेजा गया कि इस कार विशेष का पता लगाया जाये। एक कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि वह कार बैंक से एक किलोमीटर दूर पायी गयी, लेकिन वह जल रही है। अतः पुलिस वहां गयी और पूछताछ की। यदि कार जल रही हो तो उन्हे यह पता करना पड़ता है कि कार में बैठे हुए लोगों का क्या हुआ? कुछ देर के बाद एक व्यक्ति ने आकर कहा कि जब यह कार जल रही थी तो वहां एक दूसरी कार इन्तजार कर रही थी। वे उस कार में बैठ कर चल दिये। जिस समय पुलिस को यह सूचना मिली उस समय वह कार उनकी पहुंच से बहुत दूर चली गयी होगी क्योंकि वे कार में जा रहे थे, किसी बैल गाड़ी में नहीं या पैदल नहीं। अतः जब पुलिस को पता चला कि उन्होंने कार को छोड़ दिया है और वे दूसरी कार में चले गये हैं तो उस समय तक एक घंटे का समय बीत चुका था। फिर भी उपलब्ध समय के दौरान पूरे-पूरे प्रयत्न किये गये। मैं आपको यह बता दूं कि मैं पिछले वर्ष के मामले का भी जिक्र कर चुका हूं। जांच चल रही है और उसमें प्रगति हो रही है। अतः सभा के सामने ब्योरा रखना जनहित तथा अपराधियों को पकड़ने के हित में नहीं है। कुशल जांच द्वारा ही अपराधी कानून और न्याय के हाथों से बाहर नहीं जा सकेंगे, अतः उस प्रयोजनार्थ हमने कहा है कि मामले की पूरी जांच के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

जहां तक जांच का सम्बन्ध है। इसमें कोई ढील नहीं हुई है। मैं पुलिस के बारे बोल रहा हूं। जांच के दूसरे भाग के बारे में अभी विचार होना है और इसे शुरू किया जाना है। उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सांठगांठ, आत्मा संतोष तथा अपेक्षा वाली कोई बात है भी या कि नहीं। इस समय इन सब बातों को बताना उचित नहीं है। जांच चल रही है, मैं श्री बनातवाला को इस बारे में आश्वासन देता हूं। इन्होंने, जोरदार, कदमों पर बल दिया है। यदि मैं 'मजबूत' कदम कहूं तो मुझे सरकार की ईमानदारी को प्रकट करने के लिए कोई उचित शब्द ढूंढना पड़ेगा। यदि मैं 'कदम' शब्द का ही उपयोग करता तो वे कहते कि जोरदार क्यों नहीं, मजबूत क्यों नहीं? अतः

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

श्री बनातवाला से अपनी रक्षा के लिए मैंने कहा है कि जोरदार कदम उठाये जा रहे हैं, जांच चल रही है और हम अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन (त्रिवेन्द्रम) : इनके पुणे जाते सम्बन्धी प्रतिबंध की स्थिति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा न डालें । यह नहीं मान रहे हैं ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैंने कहा है कि उन्हें अपने स्थान पर रख दिया है । मैं इसका जिक्र सभा में कर चुका हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से जो 23 फरवरी, 1982 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह साफ कार्य मंत्रणा समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से जो 23 फरवरी 1982 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बज कर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 35 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लियें जाये में श्री एस बिहारी बहेरा ।

(एक) उड़ीसा में सीमेन्ट की कमी

*श्री रास बिहारी बहेरा (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं। उड़ीसा की अनेकों परियोजनाओं का निर्माण कार्य बन्द हो गया है क्योंकि सीमेंट का घोर अभाव है और वे मार्च, 1982 अर्थात पूरी होने की निर्धारित तारीखों तक पूरी नहीं हो सकेंगी। भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य के लिए 12 लाख टन मीटरी टन वार्षिक के हिसाब से सीमेंट का आवंटन किया है। तदनुसार, केन्द्रीय सीमेंट नियन्त्रण बोर्ड नई दिल्ली को उड़ीसा को प्रति तिमाही 3 लाख मीटरी टन सीमेंट की सप्लाई करनी चाहिए जबकि उस राज्य को अब तक केवल 81,000 मीटरी टन की सप्लाई की गई है। राज्य में चल रही विभिन्न परियोजाओं के निर्माण के लिए राज्य की मांग को पूरा करने के लिए यह वास्तव में बहुत ही कम है।

इस समय उड़ीसा में बाली मेला इन्द्रावती और बंगाली बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उस राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेकों औद्योगिक और आवास योजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मकान बनाए जा रहे हैं और उन विभिन्न राजमार्गों पर जो उड़ीसा से होकर गुजरते हैं, पुल निर्माणाधीन हैं।

अत: यह वांछनीय है कि उड़ीसा को केन्द्र द्वारा किए गये आवंटन के अनुसार सीमेन्ट का अपना पूरा हिस्सा मिलना चाहिये। जब तक राज्य की आवश्यकतानुसार उसे सीमेंट की पूर्ति नहीं की जाती है, तब तक उड़ीसा में समस्त निर्माणाधीन विकास कार्यक्रम अवरुद्ध पड़े रहेंगे। यह समस्या समस्त राज्य के हित से सम्बद्ध है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि उड़ीसा राज्य को बिना किसी विलम्ब के केन्द्रीय आवंटन के अनुसार सीमेंट सप्लाई की जानी चाहिये।

(दो) जम्मू और कश्मीर में वैष्णोदेवी तीर्थस्थल के तीर्थ यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

माता वैष्णों देवी जी की तीर्थ यात्रा ने देश व्यापी महत्व प्राप्त कर लिया है। इस देवी की प्रार्थना करने हेतु विदेशी भी इन पवित्र गुफाओं के दर्शनार्थ आते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित इस पवित्र गुफा को देखने के लिए हर वर्ष लाखों लोग आते हैं।

* उड़िया में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री भीखा भाई]

भक्त गणों को मन्दिर तक पहुंचने के लिए लम्बा पहाड़ी मार्ग पैदल ही तय करना पड़ता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सरकार वस्तुतः इन भक्तों को कोई सुविधा प्रदान नहीं करती है।

अपनी पैदल यात्रा के दौरान, इन भक्त गणों को पीने के पानी तक की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जाती हैं। यहां तक कि गुफा पहुंचने वालों को रात को ठहरने के लिए अधिक अच्छा स्थान नहीं मिल पाता है जो कि मन्दिर तक पहुंचने के लिए की गई लम्बी पैदल यात्रा के बाद अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।

अत: मैं, पर्यटन और नागर विमानर मन्त्री महोदय तथा संस्कृति विभाग से भी निवेदन करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दिया जाए और उस पवित्र गुफा के दर्शनार्थ और प्रार्थना करने के लिए जाने वाले लाखों भक्तों के लिए तुरन्त ही निम्नलिखित सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाए।

1. पवित्र गुफा की ओर जाने वाले मार्ग पर दो या तीन सरायें बनाई जाएं जो कि पेय जल, चाय आदि तथा कुछ खाने की चीजें भी रखें।

2. मन्दिर के निकट अच्छे रख-रखाव वाली पर्यटक-कुटीर का निर्माण कराया जाए जो कि भगतों को आवश्यक खाद्य पदार्थ और कम्बल आदि प्रदान कर सके।

3. मन्दिर की आवश्यक मरम्मत आदि करके उसकी सही ढंग से देख-रेख की जाय।

4. पवित्र गुफा के आस पास और मार्ग में खड़ी होने वाली किसी भी प्रकार की विधि और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किये जाएं।

(तीन) पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और अन्य जिलों में मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में मिट्टी के तेल के भीषण अभाव के कारण जनता त्रस्त हो गयी है। गत कई महीनों से अधिसंख्य लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के सामने घोर संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार की लापरवाही, लोगों की कठिनाई को दिन-प्रति-दिन बढ़ा रही है। वितरण व्यवस्था के दूषित होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, फलस्वरूप जनता अभाव की चक्की में पिस रही है। ऐसी परिस्थिति में मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि लोगों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिये शीघ्र कारगर एवं ठोस कदम उठाये जायें तथा वितरण व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कठोर कार्यवाही की जाये ताकि जनता को सरलता से मिट्टी का तेल उपलब्ध हो सके।

(चार) कवि सुब्रह्मण्यम भारती की महान रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रयास की नितान्त आवश्यकता है, जिसके द्वारा देश की विभिन्न भाषाओं में जो श्रेष्ठ रचनायें हैं, उनका अन्य भाषाओं में अनुवाद हो और यह प्रयास सरकार की ओर से होना चाहिये। इतना ही नहीं, विश्व की महान रचनाओं, जो मानवमूल्यों एवं नैतिक चेतनाओं के आधार हैं, का देश की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होना चाहिये। मुंशी प्रेमचन्द की रचनायें रूस जैसे देश में बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। देश की अनेक श्रेष्ठ रचनाओं का विश्व की तमाम भाषाओं में अनुवाद किया गया है और लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम भारती, देश के एक महान कवि, देशभक्त एवं समाज सुधारक रहे हैं। वे 39 वर्ष की अल्पायु में ही 1921 में स्वर्गवासी हो गये थे। गत 11 दिसम्बर से उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। श्री भारती का तमिल साहित्य में अग्रणी स्थान रहा है। उनका साहित्य ज्ञान एवं अनुभूति के भंडार से समृद्ध है। उसमें जीवन-दर्शन और देशभक्ति की ज्वाला है। दो दशकों तक उनकी लेखनी देश के प्रति एक भावना, परिस्थितियों, जाति विहीनता गरीबी उन्मूलन, श्रम के प्रति आदर आदि विषयों, पर निरन्तर चलती रही। दक्षिण भारत में वे महिला मुक्ति के प्रथम प्रवर्तकों में से थे। वे ऊंच-नीच के विचारों को तिलांजलि दे चुके थे। वे यथार्थवादी थे। वे आस्तिक होते हुए परम्परावादी एवं संकीर्ण विचारों से ऊपर उठे हुए थे। उन्होंने अपनी कविताओं में गुरु गोबिन्द सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, शिवाजी आदि अनेक महापुरुषों का यशोगान भी किया। उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। वे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे।

खेद का विषय है कि उसकी श्रेष्ठ रचनाओं का अनुवाद अन्य भाषाओं में उपलब्ध न होने के कारण अन्य भाषाओं के पाठक, श्री भारती की भावनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए उनसे साग्रह अनुरोध करूंगा कि श्री भारती के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उनकी श्रेष्ठ रचनाओं का देश की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद कराये जाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाये तथा शताब्दी समारोह देश के विभिन्न क्षेत्रों में संयोजित किये जायें, जिससे विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे के सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों को समझने एवं अनुकरणीय तत्वों को अपनाने का सुअवसर प्राप्त होगा। यह राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का एक उपयुक्त एवं सफल प्रयास होगा।

(पांच) कालीकट में प्रस्तावित हवाई अड्डे का निर्माण

श्री इ० के० इम्बीचीबावा (कालीकट) : केरल के कालीकट नगर के नागरिकों ने 23 फरवरी, 1982 को आंशिक सत्याग्रह किया था। वे केरल के मालाबार क्षेत्र की जनता के लम्बे समय से चले आ रहे निर्माण कार्य के आरम्भ करने के स्वपन को कार्यरूप देने में अनापेक्षित विलम्ब के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे। अपने स्वपन को साकार करने के लिए उन्होंने 1952 से ही सभी द्वार खटखटाने प्रारम्भ कर दिए थे। गत 30 वर्ष के अनवरत प्रयास निष्फल रहे और अब अपनी मांग को पूरा कराने हेतु वे यह विश्वास और विचार करन लगे हैं कि एक दीर्घकालीन आन्दोलन आरम्भ किया जाए। मैं इस गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं।

केरल के इस ऐतिहासिक नगर तथा उसकी व्यापारिक तथा औद्योगिक राजधानी में हवाई अड्डे के विचार को स्वीकृति तो बहुत पहले 1952 में मिल गई थी। गत 30 वर्षों के दौरान विभिन्न प्राधिकरणों को अनगिनत अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गये थे। कालीकट में हवाई अड्डे की सम्भाव्यता के बारे में किसी ने भी किसी प्रकार का सन्देह व्यक्त नहीं किया है। हवाई अड्डे की यातायात सम्बन्धी क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जब अन्तिम सर्वेक्षण किया गया था, खाड़ी के देशों से आने वाले यात्रियों समेत बम्बई और त्रिवेन्द्रम से होकर विदेशों से आने वाले केरल के 90% यात्री इस क्षेत्र के होते हैं। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हवाई सम्पर्क अत्यन्त आवश्यक है।

भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है और इसे बहुत पहले 1971 में ही मंगलौर के विमान पत्तन अधिकारी को सौंप दिया गया था। राज्य सरकार ने बड़ी ही अच्छी सम्पर्क सड़कों का निर्माण कर लिया था। अनेकों बार संसद के दोनों ही सदनों में इस मामले को उठाया जा चुका है और ये आश्वासन दिए जाते रहे हैं कि वहां शीघ्र ही कार्य शुरू हो जायेगा। केरल के सांसदों ने 7 अप्रैल, 1980 को नागर विमानन मन्त्री महोदय को एक ज्ञापन दिया था और उस अवसर पर भी मन्त्री महोदय ने हमको यह आश्वासन दिया था कि कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायेगा। कालीकट के नागरिकों द्वारा गठित कार्य-समिति ने 10-11-1980 को त्रिचूर में प्रधान मन्त्री महोदया को उनके केरल के दौरे के अवसर पर एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था उसके उत्तर में नागर विमानन निदेशक ने सूचित किया था कि कार्य 1980 में ही आरम्भ हो जाएगा। संसद के गत सत्र के दौरान नागर विमानन मन्त्री महोदय ने, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इस प्रस्ताव को लोक निवेश बोर्ड के पास स्वीकृत हेतु भेजा गया है और प्रस्ताव पर अनुमति मिल जाने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। गत वर्ष कालीकट के दौरे के अवसर पर एक सार्वजनिक बैठक में प्रधान मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि कार्य शीघ्र आरम्भ हो जाएगा। परन्तु अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह बड़े ही दुख की बात है कि सरकार लोक निवेश बोर्ड तथा अन्य नौकरशाही अभिकरणों की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु असमान्य रूप से लम्बी प्रतीक्षा कर रही है।

जनता की उचित मांग को तुरंत स्वीकृति मिलनी चाहिए और तुरंत कार्य करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

(छः) आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में रामकृष्णपुर में सिंगरेनी कम तापीय कोयला संयत्र का विस्तार करने की आवश्यकता

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : इससे पहले कि मैं नियम 377 के अधीन अपना वक्तव्य दूं, मैं उर्जा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा-जो सौभाग्य से इस समय सदन में उपस्थित हैं कि वह इस मामले पर ध्यान दें जो उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध है।

सिंगरेनी कोयले से घरेलू ईंधन तैयार करने के विचार से, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद में गहन निम्न-ताप प्रोयोगिक परियोजना अध्ययन किये गए हैं। अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि नान-कोकिंग कोयले से धूम्रविहीन घरेलू ईंधन आर्थिक रूप से तैयार किया जा सकता है। इसके बाद ईंधन नीति समिति ने भारत सरकार को भारत में एल० टी० सी० परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने का सुझाव दिया था। इस बीच राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने क्षेत्रीय अनुसधान प्रयोगशाला की प्रक्रिया के आधार पर निम्न ताप कोयला परियोजना गोदावरी घाटी में स्थापित करने की सिफारिश की है तदनुसार क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने सिंगरेनी कोलायरीज कम्पनी लिमिटेड के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया और योजना आयोग को प्रस्तुत किया, जिसने इस पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया। सार्वजनिक निवेश बोर्ड और भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश आदिलाबाद जिले में रामकृष्णापुर में 2700 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता वाली निम्न ताप कोयला परियोजना स्थापित करने के लिए दिसम्बर, 1973 में अन्तिम रूप से स्वीकृति दी।

राज्य और केन्द्र सरकारों की रुचि और समर्थन से, 900 टन की क्षमता वाली निम्न ताप कोयला परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय ने 1976 में किया था। सिंगरेनी कोलयरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धाधीन इस इकाई ने 1976 में परीक्षण उत्पादन आरम्भ किया और मई, 1979 तक प्रथम चरण के तीनों ही कार्बनीकारकों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया। प्रथम चरण में लगभग 13 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जो कि सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। परियोजना प्रतिवेदन की अन्तिम अवस्था में, अर्थात 6 और अतिरिक्त कार्बनीकारकों आदि के लिए और 40 करोड़ रुपए का निवेश करने के पश्चात, सम्पी कोयला और ब्रिकेटस कोयला तैयार करने के अतिरिक्त फीनोलस, ओर्थो एण्ड मेटा-पेरा करिसोलस, एक्सीलेरोल्स तथा भारी तारकोल का बाह्य उपयोग, डिफिनोलाजिड़ आयल और बिजली उत्पादन के लिए फालतू-गैस जैसे सह उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इसका विस्तार हो जाने के बाद, इससे प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपये की जो विदेशी मुद्रा ईंधन और कैमिकल्स पर व्यय होती है उसकी बचत हो जाएगी।

[श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी]

इस परियोजना के प्रथम चरण की सफलता पर विचार करते हुए और प्रति वर्ष लगभग 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत समेत इससे होने वाले सभी प्रकार के लाभों को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा और यह सुझाव भी दूंगा कि परियोजना को इसकी पूरी क्षमता तक विस्तृत करने के लिए आवश्यक राशि शेषांश को प्रदान करें और कोयले के जलने की प्रक्रिया में आजकल धूंए के रास्ते वातावरण में उड़ जाने वाले रसायनों की बचत भी करें।

(सात) महाराष्ट्र में कपास का गारन्टीशुदा मूल्य बढाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठा रहा हूं।

प्रथम दिसम्बर, 1981 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते समय, तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि वह कच्चे माल की बढी हुई लागत जो कि संत्रत हैं, पर विचार करेंगे और यह बताया था कि महाराष्ट्र सरकार के सुझाव पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। उनके इस विशिष्ट आश्वासन के बावजूद, सरकार ने गत वर्ष से महाराष्ट्र में गारन्टीशुदा कपास मूल्य में अभी तक वृद्धि नहीं की है। इससे कपास उत्पादकों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है और इससे कपास, ओटाई फैक्ट्रियों में मिलने वाले मौसमी रोजगार से भी मजदूरों को च्युत होना पड़ा है तथा राज्य सरकार को विक्रय कर और आयकर में अपने हिस्से से भी हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि अच्छे भाव मिलने की आशा में कपास उत्पादकों ने अधिकांश कपास को पड़ोसी राज्यों में भिजवा दिया है। यहां पर इस बात का उल्लेख करना असंगत न होगा कि आदिलाबाद और बहरानपुर अवस्थित भारतीय कपास निगम वहां चालू बाजार भाव पर कपास खरीद रहा है।

इन सभी कारणों से कपास उत्पादकों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है और यदि मन्त्री महोदय के आश्वासनानुसार समय पर इसमें सुधार नहीं किया गया तो इसका प्रभाव महराष्ट्र के कपास-उत्पादक क्षेत्रों पर पड़ेगा।

———

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव —जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रो० एम० जी० रंगा द्वारा प्रस्तुत किये गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :

'कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाय :-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 18 फरवरी, 1982 को संसद के एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।' "

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी के एक स्वयंभू नेता श्री जेठमलानी जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने इस संभाषण के संबंध में निराशा जाहिर की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या खाद्यान्न में इस सरकार ने जो प्रगति की है, सरकारी उद्योगों में जो उत्पादन की क्षमता 20 प्रतिशत बढ़ाई है, कोयले के उत्पादन को बढाया है, ऊर्जा में 11.3 प्रतिशत की जो वृद्धि की है, हमारे निर्यात व्यापार में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि की है और इसके साथ-साथ ही खाद्यान्न तथा दूसरे उर्वरक आदि के उत्पादन की क्षमता बढाई है, क्या सरकार के इन कार्यों से वे निराश हैं और क्या महामहिम राष्ट्रपति ने जो संकेत किया है कि हम आने वाले समय में उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, आने वाले वर्ष को उत्पादन वर्ष के रूप में मानना चाहते हैं और आने वाले वर्ष में हम हरएक क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन को बढाएंगे, क्या इस संकेत की ओर राष्ट्र के विकास के रथ को एक गति देने के लिए जो उन्होंने संकेत दिया है क्या उस संकेत को आप निराशा का संकेत मानते हैं? मुझे ऐसा लगा कि यह निराशा सरकार के कार्यों के प्रति नहीं, सरकार की प्रगति के प्रति नहीं बल्कि यह निराशा उनकी एक राजनीतिक निराशा है और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल फ्रस्टेशन, यह हमारी देन आपको नहीं है बल्कि यह देन तो आपके आस पास में आप के ही साथ बैठे हुए जो लोग हैं उनकी यह देन है और ये चीज आपको रहेगी। यह पोलिटिकल फ्रस्टेशन जो आपका है इसकी वजह से ही आप को सब जगह निराशा नजर आती है। इसलिए जिस चश्मे से आप देख रहे हैं और जिस चश्मे से आप देख कर चलना चाहते हैं उसके कारण यह निराशा है और वास्तव में आप तक ही सीमित निराशा है। न यह निराशा राष्ट्र में है, न राष्ट्र के नागरिकों में है और न यह निराशा सरकार में है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि एक सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे पहली आवश्यकता किस बात की होती है। यदि इस देश के इतिहास को देखें तो आदि काल से तभी यह देश कमजोर हुआ जबकि बाहरी शक्तियों ने अपने पंजे फैलाए। कोई भी राष्ट्र सेना की शक्ति से बड़ा नहीं हो जाता, हथियारों को इकट्ठा करने से बड़ा नहीं हो जाता बल्कि राष्ट्र तब बड़ा बनता है जबकि उसके पास सुदृढ़ मनोबल हो और आत्म विश्वास हो। राष्ट्र तब बड़ा बनता है जबकि उस राष्ट्र के नागरिकों में यह विश्वास हो कि उनकी प्रगति करनी है और उनमें किसी प्रकार की कोई इन्फीरियाटि कम्पलैक्स नहीं है। आज विरोध पक्ष में बैठने वाले जो हमारे बन्धु हैं वे हर क्षेत्र इन्फीरियारिटी काम्पलेक्स पैदा करना चाहते हैं। किसी भी देश के आत्मविश्वास और मनोबल के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि देश में एकता की भावना पैदा हो। राष्ट्रीय स्तर के जो

[श्री राम सिंह यादव]

मुद्दे है उनको हल करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सहयोग की भावना से काम करें। यदि देश को मजबूत करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र में एक सबल सरकार हो, स्टेबिल सरकार हो। जब तक केन्द्र में स्टेबिल सरकार नहीं होगी तब तक देश के नागरिकों का मनोबल मजबूत नहीं होगा। स्थायी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रेरणादायक शक्ति यह है कि एक मजबूत नेतृत्व हो। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश को एक मजबूत नेतृत्व और एक सक्षम सरकार दी है।

1977 से 1980 के बीच में जो सरकार रही उसके बारे में न केवल इस देश में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी हास्यास्पद बातें कही जाती थीं। उस सरकार में जो सबसे बड़ी कमी थी वह यह कि उसका कोई मजबूत नेतृत्व नहीं था और उसके पास कोई निश्चित दिशा नहीं थी। उन्होंने आपस में बन्दरबांट की नीति अपना रखी थी।

कल यहां पर जेठमलानी जी बोल रहे थे तब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 1977 में जब प्रान्तीय असेम्बलियों के चुनाव हुए तब उसके मुख्य मंत्रियों के लिए बन्दरबांट किया। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में जनसंघ, यू० पी०, बिहार में दूसरे घटक बी०एल०डी० और इसी प्रकार से दूसरे प्रान्तों में दूसरे घटकों को मुख्य मंत्री दिए गए। क्या प्रजातन्त्र को चलाने की उन की यही स्वस्थ परम्परा थी ? क्या इसी प्रकार से ये स्वस्थ प्रजातन्त्र कायम करना चाहते थे ? मैं समझता हूं कि देश आजाद होने के बाद इतिहास में पहली बार यह सुनने को मिला कि प्रधान मन्त्री कहता है कि गृह मन्त्री भ्रष्ट है और गृह मंत्री कहता है कि प्रधान मंत्री भ्रष्ट है। जिस दिन गृह मन्त्री ने इस्तीफा दिया उसके बाद 1 जुलाई, 1978 को कैलकटा वीकली में उन्होंने एक इन्टरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट में चारों ओर करप्ट लोग हैं। उनके एक्चुअल शब्द सुनकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा। उस वक्त के गृह मन्त्री ने कुलीग्स के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए :

"मैं अब अच्छा अनुभव कर रहा हूं। सरकार में रहते हुए मैं कई भ्रष्ट लोगों से घिर गया था।"

इस प्रकार के शब्द एक गृह मन्त्री अपने प्रधान मन्त्री और दूसरे मन्त्रियों के लिए कहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कल जेठमलानी जी स्वस्थ डेमोक्रेसी की दोहाई दे रहे थे और उसके लिए नार्म्स कायम करने की दोहाई दे रहे थे क्या जनता पार्टी के शासन में यही नार्म्स थे। जिसमें एक गृह मन्त्री कहता था कि प्रधान मन्त्री भ्रष्ट है और उसके साथ काम करने वाले दूसरे मन्त्री भ्रष्ट हैं ? क्या स्वस्थ प्रजातन्त्र का यही नार्म्स हैं ?

मैं समझता हूं कि यही एक कारण था, चूंकि आपके पास नेतृत्व नहीं था और न आपके सामने दिशा थी आपको एक अवसर मिला था कि एक स्वस्थ प्रजातन्त्र इस देश के अन्दर कायम करते,

लेकिन आप नहीं कर सके। यही कारण है कि आपने करप्शन के बारे में बहुत सी बातें कही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप करप्शन को किस नजरिए से देखना चाहते हैं। क्या एच० आर० खन्ना ने श्री बीजुपटनायक के खिलाफ, जो कि आपकी पार्टी के, आपके दल के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिकचर्स पास नहीं किए। जिस दिन श्री बीजुपटनायक कांग्रेस में थे, उस दिन वे भ्रष्ट थे और जिस दिन आपकी पार्टी में शामिल हो गये, उस दिन वे गंगा जल की तरह पवित्र हो गए। इसी तरीके से श्री देवराज अर्स, जिस समय कांग्रेस में थे कमीशन की उनके खिलाफ रिपोर्ट है, उस समय भ्रष्ट थे और कांग्रेस छोड़ने के बाद जब वे आपके साथ आकर बैठ गए वे भी पवित्र हो गए। वे बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको आप पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं तथा यह कहते हैं कि उन्होंने राष्ट्र के हित के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि करप्शन को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? क्या आपने श्री सी० ए० वैधलिंगम, जो कि एक रिटायर्ड जज है, उनकी रिपोर्ट को पढ़ा है। उनकी रिपोर्ट किस आधार पर प्राप्त हुई है, किसने मांगी थी वह रिपोर्ट, किसने वह कमीशन कायम करवाया था? जिन लोगों ने राज्य सभा में एक प्रस्ताव पारित करके और उसका कमीशन कायम करवाया था, आज कहां गए वे लोग, जो यह कहते थे कि मेरे खिलाफ एक्शन करो और इन्क्वायरी करो। स्वयं चौ० चरण सिंह कहते थे कि मैं बिलकुल पवित्र हूं, लेकिन श्री सी० ए० वैधलिंगम ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। श्री मोरारजी भाई यह कहते थे कि कान्ती भाई के खिलाफ कोई दोष नहीं है, लेकिन कान्ती भाई के लिए क्या कहा गया, उस रिपोर्ट में श्री जेठमलानी आज करप्शन की दुहाई देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जिनकी धर्मपत्नी के सम्बन्ध में व श्री मोरारजी भाई जिनके पुत्र कान्ती भाई और उनकी पुत्रवधू पदमा के बारे में वैधलिंगम रिपोर्ट में जो प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में उनके पास कुछ कहने को है। ये उस समय के कार्य हैं, उस समय के कृत हैं, जिस समय वे प्रधान मन्त्री थे और चौधरी चरण सिंह यहां पर गृह मन्त्री थे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको और भी बहुत से मौके भ्रष्टाचार दूर करने के लिए मिले, लेकिन उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? आपने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए डिफैक्शन भी एक कारण है। कल श्री भजन लाल का उदाहरण दिया गया। भजन लाल शुरू में कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस में मिनिस्टर थे आपने उनका आलिंगन किया और उनको गोद में बिठाया और बैठाकर उनको आपने पुरस्कार दिया, इस डिफैक्शन को किसने उत्साहित किया, किसने उसके लिए पुरस्कार दिया? और अब जब कि श्री भजनलाल फिर अपने पुराने दल के साथ आ जाते हैं, तो आपको फिर उनके अन्दर भ्रष्टाचार नजर आता है, करप्शन का नजरिया, आपके करप्शन का चश्मा, ऐसा चश्मा है जिसमें आपकी पार्टी का आदमी जो कि आपकी तरफ बैठा हुआ है, चाहे वह कितना भ्रष्टाचार करे, चाहे उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स हो, चाहे हाई कोर्ट के फैसले हों, चाहे उनके खिलाफ कमीशन्स की रिपोर्ट हो, वह आपको नजर आता है, लेकिन आपको दूसरी तरफ का करप्शन नजर आता है, सत्ता पक्ष

[श्री राम सिंह यादव]

की तरफ का करप्शन आपको नजर आता है। करप्शन को दूर करने के लिए अभी 15 जनवरी, 1982 को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक नया 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है, जिसमें लिखा हुआ है, कि स्मगलर्स के खिलाफ, करप्ट लोगों के खिलाफ, ब्लैक-मार्केटीयर्स के खिलाफ हम सख्त कार्यवाही करेंगे। क्या उस समय, जब आपकी गवनमेंट कायम थी, तीन साल तक, आपने इस तरह की कोई घोषणा की ? आपके सामने एक ही काम था, आपने प्रजातन्त्र मजबूत करने के लिए कहा—आपको मौका मिला था कि अपोजीशन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और आपने उसको साबित करके दिखाया। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी चिकमंगलूर से चुनाव जीतकर विपक्ष में बैठने के लिए संसद में आई, लेकिन आपका प्रजातन्त्र कहता था कि विपक्ष में कोई मेम्बर आपके सामने आकर नहीं बैठ सकता है।

विश्व के इतिहास में पहली बार जनता के चुने हुए नुमायन्दे को आपने इस तरह से केवल सदस्यता से ही वंचित नहीं किया बल्कि उसको जेल भी भेजा। यह जनता द्वारा चुने हुए नुमाइन्दे के प्रति और विशेषकर उस व्यक्ति के प्रति जो देश का प्रधान मन्त्री रह चुका था, सबसे बड़ा अपमान था। क्या आपकी यही परम्पराएं हैं, क्या इन्हीं परम्पराओं को सामने रखकर डेमोक्रेसी के नाम पर श्रीमती इन्दिरा गांधी से पूछते हैं कि स्वस्थ परम्पराओं के लिए आप क्या करने जा रही हैं ? श्रीमती इन्दिरा गांधी 1980 से लेकर आज तक जो आपके कार्यकलाप थे, जो परम्पराएं आपने कायम की थीं, जिस तरह आपने कमीशन्ज बैठाने के काम किये थे, उन पर नहीं चलीं। आपने किस बात के कमीशन्ज बनाए थे—क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी मणिपुर से कोई मुर्गी का चूजा लाई थीं ? उसके खिलाफ एन्कवायरी की जाए और कल जो जेठमलानी साहब यहां तरह-तरह की बातें कह रहे थे, यह जानते हुए कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ वे चार्जेज झूठे थे; एक एडवोकेट की हैसियत से, शाह कमीशन के सामने पैरवी करते थे। क्या यही आपकी प्रजातान्त्रिक परम्पराएं हैं ? क्या इन्हीं पर आप प्रजातन्त्र को दृढ़ करना चाहते हैं। जिस नजरिये से आप प्रजातन्त्र को देखना चाहते हैं, जिस नजरिए से आप भ्रष्टाचार को देखना चाहते हैं, जिस नजरिए से आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं वे आप तक ही सीमित रहें तो बेहतर होगा। हम लोगों का नजरिया आपके नजरिए से अलग है और वह यह है कि आज हमारे राष्ट्र की नेता और देश की प्रधान मन्त्री ने आपसे सहयोग की अपील की है। वे आपसे इस बात के लिए सहयोग मांगती हैं कि आज हमारे सामने कुछ चेलेन्जेज हैं, राष्ट्र के सामने कुछ चुनौतियां हैं और वे इस तरह की चुनौतियां हैं जो केवल देश तक ही सीमित नहीं है, वे चुनौतियां विश्व के सामने हैं, सारा विश्व आज उनका सामना करने के लिए तिलमिला रहा है, तड़फड़ा रहा है और उसका मुकाबला करने के लिए आप को भी आगे बढ़ कर पहल करनी है।

हमें देखना है कि हमारे पड़ौसी देश में किस तरह से हथियार जमा हो रहे हैं। जनता पार्टी के नेता हथियारों की इस जमाखोरी के सम्बन्ध में कहते हैं कि पाकिस्तान

में यदि हथियार जमा हो रहे हैं तो उनसे हिन्दुस्तान को डर नहीं लगना चाहिए। मैं पूछता हूं — क्या ये हथियार नुमाइश के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं, हथियारों का इतना बड़ा जमाव क्यों किया जा रहा है? आगा शाही साहब ने परसों क्या स्टेटमेंट दिया है? वह कहते हैं कि अमरीका ने जब अपनी हथियारों की सप्लाई के बारे में अपनी पेशकश की तो उनकी प्री-कण्डीशन यह थी कि वहां पर अमरीका को मिलिट्री-बेस बनाने की इजाजत दी जाय। उनका कहना है कि मुझे गर्व है कि मैंने उस प्री-कण्डीशन को स्वीकार नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि अमरीका की क्या नीयत थी।

इन सब बातों को देखते हुए यदि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह संकेत दिया है कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनायें, सारे राष्ट्र के अन्दर एकता पैदा हो—तो क्या उनका यह संकेत सही नहीं है? क्या इस अभिभाषण में जो संकेत दिया हुआ है वह सामयिक नहीं है? मैं समझता हूं कि वह सामयिक है और देश को उसकी आवश्यकता है। हमारी नेता ने देश के सामने जो नया बीस सूत्री कार्यक्रम रखा है वह उस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखलाता है। आप कहते हैं—मंहगाई बहुत बढ़ गयी है, चीजों के भाव बढ़ गए हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को पढ़ा है, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में मंहगाई बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ाकर ही उस पर काबू पाया जा सकता है। आप किसी भी अर्थशास्त्री से पूछिए—यदि किसी इन्फलेशन को कन्टेन करना चाहते हैं, कीमतों पर काबू पाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि हम देश का उत्पादन बढ़ाए।

आज समय की आवश्यकता को देखते हुए, राष्ट्र की आवश्यकता को देखते हुए देश की प्रधान मन्त्री ने देश को नारा दिया है—"श्रमेव जयते।" आज हमें श्रम की कीमत को समझना चाहिए। इस देश में जो आदमी अधिक से अधिक श्रम करता है उसको समाज ने कभी आदर नहीं दिया। एक मेहतर जो अपने सिर पर मैला ढ़ोता है वह आपके बराबर नहीं बैठ सकता एक व्यक्ति जो अधिक से मैनुअल-वर्क करता है, जिसको आप छोटे-से-छोटा काम समझते है, उस को आप कभी अपने सामने बैठाना नहीं चाहते। देश का किसान जो अधिक से अधिक अन्न पैदा करता है उसको आप कभी उतनी इज्जत नहीं देना चाहते जो एक व्हाइट-कलर्ड आदमी को देते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने सामाजिक मूल्यों को नैतिक मूल्यों को बदलें।

सामाजिक मूल्यों को हम बदलें क्योंकि जब तक सामाजिक मूल्यों को नहीं बदलेंगे, जब तक समाज में हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों को उचित सम्मान नहीं देंगे, जब तक समाज में

[श्री राम सिंह यादव]

और सारे काम करने वाले व्यक्तियों को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्र का उत्पादन क्षेत्र पिछड़ा रहेगा । यह बड़ी खुशी की बात है कि आज एक नारा दिया गया है और वह नारा यह है कि सन् 1982 वर्ष को प्रोडक्टिविटी ईअर, उत्पादन का इअर मनाया जाय और इस साल में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। कल हमारे एक साथी पूछ रहे थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और सत्ताधारी पक्ष किस बात का हमसे आवाह्न करता है, किस बात के लिए कोआपरेशन चाहता है । मैं बताना चाहता हूं कि आपका कोआपरेशन चाहते हैं देश का उत्पादन बढाने में कोआपरेशन चाहते हैं कि हमारे देश में जो शर्मनाक घटनाएं होती है वे न हों, जो असामाजिक तत्वों द्वारा कम्युनल रायट्स होते हैं, वे कम्युनल रायट्स न हों और उनको रोकने के लिए हम और आप मिल कर काम करें । आप का सहयोग इस बात के लिए भी हम चाहते हैं कि इस देश के अन्दर जो असामाजिक तत्व गरीब हरिजनों, गरीब आदिवासियों को एक्सप्लायट करते हैं, जो उनका शोषण करते हैं, जो उन पर अत्याचार करते हैं, उनको दूर करने के लिए हम और आप मिल कर, कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें । हम आपका सहयोग चाहते हैं विषमताओं को दूर करने के लिए और जो अन्याय गरीब लोगों पर होता है, उस अन्याय के खिलाफ हम और आप मिल कर लड़ाई करें । देश के अन्दर जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो एन्टी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ एक जिहाद बोलें और उनके खिलाफ मिल कर काम करें जो रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं, वे कन्ज्यूमर स्टोर्स के जरिए और दूसरी सप्लाई लाईन के जरिए देश के प्रत्येक नागरिक को आसानी से मिल जाय । इस काम के लिए मुहल्ला कमेटी हो, शहर की कमेटी हो या गांव की कमेटी हो, जो इसके ऊपर निगरानी रखे । इस काम में आपका सहयोग चाहते हैं और आपका सहयोग इस बात में भी चाहते हैं कि हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बने । हम और आप मिलकर इस देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाएं, जिससे किसी भी राष्ट्र को हमारे देश के बारे में कोई भी गलत कदम उठाने की इच्छा न हो ।

इसलिए मैं यह कहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से विरोधी पक्ष के लोगों से सहयोग की जो अपील की है, विरोधी पक्ष के लोगों से राष्ट्र उत्पादन बढ़ाने की जो अपील की है, विरोधी पक्ष के लोगों से देश में जो सामाजिक अन्याय है, उस अन्याय को दूर करने की है, वह एक सामायिक अपील है और मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में इससे अधिक अच्छा अभिभाषण राष्ट्रपति जी का नहीं हो सकता था। इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं और अपने साथियों से उम्मीद करता हूं कि उसके अनुरूप वे व्यवहार करेंगे ।

जय हिन्द ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई० बालानन्दन भा० क० पार्टी (मार्क्सवादी) को 42 मिनट दिये गये हैं। आपके बाद श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती बोलेंगे।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम्) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुना तथा पढ़ा है। मैंने अपने माननीय मित्र प्रो० रंगा को भी सुना है। राष्ट्रपति के भाषण में विषयों को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार द्वारा पिछले वर्ष जिस नीति का अनुसरण किया गया तथा राष्ट्रपति के भाषण में जिस नयी नीति को प्रक्षेपित किया गया है उससे यह जानकर बड़ा धक्का लगा है कि देश जिन प्रमुख समस्याओं का मुकाबला कर रहा है उनको पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है।

अन्य बातों का उल्लेख करने से पहले सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि सत्ताधारी दल स्वयं संसद की ही उपेक्षा करने का प्रयत्न कर रहा है। संसद का सत्र शुरू होने से कुछ ही दिन पहले संचार मंत्री ने दूर संचार पर करोड़ों रु० की लेवी लगाने की घोषणा की। यह प्रश्न राज्य सभा में उठाया गया था तथा राज्य सभा के माननीय सभापति ने इस सम्बन्ध में यह कहा था और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसको उद्धृत करना चाहूंगा :

"मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि मर्यादा की यह मांग है कि यदि इस प्रकार की लेवी में कोई वृद्धि करनी हो तो यह बजट सत्र के कुछ ही दिन पूर्व नहीं बल्कि काफी पहले की जानी चाहिए ताकि लोगों को यह पता न चले कि यह बजट का ही एक भाग है जो कि आगे लाया गया है ...(**व्यवधान**) आप एक कार्यकारी आदेश के द्वारा अधिक धन एकत्र करें तो उस सीमा तक बजट में लगाये जाने वाले कर कम किये जा सकते हैं। प्रश्न यह है, मैं यह समझता हूं कि विपक्ष के सदस्य जो यह महसूस कर रहे हैं उसमें भी कुछ तथ्य है कि इनको बजट प्रस्तावों के एक हिस्से के रूप में ही चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।" ...

इस सभा के अध्यक्ष ने उस समय क्या कहा जब श्री पांडे ने रेलवे में इस प्रकार की लेवी लगायी थी? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह पूरक मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तथा अध्यक्षपीठ के इस अनुदेश पर सत्ताधारी दल द्वारा गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया है।

फिर तकनीकी तौर पर वे कह सकते हैं कि यह वैधानिक रूप से हमारे अधिकार में है और यहाँ संसद में हम बजट पर तथा करों व राजस्व आदि पर सरकार की समूची नीति पर चर्चा कर रहे हैं। परन्तु यह थोपा जा रहा है ज्यों ही यह आता है यह पारित कर दिया जाता है। यह इसका एक पहलू है। सत्ताधारी दल (कांग्रेस इ) का पर्याप्त बहुमत है। यहां पर ऐसे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है जो अपने तर्क को स्पष्ट तरीके से रख सकें। हम कोई तर्क दे सकते हैं तथा सभा को सन्तुष्ट कर सकते हैं। यह अत्यावश्यक है ताकि हम सभी संसदीय प्रजातन्त्र का सम्मान कर सकें।

रंगा जी एक महान व्यक्ति हैं मैं मानता हूं परन्तु रंगा जी क्या आप यह आशा करते हैं कि संसद के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाये?

डा० सुब्रह्मणयम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : वह संविधान सभा के सदस्य थे।

श्री ई० बालानन्दन् : राष्ट्रपति ने अपने गणतंत्र दिवस के संदेश में कहा था कि संविधान के उल्लघंन से देश.में भ्रांति पैदा हो जायेगी । अतः उन्होंने चेतावनी दी थी कि संविधान के उल्लघंन से देश में भ्रांति पैदा हो जायेगी। यह चेतावनी वह किसको दे रहे थे ? हां, हम तो संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे । हम हमेशा संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परन्तु फिर ऐसा कौन कर रहा है ? वे शायद देश में सत्ताधारी दल की नीतियों के बारे में सोच रहे थे। उदाहरणार्थ केरल को लीजिए। वहां अब क्या हो रहा है ? केरल राज्य की महान राज्यपाल श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम् ने एक दिन यह मान लिया कि 141 सदस्यों वाली विधान सभा में 67 सदस्यों से ही बहुमत बन जाता है।

डा० सुब्रह्मणयम् स्वामी : नया गणित।

श्री ई० बालानन्दन् : नया गणित। हम इस बात को समझ नहीं पाये। विधान सभा में निःसंदेह यह साबित हो गया था कि जनता पार्टी ने कहा था : " हमने श्री करुणाकरण तथा उसके साथियों को उस समय सरकार बनाने में समर्थन नहीं दिया था जब वे सरकार बनाने जा रहे थे।

श्री जेवियर अराकल (एर्नाकुलम) : क्या हम केरल के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री ई० बालानन्दन् : दूसरा उदाहरण आसाम का है। यहां पर दूसरा ही हिसाब होगा। आसाम विधान सभा में कुल सदस्य संख्या 119 है । वामपंथी तथा प्रजातान्त्रिक मोर्चे ने एक गठबन्धन किया है। इस गठबन्धन के 64 विधान सभा सदस्य राज्यपाल के पास गये और कहा कि हम सरकार के बनाने के इच्छुक हैं परन्तु आसाम में राज्यपाल यह नहीं मान सके कि 1 9 सदस्यों में से 64 का बहुमत हो सकता है। यह नया गणित प्रस्तुत किया जा रहा है।

केरल में क्या हो रहा है ? सार्वजनिक रूप में सभी भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, परन्तु राजनीति में सौदेबाजी हो रही है और मैं कहना चाहूंगा कि यह कांग्रेस पार्टी के खेल का ही एक भाग है। केरल में आखिर यह सरकार अध्यक्ष के मत से चल रही है। इसकी संख्या केवल 70 है तथा अध्यक्ष को हमेशा...

श्री जेवियर अराकल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 352 के अन्तर्गत सदस्य को अपने भाषण में राज्य सरकारों से सम्बन्धित किसी मामले का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिससे राज्य सरकार पर आक्षेप हो। माननीय सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे विषय पर वादविवाद कर रहे हैं जिसकी इस नियम के अन्तर्गत अनुमति नहीं है।

श्री ई० बालानन्दन : यह पूर्णरूप से राज्य विधान मण्डल के कार्य क्षेत्र में आता है। मैं इस प्रश्न पर भी तर्क प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 352 के अन्तर्गत मैं श्री बालानन्दन से निवेदन करूंगा कि उन्हें केरल विधान सभा के अध्यक्ष पर आक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आक्षेप क्या है ? वह केवल तथ्य बता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

महोदय, मुझे नियम 352 का पूरा ज्ञान है। परन्तु साथ ही यदि कोई माननीय सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संविधान का भंग हो रहा है या संविधान के प्रावधानों का सम्मान नहीं किया जा रहा है या संविधान का अक्षरशः अनुसरण नहीं किया जा रहा तो ऐसी स्थिति में उस विशेष परिस्थिति का संदर्भ पूर्णरूप से नियमानुकूल है।

श्री ई० बालानन्दन : मैं अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह रहा था। मैं संविधान के उल्लंघन के बारे में बोल रहा था। मैं वही कह रहा था कि वहाँ पर क्या हुआ, विश्व के संसदीय लोकतन्त्र के इतिहास में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आयी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसका पक्ष ले।

आसाम में क्या हुआ ? वाम पंथी तथा प्रजातांत्रिक गठबन्धन के लोग आकर राष्ट्रपति जी से मिले। आपकी अनुमति से मैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन का एक अंश पढ़ता हूँ.

"निष्कर्ष : हमारे विचार से आसाम के राज्यपाल श्री प्रकाश मेहरोत्रा ने अपने कार्यवाही से संसदीय लोकतन्त्र की जड़ों पर आघात किया है। उनके सभी कार्य सत्ताधारी दल के सत्तावादी स्वरूप के अनुरूप हैं।

हम, जो संगघक एककों के सदस्य हैं, वाम पंथी तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धन के समर्थन से आपके तथा आपके माध्यम से ससंद तथा देश के लोगों के ध्यान में यह लाना चाहते हैं कि आसाम में किस प्रकार (1) संविधान को समाप्त किया गया है (2) जनता के अधिकारों को रौंद दिया गया है (3) संसदीय लोकतन्त्र की परम्परा, मान्यताओं तथा आम प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया है (4) राज्यपाल के द्वारा, जो संविधान की रक्षा करने में असफल रहे हैं, पद की शपथ तोड़ दी गयी है। अन्त में जो एकदम महत्त्वपूर्ण नहीं है, संविधान, कानून की व्यवस्था तथा प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास पूरी तरह से हिल गया है।"

अतः जब राष्ट्रपति ने गणतन्त्र दिवस भाषण में जो यह कहा था कि संविधान के किसी भी उल्लंघन से देश में गड़बड़ी हो जायेगी तो तब उन्होंने कांग्रेस (इ) की ही नीति को संदर्भ में कहा था। साथ ही मैं आपका ध्यान बंगाल की स्थिति की ओर अकर्षित करता हूं। यहाँ पर चर्चा के दौरान

[श्री ई० बाला नन्दन]

बंगाल का नाम हमेशा ही बहुत जल्दी आता है। यह स्वाभाविक है। मुझे इसके बारे में कोई शिकायत नहीं परन्तु अब मुख्य प्रश्न क्या है ?

हमारा एक संघीय तन्त्र है। राज्य सरकारों के अपने अधिकार हैं। केन्द्र को अपने अधिकार हैं। चुनावों के सम्बन्ध में चुनाव आयोग है और राज्य सरकार को कहना पड़ता है कि चुनाव कराने हैं तथा चुनाव आयोग को निर्देश देना है। कानून के अन्तर्गत यह स्थिति है। अब, पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ है। राज्य सरकार चुनाव कराना चाहती थी परन्तु तत्काल एक बड़ा उपद्रव हो गया कि चुवान सूची पूर्णरूप से जाली है। फिर चुनाव आयोग ने अपने अधिकारी को सत्य का पता लगाने के लिए भेजा। पूरा शोरगुल एक झूठ था तथा मतदाता सूची बिल्कुल ठीक थी।

इसके बाद दूसरी बातें हुईं। मैं इनका उल्लेख नहीं करना चाहता। मेरे मित्र उस पर आपत्ति कर सकते हैं। इससे क्या प्रदर्शित होता है। इससे केवल यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस (इ) पार्टी चुनावों का सामना करने के लिये तैयार नहीं है चाहे यह केरल में हो या पश्चिम बंगाल में या गढ़वाल में या दिल्ली में। वे चुनाव नहीं कराना चाहते (व्यवधान) मैं यह तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। मैं कोई निराधार आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मुझे खेद है कि केरल में, गढ़वाल में, दिल्ली या अन्यथा कहीं भी, सत्ताधारी दल ही जनता से भयभीत है

एक संघीय तन्त्र में, केन्द्र सरकार में एक पार्टी का शासन हो सकता है तथा राज्यों में कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ सकती है। जब मैं कुछ समाचार पत्रों को पढ़ता हूं तो मुझे महसूस होता है कि केन्द्रीय सरकार कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, सीमेंट, चीनी आदि की आपूर्ति के मामले में पश्चिमी बंगाल की सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। मेरे पास प्रमाण भी हैं। (व्यवधान) यह मत कहिए कि यह गलत है। मैं तथ्यों को उद्धृत नहीं करना चाहता हूँ बात केवल यह है कि (व्यवधान) जब हमारा किसी भी दल को सत्ता में लाने के लिये मत देने का अधिकार है और यदि कोई केन्द्रीय सरकार यह चाहती है कि कोई दल विशेष ही सत्ता में आना चाहिए तो इसका तात्पर्य लोकतन्त्र को समाप्त करना है।

पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल के मुख्य-मन्त्री ने आंकड़ों का उद्धरण देकर केन्द्रीय मंत्रियों को लिखा है (व्यवधान)

अब हम केरल को लें। हांलाकि श्री करूणाकरण वहां पर तथाकथित मुख्यमंत्री हैं (व्यवधान) वह मुख्यमंत्री हैं मैं अपने कथन को शुद्ध करता हूँ··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी गलती मान ली है।

श्री ई० बालानन्दन : जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि केरल को भी पर्याप्त खाद्य पूर्ति नहीं की गई है। हमारे देश के लिये विदेशी मुद्रा संकट है। अतः हमें आत्म निर्भरता की ओर बढ़ना है अर्थात् हमें कम से कम आयात करना चाहिये।

वह राष्ट्रीय हित में होगा। परन्तु हम क्या देखते हैं ? हम कोका, रबड़ तथा नारियल के क्षेत्र के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हैं। परन्तु अचानक ही हम देखते हैं कि हम देश में इन चीजों के आयात की अनुमति दे रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि केरल के लोगों की इससे अत्यधिक हानि हो रही है (व्यवधान) केरल का अर्थ है 'नारियल की भूमि'। नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये भारत सरकार ने नारियल बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड की स्थापना छः महीने पूर्व हुई थी। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है और इसे केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है। नारियल बोर्ड के सभापति कांग्रेस (आई) के महत्त्वपूर्ण नेता हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने तीन माह पूर्व सरकार को केरल के नारियल उत्पादकों की सुरक्षा के लिये एक योजना भेजी है। लेकिन कृषि मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है।

दूसरे, नारियल बोर्ड को काम करने के लिए कुछ वित्त दिया जाना चाहिए। वह भी नहीं दिया गया है। इस तरीके से केन्द्र सरकार संघीय नीति को कार्यान्वित कर रही है।

आप देश को अखण्ड बनाए रखना चाहते हैं तथा देश के सभी दलों और लोगों से यह चाहते हैं कि वे देश के हितों को बढ़ाने के लिये हर तरह से प्रयत्न करें। प्रो० रंगा ने अभी कहा है कि विपक्षी दल को भी सरकार के कार्यों में भाग लेना चाहिये। यह ठीक है। इस हालत में, श्री रंगा क्या आप इससे सहमत हैं कि राजनीतिक मतभेदों के आधार पर इस तरह का भेदभाव वहां होना चाहिये ? जब ऐसा होता है तो वह संविधान की आत्मा के विरुद्ध है।

अब कानून और व्यवस्था पर आते हैं। राष्ट्रपति-अभिभाषण के पैराग्राफ 21 में यह कहा गया है:—

> "अब मैं कानून और व्यवस्था से संबंध रखने वाले कुछ मामलों को लूंगा। फिर्कावाराना हितों द्वारा फैलाये गए आन्दोलनों में कौम की ताकत जाया नहीं की जानी चाहिये। आगे बढ़ने के लिये इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं।"

यह कानून और व्यवस्था की समस्या के बारे में है। मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूं। 'हितों' के प्रश्न के बारे में मैं बात करूंगा। हाल ही में, हमारी प्रधान मन्त्री को पश्चिम बंगाल जाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार है। मैं उनके अधिकार पर कोई विवाद नहीं करता। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, और मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है ? हमें आंकड़े देखने चाहिये।

कुख्यात छविराम—कौन है वह और क्या है ? वह एक डाकू है। उसके बारे में क्या सत्य है ? उसने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 100 डकैतियां की हैं। उसने स्त्रीयों और बच्चों सहित 88 व्यक्तियों की हत्या की है। इस कुख्यात छविराम ने 4 दिन की पूजा का आयोजन किया और उसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए। आप जानते हैं उस पर $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये का पुरस्कार है। क्या हुआ ? पूजा के 4 दिन

[श्री ई० बाला नन्दन]

बाद वह चला गया और यह कहा गया कि डाकू छविराम तथा स्थानीय विधायक या संसद सदस्य के बीच, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, किसी तरह की सांठ-गांठ थी जिससे पुलिस कुछ न कर सकी। यही उत्तर प्रदेश में डाकुओं तथा सत्तारूढ़ दल—मेरा मतलब है सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों में—इस तरह के डाकुओं के साथ कुछ सांठ-गांठ एवं संबंध हैं।

क्या ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है ? मैं दैनिक समाचारपत्र में आने वाली रिपोर्टों के उदाहरण देना नहीं चाहता। आपकी अनुमति से मैं केवल एक उद्धरण दूंगा। मैं दिनांक 5-12-81 के ब्लिट्ज में आये एक समाचार को पढ़ूंगा—

* समाचार है कि एक मन्त्री ने कुख्यात डाकू छविराम के चंगुल के छुटकारा पाने के लिए बहुत सी फिरौती दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मन्त्री के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

श्री ई० बालानन्दन : मैं केवल पढ़ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यदि आप पढ़ रहे हैं फिर भी ऐसा नहीं कर सकते। **(व्यवधान)** मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। **(व्यवधान)**

मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं रिकार्ड को पढ़ूंगा और इसे उसमें से निकाल दूंगा। आप 'मन्त्री' कह सकते हैं, लेकिन नाम का उल्लेख नहीं कर सकते। वह अपने बचाव करने के लिये यहां नहीं हैं। (व्यवधान) मैं अनुमति नहीं दूंगा। यह सरकारी दस्तावेज नहीं है। मैं नाम उल्लेख करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री ई० बालानंदन : उनका नाम निकाल दिया गया है। मैं सिर्फ 'मन्त्री' ही सम्बोधित करूंगा।

बिलट्ज में आगे कहा गया है ?

> "मंत्री के निजी सहायक के माध्यम से फिरौती के 2 लाख रुपये की मांग के बदले 1 लाख रुपये का समझौता किया गया तथा वह राशि डाकू को दे दी गई, ऐसा पता चला है। ऐसा समझा जाता है कि छविराम ने फिरौती न मिलने पर मंत्री तथा उसके परिवार के अपहरण की धमकी दी थी।"

केवल ऐसी स्थिति ही नहीं है। हमने देवली, संदनपुर तथा विस्तार के बारे में भी सुना है जहां इन डाकुओं ने हमला किया है। तथा लोगों की हत्या की है। उसके बाद हमने दिल्ली की बैंक

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

डकैती में बारे में सुना। फिर हमने गाड़ियों में डकैती के बारे में सुना। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में लोगों में असुरक्षा की भावना है क्योंकि किसी दिन भी ये डाकू आ सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल में सब ठीक-ठाक है, वहां भी कुछ समस्याएं होंगी।

लेकिन भारत में आज मुख्य समस्या क्या है? गंभीर समस्या यह है कि देश के बड़े भागों में राजनीतिक नेता इन डाकुओं के लिए मेल-जोल बनाए हुए हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने कर्मचारी वर्ग का उल्लेख किया है। केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की सबसे बड़ी नियोजक है। उन्हें एक आदर्श नियोजक बनना चाहिए। अब मैं कर्मचारियों के साथ हुए उनके समझौतों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कर्मचारी समझौते को कार्यान्वित करवाना चाहते हैं लेकिन वे उसे अमल में नहीं लाते। जीवन बीमा निगम तथा कर्मचारियों के बीच भी एक समझौता हुआ। उसे भी पूरा नहीं किया गया। कर्मचारियों ने इसके लिए आंदोलन भी किया। सरकार ने यह सोचा कि यह आंदोलन गलत था और इसीलिए सरकार ने उस समझौते के आधार पर कुछ एकपक्षीय शर्तें लगा दीं। उसके बाद कर्मचारियों को एक साथ मिलकर इसके लिए आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन किया गया। मैं इस पर अधिक विस्तार से जाना नहीं चाहता। तत्पश्चात दिल्ली में बैठक हुई जिसमें 10 लाख कर्मचारी आए और सरकार को कर्मचारियों के प्रति अपना रुख बदलने के लिए कहा। लेकिन सरकार ने उस एक दिन की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया। लोकतन्त्र में यदि कर्मचारी एक दिन की हड़ताल करते हैं तो क्या यह बहुत बड़ी बात है? लेकिन सरकार ने हड़ताल से एक दिन पहले 50,000 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे भारत कोकिंग कोल लि० का अपने सहायक कंपनियों को भेजा गया एक परिपत्र मिला है जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के लिये कुछ कदम उठाने के लिये कहा है। उनका एक दिन का वेतन काट लिया जाना चाहिए तथा जिनको गिरफ्तार किया जाना है उनके बारे में पुलिस को सूचित किया जाना चाहिये। यह एक गुप्त परिपत्र है जो उनकी सभी अनुषंगी कम्पनियों को भेजा गया है।

उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि उत्पादन बढ़ा है, बढ़ता रहा है। उत्पादन को कौन बढ़ाता है? कर्मचारी ही इस उत्पादन को बढ़ाते हैं न कि हम लोग जो कि संसद में बैठे हैं। सरकारी उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि करने वाले कर्मचारी ही है, वे ही उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। वे कृषक लोग ही हैं जो उत्पादन बढ़ा रहे हैं। कर्मचारी उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन सरकार इस तरीके से उन्हें इनाम दे रही है।

कॅंद्र सरकार ने 16 सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इन कर्मचारियों को दण्डित किया जा सकता है। सरकार यह इनाम दे रही है। एक अन्य योगदान जो सरकार ने दिया है वह यह है कि केंन्द्रीय सरकार के मंहगाई भत्ते और नगर पूर्ति भत्ते की बकाया रकम को जब्त कर लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

श्री ई० बालानन्दन : शायद मैं आपसे सहमत हूं । भारतीय सरकार के आंकड़ों के अनुसार मजदूरों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में जो कमी 1971 में 7 प्रतिशत थी ; 1981 में 46 प्रतिशत हो गई है । सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में 18.3 प्रतिशत तक कमी हुई है । कारखाना मजदूरों के वास्तविक वेतन में 10 प्रतिशत तक कमी हुई हैं तथा कृषक मजदूरों के वास्तविक वेतन में पिछले 10 वर्षों के दौरान 40 प्रतिशत तक कमी हुई हैं । एक तरफ तो इन कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में कमी हुई है, दूसरी तरफ वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। भारतीय सरकार सबसे बड़ी नियोजक है। उसे कर्मचारियों के साथ किए गए अपने समझौते को अमल में लाना चाहिये कि जीवन निर्वाह सूचकांक के केन्द्रीय बिंदु तक पहुंचने पर वे उनका वेतन बढ़ा देंगे। केन्द्रीय सरकार और कर्मचारियों के बीच यह समझौता हुआ था कि जब जीवन निर्वाह सूचकांक 272 केन्द्र बिंदुओं से बढ़ जाएगा, तो वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देंगे । क्या वे इसको लागू कर रहें हैं ? नहीं, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं । वे कर्मचारियों को कहते हैं कि काम भी करो और मरो भी । यही समाधान हैं ।

मैं अपने माननीय मित्र प्रो० रंगा से पूछ रहा हूं कि क्या वह केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू समझौते के प्रति किए गए व्यवहार का समर्थन करते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा अवश्य लागू किया ही जाना चाहिये । एक तरफ तो मजदूरों का वास्तविक वेतन कम से कम होता जा रहा है जबकि वे देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक योगदान दे रहे हैं । और वे किसलिये दंडित किए जा रहे हैं ।

इस मामले का दूसरा पहलू क्या है ? वित्त मंत्री यह कह रहे थे कि साम्यवादी हमेशा एकाधिकार पूंजी की बात करते हैं। मैं अब उनके साथ लड़ना नहीं चाहता । मैं सिर्फ यह बात उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कर्मचारियों, कृषि श्रमिकों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूरों के वास्तविक वेतन कम होते जा रहे हैं। 20 उच्च एकाधिकार गृहों की आस्तियां 1972 में 3071.98 करोड़ रुपये थी और वे 1979 में 6615.69 करोड़ रु० तक पहुंच गईं । 1978 में इन 114 कंपनियों का टैक्स देने से पहले कुल लाभ 712.5 करोड़ रुपये था जो कि 1979 में 976 करोड़ रुपये तक पहुंच गया । यह प्रवृत्ति बनी हुई है ।

सवाल यह है कि मजदूर उत्पादन कर रहे हैं जो कि इन लोगों द्वारा समेटा जा रहा हैं और मजदूरों को उनका वेतन नहीं दिया गया है। यही बात आपने अपनाई है। हम उत्पादन करते हैं और मरते हैं तथा आप ले जाते हैं और खुशियां मनाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई राजनीतिक किसी तरह का उत्पादन नहीं करता ।

श्री ई० बालानन्दन : इस तरह का सिद्धांत नहीं चल सकता। मैं मजदूर हूं । बिहार सरकार ने पुलिस को यह आदेश, 'देखते ही गोली मार दो,' जारी किया है कि यदि कोई मजदूर किसी ईमानदार मजदूर के काम में बाधा डालता है, तो उसे वहीं गोली मार दी जानी चाहिए । किसको वहीं

गोली मार दी जानी चाहिए ? उस मजदूर को गोली मार दी जानी चाहिए जो अपने साथी मजदूर को काम पर जाने से मना करता है। बिहार सरकार द्वारा यह सजा सुनाई गई है। देखते ही गोली मार दो, मैं पूछ रहा हूं, क्या यही लोकतन्त्र है। मजदूर को धरना देने का अधिकार है।

मैं आपको बता सकता हूं, मित्रों, लन्दन में एक मजदूर धरना दे सकता है और हड़ताल कर सकता है। आप हर बात में लन्दन की नकल कर रहे हैं। लन्दन में एक मजदूर ऐसा कर सकता है ऐसी ही नीति आपने भारत में अपनाई है। मैं आपको बता सकता हूं। हजारों मजदूरों को दण्ड दिया गया है। सिर्फ हरियाणा की ही एक फैक्टरी—'दि हाफिद स्पिनिंग मिल्स' में जहां कुल 1400 श्रमिक हैं, सभी 1400 श्रमिकों को हटा दिया गया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पोलैंड में नहीं ? **(व्यवधान)**

श्री ई० बालानन्दन : आप पोलैंड का बचाव अलग से करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पौलेंड का पक्ष क्यों ले रहे हैं ?

श्री ई० बालानन्दन : हरियाणा की एक अन्य फैक्टरी 'कांकास्ट लिमिटेड' ने अपने सभी 400 श्रमिकों को पदच्युत कर दिया है। मैं उस सूची को बार-बार दोहराना नहीं चाहता जो मेरे पास है। डाक व तार विभाग, रेलवे विभाग, तथा अन्य सभी विभागों में यदि कोई श्रमिक ड्यूटी पर नहीं आता, तो उसका वेतन काट लिया जाता है, उसका पारिश्रमिक काट लिया जाता है, भले ही वह 19 जनवरी 1982 को 1 दिन की छुट्टी पर गया।

अब, मैं आपसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में पूछ रहा हूं। आपने उनके साथ जो वायदा, जो समझौता किया था उसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं पुनः एक बहुत महत्त्वपूर्ण मसले पर आ रहा हूँ। यह भ्रष्टाचार के बारे में है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं क्या कहूं ? जैसाकि मैंने पहले बताया राष्ट्रपति ने अपने गणतन्त्र दिवस के भाषण में नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया था। इस सभा में पिछली बार **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपने दोनों गणतन्त्र दिवस के भाषण तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण को एक साथ लिया है।

श्री ई० बालानन्दन : जी हां, दोनों राष्ट्रपति के भाषण हैं। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ही हैं। क्या आप उनका महत्व घटा सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री ई० बालानन्दन : बात यह है कि पिछले सत्र में इस भव्य सभा को एक महान मुख्य मंत्री श्री अंतुले को समझने का अवसर मिला। हम उन्हें जानते हैं, मैं यहां पर उनका नाम नहीं लेना चाहता। श्री अंतुले द्वारा बहुत से न्यास, सात या छः चलाये जा रहे थे। शराब के ठेके तथा सीमेंट का निपटान उनके द्वारा किया गया तथा उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए। न्यासों में ही कानूनी तौर पर 30 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। मैं नहीं जानता।

अब एक **और का नाम सामने आया है। वह मेरे मित्र श्री गुंडूराव हैं(**व्यवधान**) ठीक हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका उल्लेख न करें। यह शायद असंसदीय है। मैं इसे सीधे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहा हूं। वह एक माननीय मुख्य मंत्री हैं।

अब मैं "टाइम्स आफ इण्डिया" के 20 फरवरी के शीर्षक के अन्तर्गत सम्पादकीय का उल्लेख करना चाहता हूं। "सीमेंट एगेन" क्योंकि सीमेंट देश में बड़े व्यवसायियों का उद्योग है, अत मैं टाइम्स आफ इण्डिया से उद्धृत करता हूं।

> "कर्नाटक विधान सभा की लोक लेखा समिति ने राज्य सरकार को 4000 टन सीमेंट को निजी ठेकेदारों द्वारा बंगलौर में ऊंचे भवनों के निर्माण के लिए स्थानांतरित किये जाने की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केन्द्र ने राज्य को सिंचाई परियोजनाएं के लिए 10000 टन सीमेंट विशेष रूप से आबंटित किया था। लोक लेखा समिति इस परिवर्तन को अनुचित पक्षपात तथा सत्ता का दुरुपयोग बताया है तथा यह अनुभव करते हुए उन्होंने कहा है कि सीमेंट का वितरण इस आधार पर नहीं किया जायेगा कि उसके बदले में क्या मिलेगा।"

महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने यही बात श्री अंतुले के मामले में कही जोकि अब मुख्य मन्त्री नहीं हैं। और कर्नाटक लोक लेखा समिति ने यह बात सर्व-सम्मति से कही। कर्नाटक राज्य में कांग्रेस (आई) पार्टी का शासन है तथा लेखा समिति ने यह वात मुख्य मन्त्री के विरुद्ध कही। यह मुख्य मन्त्री की हिम्मत है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको समाप्त करना चाहिए। आप 40 मिनट ले चुके हैं।

श्री ई० बालानन्दन : श्रीमती गांधी के मुख्य मंत्रियों के बारे में 'दि ट्रिब्यून' श्री कुलदीप नय्यर का एक लेख छपा है। इस लेख का शीर्षक 'बिटवीन दि लाइन्स' है।

उपाध्यक्ष महोदय : नामों का उल्लेख न करें।

श्री ई० बालानन्दन : गुजरात के मुख्य मंत्री का नाम सूची में है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री का नाम उसमें हैं। बिहार के मुख्य मंत्री का नाम भी उसमें है। भारत के दो मुख्य मंत्रियों को छोड़कर शेष मुख्य मंत्रियों के नाम श्री कुलदीप नय्यर के लेख में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जिन मुख्य मन्त्रियों का नाम नहीं लिए वे कौन से हैं?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री ई० बालानन्दन : आन्ध्र तथा कुछ अन्य राज्य। कांग्रेस (आई) के व्यक्ति, आपत्तियां उठा रहे है तथा आरोप लगा रहे हैं। अतः मैं यहां पर भ्रष्टाचार का मामला ले रहा हूं जो कि कांग्रेस (आई) की संस्कृति का भाग है। आप इसे जान सकते हैं। कौन उन्हें संरक्षण देता है? पिछली बार प्रो० दंडवते ने बलपूर्वक महाराष्ट्र के व्यक्ति का मामला रखा।

प्रो० मधु दंडवते : वह मेरा नाम ले सकते हैं। क्योंकि मैं सभा में हूं।

श्री ई० बालानन्दन : प्रधान मंत्री उनका बचाव करने आई। कांग्रेस (आई) की यही भ्रष्ट संस्कृति है। यदि मुख्य मंत्री ऐसा व्यवहार करते हैं तो अन्य लोग उनका अनुकरण करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब समाप्त करें।

श्री ई० बालानन्दन : यदि कोई व्यक्ति, आईने के बारे में कुछ जानता नहीं तथा वह उसमें अपनी भद्दी सूरत देखता है, तो वह धमाके से आईने को तोड़ देगा। इसी तरह श्रीमती गांधी उस दिन कह रही थीं कि देश की राष्ट्रीय प्रेस विपक्ष के लिए है। वे लोग देश के हालात दे रहे हैं। लोकतंत्र में प्रेस चौथी शक्ति है।

लोकतंत्र में प्रेस उसकी रक्षक होती है। यह देश के हितों की रक्षा करती है। यदि आप प्रेस पर इसलिए प्रहार करते हैं कि यह ऐसी बातें प्रकाश में लाती है जो आपको पसन्द नहीं हैं तो यह उचित नहीं है। प्रेस ऐसी कोई भी बात कह सकती है जो वह पसन्द न करती हों और कुछ ऐसी बात भी कह सकती है जिसे मैं पसन्द न करूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें प्रेस पर प्रहार करना चाहिए। फिर भी प्रधान मंत्री महोदया का कहना है कि प्रेस लोकतंत्र के लिए एक खतरा है।

मैं भारत सरकार के वितीय दावों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। परन्तु फिर भी मैं एक या दो छोटी-मोटी बातें कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बजट के दौरान उन पर विचार कर सकते हैं।

श्री ई० बालानन्दन : उन्होंने सभी आर्थिक बुराइयों का एक ही उपाय सुझाया है और वह है 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं सभी 20 सूत्रों की बात तो नहीं करूंगा, परन्तु उनमें से दो पर निश्चित रूप से बोलूंगा। एक है भूमि वितरण। योजना आयोग का कहना है कि 1982 तक सभी उपलब्ध फालतू भूमि को जरूरतमन्दों में आबंटित कर दिया जायेगा। यही छठी योजना में कहा गया है। फिर भी 20 सूत्री कार्यक्रम में कहा गया है कि फालतू भूमि को भूमिहीनों में 1985 तक वितरित कर दिया जायेगा। अतः प्रश्न यह है कि यह 1982 है या 1985।

एक अन्य दावा औपचारिक शिक्षा से सम्बद्ध है। छठी योजना में कहा गया है कि 80 लाख

[श्री ई० बाला नन्दन]

लोगों को शिक्षित किया जायेगा, परन्तु 20 सूत्री कार्यक्रम ने इसे घटाकर 30 लाख कर दिया है। मैं भूतपूर्व 20-सूत्री कार्यक्रम की कहानी में नहीं पड़ना चाहता। मैं कहता हूं कि ये सब बातें लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं। यहां तक कि वर्तमान कार्यक्रम भी छठी योजना से पीछे हट रहा है, इससे देश कोई प्रगति नहीं करेगा।

एक दावा यह किया गया है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। गत बजट सत्र में संसद ने संयन्त्रों की अतिरिक्त क्षमता के 25 प्रतिशत को वैध बनाने का निर्णय लिया था। यह स्पष्ट है कि यह निर्णय लेने से पूर्व वे अवैध रूप से स्वीकृत क्षमता से अधिक कार्य कर रहे थे। अब चूंकि यह वैध बना दिया गया है तो वे इसे लेखे में दिखायेंगे, इसमें यही अन्तर है। अब लेखे में भी उत्पादन में वृद्धि होगी। उनके बढ़े हुए उत्पादन के दावे के बावजूद, यही एक मात्र अन्तर है।

आर्थिक नीति की बात मैं अपने साथी पर छोड़ता हूं। अब मैं अपनी विदेश नीति की बात करता हूं, जिसके अनेक पहलूओं का हम समर्थन करते हैं।

राष्ट्रपति महोदय का कहना है :

"दुनिया के मुल्कों के आपसी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ फौजी जमाव की मौजदगी बढ़ती जा रही है। वह एक ऐसा खतरा है जिसकी बजह से हम सबको अपने मन में यह पक्का निश्चय कर लेना चाहिए कि हम गुटों से अलग रहते हुए मतभेदों को शान्ति के साथ निपटाते हुए कौम की हिफाजत और उसके हितों की रक्षा करेंगे। हम हृदय से यह आशा करते हैं कि बड़ी-बड़ी फौजी ताकतें इस बात का एहसास करेंगी कि लड़ाई-झगड़ा बेकार होना है।"

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

ठीक है। यह एक प्रकार की झिझक है। वह क्या बात है जिसे 'बड़ी' सैन्य शक्तियां अनुभव करेंगी? बड़ी सैन्य शक्तियां कौन सी हैं? हमारे लिए कौन मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं? आप देखेंगे कि दिआगो गार्सिया में एक लाख शीघ्रगामी सैनिक फैले पड़े हैं और वहां अमरीका के अत्यधिक आधुनिक परमाणु आयुक्त रखे हुए हैं। यह दावा किया जाता है कि पाकिस्तान को सोवियत रूस से युद्ध करने हेतु हथियार बन्द किया जा रहा है। उस पर कौन विश्वास करेगा? क्या पाकिस्तान रूस से लड़ सकता है? नहीं। कोई भी इस प्रकार के सिद्धांत गढ़ सकता है और कोई भी यह कह कर अपने को लोकतंत्र का हितसाधक समझ सकता है कि अमरीका के डेमोक्रेट अफगानिस्तान और वियतनाम को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं और वे अब अल-सल्वाडोर और अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। यह सब धोखा है। मैं तो कहूंगा कि यह जताने के लिए कि अमरीकी साम्राज्यवादी विश्व में हर कहीं लोकतंत्र का समर्थन करते हैं सभी प्रकार के तर्क दिये गये हैं। नहीं। वे तो साम्राज्यवादी

हैं। कुछ मित्र उस दिन स्वतन्त्रता की बात कर रहे थे। हमने साम्राज्यवादियों से लड़कर स्वतन्त्रता प्राप्त की। बहुत अच्छी बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति-संतुलन में परिवर्तन आया है। राजनीति का यही प्रथम पाठ है। द्वितीय विश्व-युद्ध के परिणामस्वरूप एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसका कहना है कि साम्राज्यवाद समाप्त होना चाहिए और यही कारण वह आधार है जिस पर हम स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ते हैं और स्वतन्त्र होते हैं। वह श्रमिक-वर्ग आन्दोलन है और साम्यवादी दल है और तीसरी दुनिया के देशों के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करने की यही गारन्टी थी। इस लिए कुछ सीमा तक तो हम श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश नीति से सहमत हैं। परन्तु आपको अपनी बात साफ-साफ कहनी चाहिए। इतनी शक्ति तो होनी ही चाहिए। वाद-विवाद में कोई व्यक्ति मतभेद रख सकता है। यहां तक तो ठीक है और कोई भी इस बात को समझ सकता है। परन्तु आपको यह भी देखना होगा कि अमरीकी बजट में सैन्य-व्यय दुगुना कर दिया गया है। उनकी तकनीकी कुशलता को समग्ररूप में हथियार बनाने की दिशा में लगाकर उसका उपयोग किया जा रहा है। किस प्रकार के आयुध तैयार किए जाते हैं? जीवाणु युद्ध, परमाणु युद्ध और तथाकथित हाइड्रोजन-बम आदि। बमों को दूसरे देशों के मत्थे मढ़ दिया जाता है और उनसे यह कहा जाता है कि उन्हें और कहीं से युद्ध का खतरा हो रहा है। पश्चिमी यूरोप में वे कहते फिर रहे हैं, "ठीक है, आप अपने यहां इन बमों को सोवियत संघ से युद्ध करने के लिए रखिये।" अमरीकी साम्रज्यवाद इस ढंग से युद्ध सामग्री को बेच रहा है और लाभ कमा रहा है। वे भारत पर आन्तरिक और विदेश नीति में उनका अनुसरण करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

कोई सज्जन लोगों में एकता की बात कर रहे थे। लोगों को सम्पूर्ण सच्चाई से अवगत कराया जाना चाहिए। केवल तभी आप लोगों को तैयार कर सकते हैं। उस दृष्टि से मैं निराश हूं।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इन सब बातों का उल्लेख नहीं किया है और मेरे प्रिय मित्र प्रो० रंगा जी मुझे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कह रहे थे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन किस तरह कर सकता हूं? मैं तो केवल इसका विरोध कर सकता हूं और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय सभापति जी, मैं इस माननीय सदन में सरकार की भूमिका के साथ-साथ विरोधी दलों की भूमिका को बड़े गौर से देखता रहा हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि विरोधी दल के लोगों में जो गर्मी पहले थी, जो उत्तेजना उनके अंदर पहले थी, जो क्रोध उनके अन्दर पहले था, जो पीड़ा वह पहले दिखलाते थे, उसमें पिछले दो सालों में धीरे-धीरे बराबर कमी आती गई है। इससे दो ही नतीजे निकल सकते हैं। या तो देश में इसूज नहीं हैं, समस्याएं नहीं हैं या विरोधी दल के लोगों की क्षमता में कमी आ गई है। मैं तो यह नहीं मान सकता कि विरोधी दलों के लोगों की क्षमता में कमी आ गई है। बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, अर्थ-शास्त्री हैं, राजनीति के ज्ञाता हैं, प्रशासक रहे हैं और सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनकी क्षमता में कमी नहीं आ सकती लेकिन सरकार का सबसे बड़ा एचीवमेंट यह है कि पिछले दो वर्षों

[श्री ई० बाला नन्दन]

में उनको इसूज नहीं मिल रहे हैं, उनको समस्याएं नहीं मिल रही हैं, सरकार को मारने के लिए उनको छड़ी नहीं मिल रही है । एक घटना यहां हो गई, एक घटना वहां हो गई, एक घटना किसी दूसरी जगह हो गई, प्रत्येक समय उसी का उल्लेख करना है, उसी बात को दोहराते रहना है। बात यह है कि उनके पास इसूज नहीं हैं और वे हर आवर को जीरो-आवर की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं और कोई काम की बात उन्होंने नहीं की। मुझे आशा थी कि विरोधी दलों के लोगों की तरफ से देश के चलाने के मामले में रचनात्मक सुझाव आएंगे, और ऐसे सुझाव आएंगे, जिनसे सरकार को चलाने में मदद मिलेगी ।

विरोधी दलों के पिछले दो वक्ताओं की, दो नेताओं की बात मैंने सुनी थी लेकिन उसमें मुझे कुछ नहीं दिखायी दिया । अभी श्री बालानन्दन जी एक बात कह रहे थे बड़े सरकार इस सदन को, संसद् को बाई-पास कर रही है । सरकार संसद को बाई-पास नहीं कर रही है क्योंकि बगैर पार्लियामेंट को विश्वास में लिए सरकार का काम नहीं चल सकता लेकिन मैं बड़े अदब के साथ विरोधी दलों के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल संसद् को बाई-पास कर रहा है । क्या बात है कि आज विरोधी दलों के स्टालवर्ट्स, बड़े-बड़े नेताओं की बात इस संसद् में सुनने को नहीं मिलती । हम उनकी बात सुन नहीं पाते हैं । वे संसद के सदस्य हैं, वे कुछ रचनात्मक सुझाव यहां देते, सरकार को देते, जिससे हम भी उनसे कुछ सीख सकते और देश की गाड़ी भी आगे चलती लेकिन वे लोग तो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं । संसद् के समक्ष बात करना उन्हें पसन्द नहीं। वे पर्दे के पीछे केवल इसी बात में लगे हुए हैं कि कौन-सा जोड़-तोड़ किया जाए, कौन सी तिकड़म लगाई जाए जिससे इस सरकार को गिराया जा सके गलत तरीके से या फिर चुनाव को जीता जा सके और अपनी सरकार बनाई जा सके । इस तरह से संसद् में जो विरोधी दल के नेता हैं, बड़े-बड़े स्टालवर्टस हैं, वे संसद् को बाई-पास कर रहे हैं और उनकी बातें संसद् के सामने नहीं आ पाती और संसद के माध्यम से उनकी बातें देश के सामने नहीं आती । (व्यवधान) बहुत से लोग यहां आए हुए हैं लेकिन वे पर्दे के पीछे काम करना चाहते हैं और संसद् में आ कर काम नहीं करना चाहते । इस तरह से वे लोग खुद संसद को बाई-पास कर रहे हैं। हमारी सरकार के लोग संसद् को बाई-पास करके एक दिन भी चल नहीं सकते, संसद को विश्वास में लिये बिना उनका काम आगे नहीं बढ़ सकता ।

पीछे ढाई वर्षों तक विरोधी दलों के कुछ लोगों ने ही नहीं बल्कि अधिकतर लोगों ने शासन किया। वे इधर आ गये थे और जनता ने हमें उधर कर दिया था । उन ढाई वर्षों में उन्होंने देश के सामने क्या आदर्श प्रस्तुत किए ? कौन-सा आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसको कि हम मानें, जिसके लिए कि हम काम करें, जिससे कि हम सबक सीखें ?

उनके शासन में आने के बाद ऐसा लगता था कि उनका केवल एक ही मंशा है कि किस तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी की चरित्र हत्या कर दी जाए, किस तरह से उनको जेल भेज दिया जाए, उनको परेशान किया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। यह उनका वन प्वाएंट प्रोग्राम, एकसूत्री कार्यक्रम था जिस पर कि उन्होंने अमल किया।

दूसरे उन्होंने शासन में आने के बाद विधि के अधीन चुनी गयी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया और यह कह कर दिया कि संसद में एक नयी पार्टी का बहुमत होने के कारण राज्य सरकारों ने जनता का विश्वास खो दिया। यह एक नयी बात उन्होंने की और आरबीटरेरी तरीके से, गलत तरीके से संविधान को तोड़-मरोड़ कर सारी राज्य सरकारों को भंग कर दिया। दूसरा आदर्श उन्होंने यह प्रस्तुत किया।

आज ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस हाई कमान दिल्ली से मुख्य मंत्री को मनोनीति करता है। राज्यों के विधायकों को इस बात की इजाजत नहीं दी जाती कि वे अपना नेता स्वयं चुन सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया ? क्या चौधरी साहब ने या वाजपेयी जी ने यहां से मुख्य मंत्रियों को मनोनीति कर के राज्यों में नहीं भेजा ? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में यहां से मुख्य मंत्री मनोनीति हो कर नहीं गये ? एक यह आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया।

एक और आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। उस समय के गृह मंत्री यह कहते हैं कि सरकार में भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं। दुनिया के इतिहास में शायद यह पहली घटना होगी कि किसी सरकार का गृह मंत्री यह कहे कि उसकी सरकार में अधिकाश मंत्री लोग गलत हैं, भ्रष्ट हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि सरकार के दो-एक मंत्री बाहरी देशों के जासूस हैं के० जी० बी० के जासूस हैं और दूसरी विदेश एजेंसियों के जासूस हैं।

इस तरह से वे आपस में बराबर लड़ते और झगड़ते रहे और इसी लड़ाई-झगड़े में सरकार का काम चौपट हो गया। यह लड़ाई झगड़ा यहीं तक नहीं रहा। यह राज्यों तक में पहुंचा, जिलों तक में पहुंचा और वहां भी सारा काम ठप्प हो गया। यही कारण था कि वे सरकार पांच साल तक नहीं चला सके और ढाई साल में ही अपने बोझ से दब कर उनकी सरकार ने दम तोड़ दिया। यह सारा काम उन्होंने किया।

सभापति महोदय : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इसी वजह से वे उधर चले गए ?

श्री जैनुल बशर : सभापति जी, हम यह कहना चाहते हैं कि जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया उसी को कसौटी मान कर ये हम को परखना चाहते हैं। क्या वे यह चाहते हैं कि जिस रास्ते पर वे चले उसी रास्ते पर हम भी चलें ? क्या वे अपने क्रिया-कलापों के पैमाने से हमको भी नापना चाहते हैं ?

माननीय सभापति जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने एक आदर्श स्थापित किया है। इस देश में हमारा अपना एक तरीका है। हमारा वह तरीका है जिसे इस देश में महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, लालबहादुर शास्त्री ने, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी परम्पराओं से स्थापित किया है। उसी पर हम चलना चाहते हैं।

सभापति जी, सब से बड़ी उपलब्धि हमारी यह है कि हमने एक राजनीतिक स्थिरता इस देश में कायम की है। राजनीतिक स्थिरता कायम होने से आर्थिक स्थिरता कायम हुई है। पिछले ढाई वर्षों

[श्री जैनुल बशर]

में जो राजनीतिक स्थिरता या आर्थिक स्थिरता की गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी, इस सरकार ने उस गाड़ी को फिर से पटरी पर ला दिया है और वह गाड़ी चल दी है—गाड़ी चलने लगी है। यह सरकार की कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दो वर्षों में यह गाड़ी फिर चल निकली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले तीन वर्षों में यह गाड़ी तेजी के साथ चलने लगेगी और जो कार्यक्रम हमने निर्धारित किए हैं, जिस बीस-सूत्रीय कार्यक्रम की अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, उसको अपनाते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और देश की प्रगति होगी।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्वारा यह अपील की है कि विरोधी दल के लोग सहयोग करें। यह कोई हमारा मामला नहीं है, हम तो पांच साल के लिये चुनकर आए हैं। हमारे अंदर कोई फूट पड़ने वाली नहीं है। जनता पार्टी का आदर्श हमारे सामने नहीं है। हम पूरे पांच साल तक शासन करेंगे। विरोधी दल के लोगों के पर्दे के पीछे के कार्यकलाप हमको कुर्सी से नहीं हटा सकते। यह बात आपको समझ लेनी चाहिये। उनसे किस बात के लिये सहयोग मांगा जा रहा है ? हम अपनी कुर्सी पर बैठे रहने के लिये यह सहयोग नहीं मांग रहे हैं। कुर्सी से वे हमको नहीं हटा सकते। हम उनसे सहयोग मांग रहे हैं इस देश में काम करने के लिये।···(**व्यवधान**)···इंदिरा गांधी को बचाने के लिये हम आपसे सहयोग नहीं मांग रहे हैं, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम केवल आपसे सहयोग मांग रहे हैं इस देश को चलाने के लिये। इस देश में आर्थिक प्रगति के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इन कामों के लिए आपसे सहयोग मांग रहे हैं। जब-जब आपने सहयोग दिया, हमने सहर्ष स्वीकार किया है। आसाम के मामले में आपने सहयोग देने की बात कही थी, आसाम के मामले में आपने सहयोग दिया, क्या इस बात से आप इन्कार कर सकते हैं कि सरकार ने आपसे सहयोग नहीं लिया ? क्या सरकार ने आपको आसाम की बातचीत में शामिल नहीं किया ? मुझे पूरी आशा है कि इसी प्रकार देश की अन्य समस्याओं के बारे में यदि आप रचनात्मक सहयोग देने की पेशकश करेंगे तो सरकार उसे अवश्य कुबूल करेगी और आपकी रचनात्मक बातों को मानने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इस सहयोग की बात हम कर रहे हैं। देश को चलाने की बात हम कर रहे हैं। आप रचनात्मक सुझाव दीजिए।

सरकार तो तभी बदल सकती है जब जनता आने वाले चुनाव में उसको वोट न दे। आप कांस्ट्रेक्टिव बात कीजिए, जनता को समझाइए कि जो तरक्की होनी चाहिए, वह हम नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए, और भी बोलने वाले हैं।

श्री जैनुल बशर : बस पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सभापति जी, इन बातों के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। सरकार प्रगति के काम कर रही है और जैसा कि मैंने कहा है कि गाड़ी चल निकली है, लेकिन

जितनी तेजी के साथ साथ गाड़ी चलानी चाहिए थी, उतनी तेजी के साथ नहीं चल रही है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक पूरा देश खुशहाल नहीं होगा। सभापति जी, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि देश की आजादी के दिनों में दो क्षेत्र सबसे आगे-आगे थे। जिन्होंने बहुत कुरबानियां दी थीं और काफी बलिदान दिया था। जिसके कारण अंग्रेजों ने उनको पीछे रखा था आज भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार आदि ऐसे स्थान हैं जिनको पीछे रखा गया था और आज भी वे पीछे हैं। पिछले दिनों अखबारों में पढ़ कर मुझे खुशी हुई थी कि चौराचौरी में प्रधान मन्त्री ने शहीदों के स्मारक का उद्घाटन करते हुए कहा था कि अब सरकार उन क्षेत्रों और उन जिलों की तरफ ज्यादा ध्यान देगी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वहां उद्योग-धंधे खोले जायेंगे, वहां विकास कार्य किए जाएंगे। प्रधान मन्त्री की इस बात का मैं स्वागत करता हूं।

मैं भी एक ऐसे जिले से आता हूं जिसने आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 से लेकर 1947 तक वहां के लोग आजादी के लिए बराबर जूझते रहे हैं, आजादी के लिए कुर्बानियां बराबर देते रहे हैं। इसी कारण से अंग्रेजों ने उस जिले को बराबर पीछे रखा। उसके साथ-साथ उन्होंने अन्य जिलों को जो उसके साथ लगते थे पीछे रखा और वहां कोई तरक्की के काम नहीं किए। यह सही है कि आजादी के बाद अब तक काफी प्रगति के काम हुए हैं लेकिन जैसी उन लोगों की आकांक्षा है, जैसा वे चाहते हैं, वैसी प्रगति नहीं हुई है। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मन्त्री में आश्वासन के बाद वहां प्रगति की रफ्तार में तेजी लाई जायेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश में साम्प्रदायिकता पर काबू पाया जाना चाहिए, साम्प्रदायिकता देश में घुन की तरह लग सकती है। अगर यह घुन लग गया तो अन्दर-अन्दर हम खोखले हो जाएंगे। हरिजन-सवर्ण का मामला हो, एक जाति और दूसरी जाति का मामला हो, एक धर्म और दूसरे धर्म का मामला हो, मैं चाहता हूं कि इन सब मामलों में सख्ती बरती जानी चाहिए और जो लोग दूसरे लोगों को सताने का काम करते हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, इस चीज को समाप्त किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में अभी हाल ही में विराट विश्व हिन्दू सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था उसको हिन्दुस्तान में अब जगह-जगह आयोजित किया जा रहा है और एक जहर फैलाया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है कि हिन्दू धर्म खतरे में है।

समझ में नहीं आता कि जब इस देश पर सैकड़ों साल तक मुसलमानों ने शासन किया, हिन्दू जब शासित थे, शासक नहीं, तब तो हिन्दू धर्म खतरे में नहीं पड़ा लेकिन अब हिन्दू धर्म किस तरह के खतरे में पड़ गया है? तब तो हिन्दू धर्म जीता-जागता रहा लेकिन आज इस युग में, एक जन-

[श्री जैनुल बशर]

तांत्रिक परम्परा में जहां इस देश में अस्सी प्रतिशत से अधिक लोग हिन्दू हैं, हिन्दू धर्म कैसे खतरे में पड़ गया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। वाजपेयी जी हंस रहे हैं। मैं समझता हूं कि शायद उनकी समझ में यह बात आती हो लेकिन मेरी समझ में तो आती नहीं है। अस्सी प्रतिशत जिनकी इस देश में आबादी है, उस धर्म को कैसे खतरा पैदा हो सकता है, वह कैसे समाप्त हो सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। आप देखें कि अंग्रेजों, मुगलों, मुसलमानों के जमाने में भी हिन्दू धर्म समाप्त नहीं हुआ था तो अब कैसे हो सकता है। ऐसे कार्य-कलापों को रोका जाना चाहिए। मैं गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं—जो इस वक्त यहां नहीं हैं कि उनके कार्य-कलापों पर विशेष नजर रखी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका स्वागत करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री भेरावदन के० गधावी (बनासकांठा) : सभापति महोदय, श्रीमान् मैं अपने उप-नेता प्रो० रंगा द्वारा पुरःस्थापित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

दो वर्ष पूर्व निर्वाचन के समय एक बहुत महत्त्वपूर्ण वचन दिया गया था कि "कृपया ऐसी सरकार चुनिये जो काम कर सके।" मुझे यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में न केवल सरकार की भावी नीतियों की रूपरेखा बताई गई है अपितु उसमें भूतकाल में किये गये कार्य का विवरण आंकड़ों तथा तथ्यों सहित दिया गया है। इन आंकड़ों तथा तथ्यों को जानकर आप तथा पूरी सभा यह महसूस करेगी कि जो बातें कतई नियंत्रण से बाहर हो गई थीं उन पर नियंत्रण पा लिया गया है तथा देश फिर से प्रगति एवं दृढ़ीकरण के पथ पर आरूढ़ हो गया है और यह स्थिति केवल आर्थिक क्षेत्रों में ही नहीं अपितु राजनीतिक स्थिरता एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी है तथा हमारे देश की छवि सुधरी है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार काम करती है। परन्तु मुझे बहुत आश्चर्य तथा खेद हुआ कि जब राष्ट्रपति हमें उपलब्धियों के बारे में, भविष्य के बारे में हमारी नीतियों के बारे में बता रहे थे, उस समय विपक्ष के कुछ सदस्यों ने अभिभाषण का बहिष्कार करने की सोची। क्या लोकतन्त्र को मजबूत बनाने का यही तरीका है।"

इस बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण यह दिया कि हम राष्ट्रपति को आदर देना चाहते थे इसीलिए हम अभिभाषण के समय अनुपस्थित रहे। क्या लोकतंत्र को वे इसी तरीके से बचाने की सोच रहे हैं? मुझे भय है कि चाहे जितनी भी वाक्पटुता से तथा बड़े-बड़े शब्दों द्वारा वे हमें बतायें कि वे लोक तन्त्र की रक्षा कर रहे हैं, लोकतन्त्रीय परम्पराओं की रक्षा कर रहे हैं, वे न तो लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं तथा न देश में उसे बनाये ही रख सकते हैं।

कल मैं बहुत ध्यान से श्री राम जेठमलानी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने सरकार को सहयोग देने के लिए कुछ शर्तें रखी थीं। उनमें से एक शर्त यह थी कि चापलूसी तथा व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। वह सभा में उपस्थित नहीं हैं तो भी मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम कांग्रेस

जन न तो चापलूसी करते हैं और न ही व्यक्ति पूजा करते हैं। परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति हमारा श्रद्धा भाव है, जो कि बना रहेगा। न केवल श्रीमती गांधी अपितु उन सभी नेताओं के प्रति हमारा आदर भाव है जो देश को सही मार्ग की ओर ले गये तथा देश की रक्षा की। यदि इसे चापलूसी माना जाता है तो हम उस शर्त का पालन नहीं कर सकते। यदि इस शर्त पर सहयोग मिलता है तो हमें उस सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई भय नहीं है। हमारे उप-नेता ने किस तरह का सहयोग मांगा था? हमने सहयोग मांगा था। क्योंकि हम देश में धर्म-निरपेक्षता की रक्षा करना चाहते हैं, हम देश की एकता की रक्षा करना चाहते हैं जिन्हें कि चुनौती दी गई है। एक ऐसी समान दृष्टिकोण वाली शक्ति निर्मित होनी चाहिए जो कि इन शक्तियों का सामना कर सके। आज क्या स्थिति है?

हमने शोलापुर तथा पुणे के बारे में सुना है। हमने देखा कि छोटे-छोटे स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों तथा संकीर्णता के कारण साम्प्रदायिक दंगे होते हैं तथा उस समय भी, जिस समय कि राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, धार्मिक मदांधता फैली हुई है। ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए लोगों को उत्तेजित करते हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। परिवार कल्याण के लिए हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। मैंने यह बात स्वयं अपने जिले में देखी है। हम बहुत बड़ा परिवार कल्याण कैम्प आयोजित कर रहे थे जिनमें कि परिवार नियोजन के लिए आपरेशन होने थे, श्री वाजपेयी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, बेशक मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी उसमें नहीं होगी, परन्तु आपके ग वों के कार्यकर्ता जीपों और ट्रकों में सभी गांवों में घूमे तथा उन्होंने लोगों को, मुसलमानों को भी, उकसाया कि वे परिवार कल्याण कैंपों में न जायें। यदि राष्ट्र के समक्ष विद्यमान संकटों का सामना करने का आपका यही तरीका है तो क्या आप समझते हैं कि हम वास्तव में उन संकटों का सामना कर सकते हैं? क्या आप वास्तव में कल्पना कर सकते हैं कि आप और हम देश की समस्याओं को हल करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। मैटर यदि ऐसा नहीं है, तो हम लोकतंत्र को बनाये रखने तथा लोकतंत्र की रक्षा की कितनी भी ऊंची-ऊंची बातें करें, उनके बावजूद कुछ भी वास्तविक एवं ठोस कार्य नहीं कर पायेंगे।

श्री राम जेठमलानी : हमें राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली तथा लोकतंत्री सरकार की चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा कौन कर रहा है? कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा। इन्दिरा जी ने हर समय यही स्पष्ट घोषणा की है कि हमारे देश में जो लोकतंत्रीय ढांचा विद्यमान है, जो संसदीय प्रणाली की सरकार विद्यमान है, उसे बदलने का तनिक भी विचार नहीं है। यह बात समाज के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा पैदा की गई है। वे लोग इस प्रकार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखते और उससे आनन्द लेते हैं और फिर हमारे समाचार-पत्र इन मामलों को उछालते हैं। आप विपक्ष के सभी सदस्य इस स्थिति से अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। निःसन्देह जिस स्थिति से उन्हें लाभ पहुंचता है वे उठाने की चेष्टा करते हैं। हरिजन हों या आदिवासियों के मामले को लीजिये। जब भी हरिजनों पर अथवा

[श्री राम जेठमलानी]

दलित वर्गों पर कोई अत्याचार का मामला होता है, हम विपक्ष की ओर से बहुत शोर-शराबा सुनते हैं। मैं सभा में एक साधारण प्रश्न रखना चाहता हूं कि क्या गांधी जी हरिजनों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध थे या नहीं, यदि आपका उत्तर स्वीकारात्मक है तो कृपया बताइए कि वे कौन-से उत्तरदायी व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी की मूर्ति पर जाकर रक्त से तिलक लगाया था ? वे कौन-से वर्ग के हैं ? कृपया सोचें कि आज जो आप शाब्दिक सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, वह उचित है अथवा संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम में जो हरिजनों, आदिवासियों के कल्याण का विशेष उल्लेख किया गया है, वह उचित है। ऐसा क्यों है ? क्योंकि श्रीमती गाँधी उनके कल्याण के लिए समर्पित हैं।

एक माननीय सदस्य : उनकी रक्षा करना किसका कर्त्तव्य है ?

श्री भेरावदन के० गधावी : यह पूरे राष्ट्र का कर्त्तव्य है। यह केवल हमारा ही कर्त्तव्य नहीं है। परन्तु यदि कुछ धर्मान्ध लोग गांधीजी की हत्या कर सकते हैं तो वे देश में कुछ भी कर सकते हैं तथा ऐसी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए यदि हमें अपने जीवनों का बलिदान भी देना पड़े, तो हमें इसकी चिन्ता नहीं है। कार्मिकों की बात करना किसी का एकाधिकार नहीं है। कृषि उत्पादन बढ़ा है। इससे वह इनकार नहीं कर सकते। औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, इसमें भी आप इनकार नहीं कर सकते। यह वृद्धि किसने की है ? यह कार्य देश के श्रमिकों तथा किसानों ने किया है। क्योंकि उन्हें पिछले शासन की अपेक्षा वर्तमान शासन में अधिक अनुकूल वातावरण मिला। आपके शासन में क्या वातावरण था ? उत्पादन कम हो रहा था।

आज आप औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, कोयले, उर्वरकों तथा कई अन्य वस्तुओं के उत्पादन के आंकड़ों की तुलना करके देखें। आप इन आंकड़ों को झुठला नहीं सकते। केवल वर्तमान शासन के दौरान श्रमिकों और किसानों को अनुकूल वातावरण मिला है, अतः सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त है।

बहुत से लोग लोकतंत्र की बात करते हैं और कहते हैं पिछले शासन में यह बात थी, वह बात थी। मैं पिछली बातों को उठाना नहीं चाहता। जो कुछ आपने बोया था उसका फल आपने पा लिया है। इस देश में लोकतंत्र को सुरक्षित करने और उसे बनाये रखने के लिए यदि आप आत्म-विश्लेषण करेंगे, अपने भीतर झांकेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि क्या आपका वर्तमान रवैया उचित है या नहीं। क्या कारण था 19 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया गया जो कि विफल रहा।

श्री रामावातार शास्त्री (पटना) : यह विफल नहीं हुई।

श्री भेरावदन के०गधावी : हमारा कहना है कि वह विफल हुई। शास्त्री जी, क्या आपका यह विचार नहीं है कि जिस समय देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हों, तब देश का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह बताने से पहले क्या आप हमें बता सकते

हैं कि आवश्यक सेवा अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की आपको क्या आवश्यकता है ?

श्री भेरावदन के० गधावी : यदि आप प्रजातन्त्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसे बिना लगन और समर्पण की भावना के सुरक्षित नहीं रखा जा सकता; यदि आप प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप इसे बिना अनुशासन के सुरक्षित नहीं रख सकते और देश के प्रति समर्पण तथा कर्त्तव्यनिष्ठा की भावना के बिना भी प्रजातन्त्र को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इन्हें अपनी बात कहने दीजिये।

श्री भेरावदन के० गधावी : इनके लिए सच्च निगलना एक कठिन काम है··· **(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री : हमारे वर्करों पर हमला किया गया, उनके सिर फोड़े गये।

श्री भेरावदन के० गधावी : यह एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्हें मालूम है कि तकलीफ कहां होती है, मेरे दिल में इनके लिये बहुत आदर है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या सत्तारूढ़ दल यह चाहता है कि हम श्री गुंडुराव तथा श्री अन्तुले की तरह कर्तव्यनिष्ठ बनें।

श्री भेरावदन के० गधावी : मैं राज्य सरकारों के सम्बन्ध में बात नहीं कर रहा।

सभापति महोदय : श्री चक्रवर्ती, क्या आपको उस समय व्यवधान अच्छा लगेगा; जब आप बोल रहे हों ? इन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री भेरावदन के० गधावी : मैं जानता हूं कि 19 तारीख का बंद असफल रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति जी, आप जानते हैं कि उस दिन कितनी हड़ताल हुई। माननीय सदस्य उसको "प्लाप" कह रहे हैं।

सभापति महोदय : आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए। आप कहते हैं कि आप बहुत सफल रहे। माननीय सदस्य का कहना है कि आपको सफलता नहीं मिली।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (बांका) : माननीय सदस्य, श्री शास्त्री के क्षेत्र में तो हड़ताल नाकामयाब रही।

श्री रामावतार शास्त्री : पटना में इतनी शानदार हड़ताल हुई कि जैसी पहले कभी नहीं

[श्री रामावतार शास्त्री]

हुई थी। वहां पर मंत्रियों ने, डिप्टी मिनिस्टरों ने, एल० आई० सी० की बिल्डिंग में घुसकर लोगों को पीटा . अगर आप कहें, तो मैं उनके नाम बता दूं।

श्री भेरावदन के० गधावी : वह उत्तेजित क्यों हो रहे है ? मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं। प्रजातन्त्र की बुनियादी आवश्यकता संयम है जिसका दुर्भाग्यवश यहां अभाव है। उसी कारण आप उस पक्ष में गये हैं। आपको सच्चाई सुनने की क्षमता होनी चाहिये। मैं कह रहा था...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अब आप संयम का आदेश दे रहे हैं। आपने उस समय क्या किया जब श्री बालानन्दन बोल रहे थे।

श्री भेरावदन के० गधावी : क्या उनके बोलने में बाधा डाली गई थी। **(व्यवधान)**

आज वे सच्ची बातों के सुनने से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही राष्ट्र नहीं बल्कि अन्य देश भी इस बात को मानते हैं; आज दिल्ली में भारत द्वारा चलायी गई 44 देशों की वार्ता चल रही है और समूचे विकासशील देश भारत से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। क्यों ? क्योंकि वे जानते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसा नेता ही उन्हें प्रगति का सही रास्ता दिखा सकता है। वहां बैठे मेरे मित्र उस बात को नहीं चाहते **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मानवता क्या रक्षक भारत की रक्षा नहीं कर सकता।

श्री भेरावदन के० गधावी : अपने आदरणीय श्री वाजपेयी को चीन से शीघ्र वापिस आना पड़ा। हम सब उस बात को जानते हैं। लेकिन वह बात अब बीत चुकी है। हम केवल पिछली घटनाओं पर विचार करके तथा उनकी आलोचना करके कोई भी नवनिर्माण नहीं कर सकते। आज जब हम सभी समुदायों के बीच सद्भावना तथा शांति पैदा करना चाहते हैं। सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि विपक्ष की ओर से इन सब बातों के लिए क्या कोई योगदान प्राप्त हुआ है ?

यदि आपकी ओर से कोई भी योगदान प्राप्त नहीं हुआ है और वास्तव में यदि आपसे कोई कहे कि मेरे लिए नहीं, व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति के हित में, योगदान दें तो हम कहेंगे कि राष्ट्र प्रगति कर रहा है। व्यक्तियों को न देखें, यदि वे कुछ नहीं करते तो हमें नुकसान सहना पड़ेगा। हमें एक उदार दृष्टिकोण और उदार भावना से विचार करना चाहिये कि वर्तमान परिस्थितियों में हम कहां जाना चाहते हैं। आप जब सर्वसाधारण के बारे में बातचीत करते हैं। आपकी दोहरी चाल नहीं होनी चाहिये।

हम जानते हैं कि शहरों में आप लोगों को बताते हैं कि चीनी के मूल्य इतने बढ़ चुके हैं,

लेकिन गरीबों के लिए आपके विचार बिलकुल भिन्न हैं। वे जानते हैं कि अंदर और बाहर क्या हो रहा है। अतः यह अच्छा रहेगा यदि आप अपनी दोहरी चाल छोड़ दें। जब तक आप इस प्रकार के कामों में लगे रहेंगे, उस समय तक दिखाई गई सूखी हमदर्दी के बावजूद भी श्रमजीवी वर्ग तथा किसान आपके नजदीक नहीं आयेंगे। हमेशा की तरह कांग्रेस की परम्परा ही उनकी सहायता करती आ रही है।

आप पिछले दो वर्षों से किसानों के बारे में बातें करते आ रहे हैं। एन० ए० बी० ए० आर० डी० नामक बैंक की स्थापना की काफी समय से प्रतीक्षा थी। आजादी से पहले इस प्रकार की बैंक की मांग केवल की गयी थी। इसकी स्थापना श्रीमती गांधी के शासनकाल में ही आकर की गई। कल जब हमने विधेयक पर विचार किया तो किसी ने कृषकों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों की सहायता के लिए कितनी नई संस्थायें स्थापित की जा रही है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हर काम इस सरकार के शासन में शुरू हुआ।

श्री भेरावदन के० गधावी : किसी ने कहा कि हर काम इन्दिराजी के पैदा होने के बाद शुरू हुआ। यह बात ठीक है और एक ऐतिहासिक तथ्य है। आप उस बात से इनकार नहीं कर सकते। आप इसे चाटुकारिता कह सकते हैं। लेकिन मैं इसे श्रद्धा व्यक्त करने की बात समझता हूं और यह मुझे प्रिय लगती है।

सभापति महोदय : अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भेरावदन के० गधावी : संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछली उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा दिया गया है और भविष्य की नीतियों का संकेत किया गया है। उसके लिए श्री राम जेठमलानी ने कहा कि यह एक व्यवसायिक संकट (प्रोफेशनल हैजार्ड) था जो राष्ट्रपति को मजबूरी में झेलना पड़ा। मैंने उनकी बात इस प्रकार समझी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आकुपेशनल हैजार्ड।

श्री भेरावदन के० गधावी : क्या यह भारत के राष्ट्रपति के लिये यह एक व्यावसायिक संकट है? क्या आप राष्ट्रपति के लिए ऐसा कह सकते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह अनादरपूर्ण है।

श्री भेरावदन के० गधावी : मैंने वैसा नहीं कहा। श्री वाजपेयी, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं कि आप विद्वान हैं।

सभापति महोदय : कृपया चर्चा में राष्ट्रपति का नाम न लायें।

श्री भेरावदन के० गधावी : नहीं, नहीं । मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं । मैंने श्री जेठमलानी के भाषण का जिक्र किया है, जो रिकार्ड में है ।

सभापति महोदय : इस हर प्रकार की बातें शुरू होंगी ।

श्री भेरावदन के० गधावी : हमारे प्रजातन्त्र में राष्ट्रपति को मन्त्रि-परिषद से परामर्श लेना पड़ता है । यह हमारे संविधान में व्यवस्था है । यदि राष्ट्रपति ऐसा करता है और यदि कोई उनकी आलोचना इस कारण करता है कि वह मंत्रि-परिषद की सलाह से काम कर रहे हैं, तो वे लोग गलती पर हैं और यदि यह विचार किसी और का है तो यह हमारे प्रजातन्त्र तथा संविधान पर कुठाराघात ही है ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री भेरावदन के० गधावी : मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मैं समाप्त करूंगा ।

मैं प्रो० रंगा द्वारा लाये गये इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं भी उन लोगों के साथ हूं जिन्होंने राष्ट्रपति को दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देने के लिये धन्यवाद दिया है ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में गत एक वर्ष के कार्यकलाप की सच्ची और सही तस्वीर होनी चाहिए कि सरकार ने क्या-क्या कार्य किये । यह गत एक वर्ष में सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा होता है । इसमें देश की वर्तमान परिस्थितियों का सही विश्लेषण होना चाहिए और इसके द्वारा हमें यह भी बताया जाना चाहिए कि भारत में उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

लेकिन खेद यह है कि राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में देश में व्याप्त परिस्थितियों की अधूरी तस्वीर पेश की गयी ।

सभापति महोदय : क्या आप सुनेंगे ? आप जरा माइक के नजदीक आयें जिससे हमारे रिर्फ़ेक्टों को सुनने में सहायता मिलेगी ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : जी ठीक है । अभिभाषण में सरकार की आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में अर्द्धसत्य कहा गया है । अतः मैं प्रो० रंगा द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं ।

सबसे पहले मैं कानून और व्यवस्था के प्रश्न को लूंगा । सरकार ने फूट डालने वाले तत्वों द्वारा चलाये गये आन्दोलनों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों पर

किये गये अत्याचारों का जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। उत्तर प्रदेश में डाकुओं द्वारा उत्पन्न स्थिति का, जिससे सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है इसमें बिहार में चल रही ऐसी ही स्थिति का भी कोई जिक्र नहीं है। बलिया, बेथिया तथा रोहतास में चंबल घाटी जैसी स्थिति बन रही है। इसमें उस बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। इसमें, नक्सलवादी आन्दोलन का भी जो कि अपने हिंसात्मक तरीकों द्वारा पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि आदि राज्यों में फैल रहा है। कोई जिक्र नहीं है।

आप जानते हैं कि इन तत्वों को-गरीब वर्गों के लोगों को -- नक्सलवादी ग्रुपों के अनेक गुटों ने संगठित किया है और वे बिहार में मार्किस्ट-कम्युनिष्ट केन्द्र अजीजुल हक ग्रुप तथा मित्र ग्रुप आदि के नाम से काम कर रहे हैं। उन्होंने देश भर में आतंक और भय का वातावरण पैदा कर दिया है। लोग शाम होने के बाद चलने से डरते हैं। लोग अपनी जमीन पर भी काश्त करने से डरते हैं। वे न्यूनतम मजूरी मांगते हैं। सरकार ने हमें यह भी बताया है कि संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम द्वारा न्यूनतम मजूरी को लागू करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाये जायेंगे, लेकिन अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित न्यूनतम मजूरी उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना कि कई स्थानों में न्यूनतम मजूरी स्थानीय लोगों द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिये, सरकार द्वारा नहीं। वे किसानों से भी कहते है। कि वे कुछ जमीनों पर काश्त न करें और उन जमीनों को उनके हवाले किया जाये। संघर्ष या हिंसा की आशंका के कारण बहुत सी जमीन बंजर रह जाती है और आतंक और भय का वातावरण पैदा हो जाता है।

सरकार दावा करती है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और शायद इसी कारण अभिभाषण में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग आतंकित है। जिनके सम्बन्धी मारे गये, वे सच बोलने से भी डरते हैं।

ऐसी स्थिति है परन्तु सरकार ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। यदि हम वास्तव में कार्य करना चाहते हैं तो जिस बात की प्रो० रंगा ने कल वकालत की थी वैसा करने से अर्थात केवल हमारे दृष्टि कोण में सामाजिक परिवर्तन लाने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा।

मैं सोचता हूं कि समूचे सामाजिक आर्थिक परिवेश में परिवर्तन लाना होगा। हमें आशा थी कि माननीय राष्ट्रपति उन परिवर्तनों के बारे में भी कुछ कहेंगे जिन्हें हमारे देश के सामाजिक ढांचे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस विषय में कुछ नहीं कहा। दुर्भाग्य से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पिछले इतने वर्षों से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

महोदय इस बात के बावजूद भी कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की है, विकास के वास्तविक लाभ हमारी जनता के अधिकांश वर्गों तक नहीं पहुंचे। वे अभी भी उन लाभों से वंचित हैं तथा

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

निराश हैं और उनकी निराशा उनकी विभिन्न उग्र गतिविधियों से प्रदर्शित हो रही है और यदि बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं हो रहा है तो उसका कारण यह है कि हमारी जनता के अधिकांश वर्गों में भारी पीड़ाएं सहने की बहुत अधिक सहन शक्ति है।

मैं महसूस करता हूं कि यदि धनाढ्य वर्ग की जीवन शैली को बदलने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया जाता, यदि वे परिवर्तन नहीं लाते, यदि वे सादगी का उचित वातावरण तैयार नहीं करते, तो वह दिन दूर नहीं जब देश में विशिष्ट उपभोग करने वाले लोगों के प्रति विद्रोह हो जायेगा।

भूमि सुधार कार्य तत्काल तथा अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किये जाने चाहिए। हमें अधिनियम में निर्धारित की गयी न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाना चाहिए। कम काम के समय हमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों तथा अर्द्ध बेरोजगारों को कार्य देना चाहिए।

जनता पार्टी की काफी आलोचना की जा रही है। सत्ताधारी दल की प्रायः जनता पार्टी की आलोचना करने की नीति ही बन गई है। ऐसा करके शायद वे यह समझते हैं कि वे जनता में अपनी छवि सुधार रहे हैं। जनता पार्टी ने क्या किया मैं आपको वह बताता हूं।

जनता पार्टी ने ही 'काम के बदले आनाज' कार्यक्रम शुरू किया था जो बहुत ही सफल रहा।

अब क्योंकि यह 'काम के बदले आनाज कार्यक्रम' जनता पार्टी ने शुरू किया था केवल इसीलिए कांग्रेस (इ) पार्टी ने इसको बन्द कर दिया और इसको दूसरा नाम 'ग्रामीण पुनर्निमाण कार्यक्रम' दे दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनता शासन काल में वास्तव में क्या हुआ। 'काम के बदले आनाज कार्यक्रम' के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 के दौरान 3530 लाख कार्य दिवसों की, और 1979-80 में 58 0 लाख कार्य दिवसों की व्यवस्था हुई। 'ग्रामीण पुनर्निमाण कार्यक्रम' के अन्तर्गत ये 3260 लाख ही रह गये।

हमें बताया गया है कि चालू वर्ष के दौरान अनुमानित रोजगार माल 150 लाख कार्य दिवस ही रह जायेगा। क्या यह एक महान उपलब्धि है जिसके आधार पर वे देश में कानून व व्यवस्था की समस्या को हल करने चले हैं?

महोदय, राष्ट्रपति ने उत्तरी पूर्वी राज्यों की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। सरकार ने मणिपुर और मिजोरम की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। कल हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की थी जिसके द्वारा यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी थी कि इम्फाल में ऐसी स्थिति है जिसमें 22 जवानों पर घात लगाकर आक्रमण किया गया तथा वे मारे गये। स्थिति अभी भी काबू में नहीं है। मिजो नेशनल फ्रन्ट के नेता श्री लालडेंगा के साथ की गयी वार्ता असफल रही है

तथा मिजोरम के विद्रोही अभी भी क्रियाशील हैं तथा उन्होंने भारी मात्रा में हथियार तथा गोलाबारूद इकट्ठे किये हुए हैं। परन्तु सरकार ने इन मामलों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया।

उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि क्या उनका कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। वे वहां पर स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं तथा उन्होंने क्या हल निकाले हैं, क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 34 वर्ष बाद भी हम उनको भारत के संघ में एकीकृत करने में सफल नहीं हुए। यह एक दयनीय स्थिति है और हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए।

अब मैं आर्थिक मोर्चे पर आता हूं। सरकार यह दावा करती है कि कृषि सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ है। 1979-80 की तुलना में वर्ष 1980-81 में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई हैं तथा 1981-82 में भी उत्पादन 1330 लाख टन तक पहुंच जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि 50 लाख 40 हजार हेक्टेअर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जा चुकी है। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के अतिरिक्त, उर्वरकों तथा अच्छे बीजों के रूप में कृषि के काम आने वाली वस्तुओं की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। परन्तु खाद्य उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई ? 1978-79 के आंकड़ों की तुलना में 10 लाख टन उत्पादन अधिक हुआ होगा। सभापति महोदय क्या इससे आंकड़ों के बारे में कुछ संदेह उत्पन्न नहीं होता ? आखिर इतनी लागत लगाने के बाद केवल 10 लाख टन की ही वृद्धि क्यों होनी चाहिए ?

उसी प्रकार से ऊर्जा के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि इसके उत्पादन में 11 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि हुई है। उस दिन राष्ट्रपति ने यहां पर यह घोषणा की थी। आपको ज्ञात है कि विशेष रूप से रांची तथा सामन्य रूप से बिहार के अधिकांश भागों में ऊर्जा की आपूर्ति के सम्बन्ध के क्या स्थिति थी। बहुत से राज्यों ने बिजली की आपूर्ति में भारी कटौतियों की भी घोषणा की। ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्ध में यह स्थिति है।

सभापति महोदय : क्या यह सत्य नहीं है कि औसत के बारे में बात करना हमेशा खतरनाक तथा गुमराह करने वाली बात रहती है ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : जी हां, औसत के आंकड़े हम सभी को गुमराह करते हैं। और दुर्भाग्य से सरकार औसत के आंकड़ों पर बहुत अधिक निर्भर करती है जिससे जनता गुमराह होती है। परन्तु आप देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस देश के लोगों को बहुत समय तक गुमराह नहीं किया जा सकता या उनकी आँखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती और यदि आप उन्हें इसी समय राहत नहीं देंगे तो वे विद्रोह कर देंगे। अब बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने कहा है, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु; कर्नाटक, गोवा तथा मध्यप्रदेश जैसे राज्यों ने सप्लाई में बहुत अधिक कटौती प्रारम्भ कर दी है। फिर सरकार ने हमें बताया कि वे लगभग 3000 मैगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं जनता कि इस क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही है। परन्तु, जैसा कि 12 जनवरी के 'दा इकॉनोमिक्स टाइम्स' में प्रकाशसित हुआ है, सत्य यह है

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

कि 60 प्रतिशत से 70 प्रकाशित तक बिजली व्यर्थ चली जाती है और इसका पता शायद ऊर्जा मंत्रालय को बहुत देर से लगा है।

अब क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि ऊर्जा मंत्रालय ने सलाहकर समिति को यह बताया था, जैसा कि 12 फरवरी के 'पैट्रिअट' में रेखा चित्र के रूप में दिया गया है, कि क्षमता का उपयोग पिछले वर्ष जनवरी में 49.1 प्रतिशत था जिसमें इस वर्ष बहुत थोड़ी सी वृद्धि हुई है और वह केवल 49·7 प्रतिशत तक पहुँचा है। यह ऊर्जा के क्षमता उपयोग की स्थिति है। बिहार में स्थिति अभी भी अधिक खराब है। वहाँ पर 600 मेघावाट की उत्पादन क्षमता वाला पतरातू विद्युत गृह है। परन्तु महोदय, इसने कैसा कार्य किया है यह आपको पता है। एक बरौनी तापीय विद्युत गृह है। इसकी क्षमता 245 मैगावाट है। कभी कभी बरौनी में 20 मैगावाट का उत्पादन होता है तथा पतरातू बिजलीघर का उत्पादन कम होकर 30 मैगावाट तक रह जाता है। अड़चन कहाँ है? सरकार ने पूरे प्रश्न का अध्ययन नहीं किया लगता और ऊपर से वे दावा करते हैं कि वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं तथा देश को व सभी लोगों को बिजली प्रदान करने में समर्थ होंगे। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने कार्यों के बारे में ही आश्वस्त नहीं है, अन्यथा उद्योग मंत्रालय बहुत सी औद्योगिक इकाइयों को अपने निजी ऊर्जा संयन्त्र लगाने की अनुमति नहीं देता। बिजली प्रदान करने में अपनी असमर्थता तथा अपनी क्षमताओं में विश्वास न होने के कारण ही उन्होंने यह अनुमति दी है। यह एक गम्भीर मामला है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

हम हमेशा देशीयकरण की बात करते हैं, परन्तु हमें देशी उपकरणों पर कोई विश्वास नहीं है। ऊर्जा मंत्रालय ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भारी विरोध के बावजूद भी उपकरणों का आयात करने के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स जोकि आपके लिए उपकरण बना सकता है परन्तु आप उन पर निर्भर करने के लिए तैयार नहीं हैं और उपकरणों का आयात कर रहे हैं।

इस्पात के सम्बन्ध में संशोधित लक्ष्य 60 लाख 50 हजार टन निर्धारित किया गया है। हाल ही में 8 फरवरी को 'नेशनल हैराल्ड, में जो कि कांग्रेस (इ) के विपरीत नहीं है, यह प्रकाशित हुआ है कि हो सकता है कि इस्पात का 60 लाख 50 हजार टन का संशोधित लक्ष्य प्राप्त न किया जा सके। इसने भी संदेह व्यक्त किया है।

मूल्यों के सम्बन्ध में, सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि वह मुद्रास्फीति पर काबू पाने तथा इसको कम करके 8 प्रतिशत तक लाने में सफल हुई है। उन्होंने कहा है कि थोक मूल्य सूचकांक नीचे गिरने की प्रवृति दिखा रही है, परन्तु वास्तविकता क्या है, सही तस्वीर क्या है? इसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से भी वही दिखाई पड़ता है या उसकी ऊपर जाने की प्रवृति है? निर्वाह व्यय सूचकांक आम जनता के कष्टों का असली

मापक है। यदि निर्वाह व्यय सूचकांक बढ़ रहा है तो आप यह दावा नहीं कर सकते कि आप मुद्रास्फीति या मूल्यों पर नियन्त्रण पाने में सफल हुये हैं, निस्संदेह निर्वाह व्यय सूचकांक बढ़ा। पहली बार यह 1974 में बढ़ा था और यह अधिकतम था तथा इसकी वृद्धि तेल के मूल्यों में वृद्धि होने से हुई थी। तब से यह बढ़ता जा रहा है और इस बार यह 49 पोइन्ट बढ़ा है। वास्तविक स्थिति यह है।

सरकार की आर्थिक समीक्षा में भी यह स्वीकार किया गया है कि बहुत सी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बहुत उंचे हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी मुद्रा तथा वित्त रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल्यों में वृद्धि के रुकने का कोई आसार दिखाई नहीं देता; मुद्रास्फीति में वृद्धि की प्रक्रिया के विपरीत ही जाने की संभावना तो बहुत कम है। यह आपकी अपनी संस्था की रिपोर्ट है और फिर आप दावा करते हैं कि आप मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर काबू पाने में समर्थ हुए हैं तथा मूल्य गिर रहे हैं। परन्तु आपका यह दावा वास्तविकता से दूर है।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

जहाँ तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है आपने दावा किया है कि उत्पादन 8 प्रतिशत बढ़ा है, यह पहले 4 प्रतिशत बढ़ा था मगर यह बात विस्तार से नहीं बताई गई कि औद्योगिक उत्पादन इतना कैसे बढ़ा। श्री बालानन्दन ने बोलते समय कहा था कि उन उद्योगों की जो गैर कानूनी तरीकों से उत्पादन कर रहे थे बिना लाइसेंस की क्षमता वैध बना दी गयी है। और उत्पादन आंकड़ों में अवैध स्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत उत्पादन को भी मिलाकर, बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। अत:, औद्योगिक उत्पादन की यह तो स्थिति है। एक ओर जहां आप सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर बाजार में वस्तुओं की भरमार है। इस्पात को ही लीजिये। बिक्री योग्य इस्पात जमा होता जा रहा है। आपने मांग और पूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए आयात भी किया है, क्योंकि आपने यह अनुमान लगाया था कि आप लघु इकाईयों से 70 लाख टन और 15 लाख टन उत्पादन कर सकेंगे।

अत: आपको 15 लाख टन अधिक इस्पात की आवश्यकता थी जिसे आपने यह धारणा बनाने के लिए आयात किया कि इस्पात आवश्यकता से अधिक है। परन्तु महोदय, आज की स्थिति क्या है? बिक्री योग इस्पात इकट्ठा होता जा रहा है। जब तक ये इस्पात कारखानें इन जमा भंडारों को बेच नहीं देते हैं, वे बड़ी मुसीबत में फंसे रहेंगे। ऐसी ही स्थिति सूती-वस्त्र उद्योग की है। यद्यपि आपने यह कहा है कि बम्बई में वस्त्र-उद्योग में हड़ताल चलती आ रही है, फिर भी आपने देखा है कि बाजार में इसकी भरमार है फिर चीनी की ही बात लीजिये। जबकि सरकार ने यह दावा किया है कि गन्ने का उत्पादन बढ़कर 1800 लाख टन तक पहुंच जायेगा, यह एक विरोधाभास है कि बहुत से कारखानों के बन्द होने की नौबत आ गई है। महाराष्ट्र में लगभग 35 सहकारी कारखाने और उत्तर प्रदेश में लगभग 30 सहकारी मिलों के बन्द होने का डर है यह आर्थिक स्थिति है जिसके

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

आधार पर सरकार यह दावा कर रही है कि उन्होंने गत दो वर्ष के शासन में चहुमुखी प्रगति की है और उनकी उपलब्धियां रही हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हिन्द महासागर में सेना की उपस्थिति के कारण एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकृत स्थिति के कारण और पाकिस्तान द्वारा आधुनिक हथियार प्राप्त करने तथा ईरान-ईराक युद्ध के कारण स्थिति जटिल हो गई है। वे चाहते हैं कि विपक्ष उनके साथ सहयोग करे। उन्हें हमारा सहयोग इसलिए चाहिये ताकि देश प्रगति कर सके।

कल श्री जेठमलानी ने कुछेक शर्तों पर सहयोग की पेशकश की थी परन्तु मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपको हर बात के लिए विपक्ष को दोष देना बन्द करना होगा, आपको तोड़-फोड़ और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का दोष विपक्ष पर लगाना बन्द करना होगा। आपको उनके साथ सहभागियों का सा व्यवहार करना चाहिये क्योंकि लोकतन्त्र में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल सरकार के दो पहिये होते हैं। जब तक वे साथ-साथ नहीं चलते तब तक सरकार नहीं चलती। अतः आपको ऐसी अनुकूल स्थिति पैदा करनी होगी जिससे विपक्ष आपको अपना सहयोग दे सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि अनुकूल स्थिति पैदा कर दी जाती है तो समस्याओं का समाधान करने में विपक्ष सहायता देने में आपसे पीछे नहीं रहेगा और जिससे हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : सभापति महोदय, मैं भारत के राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए प्रो० रंगा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह का कहना है कि इस देश में कोई प्रगति नहीं हुई है और स्वतन्त्रता के पश्चात कुछ भी नहीं किया गया है।

मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। वे इस ओर 1979 तक रहे और बिहार राज्य में वित्त मन्त्री भी रह चुके हैं। उस समय वे क्या कर थे? क्या वह यह बात उस समय कह सकते थे? अब चूंकि वह विपक्ष में हैं, तो वह भिन्न राग अलाप रहे हैं। वह जनता शासन की प्रसंशा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहने का उनका अधिकार है। अपने कार्यों और कार्यवाहियों की प्रसंशा करने का हर किसी को अधिकार है। परन्तु मेरे विचार से इस देश में लोकतन्त्र है। केवल जनता ही इसमें निर्णयायक है।

श्री सिंहा जैसे लोग पांच वर्ष के लिये चुने गए थे, परन्तु उन्हें $2\frac{1}{2}$ वर्ष बाद ही वापिस जाना पड़ा था और अगले चुनाव में वे हार गये। इसका अर्थ यह हुआ कि यह देखने के पश्चात कि उन्होंने $2\frac{1}{2}$ वर्ष में क्या कुछ किया है लोगों का उनमें विश्वास नहीं रहा। यदि श्री सिंह अभी भी उस बात पर डटे हुए हैं तो मैं उन्हें रोक तो नहीं सकता हूं।

श्री बालानन्दन एक राष्ट्रीय नेता हैं। वह अब उपस्थित नहीं हैं। मैंने यह आशा की थी कि महान नेता कुछ रचनात्मक बात करेंगे और हमें कुछ ठोस सुझाव देंगे तथा विपक्ष का नेता होने के नाते हमारी कुछ असफलताओं की ओर हमारा ध्यान खींचेंगे, जिससे हम उन्हें सुधार सकें। परन्तु वह पश्चिमी बंगाल और केरल की राजनीति से ऊपर नहीं उठ सके हैं तथा चावल और गेहूं की पूर्ति न होने के बारे में ही बोलते रहे हैं। इन समस्याओं के बारे में प्रो० राय तथा अन्य सदस्य भी बोले हैं तथा खाद्यान्नों की पूर्ति के बारे में हमारे मन्त्री महोदय ने बड़े ही सन्तोषजनक उत्तर दिए हैं।

मैं उनका ध्यान 1978 में उनके दल द्वारा जालन्धर में पारित संकल्प की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने साम्प्रदायिक दलों का सहयोग मांगा था उदाहरणस्वरूप अकाली दल का सहयोग मांगा था। क्या इसे कोई सिद्धांत कहा जा सकता है। वह हमारे सिद्धांतों और नीतियों को लेकर हम पर प्रहार कर रहे हैं। सत्ता हथियाने या उनके साथ सत्ता में भागी बनने की उनकी साम्प्रदायिक दलों से सहयोग करने की क्या नीति है? क्या यह अवसरवाद है या सिद्धांत? वह क्या बात कर रहे हैं?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : मुस्लिम लीग के साथ आप केरल में क्या कर रहे हैं?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं आपसे आपके जालन्धर के संकल्प की बात कर रहा हूं। जहां तक केरल का सम्बन्ध है, वहां हम लोकतन्त्र को बचाना चाहते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : केवल सत्तावाद से लड़ने के लिए ही हमें उनका सहयोग चाहिए था।

श्री आर० एल० भाटिया : मैं इस पर बाद में बोलूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नयी दिल्ली) : भगवान हमें लोकतन्त्र के मुक्ति रक्षकों से बचाये।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उन्होंने हमारी विदेश नीति का भी उल्लेख करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अमरीकी साम्राज्यवाद का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हमारे कार्य ही हमारे बारे में बोलते हैं, उदाहरणार्थ, हम दियागो-गार्सिया तथा इस क्षेत्र में अमरीका जो भी गठबन्धन कर रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। हम आरम्भ से ही सभी मुद्दों पर उनका विरोध करते आ रहे हैं, परन्तु चीन के बारे में, जो कि उनका मित्र है, उनका क्या कहना है? वे अमरीकी साम्राज्यवाद को सहयोग दे रहे हैं और इसीलिए अमरीका दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक सैनिक अड्डों का निर्माण करता जा रहा है। (**व्यवधान**) वे इस बात से इन्कार तो करें कि चीन उनका मित्र नहीं है। (**व्यवधान**)

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

पाकिस्तान को हथियारों की वर्तमान सप्लाई भी इसी कारण से की जा रही है कि चीन ने अमरीका का समर्थन किया है। यदि ऐसा न हुआ होता तो अमरीका ने अन्यथा कुछ और सोचा होता। अत: यह चीन की ही सांठ-गांठ है जिससे इस क्षेत्र में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। (व्यवधान)

मैं रचनात्मक पहलू के बारे में कहना चाहूंगा और अनावश्यकरूप से उनकी आलोचना नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रपति ने हमारे सामने एक साफ तस्वीर रखी है कि आज भारत कहां खड़ा है, और उन्होंने अच्छी बातें और उन मुद्दों का उल्लेख किया है जहां हमने प्रगति की है और जहां हमारी असफलताएं रही हैं। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं छिपाई है। उदाहरण के लिये आर्थिक स्थिति की बातें करते हुए उन्होंने बताया है कि आधार-भूत ढांचे में सुधार हुआ है। कुछ समय पहले जब कोयले और कच्चे माल की कमी थी तो प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने इस पर विचार करने के लिए मन्त्री परिषद की उप-समिति का गठन किया था। तब से हम देख रहे हैं कि स्थिति में सुधार हुआ है। जब हमने 1980 में सत्ता प्राप्त की थी तो हमें उसके बाद कुछ समय लगा। जनता सरकार ने जो कूड़ा-कचरा छोड़ा था उसे साफ करने में हमें एक वर्ष लग गया। और अगले वर्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो नीतियां अपनाई थीं उनके परिणाम सामने आने लगे हैं। मैं यह तो नहीं कहता हूं कि हम पूर्णतया सफल रहे हैं परन्तु हम प्रगति के पथ पर हैं और आंकड़े आपको बतायेंगे कि विद्युत उत्पादन में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परन्तु बिजली उपलब्धि नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मांग बढ़ गई है। जब मांग बढ़ रही है तो हम स्थिति से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु सच्चाई यह है और आप इस तथ्य को मानने से इन्कार नहीं कर सकते कि बिजली का उत्पादन बढ़ा है कोयले का उत्पादन 11.2 प्रतिशत बढ़ा है और रेलों की माल-ढुलाई 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिक बिजली, अधिक कोयले और अधिक रेल वैगनों जैसी चीजों की उपलब्धि के फलस्वरूप औद्योगिक माल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आधार-भूत ढांचे की पूर्ति के कारण इस्पात का उत्पादन 18.7 प्रतिशत बढ़ गया है, सीमेंट का उत्पादन 15 प्रतिशत तक बढ़ा है तथा नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन में 51.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सब यूं ही नहीं हो गया है। यह सब योजनाबद्ध कार्यक्रम तथा कांग्रेस (इ) सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं और उनका जो क्रियान्वयन किया है उसके कारण यह सम्भव हो सका है।

तीन उर्वरक संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। एक बंगाल में है। आप बिजली नहीं दे रहे हैं। यदि आप बिजली दें तो यह आज ही काम आरम्भ कर देगा। इन तीनों संयन्त्रों में कार्य आरम्भ हो जाने पर मुझे पूरा विश्वास है कि उर्वरकों का उत्पादन 45 लाख टन से बढ़कर 53 लाख टन हो जायेगा।

हमारे विदेशी मुद्रा स्रोतों का मुख्य भाग पेट्रोलियम उत्पादों में खर्च होता है। हमें अपने पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि करने की बड़ी चिन्ता है। भूकम्पीय सर्वेक्षण किया जा चुका है और हमने अन्य लोगों से, विदेशियों से भी सम्पर्क किया है तथा अधिकाधिक स्थलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और हमें प्रसन्नता है कि गोदावरी और कावेरी क्षेत्रों में तेल के बहुत ही अच्छे आसार हैं। अब तक हमने उत्पादन एक करोड़ टन से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ टन तक कर दिया है और हमें आशा है कि हम इस क्षेत्र में और अधिक प्रगति कर पायेंगे। आजकल, कच्चे तेल के आयात पर हम 5000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। यदि इस ढंग से और अधिक प्रगति होती है तो मुझे पक्का विश्वास है कि हमें आयात पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। यदि हमें प्रतिवर्ष आयात करना भी पड़े तो हम प्रतिवर्ष 10:0 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत करेंगे और निकट भविष्य में हम लगभग आत्म-निर्भर हो जाएंगे।

इसी प्रकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि क्षेत्र की स्थिति के बारे में विस्तार से कहा गया है। 1979-80 में 1290 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ था और 1980-81 में 1320 लाख टन पैदा हुआ। अब इस फसल के अच्छे आसारों से तथा वर्षा समय पर हुई है और समय पर बीजों की सप्लाई की गयी है तथा सिंचाई की अधिक सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। हमें आशा है कि 1320 लाख टन से भी अधिक खाद्यान पैदा होगा और इससे सभी पिछले रिकार्ड टूट जाएंगे। वह यूं ही नहीं हो गया है। यह कांग्रेस (इ) सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का फल है, यह उपलब्धि है, यह विकास है, इस ढंग से हम प्रगति करते चले आ रहे हैं और यदि इस ढंग से उन्नति करते रहे तो मुझे विश्वास है कि देश कहीं अधिक प्रगति करेगा।

हमारे सामने बहुत सी बाधाएं होने के बावजूद भी हमने उन्नति की है। एक बाधा तो यह है कि हमारे मित्र हमेशा 'बंद' करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे हमेशा कोई न कोई आन्दोलन चलाने का प्रयत्न करते रहते हैं और अनावश्यक रूप से देश की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम आगे बढ़ रहे हैं।

अब मैं ऋण नीति पर आता हूं। जब से हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है तब से इस देश की ऋण नीति को क्रियान्वित करने के लिए हमारे हाथ में एक बड़ा साधन आ गया है। मुझे प्रसन्नता है कि गांवों में अधिकाधिक शाखाएं खोली गयी हैं तथा जिन क्षेत्रों में बैंक नहीं हैं वहां कृषकों तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण प्रदान किया गया है।

कुछ ऐसे और भी क्षेत्र हैं जिन पर देश गर्व कर सकता है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने जो उन्नति की है उसकी किसी भी विपक्ष के नेता ने प्रसंशा नहीं की है। हमारे पास तीन उपग्रह हैं। एक उपग्रह रोहिणी है जो हमारा अपनी छोड़ने की व्यवस्था है। दूसरा 'ऐपल' है जो हमारी संचार व्यवस्था है तथा भास्कर II है जो हमें पृथ्वी के बारे में सूचना दे रहा है। यह हमारे वैज्ञानिकों की महान उपलब्धि है। इस बात से लिए विपक्षियों को आगे आ कर कहना चाहिए कि इस सरकार ने वैज्ञानिक जानकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

और सरकार की इस नीति के फलस्वरूप ही हमारे वैज्ञानिकों को यह उपलब्धि हुई है। लेकिन वे हमेशा नकारात्मक और विनाशकारी रुख ही अपनायेंगे। हम वैज्ञानिकों को इस सफलता पर मुबारक देनी चाहिए तथा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।

इसी तरह पिछले दिन, प्रधान मन्त्री ने सदन में दक्षिणी ध्रुव के बारे में वक्तव्य दिया था। इस उपलब्धि में हमारे देश का ग्यारहवां स्थान है। हमें इस उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए। लेकिन आप हमें किसी कार्य का कोई श्रेय नहीं देते हैं। हम इस देश के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। हम अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। हमें उन लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए जो देश को ऊंचा उठा रहे हैं।

श्री बालानन्दन ने विदेश-नीति के संबंध में जो कुछ कहा मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। कई क्षेत्रों में हमारी सहमति है : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) दल की नीति तथा प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की नीति साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। हम समाजवादी देशों तथा तीसरे विश्व के देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं। इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता। यह प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी ही हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गयी हैं। वे इंडोनेशिया, यूरोप, कानकुन तथा अन्य स्थानों पर गईं। वे जहां कहीं भी गईं उन्होंने ऐसा प्रभाव, डाला कि वे विश्व की ऐसी राजनेता हैं जो अच्छा कार्य कर सकती हैं। आज सभी गुट निरपेक्ष देश तीसरे विश्व के देश तथा सभी समाजवादी देश प्रधान मन्त्री इंदिरा से प्रभावित हैं। क्योंकि आज वह विश्व में गिने चुने व्यक्तियों में से है।

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि विपक्षी दलों के लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते। वह अनावश्यक रूप से उनकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन उनके बावजूद भी वे अपनी भूमिका निभायेंगी। इसके बावजूद भी यह देश आगे बढ़ेगा।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हमारे माननीय रंगा जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। हार्दिक समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि मैं सरकारी पक्ष का एक सदस्य हूं, बल्कि हकीकत यह है कि सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे अर्थ के पैमाने पर हो, चाहे भूमि सुधार के पैमाने पर हो, चाहे वैदेशिक नीति के पैमाने पर हो, हर क्षेत्र में, सरकार का संतोषजनक अचीवमेंट रहा है।

विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों का एक मौलिक अधिकार है सरकार की आलोचना करना। लेकिन उसके साथ-साथ विरोधी दलों के लोगों का यह भी कर्तव्य बनता है कि सरकार के जो अचीवमेंट्स हैं उसके लिए कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो बातें अपने पक्ष की ओर से रखी हैं वह बेबुनियाद हैं और जिसका कोई आधार नहीं है।

सभापति महोदय, पिछले बजट सेशन में जो राष्ट्रपति जी ने कहा था कि दो वर्ष में जनता

पार्टी और लोक दल की प्रतिक्रियावादी सरकार के चलते यहां की अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। ला एण्ड आर्डर का डिटैरियोरेशन हो गया था। हम इसको सही रास्ते पर लायेंगे और आज हम देखते हैं कि एक साल का जब हम अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि पिछले बजट सैशन में जो हिन्दुस्तान की जनता के सामने अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए वायदे किये थे, उसमें ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हुई है।

राष्ट्रपति जी के भाषण के यह आंकड़े बताते हैं कि हमने बिजली के उत्पादन में 11 प्रतिशत कोयले के उत्पादन में 11 प्रतिशत, बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 19 प्रतिशत, नाइट्रोजन खाद के उत्पादन में 51 प्रतिशत, सीमेंट के उत्पादन में 15 प्रतिशत और माल ढुलाई में 15 प्रतिशत वृद्धि की है।

उपर्युक्त आंकड़े यह बताते हैं कि अर्थ के मामले में जो हमारी अर्थ-व्यवस्था इन प्रतिक्रियावादियों की वजह से छिन्न-भिन्न हो गई थी, उसमें क्या ट्रिमैंडस प्रोग्रैस नहीं हुई है ? हमारे विपक्ष के सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि दो वर्ष पहले जो स्थिति आपकी थी, क्या उसमें सुधार नहीं हुआ है ? आप भी अपने क्षेत्र से आते हैं और हम भी अपने क्षेत्र से आते हैं। क्या हमने बिजली उत्पादन के पैमाने पर सुधार नहीं किया है, क्या यह उत्पादन नहीं बढ़ाया है ? इन बातों पर गौर करना चाहिए,

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : क्या आप इन आंकड़ों से गाइड होते हैं ?

श्री राम स्वरूप राम : शास्त्री जी, पता नहीं आप कहां से गाइड होते हैं।

सभापति महोदय : रामस्वरूप जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री रामस्वरूप राम : उपर्युक्त सुधार इस बात की ओर इंगित करता है कि हमने अपनी अर्थ-व्यवस्था में काफी सुधार किया है और हम अभी भी कठिन परिश्रम के साथ इसमें लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम और अधिक उत्पादन करें।

आप जानते होंगे कि हमारे प्रधान मन्त्री ने देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम का नया रूप दिया है। उसमें उत्पादन बढ़ाने का पहला प्वाइन्ट है। इसीलिए हमने 1982 वर्ष को उत्पादन वर्ष के रूप में मनाया है। इस उत्पादन-वर्ष में चाहे कल-कारखाने से उत्पादित वस्तुएं हों या कृषि से उत्पादित वस्तुएं हों, इन सभी में हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, लेकिन आप जानते हैं कि 19 तारीख के विपक्षी इन लोगों ने क्या साजिश की थी ? हिन्दुस्तान की जनता से, खेतों में काम करने वाले खेत मजदूरों से इन लोगों ने कहा कि काम बन्द करो, उत्पादन ठप्प करो। हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, आपके हाथ में कितने मजदूर हैं ? चाहे हिन्द मजदूर सभा हो या जनसंघ के सहयोग से मजदूर संघ बनाकर चलाते हों, उनके इरादे आप देख लीजिए। हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े और ये चाहते हैं कि कल-कारखाने में तालाबन्दी हो, स्ट्राइक हो। हम वैसी भावना को कंडम करते हैं और हिन्दुस्तान की जनता ने 19 तारीख को इसे कंडम कर दिया है। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को देखिये।

श्री रामस्वरूप राम : सभापति महोदय, मुझे इस इन्ट्रप्शन्ज का जवाब देना ही होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि आप दिवा-स्वप्न मत देखिये कि आप इस गद्दी पर आने वाले हैं। हिन्दुस्तान की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी क्योंकि आप तोड़-फोड़ में विश्वास करते हैं। आप उत्पादन को ठप्प करते हैं, आप स्ट्राइक ओरिएन्टेड यूनियन को चलाने वाले हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने लाठी चलाई, गुंडों को भेजा......(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप राम : सभापति महोदय, स्ट्राइक ओरिएन्टेड यूनियन को यहां की जनता रिजेक्ट करती है और इसका आपने प्रतिफल 19 तारीख को देखा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप राम : उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि गया में एम० टी० सी० काटन मिल है। (व्यवधान)

गया औद्योगीकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ सका है, लेकिन वहां पर टैक्सटाइल कार्पोरेशन की गया टैक्सटाइल एण्ड जूट मिल है, जिसमें दो हजार वर्कर्ज काम करते हैं। उस मिल में प्रति दिन 1200 कि० ग्रा० उत्पादन होता है। लेकिन जब इन लोगों ने भारत बंद का नारा लगाकर चुनौती दी, तो उस मिल के मजदूरों ने कहा कि विरोधी दल के नापाक इरादों को रिजेक्ट करना है और इसके फलस्वरूप उस दिन मिल में तिगुना प्रोडक्शन हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दुस्तान की जनता और कामगार तथा मजदूर स्ट्राइक ओरियन्टिड यूनियन नहीं चाहते हैं। ये यूनियनें स्ट्राइक करती हैं, जो देश के प्रोडक्शन को ठप्प करती हैं, उनको बन्द करना चाहिए। (व्यवधान)

मैं इन लोगों की पालिसी का पोस्ट-मार्टम करते हुए बताना चाहता हूं कि ये लोग रूस के दलाल के रूप में हिन्दुस्तान में कम्युनिज्म लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बापू ने जो रास्ता बताया है, उन्होंने जो गाइडलाइन्ज दी है, उनके मुताबिक यहां पर समाजवाद की स्थापना होगी। इस देश की जनता रूस के दलालों के रास्ते पर नहीं चलेगी।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम 1982 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि हमारे चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान युद्ध इनवाइट करना चाहता होगा, लेकिन हमारी प्रधान मन्त्री ने दुनिया के अनेक मुल्कों में घूम कर कहा है कि हमारा देश शान्ति चाहता है और हम इस क्षेत्र में शांति बनाए रखना चाहते हैं। हिन्दुस्तान की जनता को, और विरोधी पक्ष के

लोगों को भी, इस बात का गौरव होना चाहिए कि इस देश ने श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसी शख्सीयत पैदा की है, जो हिंदुस्तान की ही नहीं, बल्कि थर्ड वर्ल्ड के तमाम देशों की चैम्पियन हैं। इन लोगों को श्रीमती गांधी के गुणों को स्वीकार करना चाहिए और उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए।

जहाँ तक हरिजनों का सवाल है, हरिजन का अर्थ है गरीब और गरीब का अर्थ इंदिरा गांधी होता है। मैं इन्दिरा गांधी को गरीब शब्द से ईक्वेट करना चाहता हूं। आज हरिजनों और आदिवासियों की हालत में सुधार करना ही इस देश की मूल समस्या है। जब तक हिंदुस्तान के हरिजनों और आदिवासियों की हालत में सुधार नहीं होगा, तब तक हम अपने आपको समाजवादी व्यवस्था में रहने के हकदार नहीं बना सकेंगे। इसी आगस्ट हाउस में जब हरिजनों पर होने वाले जुल्म, उनके कत्लेआम, उनको जिंदा जलाने और उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार की चर्चा होती है, तो यह आश्वासन दिया जाता है कि हम उन्हें सुरक्षा देंगे। पर हो क्या रहा है? आप जानते हैं कि 95 परसेंट हरिजन और आदिवासी गांवों में पशुओं जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। न उनके पास घर है और न जमीन है। हम भटिंडा कांग्रेस से लेकर आज तक प्रस्ताव पास करते रहे हैं कि हम हरिजनों को जमीन देंगे, उन्हें हर तरह की सुविधा और सुरक्षा देंगे। हालाँकि हमारा यह इरादा हकीकत में पूरा नहीं हो सका है, लेकिन सरकार उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है।

मैं विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि जब हरिजनों की हत्यायें होती हैं, उनके घरों को आग लगाई जाती है और उनकी औरतों के साथ बलात्कार होता है, तो वे क्यों चिल्लाते हैं? अगर हरिजनों को जान से मारने और उन्हें जिंदा जलाने की आदत इस मुल्क में पहले-पहल किसी ने डाली, तो तो वह लोक दल और प्रतिक्रिया वादी दलों की सरकार प्रधान मन्त्री, श्री चरण सिंह, ने डाली, जिसकी सागिर्द श्री अटल विहारी कर रहे थे। साथ में बैठे हुए मधु दण्डवते जी थे और यह बेलची से चल रहा है। यह चीज हमें विरासत हमें मिली है और इसको हम कलंक मानते हैं।

सरकार की यह मंशा है कि इस देश में तमाम हरिजन और आदिवासी एक-न-एक दिन सुरक्षित होंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान की प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गाँधी हैं, चरणसिंह नहीं हैं। हिंदुस्तान की प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी कठिन-से-कठिनतम रास्ते से चलकर देश की सारी समस्याओं को सुलझा रही हैं तो हम समझते हैं कि हरिजन और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं एक-न-एक दिन इंदिरा गांधी जी की नजर उस पर भी जायेगी और सदा के लिए हरिजन आदिवासियों पर होने वाले ये अत्याचार बंद हो जायेंगे।

इसी हाउस में मैं हरिजनों के सवाल को लाया था कि आप जमीन तो उनको बांट रहे हैं, वह बाँटें, लेकिन एक चीज यह है कि आज भी हरिजन और आदिवासियों के शिक्षित बी० ए०, एम० ए० मिडिल पास बच्चे देहातों में हल जोत रहे हैं और खेतों में काम कर रहे हैं, उनके लिए जाब की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि आपने रिजर्वेशन दिया है लेकिन रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ है। आज बी० ए०, एम० ए० पास हरिजनों के बच्चे गांव में जिस तरह की जिंदगी बिता रहे हैं, वह सब को पता है। इसीलिए प्राइवेट मैम्बर्स रेजोल्यूशन के जरिये मैंने माँग की थी कि हरिजनों के लिए, जो

[श्री रामस्वरूप राम]

शिक्षित बेरोजगार हरिजन हैं, उनके लिए जाब गारण्टी दें, उनको जाब देने की व्यवस्था करें। उस समय श्री वेंकट सुब्बय्या जी के द्वारा यह कहा गया कि हम आपकी सारी बातों का काग्निजेंस लेंगे और जाब गारण्टी के लिए जितना हम से बन सकेगा उसमें कोई कसर नहीं आने देंगे।(**व्यवधान**)··· मेरा यह कहना है कि हरिजन और आदिवासियों की शिक्षा को केन्द्र अपने अधीन ले और उसको अपनी ही देखरेख में चलाए। जो हरिजन और आदिवासी शिक्षित और बेरोजगार हैं उनके लिए कालबद्ध योजना बनाएं और संविधान में संशोधन लाकर जाब गारन्टी की व्यवस्था करें। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर या अन्य दी जाने वाली एजेंसियों में उनके लिए उपयुक्त जगह करें जिससे हरिजन और आदिवासी राष्ट्र की मुख्य धारा में आ सकें।

तीसरा सवाल मैं यह रखना चाहता हूं कि मैं बिहार से आता हूं और मुझे गौरव है कि बिहार की सरकार ने ओल्ड एज पेंशन की व्यवस्था करके इतना कम-से-कम बिहार की धरती पर रहने वाले बूढ़े, बूढ़ियों और अपाहिजों का हित किया है और आज 20 लाख ओल्ड एज पेंशनधारी बिहार में हैं। उनको 30 रुपये प्रति माह मिलता है। वे 20 लाख बूढ़े इंदिरा गांधी को बेटी मान कर कहते हैं कि बेटी के यहां से 30 रुपये महीना आएगा। बोलिए शास्त्री जी, गरीबों की सेवा इंदिरा जी करना चाहती हैं या···(**व्यवधान**)···

श्री रामावतार शास्त्री : हम लोग तो कभी शासन में तो थे ही नहीं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ये राज्य करने के काबिल ही नहीं थे।

सभापति महोदय : आप एक मिनट में खत्म करिये।

आचार्य भगवान देव : आप रोकिए तो उनको रोकिए, इनको क्यों रोक रहे हैं ? बखेड़ा तो शास्त्री जी कर रहे हैं।

सभापति महोदय : नहीं, इनका टाइम खत्म हो गया।

श्री राम स्वरूप राम : मैं यह कह रहा था कि हम एक्शन में चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था कायम हो और आप भाषण में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि गाल भी फुलावें और हंसें भी, दोनों काम शास्त्री जी, एक साथ नहीं चलता। कमिटमेंट के साथ, डिटरमिनेशन के साथ अगर चाहते हैं गरीबों की सेवा करना तो राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया है उसका आप आंख मूंद कर समर्थन कीजिए और अपने संशोधन वापस लीजिए। संशोधन किस बात पर है ? आपका भी उद्देश्य है गरीबों तथा हरिजन आदिवासियों और गरीबों की सेवा करना और इंदिरा जी तो चैम्पियन हैं, उनकी बात आप क्या करते हैं ? उनकी बात तो विश्व के बड़े-बड़े नेता नहीं करते हैं, हम और आप तो साधारण सदस्य हैं।

अब मैं अपने क्षेत्र गया के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। गया एक ऐतिहासिक स्थान है। उसका एक पुनीत इतिहास है। गया एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था कि हिंदुस्तान में सोशलिज्म कैसे आएगा। उसी स्थान के सम्बन्ध में मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं।

औद्योगिक नक्शे में गया का स्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जो इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड स्थानों की लिस्ट में है, उसमें भी उसका नाम है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर एच० एम० टी० का एक कारखाना खोला जाए। वहां पर जो 25 लाख की आबादी है, उसमें अधिकतर गरीब लोग ही हैं। 19:5 में बिहार सरकार ने एक नायलान फैक्टरी का प्रपोजल भेजा था लेकिन पता नहीं वह प्रपोजल कहां खटाई में पड़ा हुआ है?

इसके साथ-साथ मैं सिंचाई के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना चाहता हूं क्योंकि खाद्योत्पादन में उसका बड़ा महत्त्व है। गया में केवल 15 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है और शेष 75 प्रतिशत से अधिक भूमि असिंचित ही है। मोहाने रेजर्वायर योजना 1975 में ही भारत सरकार को सौंप दी थी—मैं जानना चाहूंगा उसकी आज क्या स्थिति है?

इन शब्दों के साथ रंगा जी ने यहां पर जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव रखा है उसका मैं हार्दिक समर्थन करते हुए मैं मांग करूंगा कि हरिजन तथा आदिवासियों के लिए एक सेप्रेट डिपार्टमेन्ट की स्थापना की जाए तथा देश के टोटल बजट का 25 प्रतिशत उन लोगों के डेवलपमेन्ट पर लगाया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : प्रो० रंगा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं भारत के राष्ट्रपति को उनके प्रभावशाली अभिभाषण के लिए धन्यवाद देती हूं, जिसमें देश के समक्ष समस्याओं को तथा उन्नति के लिए अपनायी जाने वाली नितियों का उल्लेख किया गया है।

देश आज उन्नति के चौराहे पर खड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली सरकार के शासन काल के दौरान लगभग तीन वर्ष तक निष्क्रियता की गति से गुजरना पड़ा। उस दौरान आंदोलन और तनाव बहुत बढ़ गये थे तथा अर्थ-व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त हो गई थी। हमारी प्रिय प्रधानमंत्री के मार्ग निर्देशन तथा नेतृत्व में प्रगति का जो स्वरूप तैयार किया गया था उसे काफी कमजोर किया गया। इस कारण 1980 के बाद का समय सुधार तथा पुनर्निर्माण का एक कठिन समय था। उनके समर्थ नेतृत्व में राष्ट्र को पुनः प्रगति के रास्ते पर लाया गया। महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास में पर्याप्त उन्नति की गई। बिजली उत्पादन, कोयला उत्पादन, इस्पात उर्वरक सीमेंट तथा रेलवे-परिवहन में प्रशंसनीय उपलब्धि रही है तथा अब स्थापित की जा रही नई ईकाइयाँ से क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होगी। पेट्रोलियम के देश में उत्पादन को बढ़ाने

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई है। इससे काफी हद तक आयातित तेल पर निर्भरता में कमी आयेगी। निर्यात को बढ़ाने तथा उसके बदले आयातित वस्तुओं के प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया है। इन उपायों से व्यापार में घाटे को कम करने में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सुविचारित आयोजन से तथा सतत प्रयास करने से 1981-82 के दौरान 1320 लाख टन अन्न उत्पादन का रिकार्ड स्थापित किया जायेगा। 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय आय में कुल 1४.4 प्रतिशत तथा वास्तविक 7.7 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई। घरेलू बचत में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई है। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यदि हमने उस वक्त राजस्थान के रेगिस्तान पर प्रयोग न किया होता तो आज हमें अपने वैज्ञानिकों पर इतना भरोसा नहीं होता। वैज्ञानिकों की योग्यता युद्ध के लिए नहीं है।

मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर में कमी हुई है और उस पर नियंत्रण की सुरक्षा और प्रबन्ध तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए एक नई चेतना जाग्रत हुई है, सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए धन्यवाद की पात्र है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, नवीनकरणीय स्रोतों के विकास को उचित महत्त्व और प्राथमिकता दी गई है। बाइ-ऑ-गैस, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए एक व्यापक योजना चलाई गई है। इन सब से आशावाद के वातावरण का आभास होता है। हमें इस बात का गर्व है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस आशावाद का उल्लेख किया है।

सभापति महोदय, वर्ष 1982 को 'उत्पादकता वर्ष' के रूप में ठीक ही मनाया जा रहा है। उत्पादकता ही हमारे स्थायित्व तथा प्रगति का मूल है। यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने की अधिक सौहार्द पूर्ण तथा अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करने के लिए एक कानून पुरःस्थापित किया जा रहा है।

देश को आज बहुत से बाहारी चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। पश्चिमी सीमाओं से युद्ध का खतरा तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की गुमराह करने वाली नीतियों ने हमारी समस्याएं और जटिल बन गई हैं। पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों की बहुत अधिक सप्लाई से हमें अपनी विकासात्मक योजनाओं के स्थान पर रक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए विवश किया है। हम अपनी प्रधानमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने एक सफल राजनयिक अभियान चलाया है कि जिससे इन चावों को काफी हद तक रोका गया है तथा बहुत से देश हमारे मित्र बन गये है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण की स्वीकृति मिलना, प्रधानमंत्री की राजनयिक विजय का उदाहरण है। मैं विपक्ष के सदस्यों के लिए कुछ बातों की ओर संकेत करना चाहता हूं। आज हम देखते हैं कि देश के अन्दर बदनाम हुए विपक्ष द्वारा आस्थिरता उत्पन्न करने के मुख्य उद्धेश्य सरकार के विरुद्ध संगठित होने का जोरदार प्रयास

किया जा रहा है। संगठित होने का यह आन्दोलन किसी विचार धारा अथवा कार्यक्रम पर आधारित नहीं है किन्तु इसे अवसरवा दिता ही कहा जा सकता है।

हम देखते हैं कि सांप्रदायिक राजनीतिक दल और ग्रुप देश के विभिन्न भागों में गड़बड़ी पैदा करने, फूट डालने तथा तनाव पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस परिस्थिति को सावधनी से काबू करने का श्रेय सरकार को दिया जाना चाहिए। हमें उन लाखों जागरूक लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने इन आन्दोलनों को अस्वीकार किया है। 19 जनवरी को हुए सम्पूर्ण भारत बंद को नाकामयाब करना हमारे लोगों की समझदारी का एक उदाहरण है। अपने विपक्षी दलों में भी मुझे नजर विवेक का अभाव नहीं आता है। वे जनता पार्टी का पुनर्गठन करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि इतिहास से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्र को प्रगति का एक नया 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसके दो उद्देश्य हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ-साथ विकास किया जाये। यहाँ भी विपक्ष दल यह देख सकते हैं कि यह कार्यक्रम किसी एक दल के लिए नहीं है। यह राष्ट्र के विकास के लिए तथा देश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों गरीबों तथा पद-दलित लोगों के कल्याण के लिए है।

इसमें भी विपक्ष बहुत संकुचित दृष्टिकोण अपना रहा है। वे अपने छोटे दलगत हितों से ऊपर नहीं उठ सकते और देश के लोगों के सामान्य हित तथा कल्याण को नहीं देख सकते। तथापि इस कार्यक्रम के लिए लोगों के व्यापक समर्थन से देश में सामाजिक-आर्थिक क्रांति आ सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: प्रो० रंगा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : माननीय सभापति जी, इस माननीय सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य प्रो० रंगा साहब द्वारा प्रस्तावित किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, किसी भी देश की राजनीति में, किसी भी देश की प्रगति में, किसी भी देश को उच्च-शिखर पर ले जाने के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हम भूतकाल की अनुभूतियों पर ध्यान देते हैं और भूतकाल की अनुभूतियों पर ध्यान देते हुए हम वर्तमान को निहारते हैं, फिर दोनों अनुभूतियों का समन्वय करके भविष्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इस माननीय सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है। इस दृष्टि से मैंने इस अभिभाषण का जो अध्ययन किया है उससे ऐसा मालूम होता है कि देश को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए, राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए, देश की आर्थिक अवस्था को ठीक करने के लिए, देश के वैज्ञानिक उत्थान को आगे बढ़ाने के लिए, देश की कृषि को आगे बढ़ाने के

[श्री महावीर प्रसाद]

लिए, देश की शिक्षा को समन्वित रूप देने के लिए, देश में स्वास्थ्य के प्रति या देश में बढ़ती हुई जन-संख्या को रोकने के लिए, सभी विषयों को इनमें छूने का प्रयास किया गया है। इसीलिए मैं इसके समर्थन के लिए तैयार हुआ हूं।

मैंने इस अभिभाषण का पूरा अध्ययन किया है और मुझे राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्त की एक कविता याद आती है—

पोछे पितर पृष्ठ पोषक
पर भविष्य तो आगे,
यदि अपना परिणाम न देखें
तो हम अंध अभागे।

उधर बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं, उनके भाषणों को मैंने ध्यान से सुना था चाहे वे श्री राम जेठमलानी हों या श्री वालानन्दन जी और अभी-अभी थोड़ी देर पहले हमारे माननीय सदस्य, जो बिहार से संम्बन्धित हैं श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ने जो भाषण दिया था, उसको मैंने बड़े गौर से सुना। उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किये और वे यह मानते हैं कि बिजली की पैदावार बढ़ी है। उन्होंने स्वयं कहा है कि बिजली के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है और वह 11.3 प्रतिशत बढ़ी है। उन्होंने यह भी माना कि कोयले का जो उत्पादन हुआ है, उसमें बढ़ोत्तरी हुई है और वह 11.2 प्रतिशत बढ़ी है। उन्होंने यह भी माना कि रेलवे के द्वारा जो माल की ढुलाई हुई है, उसमें 14.4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने यह भी माना है कि बिक्री योग्य इस्पात का जो उत्पादन है, उस क्षेत्र में विस्तार न होने पर भी, काफी मात्रा में उसका उत्पादन हुआ है और 18.7 प्रतिशत की उसमें बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने यह भी माना है कि नाईट्रोजन वाली खाद के उत्पादन में 51.9 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है, उन्होंने यह भी माना है कच्चे पैट्रोलियम के उत्पादन में जो बढ़ोत्तरी हुई है, वह 6.12 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी माना है कि पैट्रोलियम सम्बन्धी चीजों के उत्पादन में 18.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

जब उन्होंने यह माना है कि इन सबके उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है, फिर भी कहते हैं कि बढ़ोत्तरी बड़ी धीमी गति से हुई है लेकिन मैं बड़ी सौम्यता के साथ, नम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी, जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था ? उन्नति की तरफ ले जाने की बजाये वे देश को अधोगति की तरफ ले गये और उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई। अब दो वर्षों से जो माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में यह सरकार बनी है, यह समुन्नत सरकार है, जिसने न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में एक क्रांति की लहर पैदा की है।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने कानकुन सम्मेलन में जाकर हिन्दुस्तान के गौरव को बढ़ाया और

शिखर सम्मेलन में विश्व के विकासशील, विकसित और अविकसित देशों के बीच में जो एक गरीबी की खाई है, उस गरीबी को दूर करने के लिए आवाज उठाई। मैं यह जानना चाहता हूं कि ढाई वर्ष के अन्दर विरोधी दलों की जो सरकार बनी थी, उसने क्या किया था।...**(व्यवधान)**...शास्त्री जी और प्रोफेसर साहब, आप जरा धैर्य से मेरी बातों को सुनें। मैं जानता हूं कि आप अध्यापक हैं और मैं भी अध्यापक हूं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी सौम्यता होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**... आप हृदय से, दिमाग से और मस्तिष्क से सुनेंगे, तब जाकर असर पड़ेगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मुद्रा-स्फीति की बात करते हैं। किसी भी देश की आर्थिक अवस्था वहां की मुद्रा-स्फीति से नापी जा सकती है। 12 जनवरी 1980 को, जबकि देश में इनकी सरकार हटी थी और हमारी सरकार आई थी, 22.2 प्रतिशत मुद्रा-स्फीति थी लेकिन 10 जनवरी 1981 को वह घटकर 1.48 प्रतिशत हुई है और पुनः वह घटकर अभी-अभी 9 जनवरी, 1982 को 6.9 प्रतिशत रह गई है।

आप अंदाज लगा सकते हैं, आप तौल सकते हैं कि इस देश में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो नीति है, उसके कारण देश में मुद्रा स्फीति कम हुई है। इस सरकार की जो प्रगति है वह आगे चलने वाली है। हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य इस तरफ ध्यान देने की कोशिश करें।

सभापति महोदय : क्या आप कल अपना भाषण जारी रखना चाहेंगे।

श्री महावीर प्रसाद : जी हां।

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थागित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 25 फरवरी, 1982/
6 फाल्गुन 1903 (शक) के 11 बजे
तक के लिए स्थगितहुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2